# ELECTRICITY SUPPLY CODE, 2005

(3rd Amendment)

vide Commission's Order dated 11th August 2006

**Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission,**
**Kisan Mandi Bhawan, IInd Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,**
**Lucknow - 226010**
**Tele No.: 522-2720426, Fax No.: 522-2720423**
**E-Mail: secretary@uperc.org, Website: www.uperc.org**

## List of Amended Clauses

| **Superscript Notations used for Amendment No.** | **Notifications - Dates**<br><br>ESC, 2005 was notified vide: Noti. No. UPERC/Secy-Supply Code/05-4528 dated 18th February 2005 | **Clause No.s** |
|---|---|---|
| '1' | Noti.No. UPERC/Secy/Regulation/05/4566 dated 1st March 2005 | 2.1 3rd para, 2.2(u), 5.2 (f) |
| '2' | Issued on 5th May 2005 by Commission's Order | 2.2(jj), 3.4(b) proviso, 4.1- 4th proviso, 8.4(a) |
| '3' | Noti. No. UPERC/Secy/Regulation/Supply Code/2006-517 dated 11th August 2006 | As below |
| **For Amendment No. 3** | **Denotes** | **Clause No.s** |
| '3(1)' | 'Clause / sub-clause / annexure **replaced**' | 1.4(iii), 2.2(w), 2.2(ff), 4.8(c), (d), 4.9, 4.14(c), 4.19, 4.20, 4.21(a), 4.22(a), (b), 4.36(e), 4.38(c), 4.39(c), 4.40, 4.41(a), 4.42(f), 4.47, 5.2(c), (d), 5.4(a) & (f), 5.5(a) & (c), 5.6(b)(i), 5.7(f), 5.8(a), 5.9(a), 5.9(b)(i), 6.1(f), 6.8, 6.9, 6.10(a)(iii), 6.12,7.7.1(e), (g), 7.7.6-ist para, 7.9 all provisos, 7.12,7.13, 8.0-8.3, 9.6, Annexure- 4.4,4.6,4.9,6.3,7.1 |
| '3(2)' | 'New clause / sub-clause / annexure **added**' | 2.2(ddd)-(ggg), 2.3 Note 1 formula, Note III (w-ff), 3.1(2nd proviso), 3.4(note), 4.10(i) proviso, 6.1(m), 6.4(d), 6.16, 7.7.1(e)&(g), 7.7.2(d), 7.9(b)(vi)-last proviso, 7.14, Annexure- 4.12, 4.13, 6.5 |
| '3(3)' | 'Clause / sub-clause **deleted**' | 3.4(c), 3.4(d)(v), 4.20(d), 4.41(a)(iii), 7.12(b) |
| '3(4)' | 'Clause / sub-clause **amended**' | 2.2(ll), 3.2(b), 3.4(b), 3.5(b), 4.2(a) 2nd proviso, 4.4(a)(v), 4.8 (a),(f), 4.10(a),(e), 4.20(f) & (h), 4.34, 4.39(f), 4.45(B), 4.46(a); 5.4 (c); 5.6(c)(iii), 5.7(d), 5.8(iv), 6.1 (g), 6.10(ii) & (iii) (b)(iii), 6.14(ii), 6.15-expl, 7 .5, 7.9 |

**No. UPERC/Secy/Regulation/Supply Code/2006-517**

**Dt. 11th August 2006**

**आयोग आदेश - दिनांक 11.08.2006**
**विद्युत आपूर्ति संहिता-2005**
**(तीसरा संशोधन)**

**आयोग आदेश**

1. विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 राजपत्र अधिसूचना संख्या 4528 दिनांक 18 फरवरी, 2005 द्वारा अधिसूचित की गयी थी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 और 183 के अनुसार दिनांक 8 जून, 2005 के संख्या एस० ओ० 796 (ई०) और जी० एस० आर० संख्या 379 (ई०) (विद्युत नियमावली, 2005) द्वारा आदेश ''विद्युत (कठिनाइयों का निवारण)'' पर आदेश जारी किया था। पूर्वोक्तम आदेश के प्रावधानों तथा अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की गयी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने विद्यमान विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किया था। प्रस्तावित संशोधन विद्यमान संहिता के खण्ड 1.4 (i) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, जिनके द्वारा ये प्रस्ताव सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, सामान्य जनता, राज्य सरकार और अन्य दावेदारों को उनकी टिप्पणी/ सुझाव के लिए उपलब्ध कराया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(3) की अपेक्षाओं के अनुसार, आयोग ने समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से और 15-12-2005 तक प्रस्तावित परिवर्तनों पर टिप्पणी आमंत्रित करते हुए अपने वेबसाइट पर प्रस्तावित दस्तावेज को पेश करके इन प्रस्तावों का पूर्व प्रकाशन किया था। कुछ अनुज्ञप्तिधारियों से उत्तर की कमी का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने पुन : 31 जनवरी, 2006 तक समय में विस्तार किया था। आयोग ने विद्युत आपूर्ति संहिता पुनर्विलोकन पैनल और राज्य सलाहकार समिति से प्रस्ताव पर उनकी राय ग्रहण करने के लिए भी परामर्श किया था। उक्त कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आयोग ने विद्युत प्रदाय संहिता 2005 में संशोधनों को विनिर्दिष्ट किया है, जो व्हाापक रूप से कार्यपालन मानक से सम्बन्धित अनुभागों/निर्गमों, चोरी के प्रावधानों और विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग, नये कनेक्शन के लिए सामान्य संरचना और सामान्य प्राक्कलन को व्हाापक रूप से आच्छादित करता है।

2. विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (तृतीय संशोधन) शासकीय राजपत्र में उसकी अधिसूचना की तारीख से राज्य में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा किये गये क्षेत्रों में प्रभावी होगा। अनुज्ञप्तिधारियों के अधिसूचना के बाद तत्काल संहिता को मुद्रित करने के लिए और सभी क्षेत्रीय इकाइयों को उसे उपलब्ध कराने के बाद तत्काल संहिता के मुद्रण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है। अनुज्ञप्तिधारियों को भी आपूर्ति के उनके क्षेत्र में व्हाापक परिचालन धारण करने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित करने और उपभोक्ता बिल के माध्यम से व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है। संहिता आयोग की वेबसाइट में और अनुज्ञप्तिधारियों के वेबसाइट में उपलब्ध होगी।

---

**उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग**
**अधिसूचना संख्या उ० प्र० वि० नि० आ०/सचिव-आपूर्ति संहिता/05-4528**
**लखनऊ, दिनांक 18 फरवरी, 2005**
**विद्युत प्रदाय संहिता-2005**

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. उ० प्र० विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (एतस्मिनपश्चात सुधार अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) के अधीन उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग को वितरण, आपूर्ति, विद्युत के प्रयोग को विनियमित करने, अनुज्ञप्तिधारियों को कार्य को विनियमित करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने और उपभोक्ताओं के लिए सेवा के मानक तथा राज्य में विद्युत आयोग के मानक को स्थापित करने के लिए कार्य समनुदेशित किया गया था। तत्कालीन तीन प्रमुख वितरण अनुज्ञप्तिधारियों अर्थात यू० पी० सी० एल०, के० ई० एस० सी० ओ० और एन० सी० टी० एल० को अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय आयोग ने अपेक्षा किया था कि अनुज्ञप्तिधारियों को वितरण संहिता तैयार करना चाहिए और उन्हें आपूर्ति अनुज्ञप्ति के शर्त के रूप में अनुमोदन के लिए आयोग को पेश करना चाहिए। आयोग के निर्देर्शों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यू० पी० पी० सी० एल०) में प्ररूप वितरण संहिता पेश किया था, जो आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था और यू० पी० पी० सी० एल०, कानपुर विद्युत प्रदाय कम्पनी लिमिटेड (केस्को) और नोएडा विद्युत कम्पनी लिमिटेड (एन० पी० सी० एल०) द्वारा 1 जुलाई, 2002 से सेवा किये गये क्षेत्रों में लागू किया गया था।

2. विद्युत अधिनियम, 2003, 9 जून, 2003 को स्वअन्तर्विष्ट व्यापक विधायन के रूप में लागू किया गया था, जो उनके मुख्य लक्षण को संरक्षण करते हुए विद्यमान विधायन को प्रतिस्थापित किया था। विद्युत संहिता की धारा 14 प्रावधान करती थी कि सुधार अधिनियम, के अधीन किसी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि अनुज्ञप्ति में नियत है, अनुज्ञप्तिधारी होना माना जायेगा और ऐसी अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में सुधार अधिनियम के प्रावधान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी पूर्व अवधि के अभाव में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष अर्थात 9 जून, 2004 तक लागू होगा, जिसे वर्तमान मामले में नहीं किया गया था। इसलिए, प्रदाय संहिता के पूर्ण प्रावधान प्रदाय अनुज्ञप्ति के शर्त के रूप में 9 जून, 2004 तक प्रवर्तन में बने हुए थे। इसी बीच विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 (4) और सुधार अधिनियम की उपधारा 4 (23) के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार) वितरण उपक्रमों का अन्तरण (अधिनियम, 2003 12 अगस्त, 2003 से प्रभावी किया गया था, जिसमें उ० प्र० विद्युत नियम लिमिटेड अर्थात पूर्वोक्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों में से एक को 4 वितरण कम्पनियों, अर्थात पश्चिमान्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत निगम लिमिटेड और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विभाजित किया गया था, जिसका विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के 5वें परन्तुक के अनुसार की परिकल्पित अनुज्ञप्तिधारी प्रास्थिति है। इसलिए, प्रदाय संहिता, 2002 का पूर्ण प्रावधान अनुज्ञप्ति की शर्त के रूप में 9 जून, 2004 तक उक्त चार वितरण कम्पनियों पर लगातार प्रवर्तित होता था। 9 जून, 2004 के पश्चात सुधार अधिनियम के केवल वे प्रावधान और तदनुसार विद्युत प्रदाय संहिता, 2002 उक्त छ: आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारियों के सम्बन्ध में लागू थी, जो निरसन के प्रभाव को सम्बन्ध में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य प्रयोज्यता के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों से असंगत नहीं था।

3. विद्युत प्रदाय संहिता, 2002 सुधार अधिनियम में आपूर्ति अनुज्ञप्ति के शर्त के रूप में अनुमोदित की गयी थी, जबकि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 50 प्रत्येक राज्या योग से उसमें उपबन्धित प्रयोजनों के लिए विद्युत आपूर्ति संहिता को विनिर्दिष्ट करने के लिए प्रत्येक राज्यायोग से अपेक्षा किया था। इस प्रकार, आयोग ने प्ररूप विद्युत प्रदाय संहिता को विनिर्दिष्ट करने का प्रयोग किया था, जो विद्युत अधिनियम, 2003 से संगत था और पूर्वोक्त धारा में उपवर्णित समादेश के अनुरूप था। सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के साथ विद्युत आपूर्ति कारबार से सम्बन्धित विभिन्न विवाद्यकों को समेकित करने के लिए आयोग ने प्ररूप आपूर्ति संहिता 2004 के क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन परिकल्पित विनियमों से सम्बन्धित अन्य आपूर्ति को आच्छादित करने का विनिश्चय भी किया था। इसलिए, प्ररूप आपूर्ति संहिता विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) के निम्नलिखित विनियमों के साथ 43-48, 50, 55-59 के विवाद्यको को आच्छादित किया था।

- अनुरोध पर आपूर्ति के कर्तव्हा के सम्बन्ध में धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जानी वाली अवधि,
- धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सन्देय युक्तियुक्त प्रतिभूति,
- धारा 47 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूति पर ब्याज का भुगतान,
- धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारको के वर्ग के कार्यपालन का मानक,

- अवधि जिसके अन्तर्गत धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यपालन के स्तर के सम्बन्ध में सूचना दी जानी है,
- अपील दाखिल करने का प्ररूप और ढंग, जिसमें ऐसा प्ररूप धारा 127 की उपधारा (1) के अधीन सत्यापित किया जायेगा।

प्ररूप विद्युत आपूर्ति संहिता, 2004 पूर्व प्रकाशन के शर्त के रूप में और अन्यथा भी प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए सभी दावेदारों को अन्तर्ग्रस्त हुए विचार विमर्श के व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया गया था। प्ररूप की प्रतिलिपियां यू० पी० पी० सी० एल० सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य सरकार, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को भेजा गया था और टिप्पणी के लिए आयोग की वेबसाइट पर भी रखा गया था। प्ररूप संहिता की टिप्पणी भी व्यापक परिचारण धारण करने वाले समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम को भी आमंति किया गया था और प्ररूप संहिता की प्रतिलिपियां सामान्य व्यक्ति के अनुरोध पर उपलब्ध करायी गयी थी। सार्वजनिक सुनवाई भी 13 मई, 2003 को व्यापक रूप से दावेदारों और सामान्य जनता से प्राप्त आक्षेपों और टिप्पणियों को ग्रहण करने के लिए 13 मई, 2004 को की गयी थी। प्ररूप आपूर्ति संहिता का प्रगतिशील लक्षण था और इसमें उपभोक्ता हित और वितरण क्षेत्र के आधारभूत वास्तविकताओं के बीच उचित सन्तुलन करने का प्रयास किया था।

अनुज्ञप्तिधारियों और अन्य दावेदारों द्वारा पेश की गयी टिप्पणियों/आक्षेपों/सुझावों के आधार पर और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य सुसंगत सूचना पर विचार करते हुए, आयोग ने विद्युत आपूर्ति संहिता, 2004 के अन्तिम प्ररूप को तैयार किया है। संहिता स्पष्ट रूप से सक्षम प्राधिकारियों के साथ उन पर विचार करने की कार्यवाही से सम्बन्धित वितरण/आपूर्ति को क्रियान्वित करने के लिए प्ररूप, ढंग, प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए वितरण से सम्बन्धित कारबार के क्रियात्मक पक्ष को पकड़ने का प्रयास करता है। विद्युत अधिनियम, 2003 प्रावधान करता था कि इन अधिसूचनाओं/मार्ग निर्देश में से कुछ को धारा 176 और 180 के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना था। कुछ अन्य मार्ग निर्देशों को सी० ई० ए० द्वारा जारी किया जाना था। संहिता स्वअन्तर्विष्ट है, इसलिए व्यापक दस्तावेज को अब प्राख्यापित किया जा रहा है क्योंकि इसे इन प्रमुख अधिसूचनाओं में से कुछ के अभाव में से पहले जारी नहीं किया जा सकता था, जिसे अब जारी किया गया है। वर्ष 2004 जारी करने के वर्ष से निर्दिष्ट करने के लिए 2005 द्वारा पन्तिस्थापित किया गया है। विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 राज्य में कभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा किये गये क्षेत्र में शासकीय राजपत्र में उसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा। अनुज्ञप्तिधारियों को अधिसूचना के बाद और उसे व्हाापाक प्रचार देने के अतिरिक्त सभी इकाइयों में उपलब्ध कराने के बाद तत्काल संहिता को मुद्रित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया जाता है। संहिता आयोग के वेबसाइट और अनुज्ञप्तिधारियों के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2002 शासकीय राजपत्र में विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 की अधिसूचना की तारीख से निरसित की जायेगी। लेकिन, शासकीय राजपत्र में उसकी अधिसूचनाओं के पूर्व लागू विधिक संरचना उक्त परिच्छेद 2 के अनुसार होगा।

---

## अध्याय 1

## प्रारम्भिक

1.1. संक्षिप्त शीर्षक और उद्देश्य :

1.2. विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन पैनल :

1.3. संहिता के पुनर्विलोकन का ढंग :

1.4. संहिता में संशोधन :

1.5. अनुज्ञप्तिधारी के अपने नियम संग्रह में विद्यमान प्रावधान :

## अध्याय 2

## परिभाषाएं

2.1. & 2.2. परिभाषाएं

2.3 टिप्पण और स्पष्टीकरण

## अध्याय 3

## आपूर्ति प्रणाली और उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

3.1 आपूर्ति प्रणाली

3.2. & 3.3 आपूर्ति का वर्गीकरण :

(i) निम्न दाब

(ii) उच्च दाब

(iii) अतिरिक्त उच्च दाब

3.4. स्वतंत्र फीडरों के माध्यम से आपूर्ति

3.5. विद्युत कारक :

3.6. भार सन्तुलन :

3.7. उपभोक्ता का वर्गीकरण :

3.8. आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य प्रभार :

3.9. कानूनी उद्ग्रहण :

## अध्याय 4

## आपूर्ति की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया

4.1. अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति करने की आबद्धता :

4.2. वितरण प्रणाली को विस्तारित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की आबद्धता :

4.3 नए संशोधन सामान्य :

4.4. आपूर्ति के लिए आवेदन की जांच :

4.5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण :

4.6. प्राक्कलन :

4.7. संयोजन की मुक्ति, जहां वितरण स्त्रोत परिपथ का विस्तार या उपकेन्द्र/बढ़ती हुयी क्षमता आदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती :

4.8. नया संयोजन, जहां वितरण स्त्रोत परिपथ के विस्तार या नये उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता की अभिवृद्धि की आदेश देने की अपेक्षा की जाती है :

4.9. बहुमंजिला भवन/मल्टीप्लेक्स//वैवाहिक हाल/विकास प्राधिकरणों और/या प्राइवेट निर्माताओं/सम्प्रवर्तकों/कालोनी निर्माण करने वाले/संस्थानों/व्यक्तिगत आवेदकों (अनुज्ञप्ति विद्युत निरीक्षकों/द्वारा अनुमोदित) द्वारा विकसित कियेजाने वाली कालोनियों में विद्युत संयोजन :

4.10 अस्थायी आपूर्ति के लिए आवेदन

4.11 अस्थायी आपूर्ति के लिए तत्काल योजना

4.12 सम्बन्धित/अनुबन्धित भार के अवधारण की सामान्य शर्तें

4.13 अनुबन्धित भार

4.14 करार

4.15 आपूर्ति का बिन्दु

4.16 आपूर्ति के बिन्दु पर उपकरण का संस्थापन

4.17 उपभोक्ता के परिसर पर उपकरण को नुकसानी

4.18 भावी उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची

4.19 प्रकीर्ण प्रभाव उद्गृहीत किया जाये

4.20 प्रतिभूति निक्षेप

4.21 नये संयोजन/कटौती/भार की वृद्धि प्रदान करने का खर्च

4.22 भुगतान का ढंग

4.23 उपभोक्ता के परिसर पर तार लगाना

4.24 ए०सी० मीटरों का संस्थापन

4.25 सिंचाई/कृषि पम्पसेट का संस्थापन

4.26 अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति प्रणाली के साथ समानान्तर कार्यवाही

4.27 संरक्षणात्मक भार

4.28 सेवा लाइन और उपकरणों से सम्बन्धित सामान्य उपबन्ध

4.29 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के सेवा लाइन का प्रयोग

4.30 – 4.34 उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच

4.35. आपूर्ति के असंयोजन के लिए प्रक्रिया

4.36. & 4.37 अस्थायी असंयोजन

4.38. स्थायी असंयोजन

4.39. पुनः संयोजन के लिए प्रक्रिया

4.40. संवर्ग का परिवर्तन

4.41. अनुबन्धित भार में कटौती

4.42. सार्वजनिक प्रकाश के लिए भार की वृद्धि के लिए प्रक्रिया

4.43. सार्वजनिक प्रकाश की अपेक्षा अन्य मामलों के लिए भार की वृद्धि

4.44. संयोजन का अन्तरण और नामों का नामान्तरण

4.45. (क) उपभोक्ता के परिसर में तार लगाने और/या उपकरणों के परिवर्तन या सेवा लाइन को अन्तरित करने के मामले में प्रक्रिया

4.45. (क) उपभोक्ता के परिसर में तार लगाने और/या उपकरणों के परिवर्तन या सेवा लाइन को अन्तरित करने के मामले में प्रक्रिया

(ख) संयोजनों के अन्तरित करने के लिए प्रक्रिया

4.46. उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा का विक्रय

4.47. एकल बिन्दु आपूर्ति

4.48. फ्रैन्चाइजी की सेवा के माध्यम से वितरण आपूर्ति

4.49. स्थायी असंयोजन/संयोजन की मुक्ति/भार की वृद्धि और कटौती, जहां विवादास्पद बकाया न्यायालय/अन्य फोरम द्वारा स्थगित किया जाता है :

## अध्याय 5

## मीटर

5.1. मीटर पर आपूर्ति प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की आबद्धता-मीटर की अपेक्षा

5.2. मीटर का वर्गीकरण इत्यादि

5.3. मीटर और एम० सी० बी०/सी० बी० की आपूर्ति और संस्थापन

5.4. मीटरों का स्वामित्व और प्रयोग

5.5. मीटर का परीक्षण करना

5.6. व्यतिक्रमी मीटर

5.7. मीटर (एम० डी० आई० को शामिल करके) जो अभिलिखित नहीं करता

5.8. जले हुए मीटर

5.9. त्रुटिपूर्ण/जले हुए मीटरों के प्रतिस्थापन का व्यय

5.10. खोये हुए मीटर

## अध्याय 6
## बिल भेजना

6.1. सामान्य प्रावधान

6.2. बिल जब मीटर अध्ययन उपलब्ध नहीं है

6.3. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए परिसर के अधिभोग के परिवर्तन/रिक्ति के मामले में मीटर का विशेष अध्ययन

6.4. बिल का अग्रिम भुगतान

6.5. विवादास्पद बिल और बकाया

6.6. स्वनिर्धारित बिल

6.7. विलम्ब भुगतान अधिभार

6.8. (क) अधिनियम की धारा 126 के अधीन विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग (यू० यू० ई०) के मामले में निरीक्षण, औपबन्धिक निर्धारण, सुनवाई और अन्तिम निर्धारण के लिए प्रक्रिया

(ख) उपभोक्ता को नोटिस और उसका उत्तर

(ग) सुनवाई

(घ) अपील

(ङ) निर्धारित धनराशि या उसके किस्तों के भुगतान में व्यतिक्रम

6.9. आधिक्य भार के मामले में बिल देना

(क) जहां संस्थापित मीटर में ''अधिकतम मांग'' के अध्ययन की सुविधा है

(ख) जहां अधिकतम मांग के चित्रण के लिए मीटर में कोई प्रावधान नहीं है

6.10. भुगतान का ढंग

6.11 रसीद

6.12 प्राप्त धनराशि का उपायोजन

6.13 छूट और विलम्ब भुगतान अधिभार

6.14 भुगतान सुविधा

6.15 बकाये की वसूली

6.16 पुनः प्रारम्भ की ईप्सा करते हुए असंयोजित औद्योगिक इकाई

## अध्याय 7
## कार्य निष्पादन, शिकायत प्रतितोष तंत्र और प्रतिकर

7.1 to 7.6 सामान्य

7.7 कार्यपालन का मानक

7.7.1 आपूर्ति से सम्बन्धित मामले

सामान्य

(क) व्यवधान/विद्युत आपूर्ति की असफलता (भौतिक या तात्विक निर्बन्धन के प्रावधान खण्ड 9.1 के अध्यधीन)

(ख) वोल्टता परिवर्तन-

7.7.2 नया संयोजन/असंयोजन/पुन:संयोजन और सम्बन्धित मामले

7.7.3 मीटर लगाना

7.7.4 बिल देना

7.7.5 स्वामित्व का अन्तरण और सेवाओं का सम्परिवर्तन

7.7.6- 7.8 वितरण और फुटकर आपूर्ति से सम्बन्धित प्रक्रिया को संचालित करने वाला परिवाद (संलग्नक 7.2)

1. परिवाद की प्रकृति
2. कहां परिवाद दाखिल करें
3. कोई करेंट नहीं/विद्युत आपूर्ति की असफलता
4. वोल्टता परिवार
5. अनुसूचित कटौती/भार विरोधा

7.9 प्रतिकर

7.10 उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और लोकपाल

7.11 निर्धारण

7.12 कार्यपालन और विश्वसनीयता अनुक्रमणिका के मानक पर सूचना

7.13 आयोग के समक्ष परिवाद

7.14 विश्वसनीयता अनुक्रमणिका

7.4 (i))वितरण प्रणाली विश्वसनीयता अनुक्रमणिका की संगणना करने का ढंग

7.15 बारम्बारता भिन्नता

7.16 वोल्टता असन्तुलन

7.17 बिल देने की त्रुटि

7.18 त्रुटियुक्त मीटर

## अध्याय 8

## विद्युत संयंत्र, मीटर इत्यादि को बिगाड़ना, संकट या नुकसानी

8.1 अधिनियम की धारा 135 के अधीन विद्युत चोरी के मामले में निरीक्षण, औपबन्धिक निर्धारण सुनवायी और अन्तिम निर्धारण के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया-

(ख) सुनवायी

(ग) निर्धारित धनराशि या उसके किस्तों के भुगतान में व्यक्तिक्रम

8.2 विद्युत की चोरी के मामले में संज्ञान लेने की प्रक्रिया

8.3 विद्युत के परिवर्तन, विद्युत की चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग या विद्युत संयन्त्र, विद्युत लाइन या मीटर को बिगाड़ने, संकट या नुकसानी को निवारित करने के लिए उपाय–

8.4 बिगाड़े गए मीटरों की स्वैच्छिक घोषणा

8.5 सामान्य

## अध्याय 9

## सामान्य प्रावधान

9.1 विद्युत की आपूर्ति पर कुछ भौतिक तात्विक निर्बन्धन

9.2 मांग पक्ष प्रबन्धन

9.3 नोटिस की तामीली

9.5 कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति

9.6 निरसन

**संलग्नक-3.1**

विद्यमान उपभोक्ता संवर्ग और बिल देने का चक्र

**संलग्नक-4.1**

ऊर्जा की आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए आवेदन पत्र

**संलग्नक-4.2**

**क्षतिपूर्ति बंध्यपत्र**

**संलग्नक-4.3**

नई आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वामी का सम्मति-पत्र

**संलग्नक-4.4**

कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा परीक्षण परिणाम

**संलग्नक-4.5**

ऊर्जा की अस्थाई आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए आवेदन-पत्र

**संलग्नक-4.6**

संयोजित भार को निर्धारित करने की प्रक्रिया

बहुमंजिला भवन/कालोनियों के मामले में भार के अवधारण के लिए मार्ग-निर्देश

**संलग्नक-4.7**

असंयोजन का प्रारूप

**संलग्नक-4.8**

करार समाप्त होने के पश्चात् उपभोक्ता को सूचना के लिए प्रारूप

**संलग्नक-4.9**

आपूर्ति के अस्थाई विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता को सूचना का प्रारूप

**संलग्नक-4.10**

संविदा मांग को बढ़ाने/घटाने के लिए आवेदन-पत्र

**संलग्नक-4.11**

कनेक्शन के अन्तरण/नामांतरण हेतु प्रारूप

**संलग्नक-4.12**

विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए करार

**संलग्नक-4.13**

संवर्ग के परिवर्तन के लिए आवेदन

**संलग्नक-5.1**

मीटर से सम्बन्धित परिवाद या मीटर के परीक्षण के लिए प्ररूप

**संलग्नक-6.1**

अग्रिम भुगतान के आवेदन का प्ररूप

**संलग्नक-6.2**

अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अधीन अपील

**संलग्नक-6.3**

**संलग्नक-6.5**

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष

**संलग्नक-7.1**

सम्पादन के गारन्टीशुदा मानक और प्रत्येक मामले में दोष के लिए उपभोक्ता को मुआवजे का स्तर

**संलग्नक-7.2**

परिवाद के लिए प्ररूप

**संलग्नक-7.3 (i) & (ii)**

**संलग्नक : 7.4**

**संलग्नक-7.5**

प्रदाय संहिता 2005 में आयोग का निर्देश

## अध्याय 1

## प्रारम्भिक

### 1.1. संक्षिप्त शीर्षक और उद्देश्य :

विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (एतमिनपश्चात् संहिता कहा गया है) सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य में उनके अपने अनुज्ञप्त क्षेत्रों में उस तारीख से लागू होगी, जिसे आयोग अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत करे। संहिता अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ताओं के एक दूसरे के प्रति बाध्यताओं को सूचीबद्ध करती है और उपभोक्ताओं को दक्ष, लागत प्रभावी तथा उपभोक्ता मैत्रीपूण सेवा प्रदान करने के लिए पद्धति संवर्ग विनिर्दिष्ट करती है। यह अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रावधान करती है :

(क) नये संयोजन (कनेक्शन) के लिए और भार की वृद्धि तथा कमी के लिए प्रक्रिया;

(ख) विद्युत प्रभारों की वसूली और विद्युत प्रभारों के बिल को भेजने के लिए अन्तराल;

(ग) विद्युत प्रदाय का वियोजन, पुन: संयोजन और प्रत्यावर्तन;

(घ) विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइन या मीटर को बिगाड़ना, जोखिम या क्षति;

(ङ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति का प्रदाय के वियोजन और मीटर को हटाने के लिए और/या विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या मीटर को प्रतिस्थापित करने, परिवर्तन करने या अनुरक्षण करने के लिए प्रवेश;

(च) बिलों के भुगतान, उपभोक्ता मीटर लगाने और ऊर्जा के निर्धारण से सम्बन्धित प्रथाएं;

(छ) अनुज्ञप्तिधारी के लिए कार्य पालन के मानक; और

(ज) उपभोक्ता शिकायतों के प्रतितोष के लिए प्रक्रिया।

### 1.2. विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन पैनल :

(i) आयोग विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन पैनल (ई.एस.सी.आर.पी.) की स्थापना करेगा। ई.एस.सी.आर.पी. निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा और वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा :

(क) संहिता के क्रियान्वयन के बारे में अनुज्ञप्तिधारियों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए;

(ख) अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा प्रदाय की शर्तों, उपभोक्ता हितों के संरक्षण, उपयोगिताओं के सम्पूर्ण कार्यपालन के अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा संहिता में परिवर्तन की, जहां कहीं भी आवश्यक हो, सिफारिश करने के लिए;

(ग) उनके द्वारा संहिता के क्रियान्वयन में सामना किए गए किसी क्रियात्मक समस्याओं के कारण संहिता का पुनर्विलोकन करना;

(घ) ई.एस.सी. आर.पी.में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

(क) आयोग का अध्यक्ष/सदस्य ई.एस.सी.आर.पी का पदेन अध्यक्ष होगा,

(ख) राज्य के प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों (जिनके पास 10,000 या अधिक उपभोक्ता हों) से एक प्रतिनिधि, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा,

(ग) एस.टी.यू. से एक प्रतिनिधि और प्रत्येक प्रेषण अनुज्ञप्तिधारी (ऐच्छिक),

(घ) एस.एल.डी.सी. से प्रतिनिधि (ऐच्छिक),

(ङ) उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि आयोग द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे। इनमें से, तीन प्रतिनिधि एल.टी. उपभोक्ता, 2 एच.टी./ई.एच.टी. उपभोक्ता और रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता, ग्रामीण और नगरीय निकायों में से प्रत्येक से एक होंगे। उक्त से कम से कम दो प्रतिनिधि घरेलू उपभोक्ताओं के संवर्ग से होंगे,

(च) ई.एस.सी.आर.पी. का सचिव आयोग का अधिकारी होगा, जो ई.एस.सी.आर.पी. के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा,

(छ) और कोई अन्य सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किया जायें,

(ज) प्रतिबन्ध यह है कि ई.एस.सी.आर.पी. में सदस्यों की अधिकतम संख्या 21 होगी। प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि सात सदस्य उपस्थित हैं, तो पैनल की गणपूर्ति पैनल की बैठक को आयोजित करने के लिए पूर्ण मानी जाएगी।

### 1.3. संहिता के पुनर्विलोकन का ढंग :

(i) इस संहिता में किसी परिवर्तन की वांछा करने वाला कोई अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता या अन्य हितबद्ध व्यक्ति पैनल के सचिव को लिखित में ऐसे परिवर्तन के लिए कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए और विद्यमान परिस्थितियों को उपवर्णित करते हुए लिखित में एक सौम्य प्रतिलिपि में पैनल को प्रस्ताव भेजेगा, जो चार प्रतिलिपियों के साथ होगा।

(ii) पैनल का सचिव टिप्पणी तैयार करेगा और बैठक की तारीख के पूर्व सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(iii) सचिव बैठक के दौरान सदस्यों की टिप्पणी पर विचार करेगा और यदि आवश्यक हो, तो व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा और सुन सकेगा, जिसमें परिवर्तन की अपेक्षा करते हुए सुझाव प्रस्तुत किया था।

(iv) पैनल उसके सदस्यों के सुझाव और टिप्पणियों पर विचार करने में सम्बन्धित विवाद्यकों का अध्ययन करने में उपशमित स्थापित करेगा।

(v) पैनल संहिता के उपान्तरण पर अपने मत को अन्तिम करने के बाद उसे आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(vi) आयोग उपान्तरण सहित या रहित परिवर्तन को अनुमोदित कर सकेगा, यदि वह ठीक समझे और संहिता के संशोधन के लिए खण्ड 1.4 के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

### 1.4. संहिता में संशोधन :

(i) आयोग स्वप्रेरणा से या ई.एस.सी.आर.पी. अनुशंसा पर संहिता का संशोधन कर सकेगा।

लेकिन संहिता में कोई संशोधन किए जाने के पूर्व प्रस्तावित परिवर्तनों पर टिप्पणी सभी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारियों और सामान्य व्यक्ति से अभिप्राप्त की जाएगी।

(ii) संहिता में कोई परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारी और यू.पी.ई.आर.सी. की वेबसाइट पर रखा जाएगा और संक्षेप में परिवर्तित खण्ड को प्रकाश में लाने वाली नोटिस यू.पी.ई.आर.सी. द्वारा आपूर्ति के अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र में व्यापक में रहने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में इस प्रभाव की जारी की जायेंगी। संहिता में परिवर्तन की प्रतिलिपियां भी अनुज्ञप्तिधारी के सभी स्थानीय कार्यालयों में रखी जायेंगी।

### 1.5. अनुज्ञप्तिधारी के अपने नियम संग्रह में विद्यमान प्रावधान :

अनुज्ञप्तिधारी उन मामलों में, जो विनिर्दिष्ट रूप से प्रदाय संहिता द्वारा आच्छादित नहीं हैं, अपने नियम संग्रह या आदेशों को निर्दिष्ट कर सकेगा, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा मार्ग-निर्देश प्रदाय संहिता और विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रावधानों में से किसी से असंगत नहीं है।

## अध्याय 2

## परिभाषाएं

**2.1.** शब्दों, निबन्धनों और पदों का, जो इस संहिता में परिभाषित हैं और प्रयुक्त हैं, का वही अर्थ होगा और वहन करेंगे, जैसा कि उ० प्र० विद्युत अधिनियम, 2003, उ० प्र० विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 जहां तक विद्युत अधिनियम, 2003 से असंगत नहीं है, भारतीय विद्युत नियमावली, 1956, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विनियम जारी किए जाने तक और इन अधिनियमों के अधीन उसमें निर्मित नियमावली और विनियमों में, जैसा कि समय-समय से संशोधित है, परिभाषित है।

पद का, जो इस संहिता में प्रयुक्त है किन्तु विनिर्दिष्ट रूप से अधिनियम या संसद द्वारा पारित किसी विधि में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा, जो सामान्यतया उ० प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2002 के प्रवर्तित होने के पूर्व विद्युत प्रदाय उद्योग में साधारणतया समनुदेशित किया गया है। प्रदाय संहिता, 2005 और प्रवर्तित कैरिथ आदेश के बीच किसी असंगति के मामले में, उस समय प्रवर्तित कैरिथ आदेश में अन्तर्विष्ट प्रावधान और अर्थ इस संहिता पर अभिभावी होंगे।

**2.2.** इस संहिता में; जब तक सन्दर्भ से प्रतिकूल नहीं है :

(क) *"अधिनियम"* से विद्युत अधिनियम, 2003 और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (1999 का उ० प्र० अधिनियम 24) के प्रावधान वहां तक अभिप्रेत हैं, जहां तक विद्युत अधिनियम, 2003 से संगत नहीं है;

(ख) *"करार"* से उसके व्याकर्णिक विभिन्नताओं और सजातीय पदों के साथ करार अभिप्रेत है, जो इस संहिता के अधीन अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता द्वारा किया गया ;

(ग) *"उपकरण"* से विद्युत उपकरण अभिप्रेत है और इसमें सभी मशीन, उपस्कर, उपांग और साधित्र शामिल हैं, जिनमें चालक प्रयुक्त किए जाते हैं;

(घ) *"आवेदक"* से किसी परिसर का स्वामी या विधिक रूप से प्राधिकृत अधिभोगी अभिप्रेत है, जो अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है या आवेदन करने का आशय रखता है;

(ङ) *"आपूर्ति का क्षेत्र"* से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत है;

(च) *"निर्धारण अधिकारी"* से उ० प्र० सरकार का अधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अधीन उ० प्र० सरकार द्वारा अभिहित है;

(छ) *"प्राधिकृत अधिकारी"* से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत होगा, जो इस तरह अधिनियम की धारा 135 (2) के अधीन उ० प्र० सरकार द्वारा अभिहित है;

(ज) *"अपील प्राधिकारी"* से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो अधिनियम, 2003 की धारा 127 (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित है;

(झ) *"बिल भेजने का चक्र या बिल भेजने की अवधि"* से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विद्युत बिल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं के विभिन्न संवर्गों के लिए तैयार किए जायेंगे;

(ञ) *"खराब होना"* से विद्युत ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली के उपकरणों की असफलता के कारण घटना अभिप्रेत है, जिसमें विद्युत लाइन शामिल है, जिसका परिणाम आपूर्ति के विच्छेदन में होता है;

(ट) *"कारोबार विनियम"* से उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम अभिप्रेत है, जैसा कि समय-समय से संशोधित है;

(ठ) *"कैलेण्टर वर्ष"* से वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन से प्रारम्भ और उसी वर्ष के दिसम्बर के इक्तीसवें दिन को समाप्त होने वाली अभिप्रेत है;

(ड) *"आयोग"* से अधिनियम के अधीन गठित उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ढ) *"चालक"* से विद्युत ऊर्जा को संचालित करने के लिए प्रयुक्त कोई तार, केबल, छम, नली, रेल या प्लेट अभिप्रेत है और इस प्रकार व्यवस्थित, जो प्रणाली को वैद्युतिक रूप से संयोजित करे;

(ण) *"संयोजित भार"* उपभोक्ता के परिसर में सभी ऊर्जा उपभोग करने वाले उपकरणों के, जिनका एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, विनिर्माता के निर्धारण का योग अभिप्रेत है। यदि विनिर्माता निर्धारण प्लेट उपलब्ध नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी उपकरण के वास्तविक भार का माप करेगा। यह के० डब्ल्यू०, के० वी० ए० या बी० एच० पी० इकाईयों में अभिव्यक्त किया जाएगा और आयोग द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा (संलग्नक 4.6) ;

(त) *"उपभोक्ता"* से कोई ऐसा व्यवित अभिप्रेत है, जिसको अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके प्रयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति की जाती है और इसमें ऐसा व्यक्ति, जिसकी आपूर्ति तत्समय वियोजित की गई है या सरकार या कोई अन्य व्यक्ति

शामिल है, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन सामान्य व्यक्ति को विद्युत की आपूर्ति करने के कारबार में संलग्न है और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका परिसर तत्समय अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों से विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए संयोजित किया जाता है, सरकार या ऐसा अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, शामिल है;

(थ) *"उपभोक्ता शिकायत फोरम"* से उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियम, 2003 के अधीन स्थापित फोरम अभिप्रेत है;

(द) *"उपभोक्ता संस्थापन"* से विद्युत तार, कुपस्कार, मोटर, ट्रान्सफार्मर और उपकरण अभिप्रेत है, जो उपभोक्ता द्वारा या उसकी ओर से एक और उसी परिसर में लगाया गया हो, जो आपूर्ति के बिन्दु से प्रारम्भ हो;

(ध) *" संविदात्मक भार"* से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति किए जाने के लिए करारित के० डब्ल्यू०, के० वी० ए० या बी० एच० पी० में अधिकतम विद्युत भार अभिप्रेत है, जो पक्षकारों के बीच संयोजित भार और पक्षकारों के बीच करार में प्रकट किए गए भार से भिन्न हो सकता है। यह अगले उच्चतर संख्या में पूर्णांक किया जाएगा। जहां कहीं शब्द ''स्वीकृत भार'' का प्रयोग किया जाता है, वहां यह संविदात्मक भार या इसके प्रतिकूल से अभिप्रेत है;

(न) *"आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख"* वह तारीख होगी, जब अनुज्ञप्तिधारी स्रोत परिपथ से संयोजित करके उपभोक्ता संस्थापन को विद्युत प्रवाहित करता है;

(प) बिल निर्मित करने की अवधि के लिए *"मांग प्रभार"* से अधिकतम मांग (खण्ड 2.2 (ठठ) को निर्दिष्ट करें) पर आधारित या आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ता पर उद्गृहीत प्रभार अभिप्रेत है;

(फ) *"वितरण स्रोत परिपथ"* से किसी स्रोत परिपथ का भाग अभिप्रेत है, जिससे सेवा लाइन तत्काल संयोजित की जाती है या संयोजित किए जाने के लिए आशयित है;

(ब) *"वितरण प्रणाली"* से तारों की प्रणाली और प्रेषण लाइनों पर परिदान स्थल या उत्पादन करने वाले स्थल संयोजन तथा उपभोक्ताओं के संस्थापन में संयोजन स्थल के बीच सम्बद्ध सुविधा अभिप्रेत है। इसमें विद्युत लाइन, उपकेन्द्र और विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित है जो प्राथमिक रूप से ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत वितरण करने के प्रयोजन के लिए इस बात के होते हुए कायम रखा जाता है कि ऐसी लाइन, उपकेन्द्र या विद्युत संयंत्र उच्च दाब केबल या शिरोपरि लाइन या ऐसे उच्च दाब, केबल या शिरोपरि लाइन से सम्बद्ध है या अन्य के लिए विद्युत का सम्प्रेषण करने के प्रयोग के लिए आनुषंगिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है;

(भ) *"विद्युत निरीक्षक"* से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है और इसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक भी शामिल है;

(म) *"आपातिक विद्युत कटौती"* से कर्मचारी और उपकरण की सुरक्षा के लिए संक्षिप्त नोटिस या नोटिस के बिना असंयोजन करके किया गया भार अवरोध अभिप्रेत है;

(य) ''ऊर्जा प्रभार'' आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार आपूर्ति किए गए विद्युत की प्रत्येक इकाई के लिए उपभोक्ता से उद्ग्रहीत प्रभार को निर्दिष्ट करता है;

(कक) *"अतिरिक्त उच्च दाब (ई० एच० टी०)"* से सामान्य स्थिति के अधीन 33,000 वोल्ट से अधिक वोल्टता अभिप्रेत है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विनियम के अधिसूचित किए जाने तक भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के अधीन अनुज्ञेय प्रतिशत भिन्नता के अध्यधीन है;

(खख) *"वित्तीय वर्ष"* से अंग्रेजी कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल के प्रथम से प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष के मार्च की इकतीस के साथ समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(गग) *"फीडर"* से एच० टी० या ई० एच० टी० वितरक अभिप्रेत है, जो उपकेन्द्र से उद्भूत होता है, जिससे वितरण उपकेन्द्र या एच० टी० या ई० एच० टी० उपभोक्ता संयोजित किए जाते हैं;

(घघ) *"नियत प्रभार"* टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार होगा;

(ङङ) *"उच्च दाब"* से 650 वोल्ट के ऊपर और 33,000 वोल्ट (33 के० वी०) तक सामान्य स्थिति के अधीन वोल्टता स्तर अभिप्रेत है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विनियम अधिसूचित किए जाने तक भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के अधीन अनुज्ञेय प्रतिशत भिन्नता के अध्यधीन है;

(चच) 11 के० वी० आपूर्ति के मामले में *"स्वतन्त्र फीडर"* से 33 के० वी० या उच्चतर वोल्टता उपकेन्द्र से उद्भूत फीडर अभिप्रेत होगा और 33 के० वी० के मामले में या उपभोक्ताओं के समूह को उसी अथवा निकटवर्ती परिसर पर विद्युत आपूर्ति करने के निमित्त होगा। जो समान प्रक्रिया वाले एक उपभोक्ता 132 के० वी० या उच्चतर वोल्टता उपकेन्द्र से उद्भूत फीडर अभिप्रेत होगा;

(छछ) *"अनुज्ञप्ति"* से अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(जज) *"अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार (एल० ई० सी०)"* से भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 45 के अधीन अनुज्ञप्त ठेकेदार अभिप्रेत है;

(झझ) *"अनुज्ञप्तिधारी"* से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित उ० प्र० विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करता ;

(ञञ) *"भार कारक"* दी गई अवधि के दौरान उपभोग की गई इकाइयों (के० डब्ल्यू० एच० या के० वी० ए० एच०) की कुल संख्या का उन इकाइयों की कुल संख्या से अनुपात है, जिनका उपभोग किया जाता है, यदि अधिकतम भार (के० डब्ल्यू० या के० वी० ए० में) उसी अवधि में पूर्ण रूप से कायम रखी जाती है और सामान्यतया निम्नलिखित प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी :

प्रतिशत में भार कारक = दी गई अवधि में उपभुक्त वास्तविक इकाई (के० डब्ल्यू० एच० या के० वी० ए० एच०)*100/के० डब्ल्यू० या के० वी० ए० में अधिकतम भार दी गई अवधि के दौरान फीडर पर उपलब्ध आपूर्ति के घंटों की संख्या।

**टिप्पणी-** * से गुणाक अभिप्रेत है :

(टट) *"निम्न दाब"* (एल० टी०) से वह वोल्टता अभिप्रेत है, जो फेज और न्यूट्रल के बीच 250 वोल्ट या सामान्य स्थिति के अधीन किसी दो फेज के अधीन 440 वोल्ट से अधिक नहीं है, जो अधिनियम की धारा 53 के अधीन नए नियमावली को निर्मित किए जाने तक भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के अधीन अनुज्ञेय प्रतिशत भिन्नता के अध्यधीन है;

(ठठ) *"अधिकतम मांग"* से के० डब्ल्यू० या के० वी० ए० यथास्थिति की औसत मात्रा अभिप्रेत है, जो उपभोक्ता की आपूर्ति स्थल पर परिदत्त की गई है तथा बिल अवधि में अधिकतम प्रयोग के तीस मिनट की अवधि (रेलवे संकर्षण के मामले में पन्द्रह मिनट की अवधि) के दौरान मापी गई है।

(डड) *"मीटर"* से ऐसा उपकरण अभिप्रेत है, जिसका प्रयोग विद्युत मात्रा जैसे के० डब्ल्यू० एच० में ऊर्जा और/या के० डब्ल्यू० में के० वी० ए० एच० अधिकतम मांग और/या के० वी० ए० आर० घंटों में के० वी० ए० पुन: सक्रिय ऊर्जा के माप के लिए प्रयुक्त है, जिसमें उपकरण जैसे धारा परिणामित्र (सी० टी०) और अन्त:शक्ति परिणामित (पी० टी०) शामिल है, जहाँ ऐसे मीटर के साथ संयोजन में संयुक्त किया जाता है और ऐसे मीटर को और उसके सहायक उपकरणों को रखने या निर्धारित करने के लिए किसी संलग्नक या उसके सहायक उपकरण और किसी उपकरण जैसे स्विच या एच० सी० बी० या संरक्षण और परीक्षण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त फ्यूज के साथ प्रयुक्त किया जाता है। यह विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग को निवारित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, प्रदत्त किसी सील या सील करने की व्यवस्था को शामिल करेगा। यह पूर्व संदत्त मीटर को भी शामिल करेगा;

(ढढ) न्यूनतम प्रभार टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार होगा;

(णण) *"अधिभोगी"* से परिसर का, जहां ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित है, स्वामी या प्राधिकृत अधिभोगी व्यक्ति अभिप्रेत है;

(तत) *"चरणबद्ध संविदा मांग"* से चरणबद्ध ढंग में प्राप्त किए जाने के लिए करारित संविदा मांग अभिप्रेत है;

(थथ) *"आपूर्ति बिन्दु"* से निम्न दाब संस्थापन के मामले में उपभोक्ता के पसिर में लगाए गए अनुज्ञप्तिधारी के कट आउट/एम० सी० बी० के बहिर्गमन टर्मिनल और एच० टी० या ई० एच० टी० संस्थापनों के मामले में किसी उपभोक्ता के साधित्र के समक्ष रखे गए अनुज्ञप्तिधारी के मीटरिंग क्यूबिकल के बहिर्गमन टर्मिनल अभिप्रेत है। किसी मीटरिंग क्यूबिकल के अभाव में या मीटरिंग के एच० टी० संस्थापन/बहुमंजिली कॉम्प्लेक्स के मामले में निम्न दाब के होने की स्थिति में आपूर्ति का प्रारम्भ स्थल उपभोक्ता के मुख्य स्विच मुठिया का आवक् टर्मिनल होगा;

(दद) *"ऊर्जा कारक"* से उस अवधि के लिए, जिसके लिए इसे निर्धारित किया जाना है, वाट से वोल्ट एम्पियर का अनुपात या के० डब्ल्यू० एच० से के० वी० ए० एच० का अनुपात अभिप्रेत है, जैसा कि लागू हो;

(धध) *"परिसर"* से भवन/छप्पर/मैदान इत्यादि का क्षेत्र/भाग अभिप्रेत है, जिसके लिए विद्युत संयोजन के लिए आवेदन किया गया है या एक उपभोक्ता के लिए स्वीकृत किया गया है ;

(नन) *"संरक्षात्मक भार"* से भार अभिप्रेत है, जो सामान्य रोस्टरिंग के अध्यधीन नहीं है।

(पप) *"नियमावली"* से भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 अभिप्रेत है, जब तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विनियम निर्मित नहीं किये जाते।

(फफ) *"सेवा लाइन"* से विद्युत आपूर्ति लाइन अभिप्रेत है, जिसके माध्यम से वितरण स्रोत परिपथ के उसी बिन्दु से उपभोक्ताओं में से एक या के समूह को वितरण स्रोता परिपथ से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है या आपूर्ति किए जाने के लिए आशयित है;

(बब) *"एस० एल० डी० सी०"* से अधिनियम, 2003 की धारा 31 के अधीन राज्य सरकार द्वारा आच्छादित राज्य भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है;

(भभ) *"राज्य प्रेषण सेवा"* से परिसर या सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट है और जिसके कार्य को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अधीन तैयार किया गया है, जिसे उ० प्र० शासकीय राजपत्र सं० 151/पी०-1/2000-74, दिनांक 14 जनवरी, 2000 द्वारा एस० टी० घोषित किया गया है, एस० टी० यू० इस सम्बन्ध में नई अधिसूचना जारी किए जाने तक एस० टी० यू० के रूप में जारी रहेगा;

(मम) अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में *"टैरिफ आदेश"* से ऐसा आदेश अभिप्रेत है, जो आयोग द्वारा उस अनुज्ञप्तिधारी के लिए विद्युत ऊर्जा और सेवाओं की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के विभिन्न संवर्गों के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारित किए जाने वाले दर को निर्दिष्ट करते हुए जारी की गई है;

(यय) *"टैरिफ अनुसूची"* उस अनुज्ञप्तिधारी के लिए टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किए गए विद्युत और सेवा की आपूर्ति के लिए प्रभार की अत्यधिक नवीनतम अनुसूची है;

(ककक) *"प्रेषण लाइन"* से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है, जिसमें किसी उच्चापी और अवचापी परिणामित्र, स्विच मुँठिया और अन्य आवश्यक कार्य के साथ उत्पादन केन्द्र से अन्य उत्पादन केन्द्र और उपकेन्द्र को प्रेषित करने वाले उच्च दाब केबल और शिरोपरि लाइन शामिल है (जो अनुज्ञप्तिधारी के वितरण प्रणाली का आवश्यक भाग नहीं है और जिसका प्रयोग ऐसे केबल या शिरोपरि लाइन और ऐसे भवन या उसके भाग के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त है, जैसा कि ऐसे परिणामित, स्विच मुठिया और अन्य कार्यों तथा उसके कार्य करने वाले कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए अपेक्षित है;

(खखख) *"उ० प्र० विद्युत ग्रिड संहिता"* से ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है, जो उत्तर प्रदेश में अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा प्रणाली की योजना और संक्रिया के लिए उत्तरदायित्व को वर्णित करते हुए आयोग द्वारा अधिसूचित है;

(गगग) शब्द और पद, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 तथा सी० ई० ए० मीटर के संस्थापन और संक्रिया पर विनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें उक्त अधिनियम में समनुदेशित है;

(घघघ) *"विद्युत नियमावली"* से भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 उस सीमा तक अभिप्रेत है, जिस तक अधिनियम या इसके पश्चात् विद्युत अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली द्वारा अभिप्रेत है;

(ङङङ) *"विद्युत लोकपाल"* से अधिनियम की धारा 42 (6) के अनुसरण में सृजित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(चचच) *"ग्रामीण क्षेत्र"* से अधिनियम की धारा 14 के अधीन उ० प्र० सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है। ग्रामीण अनुसूची और ग्रामीण फीडर का वही अर्थ होगा, जैसा कि आयोग के टैरिफ आदेश में उसको समनुदेशित है या जैसा कि उस सीमा तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित है, जो टैरिफ आदेश से असंगत न हो;

(छछछ) *"नगर क्षेत्र"* से ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी अन्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। नगर अनुसूची और नगर फीडर का वही अर्थ होगा जैसा कि उसको आयोग के टैरिफ आदेश में समनुदेशित है या जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस सीमा तक घोषित है, जो टैरिफ आदेश से असंगत न हो।

**2.3 टिप्पण और स्पष्टीकरण :**

**टिप्पण I : सम्परिवर्तन–**

यदि कोई रेटिंग के० वी० ए० में है, तो उसे के० डब्ल्यू० में 0.90 के ऊर्जा कारक या किसी अन्य मूल्य के साथ के० वी० ए० अंक का गुणक करके के० डब्ल्यू० में सम्परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे आयोग टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट करे, यदि उसे या किसी अन्य उपकरण को विनिर्माता द्वारा एच० पी० में निर्धारित किया जाता है, तो एच० पी० निर्धारण को उसे 0.746 से गुणा करके के० डब्ल्यू० में सम्परिवर्तित किया जाएगा।

के० डब्ल्यू० = 0.746 *एच० पी०

के० डब्ल्यू० = 0.90 *के० वी० ए०

**टिप्पण II : कार्यालयों के नाम और अधिकारियों के पदनाम-**

इस संहिता में कार्यालयों के नाम जैसे उपखण्ड कार्यालय, खण्ड कार्यालय, क्षेत्र कार्यालय इत्यादि और अधिकारियों के पदनाम जैसे सहायक अभियन्ता (ए० ई०), उपखण्डीय अधिकारी (एस० डी० ओ०), अधिशाषी अभियन्ता (ई० ई०), उप महाप्रबन्धक (डी० जी० एम०) इत्यादि, यदि प्रतीत होता हो, उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम लि० (यू० पी० पी० सी० एल०) या उसके उत्तरवर्ती इकाइयों के कार्यालयों के विद्यमान नाम/अधिकारियों के विद्यमान पदनाम को निर्दिष्ट करता है। अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के मामले में, वे आयोग को सूचना के साथ उनके द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले समुचित कार्यालय/अधिकारी के पदनाम को निर्दिष्ट करेगा।

**टिप्पण III : संहिता में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द–**

निम्नलिखित संक्षेप शब्दों का इस संहिता में प्रयोग किया गया है :

(क) वी० = वोल्ट

(ख) ए = एम्पियर

(ग) के० वी० = किलोवाट

(घ) के० ए० = किलो एम्पियर

(ङ) के० डब्ल्यू० एच० = किलोवाट आवर

(च) के० वी० ए० = किलो वोल्ट एम्पियर

(छ) सी० टी० = करेंट ट्रान्सफार्मर

(ज) पी० टी० = पोंटेंशियल ट्रान्सफार्मर

(झ) के० वी० ए० एच० = किलो वोल्ट एम्पियर आवर

(ञ) बी० एच० टी० = ब्रेक हार्स पावर

(ट) डब्ल्यू० = वाट

(ठ) के० डब्ल्यू० = किलोवाट

(ड) सी० बी० = सर्किट ब्रेकर

(ढ) एम० सी० बी० = मिनिएचर सर्किट ब्रेकर

(ण) एल० ई० सी० = लाइसेंन्स्ड एलेक्ट्रिकल कन्ट्रैक्टर

(त) के० वी० ए० आर० = किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव

(थ) एस० डब्ल्यू० जी० = स्टैन्डर्ड वायर गेज

(द) जी० आई० एस० = जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम (भौगोलिक सूचना प्रणाली)

(ध) जी० पी० एस० = ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम

(न) एस० सी० ए० जी० ए० = सुपरवाइजरी कन्ट्रोल एण्ड डॉटा एक्वीजीशन सिस्टम (पर्यवेक्षणीय नियंत्रण और आंकड़ा अर्जन प्रणाली)

(प) एम० आई० एस० = मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम (प्रबन्ध सूचना प्रणाली)

(फ) एच० वी० डी० एस० = हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली)

(ब) पी० टी० डब्ल्यू० = प्राइवेट ट्यूब वेल (व्यक्तिगत नलकूप)

(भ) एम० सी० जी० = मिनिमम कंजम्पशन गारन्टी (न्यूनतम उपभोक्ता प्रत्याभूति)

(म) पी० डी० = परमानेंट डिसकनेक्शन (स्थायी वियोजन)

(य) बी० डी० ओ० = ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर (खण्ड विकास अधिकारी)

(कक) जी० एस० एम० = ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्यूनिकेशन (सचल सूचना के लिए वैश्विक प्रणाली)

(खख) वी० एस० ए० टी० = वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल

(गग) सी० ई० ए० = सेन्ट्रल एलेक्ट्रिसिटी अथारिटी, न्यू डेलही (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली)

(घघ) एल० ए० एन० = लोकल एरिया नेटवर्किंग (स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग)

(ङङ) डब्ल्यू० ए० एन० = वाइड एरिया नेटवर्किंग (व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग)

(चच) आई० वी० आर० एस० = इण्टर एक्टिव वायर्स रिस्पांस सिस्टम।

## अध्याय 3

## आपूर्ति प्रणाली और उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

### 3.1 आपूर्ति प्रणाली

(क) अनुज्ञप्तिधारी 49.02 और 50.5 हट्र्ज के बीच फ्रीक्वेंसी पर यथासम्भव आपूर्ति करेगा और अबाधित विद्युत आपूर्ति को कायम रखेगा, जो केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा आदेशित ग्रिड की संक्रिया के लिए फ्रीक्वेंसी बैण्ड है।

(ख) ए० सी० आपूर्ति की घोषित वोल्टता निम्नलिखित होगी :

(1) निम्न दाब (एल० टी०) एकल फेस : फेस और न्यूटल के बीच 230 वोल्ट। तीन फेस: फेसों के बीच 400 वोल्ट;

(2) उच्च दाब (एच० टी०) 3 फेस : 6.6 के० वी०/11 के० वी०/33 के० वी०। विद्यमान रेलमार्ग के लिए आपूर्ति 25 के० वी० पर एकल फेस होगी।

(3) अतिरिक्त उच्च दाब (ई० एच० टी०) तीन फेस : 66 के० वी०/132 के० वी०/220 के० वी० विद्यमान रेलमार्ग के लिए आपूर्ति 132 के० वी०/220 के० वी० पर 2 फेस:

परन्तु वास्तविक वोल्टता/आवृत्ति बारम्बारता आई० ई० आर० (भारतीय विद्युत नियमावली 1956) के अधीन अनुज्ञेय सह्य सीमा के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न होगा, जब तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विनियम निर्मित नहीं किए जाते :

परन्तु यह भी कि रेलमार्ग को आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का अनुविक्षण अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा अनुज्ञेय सहय सीमा के भीतर होना किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक सुरक्षात्मक और सुधारात्मक उपकरण संस्थापित किए जाएगे।

### 3.2. आपूर्ति का वर्गीकरण :

अनुज्ञप्तिधारी, यदि वितरण प्रणाली की तकनीकी शर्तें अन्यथा अनुमति नहीं देतीं, नीचे निर्दिष्ट वोल्टता और फेस पर आपूर्ति करेगा :

**(i) निम्न दाब**

(क) 5 के० डब्ल्यू० से कम संविदायुक्त भार के साथ व्यक्तिगत नलकूपों और पम्पसेटों को शामिल करके सभी संस्थापन-230 वी० पर एकल फेस;

(ख) व्यक्तिगत नलकूपों और पम्प सेटों तथा 5 के डब्ल्यू० या अधिक और 50 के० डब्ल्यू०/56 के० वी० ए० के संविदायुक्त भार के साथ सभी संस्थापन-400 वी० पर 3 फेस, 4 तार।

**(ii) उच्च दाब**

(क) 56 के० वी० ए० से अधिक और 3,000 के० वी० ए० तक संविदायुक्त भार-6.6/11 के० वी० पर 3 फेस ।

(ख) 3,000 के० वी० ए० से अधिक और 10,000 के० वी० ए० तक संविदायुक्त भार-33 के० वी० पर 3 फेस।

**(iii) अतिरिक्त उच्च दाब**

10,000 के०वी०ए० से अधिक संविदायुक्त भार-132/220 के०वी० पर 3 फेस

**3.3.** (क) आपूर्ति का उक्त वर्गीकरण इस संहिता की अधिसूचना के बाद स्वीकृत किए जाने वाले नए संयोजनों/अतिरिक्त भारों को लागू होगा;

(ख) लेकिन, यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अपेक्षा करता है, तो उपभोक्ता को उच्चतर वोल्टता टैरिफ के लाभ के बिना उनके व्यय पर विद्यमान सेवा को सम्परिवर्तित कर सकेगा। उच्चतर वोल्टता टैरिफ का लाभ प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ता विद्यमान सेवाओं के सम्परिवर्तन के व्यय को वहन करेगा;

(ग) विद्यमान उपभोक्ताओं को, जो भार की कमी के लिए आवेदन करेंगे, आपूर्ति के अपने विद्यमान प्रणाली को जारी रखने का विकल्प होगा। लेकिन, यदि अनुज्ञप्तिधारी भार की कमी के बाद आपूर्ति प्रणाली में परिवर्तन के व्यय को वहन करने के लिए सहमत होता है, तो उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 3.2. अनुसरण करेगा;

(घ) अनुप्तिधारी वितरण प्रणाली की तकनीकी शर्तें पर आधारित होते हुए खण्ड 3.2 में निर्दिष्ट वर्गीकरण से भिन्न वोल्टता और फेस पर आपूर्ति कर सकेगा;

(ङ) व्यावसायिक चार्टर्ड अकाउंटेट वास्तु विधि, अभियन्ता, चिकित्सक, अधिवक्ता और अध्यापक इत्यादि व्यावसायिक अभ्यास या सलाहकारी कार्य करने के लिए अपने व्यवसाय में आवासीय स्थल के 50 वर्गमीटर के अधिकतम का उपयोग कर सकेंगे और यह गैर घरेलू कैरिफ को आकर्षित नहीं करेगा।

### 3.4. स्वतंत्र फीडरों के माध्यम से आपूर्ति

(क) आर्क/प्रेरण भट्ठी रोलिंग मील रीरोलिंग मिल्स और लघु लौह संयंत्र 10,000 के वी०ए० और अधिक के भार केवल स्वतन्त्र फीडर के माध्यम से मुक्त किया जाएगा और फीडर के खर्च को शामिल करके सभी आवश्यक प्रभारों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।

(ख) अन्य मामलों में, जिसमें घरेलू या अघरेलू या संस्थानों के नगर या संकुल (काम्पलेक्स), सम्मिलित हैं तथा उपरोक्त 3.4 (क) में उल्लिखित 1000 के० वी० ए० से कम भार के उद्योग सम्मिलित हैं, उपभोक्ता के अनुरोध पर 500 के० वी० ए० से अधिक भार पर स्वतंत्र फीडर पर विद्युत आपूर्ति दी जा सकेगी यदि उपभोक्ता सभी संबंधित व्यय वहन करने को इच्छुक है तथा ऐसा करना तकनीकी रूप से संभव है तथा संबंधित उपकेन्द्र पर वे स्थान उपलब्ध हैं।

परन्तु स्वतन्त्र फीडर पर उपभोक्ता/आवेदक को आपूर्ति मुक्त करने के लिए 500 के०वी०ए० से कम भार को धारण करते हुए, यह ऐसी आपूर्ति जैसे आपातिक सेवाओं की प्रकृति और प्रयोजन पर और ऐसे अन्य कारणों पर आधारित होगा, जहां आपूर्ति की निरन्तरता की अपेक्षा उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है, यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसा अवधारणा करता है, तो आपूर्ति प्रणाली निर्बन्धन, तकनीकी साध्यता, व्यय मानक तथा अधिनियम के अनुसार अनुरोध पर आपूर्ति के शुल्क के प्रावधानों के संरक्षण के आधार परमुक्त की जा सकती है।

(ग) निकाल दिया गया।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी आर्क/प्रेरण भट्ठियों, रोलिंग मिल्स, रीरोलिंग मिल्स और लघु लौह संयंत्र को इन संयंत्रों में से किसी के साथ आपूर्ति करने वाले फीडरों के अंश निष्कासन की अनुज्ञा देगा और इसका अर्थान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन के रूप में नहीं किया जायेगा। स्वतन्त्र फीडर के अंश निष्कासन की अनुमति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन समान प्रक्रिया को धारण करने वाले अन्य संयोजन की अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञा दी जाएगी :

(i) उपकेन्द्र से पृथक् फीडर का निर्माण सम्बन्धित उपकेन्द्र पर स्थान, मार्ग का अधिकार तथा बे की अनुपलब्धता के कारण सम्भव नहीं है;

(ii) मूल उपभोक्ता की सहमति भावी उपभोक्ता के साथ फीडर के सामान्य भाग के व्यय अंशधारण के लिए भावी उपभोक्ता द्वारा अभिप्राप्त की जायेगा;

(iii) आपूर्ति की गुणवत्ता प्रभावित किए जाने के लिए सम्भाव्य नहीं है और यदि तकनीकी रूप से साध्य है;

(iv) अंश निष्कासन बिन्दु पर बाह्य मीटर प्रणाली और प्रणाली में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त व्यय भावी उपभोक्ता के व्यय पर किया जायेगा लेकिन, विद्यमान प्रणाली के हटाने के कारण खर्च उपभोक्ताओं को नहीं दिया जायेग;

(v) निकाला गया

**टिप्पणी–**विद्युत के प्रयोग की प्रक्रिया का तात्पर्य आयोग के नवीनतम लागू टैरिफ आदेश के अनुसार समुचित टैरिफ अनुसूची के प्रयोज्यता खण्ड के अधीन वर्णित उप संवर्ग से है।

### 3.5. विद्युत कारक :

(क) उपभोक्ता के लिए अपने भार के लिए 0.9 के वांछित औसत विद्युत कारक अथवा कोई अन्य कारक को बनाए रखना आबद्धकर होगा जो आयोग किसी बिल अवधि के दौरान अपने टैरिफ आदेश में विनिदिष्ट कर सकेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी अस्थायी रूप से आपूर्ति को खण्ड 4.36 (ग) में दिए गए विवरण के अनुसार वियोजित कर सकेगा, यदि विद्युत कारक किसी बिल अवधि के दौरान 0.75 के नीचे है, तथा यदि टैरिफ आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट नही है।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार क्रमश: शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और/या निम्न या उच्च विद्युत कारक के लिए उत्प्रेरण देगा।

### 3.6. भार सन्तुलन :

(क) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि भार असन्तुलन आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर 5% से अधिक नहीं होगा।

(ख) तीन फेस की आपूर्ति ग्रहण करने वाला उपभोक्ता भी ऐसे ढंग में अपने भार को सन्तुलित करेगा कि प्रत्येक फेस के बीच भार में अन्तर फेसों के बीच औसत भार के 5% से अधिक नहीं होता।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष उक्त (क) और (ख) का अनुपालन न करने के लिए उपभोक्ता पर प्रभार उदगृहीत करने/उपभोक्ताओं को प्रतिकर प्रदान करने के लिए वांछित प्रक्रिया और समय सीमा को प्रस्तुत कर सकेगा।

### 3.7. उपभोक्ता का वर्गीकरण :

अनुज्ञप्तिधारी समय-समय से विभिन्न संवर्गों में उपभोक्ताओं को वर्गीकृत या पुन: वर्गीकृत कर सकेगा और आयोग के अनुमोदन के उपभोक्ताओं के विभिन्न संवर्गों के लिए भिन्न टैरिफ नियत कर सकेगा। विद्यमान वर्गीकरण संलग्नक 3.1 में दिया गया है।

### 3.8. आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य प्रभार :

(क) विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य प्रभार की घोषणा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों से संगत सीमा तक उ०प्र० विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 24 के अनुसार आयोग के अनुमोदन के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी। ऐसा टैरिफ या प्रभार आपूर्ति क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन की तारीख से केवल सात दिनों के बाद प्रभावी होगा। प्रभार में शामिल हो सकेगा :

(i) न्यूनतम मासिक प्रभार/नियत प्रभार/वार्षिक प्रभार,
(ii) माँग प्रभार,
(iii) आपूर्ति किए गये या चकृत ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार,
(iv) मौसमी और दिन के समय का प्रभार,
(v) तुल्य कालन प्रभार,
(vi) संरक्षात्मक भार प्रभार,
(vii) खुली पहुंच के लिए प्रेरित सहायता अधिभार,
(viii) प्रणाली की क्षति के लिए प्रतिकर,
(ix) उन मामलों में अतिरिक्त अधिभार, जहां उपभोक्ता अपने क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्ति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकृत व्यक्ति/अभिकरण से आपूर्ति ग्रहण करता है।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी अन्य प्रभारों को भी वसूल कर सकेगा, जिसमें संयोजन प्रभार, पुन: संयोजन प्रभार, विलम्बित भुगतान अधिभार, ईंधन अधिभार, विद्युत क्रय अधिभार, ग्रिड समर्थन अधिभार और विद्युत कारक शास्ति, प्रोत्साहन आयोग के पूर्व अनुमोदन के साथ शामिल है किन्तु उन तक निर्बन्धित नही है।

(ग) आयोग के अनुमोदन के बाद अनुज्ञप्तिधारी शीघ्र अपने वेबसाइट पर टैरिफ अनुसूची को प्रकाशित करेगा और युक्तियुक्त कीमत पर उपभोक्ताओं को प्रतिलिपि उपलब्ध करायेगा।

### 3.9. कानूनी उद्ग्रहण :

कानूनी उद्ग्रहण जैसे विद्युत शुल्क, कर या कोई अन्य शुल्क इत्यादि विधि के अनुसार उपभोक्ता द्वारा सन्देय होगा।

## अध्याय 4

## आपूर्ति की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया

### 4.1. अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति करने की आबद्धता :

अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति के अपने क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा आवेदन पर पूरा किए गए आवेदन और भुगतान की प्राप्ति के बाद एक मास के भीतर ऐसे परिसर में विद्युत की आपूर्ति करेगा :

परन्तु जहां ऐसी आपूर्ति वितरण स्त्रोत परिपत्र के विस्तार या नए उपकेन्द्रों को कमीशन करने की अपेक्षा करता है, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विस्तार या कमीशन करने के बाद तत्काल या ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि खण्ड 4.8 में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट है, ऐसे परिसर में विद्युत की आपूर्ति करेगा :

परन्तु यह भी कि ग्राम या उपग्राम या क्षेत्र, जिसमें विद्युत की आपूर्ति के लिए कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है, से आपूर्ति के लिए आवेदन के मामले में, आयोग मामलों के आधार पर समुचित ढंग से आपूर्ति करने के लिए समय अवधि में विस्तार करेगा :

परन्तु यह और कि पुराने उपभोक्ताओं/परिसरों में से किसी के सम्बन्ध में विद्युत बकायों के मामलें में, जहां स्वामित्व परिवर्तित हुआ है, नया संयोजन केवल अबकाया प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने के बाद नए स्वामियों को मुक्त किया जाएगा, जैसा कि खण्ड 4.3 (च) में उपबन्धित है : और परन्तु यदि परिसर पर विद्युत बकायों की किस्त है, तो नया संयोजन उस परिसर पर नये आवेदक/या पुराने उपभोक्ता से मुक्त नहीं किया जाएगा। संयोजन भी मुक्त नहीं किया जायेगा, यदि–

(i) आवेदक (जो व्यक्ति है) व्यतिक्रमी उपभोक्ता का सहयोगी या सम्बन्धी है (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 और 6 में क्रमशः परिभाषित है),

(ii) या जहां आवेदक, जो कम्पनी या निगमित निकाय या संगम या व्यक्तियों का निकाय है, चाहे निगमित हो या नहीं या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है, नियंत्रित किया जाता है या व्यतिक्रमी उपभोक्ता में नियंत्रण करने वाला हित धारण कर रहा है, यदि अनुज्ञप्तिधारी इस आधार पर विद्युत संयोजन से इन्कार नहीं करेगा, यदि उसके मामले को प्रस्तुत करने का अवसर आवेदक को प्रदान किया जाता है और सशर्त अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिकल्पित है।

### 4.2. वितरण प्रणाली को विस्तारित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की आबद्धता :

(क) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा कि उसके वितरण प्रणाली को आपूर्ति के उसके क्षेत्र में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए उच्चीकृत, विस्तारित और मजबूत किया जाता है। जहां कहीं विद्यमान परिवर्तन क्षमता को उसकी क्षमता के 80% तक भारित किया जाता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी ऐसी परिवर्तन क्षमता के संवर्धन के लिए योजना रिपोर्ट तैयार करेगा :

परन्तु यह कि नये मार्ग प्रकाश के लिए वितरण संरचना को निर्मित करने का दायित्व सम्बद्ध स्थानीय निकाय का होगा :

परन्तु यह भी कि आपूर्ति को उसके क्षेत्र में अविद्युतीकृत क्षेत्रों में भावा संयोजन के लिए, अनुप्तिधारी भावी उपभोक्ताओं की लगभग संख्या के साथ ऐसे अविद्युतीकृत कालोनियों/क्षेत्रों का विवरण आयोग को सूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी अनुज्ञप्तिधारी/विकासक/प्राधिकरण/प्राइवेट कालोनी निर्माता/सम्प्रवर्तक/स्थानीय निकाय या उपभोक्ताओं के किसी सामूहिक निकाय द्वारा ऐसे क्षेत्रों से विद्युतीकरण के लिए ब्यौरेवार योजना भी प्रस्तुत कर सकेगा। योजना आयोग को प्रस्तुत करने के पूर्व प्रत्येक वर्ष उच्चीकृत किया जा सकेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान उपभोक्ताओं के वर्धित मांग के पूरा करने के लिए प्रणाली के मजबूत बनाने/उच्चीकरण के लिए तथा मांग में भावी वृद्धि के वहन को पूरा करेगा। ऐसा व्यय आयोग द्वारा वित्तीय प्रज्ञापूर्ण जांच के अध्यधीन टैरिफ के माध्यम से अभियुक्त से वसूल किए जाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

### 4.3 नए संशोधन सामान्य :

(क) आपूर्ति और वोल्टता की प्रणाली अध्याय 3 में दिए गए विवरण के अनुसार उपभोक्ता और भार के संवर्ग पर आधारित होगा;

(ख) नये संयोजन को अभिप्राप्त करने के लिए और भार की वृद्धि/कमी के लिए आवेदन प्रारूप तथा अनुज्ञप्तिधारी के सभी कार्यालयों में नि:शुल्क आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा अनुज्ञप्तिधारी उसे अपने वेबसाइट पर डाउन लोड करने के लिए भी रखेगा। सादे प्ररूप की फोटो प्रतियां आवेदक द्वारा निर्मित की जा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारक द्वारा स्वीकार की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी पूर्व संदत्त मीटर के माध्यम से संयोजन के लिए दाखिल करने/प्रशंसकरण या मीटरों (सभी संवर्ग) के माध्यम से संयोजनों की मुक्ति करने के लिए आवेदनों के इलेक्ट्रानिक दाखिल करने को सुकर बनाने की प्रणाली पुर:स्थापित करने का प्रयास करेगा, यदि वाणिज्यिक रूप से वांछनीय हो और कायम रखने वाली प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी/स्थानीय प्राधिकरण नए संयोजन के लिए और नए संयोजन को प्रदान करने के ढंग द्वारा भार को मुक्त करने के लिए भार (भार के विभिन्न संवर्ग के लिए) की स्वीकृति के सम्बन्ध में आवेदनों को स्वीकार करने के लिए

अधिकारिये/प्राधिकारियों को पदाभिहित करेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानीय प्राधिकरण समय-समय से संयोजन को मुक्त करने के लिए अपनी प्रक्रिया विरचित कर सकेगा, जो यथासम्भव आयोग द्वारा अनुमोदित मार्ग-निर्देश/विनिर्देश/विनिर्दिष्ट व्यय के अनुरूप हो;

(घ) नए संयोजनों को मुक्त करने के लिए प्रक्रिया, फीस पदाभिहित अधिकारियों से सम्बन्धित सभी सूचना उपखण्ड कार्यालय, खण्ड कार्यालय और उप-महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक के कार्यालयों/अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय की सूचना पट्टी पर प्रदर्शित किया जा सकेगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में कम्प्यूटरीकृत सुविधा के साथ उक्त कार्यालयों में नए प्ररूपों, दाखिल करने के लिए लोक सूचना काउन्टर और उक्त कार्यालयों में सूचना प्रास्थिति प्रसारित करने के लिए काउन्टर को एक वर्ष के समय सीमा के अन्तर्गत क्रियाशील बनाया जा सकेगा;

(ङ) नये आवेदन के इलेक्ट्रानिक दाखिल करना, मुक्त किये जाने के लिए लम्बित संयोजन की प्रास्थिति और आई०वी०आर०एस० सुविधा के माध्यम से संयोजन की प्रास्थिति को खोजना इन्टरनेट वेबसाइट पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, केन्द्रीयकृत काल केन्द्रों और उपखण्ड/खण्ड/उप महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक कार्यालय के समुचित सम्पर्क के माध्यम से सभी नगरों में सक्रिय ढंग में भी सम्भव बनाया जा सकेगा;

(च) (i) विक्रेता और क्रेता का विक्रय की तारीख पर विद्युत बकायों का पता लगाना कर्तव्य होगा और पुनः विक्रेता और क्रेता या तो संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से विद्युत बकाया का भुगतान करने/अबकाया प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए दायी होंगे :

(ii) परिसर का विक्रय किये जाने के पूर्व बकाया को स्पष्ट किया जाएगा और विकल्प में करार/विक्रय विलेख का विनिर्दिष्ट रूप से बकाया और उसके भुगतान के ढंग का उल्लेख करेगा। बकाया से परिसर पर लम्बित सभी बकाया शामिल है, जिसमें विलम्ब भुगतान अधिभार भी शामिल है;

(iii) यदि अबकाया प्रमाण-पत्र पुराने स्वामी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, तो नया स्वामी सम्पत्ति का क्रय करने के पूर्व उक्त परिसर में संयोजन का संदर्भ देकर अबकाया प्रमाण-पत्र के लिए अनुज्ञप्तिधारी से सम्पर्क कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी आवेदन की तारीख से 10 कार्य दिवस के भीतर परिसर पर लम्बित बकाया, यदि कोई हो, की सूचना देगा या अबकाया प्रमाण-पत्र जारी करेगा,

(iv) बकाया कम्पनी की परिसम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगा और अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि इसे नये आवेदक के साथ करार में प्रस्तुत किया जाता है;

(v) व्यतिक्रमी उपभोक्ता के विरुद्ध वसूली कार्यवाही और जहां व्यतिक्रमी उपभोक्ता कम्पनी है, कम्पनी के निदेशक से वसूली कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जहां वित्तीय संस्थान ने परिसम्पत्ति पर अनुज्ञप्तिधारी के प्रभार पर विचार किये बिना सम्पत्ति की नीलामी किया है, वहां दावा तत्पर अनुसरण में सम्बद्ध वित्तीय संस्थान में दाखिल किया जा सकेगा;

(vi) यदि उक्त परिसर का विद्युत संयोजन मकान स्वामी की सम्मति से दिया गया था, तो ऐसा व्यक्ति किरायेदार के परिसर को खाली करने के पूर्व किरायेदार द्वारा विद्युत के सभी किस्तों/बकायों के भुगतान को सुनिश्चित करेगा;

(vii) लेकिन, उक्त शर्तें लागू नहीं होंगी, यदि किसी उच्चतर न्यायालय के आदेश या उसके परिणामस्वरूप आदेश के प्रावधान से असंगत हो;

(viii) आवेदन की जांच बकायों के समाशोधन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी

(छ) जहां सम्पत्ति विधित: उप-विभाजित की गयी है, वहां ऐसे परिसर पर उपभोग ऊर्जा के लिए बकाये का अनुपात के आधार पर विभाजन किया जायेगा;

(ज) ऐसे उपविभाजित परिसर में नया संयोजन ऐसे उपविभाजित परिसर पर अधिरापित बकायो के अंश का आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से भुगतान किए जाने के बाद दिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी केवल इस आधार पर आवेदक को संयोजन से इन्कार नहीं करेगा कि ऐसे परिसर के अन्य भाग(गों) पर बकाये का भुगतान नहीं किया गया है और न ही अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आवेदकों के अन्य भाग(गों) के अन्तिम भुगतान किये गये बिल के अभिलेख की मांग करेगा।

### 4.4. आपूर्ति के लिए आवेदन की जांच :

(क) नए संयोजन के लिए आवेदन विहित प्ररूप (संलग्नक 4.1) ने और सभी सम्बन्धों में पूर्ण रूप से और जांच फीस के साथ विहित रजिस्ट्रीकरण के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय में दो प्रतियों में दाखिल किया जाएगा :

(i) रजिस्ट्रीकृत विक्रय-विलेख या विभाजन विलेख या उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या अन्तिम वसीयत विलेख या अधिभोगी का सबूत जैसे विधिमान्य मुख्यतारनामा या नवीनतम कर संदत्त रसीद या विधिमान्य पट्टा-

विलेख के प्ररूप में या संलग्नक 4.2 के अनुसार क्षतिपूर्ति प्ररूप में परिसर के स्वामित्व का सबूत। परिसर के स्वामित्व से सम्बन्धित मुकदमें के मामले में समुचित न्यायालय की आदेश प्रतिलिपिकों संलग्न किया जाना चाहिए,

(ii) किसी विधि/परिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी का अनुमोदन/अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि अपेक्षित हो,

(iii) भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारी विलेख,

(iv) लिमिटेड कम्पनी के मामले में ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, निगमन का प्रमाण-पत्र और निदेशकों की सूची/प्रमाणित पता,

(v) अनुज्ञप्ति विद्युत ठेकेदार द्वारा दिए गए विहित प्ररूप (संलग्नक 4.4) पर कार्य पूरा करने और परीक्षण प्रमाण-पत्र को बाद में दाखिल किया जा सकता है किन्तु आपूर्ति के प्रारम्भ के पूर्व,

(vi) नई आपूर्ति संयोजन प्राप्त करने के लिए स्वामी की सम्मति (संलग्नक 4.3),

(ख)अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्ररूप को पूरा करने में आवेदकों की सहायता करने का प्रबन्ध करेगा, यदि अपेक्षित हो।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन को सत्यापित करेगा और आवेदन की प्राप्ति के समय दस्तावेजों को संलग्न करेगा। लिखित अभिस्वीकृति स्थल पर जारी की जायेगी। अभिस्वीकृति प्रस्तावित निरीक्षण की तारीख को निर्दिष्ट करेगी (विद्युतीकृत क्षेत्रों में 10 दिनों और अविद्युतीकरण क्षेत्रों में दो सप्ताह के अपश्चात्) यदि आवेदन पूर्ण है, अन्यथा उसे कमियों का उल्लेख करना चाहिए, यदि आवेदन अपूर्ण है।

(घ) विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए नए संयोजन के लिए कोई आवेदन किन्हीं परिस्थितियों के अधीन नामंजूर नहीं किया जाएगा यदि वह कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और अधिनियम के अनुरूप है। यदि उपभोक्ता को आवेदन में किसी कमी के बारे में नियत अवधि के भीतर सूचना नहीं दी गयी है, तो यह माना जायेगा कि आवेदन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जांच के लिए स्वीकार किया गया है।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं होगा, यदि विलम्ब का कारण मार्ग के अधिकार, भूमि के अर्जन, तकनीकी साध्यता और प्रेषण क्षमता की कमी इत्यादि के कारण है, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का कोई युक्तियुक्त नियंत्रण नहीं है, यदि प्रत्यासित विलम्ब के लिए कारण की सूचना आवेदक को विद्युतीकरण के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दी गयी है।

(च) यदि आवेदन प्ररूप में दी गयी कोई सूचना गलत पायी जाती है या संस्थापन त्रुटिपूर्ण है या विद्युतीकरण अधिनियम/विद्युती नियमावली/टैरिफ आदेश के प्रावधान के उल्लंघन में होगा, तो अनुज्ञप्तिधारी भार को स्वीकार नहीं करेगा और आवेदक को यथासम्भव स्थल पर लिखित में कमियों/उसके कारणों की सूचना देगा।

**4.5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण :**

आवेदक अनुज्ञप्त ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के साथ निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी :

(क) स्वयं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य पूरा करने के प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट के सम्बन्ध में समाधान करेगा;

(ख) आवेदक से परामर्श करके आपूर्ति के बिन्दु और स्थल को नियत करेगा, जहां मीटर और एम०एस०बी० इत्यादि को नियत किया जाएग;

(ग) आपूर्ति के बिन्दु और नजदीकी वितरण स्त्रोत परिपत्र के बीच दूरी का प्रक्कलन करेगा, जहां से आपूर्ति प्रदान की जा सकती ह;

(घ) अवधारित करेगा, यदि आपूर्ति लाइन पर पक्षकार से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति की होकर जाएगी। ऐसे मामले में आवेदक पर पक्षकार से अनापत्ति अभिप्राप्त करेगा, जिसके अभाव में अनुज्ञप्तिधारी भिन्न मार्ग अंगीकार कर सकेगा, जिसके लिए आवेदक भिन्न व्यय को वहन करेगा;

(ङ) आवेदन प्ररूप में वर्णित अन्य विशिष्टियों को सत्यापित करेगा, यदि अपेक्षित हो;

(च) यदि अनुज्ञप्तिधारी का समाधान नहीं किया जाता, तो वह आवेदक को स्थल पर कमियों की सूचना देगा। आवेदक से कमियों को दूर किये जाने की अपेक्षा की जायेगीं निरीक्षण पुन: किया जाएगा और फीस, जैसा कि विहित है, ऐसे पश्चात्वर्ती निरीक्षण के लिए प्रभारित की जा सकेगी।

**4.6. प्राक्कलन :**

(क) भार की स्वीकृति के बाद, प्राक्कलन तैयार किया जाएगा, जो आवेदक को स्वीकृति-पत्र की तारीख से तीन मास के लिए विधिमान्य बना रहेगा।

(ख) प्राक्कलन में प्रतिभूति निक्षेप, वितरण स्त्रोत परिपथ (यदि आवश्यक हो) सेवा लाइन और सामग्री को लगाने के लिए प्रभार और प्रणाली प्रभारित करने का प्रभार इत्यादि शामिल होगा, जैसा कि दो वर्षों में एक बार आयोग के अनुमोदन से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवधारित किया जाए।

(ग) आयोग के अनुमोदन के बाद, अनुज्ञप्तिधारी लागत सारणी पुस्तिका प्रकाशित करेगा और युक्तियुक्त कीमत पर किसी हितबद्ध पक्षकार को उसे उपलब्ध करायेगा और उसे अपने वेबसाइट पर भी रखेगा।

(घ) उक्त प्राक्कलन स्वीकृत/संविदात्मक भार के रु०/के० डब्ल्यू० (या रु०/के० वी० ए०) पर या संविदात्मक भार को, जिसके लिए आवेदन किया गया है विनिर्दिष्ट पट्टी के लिए प्रति सेवा प्रतिस्थापन रु० या 33 के० वी० वोल्टता तक प्रत्येक वोल्टता स्तर पर स्वीकृत भार पर आधारित होगा, जिस पर आपूर्ति की जानी है। 33 के० वी०/वोल्टता स्तर के परे स्थापित करने के लिए प्रभार अनुज्ञप्तिधारी पर वास्तविक प्राक्लन पर आधारित किया जायेगा :

परन्तु स्वतन्त्र फीडर के लिए प्राक्कलन इस संहिता के खण्ड 3.4 में अधिकथित अपेक्षा के अनुसार होगा।

***टिप्पण :*** आयोग ने कतिपय शर्तों के अध्यधीन संहिता में नये कनेक्शन की मुक्ति के लिए समय संरचना को विनिर्दिष्ट किया था। आयोग ने सम्परीक्षण किया है कि प्रारम्भिक कनेक्शन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये जाने वाले प्राक्कलनों का अनिश्चित तत्व है–समय की अनिश्चितता तथा उसकी अनिश्चितता, जिसका भुगतान करना है, इसलिए आयोग अग्रिम में सामान्य प्राक्कलन प्रभार को जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, इस पुनरीक्षित संहिता के प्रवर्तन की तारीख से तीन मास के भीतर अधिसूचित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश देने के लिए बाध्य है, जिसमें असफल होने पर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे औपबन्धिक सामान्य प्रभार को प्रभारित करेगा, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ङ) यदि कार्य विकासक/आवेदक/विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, तो अनुज्ञप्तिधारी व्यय आंकड़ा पुस्तिका में यथा विनिर्दिष्ट के०वी०ए० या के० डब्ल्यू० आधार पर निकाले गये सामान्य प्राक्कलन के प्रतिशत के रूप में, जैसा कि नीचे दिया गया है, पर्यवेक्षण प्रभार को प्रभारित करेगा, जो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के पास निक्षेप किया जायेगा।

भार 50 के० डब्ल्यू० (56 के०वी०ए०) से 3,600 के०डब्ल्यू० (4,000 के०वी०ए०) तक-15% 3,600 के०डब्ल्यू० से अधिक 9,000 के० डब्ल्यू०(10,000 के०वी०ए०) तक-8%

9,000 के० डब्ल्यू० (10,000 के० वी०ए०) से अधिक-5%

अन्य मामलों में, अनुज्ञप्तिधारी आवेदक के प्राक्कलन की पूर्ण धनराशि का निक्षेप किए जाने के बाद कार्य प्रारम्भ करेगा। जब तक सामान्य व्यय प्राक्कलन प्रवर्तित नहीं कियाजाता, तब तक पर्यवेक्षण प्रभार प्राक्कलित सामाग्री व्यय पर उक्त निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में उद्गृहीत किया जाएगा और इसमें प्राक्कलित श्रम खर्च/सामग्री के हस्तचालन का खर्च और भण्डारण/तालिका भी शामिल होगी ओर प्रणाली भार प्रभार तथा संस्थापन व्यय को शामिल नहीं करेगी।

(च) प्राक्कलन से सम्बन्धित विवाद को उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जो स्वीकृति प्राधिकारी के एक स्तर उच्चतर है और यदि आवेदक अब भी व्यथित है, तो वह न्याय निर्णयन के लिए उपभोक्ता प्रतितोष निवारण फोरम से सम्पर्क कर सकेगा।

(छ) अन्तिम बिल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य के पूरा होने के बाद तैयार किया जायेगा :

- यदि अन्तिम बिल प्राक्कलन के मूल्य से अधिक है, तो अन्तर का निक्षेप आवेदक द्वारा संयोजन को विद्युत प्रदान करने के बाद किया जायेगा,
- यदि यह कम है, तो अन्तर पश्चात्वर्ती विद्युत बिल में समायोजित किया जाएगा या 60 दिनों के भीतर चेक द्वारा वापस किया जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रभार के पुनरीक्षण के मामले में, यदि प्राक्कलन पुनरीक्षण की तारीख के पूर्व स्वीकृति किया गया था, तो आधिक्य में प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रभार के आधार पर कार्य के संकलन पर प्रभारित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कार्य उससे कम प्राक्कलन पर पूरा किया जाता है, जो पुनरीक्षित प्रभार में तैयार किए गए प्राक्कलन से कम है, तो अपुनरीक्षित प्रभार के आधार पर आवेदक द्वारा निक्षेप किया गया आधिक्य धनराशि साठ दिनों के भीतर वापस किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि यदि अनुज्ञप्तिधारी ने व्यय आंकड़ा पुस्तिका में अद्यतन सामान्य प्रभार को प्रकाशित किया है और उसे प्राक्कलन को तैयार करने में शामिल किया है, तो अन्तिम बिल और उक्त परन्तु आवश्यक नहीं होगा।

(ज) व्यय प्राक्कलन में उपभोक्ता का अंश–

(i) भारत के वृद्धि की वांछा करने वाले नये उपभोक्ता/उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रणाली के विस्तार और उच्चीकरण के व्यय को उनसे प्रणाली भार प्रभार से वसूल किया माना जायेगा जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित है,

(ii) उन क्षेत्रों में जहां वितरण स्रोत परिपथ विद्यमान नहीं है, नये वितरण स्रोत परिपथ के संस्थापन के लिए व्यय सामान्यत: राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या उपभोक्ताओं या उपभोक्ता के किसी सामूहिक निकाय से स्वीकृति द्वारा वसूल किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी सभी व्यय को पूरा करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध अतिशेष से नये वितरण स्रोत परिपथ को भी संस्थापित करेग,

(iii) सभी मामलों में आवेदक वितरण स्रोत परिपथ से आपूर्ति बिन्दु तक सेवा लाइन के विस्तार के व्यय का वहन करेगा।

**4.7. संयोजन की मुक्ति, जहां वितरण स्रोत परिपथ का विस्तार या उपकेन्द्र/बढ़ती हुयी क्षमता आदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती :**

(क) अनुज्ञप्तिधारी स्थल निरीक्षण, अधिकतम 10 कार्य दिवसों में आवेदक द्वारा निक्षेप किये जाने के लिए आवश्यक प्रभार की सूचना देगा।

(ख) आवेदक मांग-पत्र की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर प्रभार का निक्षेप करेगा और मार्ग के अधिकार की अनुमति प्रस्तुत करेगा, यदि आपूर्ति लाइन आवेदक से न सम्बन्धित सम्पत्ति पर से गुजरती है।

(ग) उपभोक्ता के अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी 7 दिनों के बाद भुगतान की तारीख का विस्तार कर सकेगा किन्तु इस विस्तारित समय की गणना अधिनियम की धारा 43 के अधीन संयोजन में विलम्ब के लिए नहीं की जाएगी और किसी प्रतिकर का भुगतान उक्त अवधि के दौरान नहीं किया जाएगा।

(घ) आवेदक आपूर्ति के बिन्दु पर बोर्ड प्रदान करेगा, जहां मीटर और एम०सी०बी०संस्थापित किया जाएगा।

(ङ) अनुप्तिधारी औपचारिकताओं को पूरा करने पर, जैसा कि उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट है, उस तारीख की सूचना देगा, जब मीटर संस्थापित किया जायेगा। मीटर, एम०सी०बी० इत्यादि को नियत तारीख पर आवेदक की उपस्थिति में लगाया जाएगा और सील किया जाएगा और संयोजन को उसके तत्काल बाद विद्युत प्रदान की जाएगी।

(च) आपूर्ति आवेदक को प्रभार का निक्षेप करने के बाद 7 कार्य दिवस के भीतर की जायेगी, यदि नये खम्भे या भूमिगत केबल को बिछाये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती।

(छ) (i) आवेदक स्वयं इस संहिता के खण्ड 5.4 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत अनुमोदित बनावट और विनिर्देश का मीटर और एम०सी०वी० खरीद सकेगा।

(ii) आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के पास परीक्षण प्रभार के साथ मीटर और एम०सी०बी० को निक्षेप करेगा। मीटर की शुद्धता का परीक्षण करने और उसको सुनिश्चित करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी मीटर और एम०सी०बी० लगाएगा।

**4.8. नया संयोजन, जहां वितरण स्रोत परिपथ के विस्तार या नये उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता की अभिवृद्धि की आदेश देने की अपेक्षा की जाती है :**

(क) खण्ड 4.4 के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार विलि प्ररूप में आवेदन दस्तावेजों के साथ अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में दाखिल किया जाएगा सिवाए इसके कि कार्य पूरा करने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जा सकेगा, यदि तार लगाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी है। आवेदक आवेदन में समय सारणी को निर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें भार को मुक्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है। आवेदक फेजयुक्त संविदात्मक मांग के मामले में भार की मुक्ति के लिए फेज सारणी भी प्रस्तुत करेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को–

(i) एल०टी० पर आपूर्ति के लिए अनुरोध के 15 दिनों,

(ii) एच०टी० पर आपूर्ति के लिए अनुरोध के 30 दिनों,

(iii) ई०एच०टी० पर आपूर्ति के लिए अनुरोध के लिए 60 दिनों के भीतर संसूचना देगा

(i) आपूर्ति तकनीकी रूप से साध्य है अथवा नहीं,

(ii) कार्यों के लिए वित्तीय प्राक्कलन यदि साध्य हो, भार की स्वीकृति और स्थल के निरीक्षण के बाद,

(iii) इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्राक्कलित समय, स्थल निरीक्षण और भार स्वीकृति के बाद,

(iv) स्थल निरीक्षण की तारीख कम से कम अग्रिम में 7 दिन, जब आवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि से उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(v) प्रतिभूति निक्षेप और अन्य लागू प्रभार,

(vi) बिन्दु, जहां मीटर स्थापित किया जाना है,

(vii) सिविल/अन्य कार्य, जिसे मीटर लघुकक्ष और अन्य विद्युत उपकरण के लगाने के लिए आवेदक द्वारा पूरा किया जाना है।

(ग) प्राक्कलन की 90 दिनों की विधिमान्यता अवधि के अन्तर्गत, आवेदक से प्राक्कलित धनराशि को निक्षेप करने की अपेक्षा की जाएगी।

(घ) (i) स्वीकृति के भार के स्थल में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी,

(ii) उसी टैरिफ अनुसूची के भीतर विद्युत के प्रयोग के प्रयोजन में परिवर्तन की अनुमति दी जायेगी।

(iii) यदि आवेदक करार पर हस्ताक्षर करने के पूर्व स्वीकृत भार की अपेक्षा कम भार के लिए विकल्प देता है, तो उसके लिए करार तदनुसार निष्पादित किया जाएगा और समर्पण किए गए भार की स्वीकृति समयहृत की जोयगी।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी तत्परता से प्राक्कलित प्रभार के निक्षेप की तारीख स–

(i) 400 वी० से संयोजित किए जाने वाले भार के लिए 45 दिनों,

(ii) 11 के०वी० पर संयोजित किए जाने वाले भार के लिए 60 दिनों,

(iii) 33 के०वी० पर संयोजित किए जाने के लिए 120 दिनों,

(iv) 132 के०वी० पर संयोजित किए जाने के लिए भार के लिए 300 दिनों के भीतर कार्य को निष्पादित करेगा :

परन्तु वितरण प्रणाली के संवर्धन की अपेक्षा करने वाले संयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को अधिकतम समय संरचना की सूचना देगा, जिसके लिए स्वीकृति निम्नरूप में दी जा सकती है–

- जहां लाइन का विस्तार या वितरण ट्रांसफार्मर के संवर्धन की अपेक्षा की जाती है-60 दिनों,
- जहां नया वितरण ट्रांसफार्मर की अपेक्षा की जाती है-120 दिनों, और
- जहां विद्यमान 11 के०वी० नेटवर्क को मजबूत किया जाना आवश्यक है या विद्यमान 66/33 के०वी० उपकेन्द्र में संवर्धन किए जाने की आवश्यकता है-180 दिनों

परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी अविद्युतीकृत क्षेत्रों में विद्युतीकरण करेगा और नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार उसमें नये संयोजन कोलिप्त करेगा :

(i) जहां नये विद्यमान कार्य से संवर्धन सम्भव है-180 दिन

(ii) जहां नये कार्य की या ग्रिड को बिछाये जाने की आवश्यकता है-1 वर्ष

(iii) पृथक् उपभोक्ता के मामले में-180 दिन।

(च) आवेदक को अनुज्ञप्तिधारी के पर्यवेक्षण के अधीन एल०ई०सी० के माध्यम से स्वयं इन कार्यों को निष्पादित करने का विकल्प होगा, जिसके लिए पर्यवेक्षण प्रभार, जैसाकि खण्ड 4.6 (घ) में विनिर्दिष्ट है, अनुज्ञप्तिधारी को संदेय होगा।

(छ) आवेदक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित कार्य के पूरा होने की अनुसूचित तारीख के अधिमानत: दो सप्ताह पूर्व विद्युत निरीक्षक द्वारा नियमावली के अनुसार, जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन निर्मित है और जब तक ऐसी नियमावली निर्मित नहीं की जाती, अपने स्थल का निरीक्षण कराने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि अपेक्षित है, और अनुज्ञप्तिधारी को निरीक्षण रिपोर्ट पेश करेगा। अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर एच०टी० या ई०एच०टी० आवेदक उपकरणों के विनिर्माताओं के परीक्षण परिणाम प्रस्तुत करेंगे :-

परन्तु विद्युत निरीक्षक से परीक्षण परिणाम/अनापत्ति प्रमाण-पत्र/कार्य पूरा करने के प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत न करने के कारण कोई विलम्ब आवेदक के मद में अधिरोप्य होगा।

(ज) आवेदक द्वारा कार्य पूरा करने के प्रमाण-पत्र परीक्षण परिणाम, प्रतिभूति के प्रस्तुत करने के समाधानप्रद सत्यापन पर और कार्य से सम्बन्धित वितरण प्रणाली के पूरा होने पर, अनुज्ञप्तिधारी उस तारीख को (7 दिनों से अपश्चात्) सूचित करेगा, जब संयोजन में ऊर्जा प्रदान की जाएगी। आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि मीटर को सील करने के समय और संयोजन को ऊर्जा प्रदान करने के समय उपस्थित रहेगा।

### 4.9. बहुमंजिला भवन/मल्टीप्लेक्स//वैवाहिक हाल/विकास प्राधिकरणों और/या प्राइवेट निर्माताओं/सम्प्रवर्तकों/कालोनी निर्माण करने वाले/संस्थानों/व्यक्तिगत आवेदकों (अनुज्ञप्ति विद्युत निरीक्षकों/द्वारा अनुमोदित) द्वारा विकसित कियेजाने वाली कालोनियों में विद्युत संयोजन :

(क) एकल बिन्दु पर मीटर लगाने के साथ आपूर्ति के एकल बिन्दु पर विद्युत संयोजन नये घरेलू/गैर घरेलू बहुमंजिली भवनों/मल्टी प्लेक्स/वैवाहिक गृहों/सहकारी सामूहिक आवास समितियों/कालोनियों को 25 के० डब्ल्यू० से अधिक भार के साथ प्रदान किया जायेगा। लेकिन, यह व्यक्तिगत संयोजन के लिए लागू करने से व्यक्तिगत स्वामी को निर्बन्धित नहीं करेगा और अनुज्ञप्तिधारी एल० टी० पर ऐसे आवेदक को संयोजन की स्वीकृति करेगा।

(ख) भार की संगणना सलंग्नक 4.6 में दिये गये सन्नियमों के अनुसार सन्निर्मित क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा, परन्तु एकल बिन्दु आपूर्ति की आवेदक आवेदन में या तो (i) आच्छादित क्षेत्र संगणना प्रक्रिया के लिए, या (ii) अनुज्ञप्तिधारी के समाधान में वास्तविक अपेक्षा के अनुसार विकल्प दे सकेगा।

(ग) आवेदक/विकासक/विकास प्राधिकरण उत्तरदायी होगा :

(*i*) अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र (220/132/33 के० वी० या 33/ 11 के० वी० या 11/0.4 के० वी०) से व्यक्तिगत स्वामी के परिसर में उसके व्यय पर या अनुज्ञप्तिदारी से व्यय सारणी पुस्तिका के अनुसार नियत धनराशि जमा करके बाह्य संयोजन तक वितरण नेटवर्क के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण अधिसंरचना का विकास करने, सन्निर्माण करने के लिए,

(*ii*) थोक आपूर्ति मीटर/उपमीटर और/या व्यक्तिगत मीटर को सील करने के साथ सुरक्षित आवास के लिए प्रबन्ध करने और काम्पलेक्स/कालोनी में प्रत्येक व्यक्तिगत परिसर में खाइयों/नालियों में भूमिगत/सिरोपरि आन्तरिक केबल बिछाने के लिए,

(*iii*) समुचित सीमा के भीतर चहारदीवारी में प्रवेश के नजदीक अधिमानत: अनुज्ञप्तिधारी के मीटर के आवास के लिए समुचित आकार और उचित वातायुक्त मीटर के कक्ष के सन्निर्माण के लिए और काम्प्लेक्स में प्रवेश किये बिना बाहर से पहुंच योग्य होना चाहि,

(*iv*) एच० वी० डी० एस० का प्रयोग करने के लिए, जहां कहीं लागू हो और व्यक्तिगत स्वामियों के प्रयोग के लिए पूर्व संदत्त बिल देने की प्रणाली को पुरःस्थापित करने के लिए। अनुज्ञप्तिधारी आवेदक, विकास/विकास प्राधिकरण को आवश्यक मार्ग-निर्देश प्रदान कर सकता है।

(घ) 25 के० डब्ल्यू० से अधिक भार के लिए, विकास प्राधिकरण/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता/संस्था—

- ऊपर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के पदाभिहित अधिकारी को जांच प्रभार के साथ यदि कोई हो, विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा,
- सम्पूर्ण भवन/कालोनी के सन्निर्मित क्षेत्र को सम्यक् रूप से दर्शित करते हुए भवन के कालोनी की नक्शा/योजना की प्रतिलिपि पेश करेगा, जो सम्बद्ध विकास प्राधिकरण/महापालिका/नगरपालिका/ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित हो या रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद द्वारा प्रमाणित हो और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित हो,
- समुचित प्राधिकारी/सरकारी निकायों/रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद द्वारा अनुमोदन को प्रस्तुत न करने के मामले में आपूर्ति सशर्त पूर्ण उत्तरदायित्व को ग्रहण करते हुए आवेदन से वचन की प्राप्ति पर दिया जायेगा कि गिराने या ऐसे प्राधिकारी के आक्षेप की स्थिति में, आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थायी रूप से वियोजित की जायेगी,
- समय सारणी को निर्दिष्ट करेगा, जिसमें भार को मुक्त किये जाने की अपेक्षा की जाती है और भार की आंशिक मुक्ति के लिए फेज अनुसूची निर्दिष्ट करेगा,
- यदि एकल बिन्दु आपूर्ति विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता, तो समाधानप्रद ढंग से कार्य के पूरा होने तक नक्शा में तैयार किये गये लाइनों और ट्रान्सफार्मर को कायम रखने के लिए सम्मति की अभिपुष्टि करते हुए करार को प्रस्तुत करेगा,
- वचन प्रस्तुत करेगा कि समाधानप्रद ढंग से केवल कार्य को पूरा करने के बाद सम्पूर्ण वितरण प्रणाली किसी प्रभार के किसी भुगतान या प्रतिदाय का दावा किये बिना वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ट्रान्सफार्मर(रों) के साथ सौंपेगा,
- विहित प्रक्रिया का पालन करेगा, अदेय प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट और आयोग द्वारा अनुमोदित लागू प्रभार को प्रस्तुत करेगा।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक 4.6 और उक्त खण्डों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भार को स्वीकृत करेगा।

(च) विकास प्राधिकरण/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता स्वीकृत भार या स्वीकृत भार के भाग के आधार पर (कालोनी या नगर के लिए फेज प्रक्रम में भार की मुक्ति के लिए अनुरोध के मामले में वितरण प्रणाली के खर्च) जिसमें ट्रान्सफार्मर और/या उपकेन्द्र के व्यय को शामिल करके, जहां कहीं अपेक्षित हो) को निम्नलिखित ढंग में वहन करेगा :

- **50 के० वी० 56 के० वी० ए० तक भार-**
  एल० टी० विधिमान स्रोत परिपत्र को मजबूत किया जायेगा।
- **50 के० डब्ल्यू० से अधिक तथा 3,600 के० डब्ल्यू० (4,000 के० वी० ए०) तक-**
  11 के० वी० विद्यमान फीडरों को विस्तारित किया जायेगा, यदि मात्र क्षमता उपलब्ध हो, अन्यथा 11 के० वी० फीडर का सन्निर्माण लगभग 33 के० वी० या 132 के० वी० उपकेन्द्र से किया जायेगा। (यदि 11 के० वी० वोल्टता 33 के० वी० या 132 के० वी० उपकेन्द्र पर उपलब्ध है)
- **3,600 के० डब्ल्यू० से अधिक 9,000 के० डब्ल्यू० तक (10,000 के० वी० ए०)-**
  132 के० वी० उपकेन्द्र के 33 के० वी० फीडर।
- **9,000 के० डब्ल्यू० (10,000 के० वी० ए०) से अधिक-**
  नजदीकी 132 के० वी० या 220 के० वी० उपकेन्द्र से 132 के० वी० फीडर।

(***टिप्पण :*** नजदीकी 220 के० वी० उपकेन्द्र से 220 के० वी० फीडर, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक समझा गया था, विकास करने वालों/कालोनी निर्माताओं को भी उनके अनुरोध पर अनुज्ञेय होगा। 132 के० वी० और उक्त के लिए सम्प्रेषण अनुज्ञप्तिधारी से समाशोधन प्राप्त किया जायेगा, जहाँ वाही आवश्यक हो।)

परन्तु उक्त सीमा केवल निर्देशक हैं और

(*i*) स्वतंत्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति के लिए प्रावधान खण्ड 3.4 के अनुसार होगा,

(*ii*) अनुज्ञप्तिधारी अपने उपमहाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबन्धक/या प्रबन्ध निर्देशक के सम्यक् अनुमोदन के बाद, जो वोल्टता स्तर पर आधारित है, खण्ड 4.2 (क) के प्रावधानों को ध्यान में रखकर समीचीन ढंग से अधिसंरचना का प्रबन्ध करने के लिए व्यक्तिगत मामलों में आपूर्ति को भिन्न ढंग से विनिश्चय कर सकेगा।

(छ) प्राधिकारी/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता केवल उक्त कार्य के प्राक्कलित व्यय के लिए भुगतान करेगा। सेवा संयोजन प्रभार, प्रणाली प्रभारित करने के प्रभार, मीटर खर्च, सुरक्षा प्रभार इत्यादि के व्यक्तिगत रूप से आवेदक निवासियों द्वारा व्यक्तिगत विद्युत संयोजन के लिए आवेदन करने के समय वहन किया जायेगा :

परन्तु यदि प्राधिकारी/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता अनुज्ञप्तिधारी को एकल स्थल आपूर्ति के लिए बहुमंजिला काम्पलेक्स/कालोनी में फ्लैट के व्यक्तिगत स्वामियों को आपूर्ति के लिए आवेदन करता है, तो उक्त (छ) में यथाविनिर्दिष्ट सभी व्यय/प्रभार उसके द्वारा वहन किए जाएगें।

(ज) आधिक्य भार के कारण प्रभार का उद्ग्रहण, जहां एकल बिन्दु आपूर्ति विद्यमान है, खण्ड 6.9 (क) के अनुसार होगा और भार या फ्लैट के व्यक्तिगत स्वामियों के प्रयोजन के लिए कोई जांच आवश्यक नहीं होगी।

(झ) प्राधिकारी/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता के० डब्ल्यू०/के० वी० ए० आधार पर भवन/कालोनी के सन्निर्माण के लिए अस्थायी संयोजन के लिए आवेदन करने के समय व्यय आंकड़ा पुस्तिका के अनुसार विहित प्रभार का निक्षेप करेगा। अस्थायी संयोजन के लिए भार की मुक्ति की मांप की जायेगी और भार अपेक्षित कुल भार के 15% के अधिकतम के अध्यधीन अपेक्षा के अनुसार होगा।

(ञ) अनुज्ञप्तिधारी 100% प्राक्कलित व्यय की प्राप्ति के बाद फीडर के सन्निमर्माण का कार्य प्रारम्भ करेगा। लेकिन, यदि प्राधिकारी/प्रवर्तक/निर्माता/कालोनी निर्माता लाईन इत्यादि का सन्निर्माण करने की वांछा करता है, तो वह खण्ड 4.6 (ङ) में विनिर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्रभार को अनुज्ञप्तिधारी के पास निक्षिप्त करने के बाद ऐसा कर सकता है।

### 4.10 अस्थायी आपूर्ति के लिए आवेदन

(क) अनुज्ञप्तिधारी भवन सन्निर्माण के लिए दो वर्ष और अस्थायी प्रकृति के अन्य प्रयोजनों के लिए 3 मास (गन्ना पेरने/ अन्य मौसमी कार्यों के लिए 6 मास तक) से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी आपूर्ति प्रदान कर सकेगा, यदि अन्यथा टैरिफ आदेश में प्रावधान न किया गया हो।

(ख) अस्थायी आपूर्ति के लिए आवेदन उस तारीख के, जहां आपूर्ति की अपेक्षा की जाती है, कम से कम 15 दिन पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से स्थानीय कार्यालय में संलग्नक 4.5 में विहित प्ररूप में दिया जायेगा, जहां कोई नया खम्भा या स्रोत परिपत्र विस्तार की अपेक्षा नहीं की जाती और 30 दिनों के पूर्व वहां दिया जायेगा, जहां अतिरिक्त खम्भा(यों) या स्रोत परिपत्र विस्तार की अपेक्षा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ की जाती है :

(*i*) स्थानीय प्राधिकरण/परिसर के स्वामी से सुरक्षा और प्रतिभूति को सुनिश्चित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र, यदि आपूर्ति की अपेक्षा स्थानीय प्राधिकरण/परिसर के स्वामी के स्वामित्वाधीन में की जाती है,

(*ii*) स्वामित्व का सबूत, यदि आवेदक परिसर के लिए अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता नहीं है, जहां अस्थायी संयोजन दिया जाना है या अन्य मामलों में अनुज्ञप्तिधारी के नवीनतम संदत्त बिल की प्रतिलिपि की जाती है।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी तकनीकी साध्यता की परीक्षा करेगा और यदि साध्य हो, तो आवेदक को आवेदन की प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर सेवा लइन और अन्य प्रभारों के खर्च का प्राक्कलन भेजेगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी उस अवधि के लिए विद्युत उपभोग के लिए प्रभार की भी सूचना देगा, जिसके लिए आपूर्ति का अनुरोध समय-समय से आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार किया जाता है।

(ङ) प्राक्कलित व्यय और विद्युत के लिए अग्रिम प्रभार के निक्षेप के बाद, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है और भार 50 के० डब्ल्यू० तक भार के लिए 3 दिनों के भीतर और 50 के० डब्ल्यू० से अधिक (समुचित मीटर के साथ) के लिए 21 दिनों के भीतर कर मुक्त किया जायेगा। लेकिन, भार उन मामलों में जहां या अधिक लोगों से एक स्थान पर समूह में एकत्रित होने की प्रत्याशा की जाती है, लिखित में अनुमोदन की प्राप्ति के बाद ही मुक्त किया जायेगा।

(च) अस्थायी आपूर्ति को प्राप्त करने की तारीख प्राधिकारी के समक्ष, जिसने भार की स्वीकृति दिया था, आदेश में निर्दिष्ट प्रारम्भ तारीख के कम से कम 3 दिनों पूर्व आवेदन करके आवेदक/उपभोक्ता द्वारा मूल स्वीकृति में तारीख के 90 दिनों के अपश्चात् तारीख को संशोधित कराया जा सकेगा।

(छ) यदि कोई परमिट/अनुज्ञप्ति अनापत्ति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयोजन में विद्युत प्रदान किये जाने के बाद वापस लिया जाता है, तो आपूर्ति तत्काल वियोजित की जायेगी और केवल परमिट/अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्यावर्तित किये जाने के बाद पुन: संयोजित की जायेगी। पुनः अनुज्ञप्तिधारी किसी क्षति के लिए दायी नहीं होगा। किसी प्रभार की कटौती या कमी इस कारण अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ज) अस्थायी आपूर्ति की अवधि के पुन: विस्तार के लिए, उपभोक्ता/आवेदक अस्थायी आपूर्ति के अवसान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति करेगा। अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 4.10 (क) के प्रावधानों के अध्यधीन विस्तार प्रदान कर सकेगा और विस्तार की अवधि के लिए विद्युत का अग्रिम प्रभार उपभोक्ता/आवेदक द्वारा निक्षेप किया जा सकेगा।

(झ) स्थायी सेवा के सम्परिवर्तन पर उपभोक्ता द्वारा, यदि कोई हो, निक्षिप्त प्रतिभूति धनराशि स्थायी संयोजन के लिए अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप में समायोजित की जायेगी :

परन्तु कालोनियों/बहुमंजिली काम्पलेक्सों इत्यादि में भवन के सन्निर्माण के मामले में अस्थायी आपूर्ति की अवधि का विस्तार अनुज्ञप्तिधारी के विवेकाधिकार पर असाधारण परिस्थितियों में 8 मास के अधिकतम के अध्यधीन 2 वर्ष से अधिक विस्तारित किया जा सकता है :

परन्तु यह भी कि अस्थायी संयोजन केवल विद्युत बकायों को पूरा करने के बाद परिसर पर मुक्त किया जायेगा, यदि ऐसा बकाया न्यायालय द्वारा स्थगित नहीं किया जाता।

### 4.11 अस्थायी आपूर्ति के लिए तत्काल योजना

अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 24 घण्टे की सूचना पर अस्थायी आपूर्ति प्रदान कर सकेगा :

(*i*) यदि यह तकनीकी रूप से साध्य है,

(*ii*) अतिरिक्त फीस के भुगतान पर, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित है और आयोग द्वारा अनुमोदित है।

### 4.12 सम्बन्धित/अनुबन्धित भार के अवधारण की सामान्य शर्तें

सम्बन्धित भार के अवधारण का प्रचलित ढंग संलग्नक 4.6 में दिया गया है।

### 4.13 अनुबन्धित भार

#### (क) एम० डी० आई० के बिना एल० टी० उपभोक्ता

अनुबन्धित भार संयोजित भार के समान होगा सिवाए इसके कि घरेलू और गैर घरेलू संवर्गों में, अनुज्ञप्तिधारी संयोजित भार की अपेक्षा कम अनुबन्धित भार को इस शर्त के अध्यधीन स्वीकृत करेगा कि घरेलू संवर्ग में यह संयोजित भार के 50% से कम और गैर घरेलू संवर्ग में संयोजित भार के 75% से कम नहीं होगा, जैसा कि आवेदक द्वारा वांछित है।

#### (ख) एम० डी० आई० और सभी एच० टी० और ई० एच० टी० भार के उपभोक्ता

अनुबन्धित भार ऐसा होगा, जैसा कि उपभोक्ता/आवेदक संस्थापन की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता/आवेदक तथा अनुज्ञप्तिधारी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो।

**(ग)** अधिष्ठापन तथा आग भट्ठियों को आपूर्ति केवल यह सुनिश्चित कराये जाने के बाद उपलब्ध करायी जायेगी कि स्वीकृत भार भट्ठी के टनाभार की भार अपेक्षा के अनुरूप है। एक टन भट्ठी का न्यूनतम भार किसी मामले में 600 के० वी० ए० से कम नहीं होगा और सभी भार का निर्धारण इस आधार पर किया जायेगा। कोई आपूर्ति इस मानक के नीचे भार पर नहीं की जायेगी।

### 4.14 करार

(क) विहित मूल्य के स्टाम्प कागज पर करार का निष्पादन द्वारा 25 के० डब्ल्यू० से कम के अनुबन्धित भार के अतिरिक्त सभी अन्य मामलों में नया संयोजन प्राप्त करने के लिए और भार की वृद्धि के लिए आवेदक द्वारा किया जायेगा।

(ख) 25 के० डब्ल्यू० से कम अनुबन्धित भार के लिए (सिवाए पी० टी० डब्ल्यू० और औद्योगिक उपभोक्ताओं के) आवेदन प्ररूप स्वयं करार के प्रयोजन को पूरा करेगा।

(ग) संयोजन को संलनक 4.12 के अनुसार प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित के प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर विद्युत प्रदान किया जायेगा।

(घ) करार संयोजन की मुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए होगी और बाद में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद दोनों पक्षकारों द्वारा उसे समाप्त किये जाने तक वैध बनी रहेगी।

(ङ) इस संहिता के संलग्नक 4.12 के अनुसार मानक करार प्ररूप को आयोग के अनुमोदन के साथ संशोधित किया जा सकता है। लागू संवर्गों के लिए सभी करार प्ररूप की कठोर/कोमल प्रतिलिपियां अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वेबसाइट पर भी रखी जायेगी।

(च) स्थायी वियोजन के बाद, करार को समाप्त होना माना जायेगा।

(छ) उपभोक्ता विहित प्ररूप में (संलग्नक 4.7 ) नोटिस देने के बाद करार को समाप्त कर सकेगा। नोटिस अवधि सभी उपभोक्ता के लिए 30 दिन होगी। उक्त नोटिस की तामीली पर, अनुज्ञप्तिधारी रीडिंग लेने की व्यवस्था करेगा, आपूर्ति को वियोजित

करेगा, मीटर केबल इत्यादि को हटायेगा, उक्त आवेदन की तारीख से 30 दिनों में वियोजन की तारीख तक सभी बकायों को शामिल करके अन्तिम बिल देगा। भुगतान पर, अनुज्ञप्तिधारी उस पर स्टाम्पित अन्तिम बिल के साथ रसीद जारी करेगा, जिसे अदेय प्रमाण-पत्र के रूप में माना जायेगा।

(ज) लेकिन, यदि करार को दो वर्ष के पूरा होने के पूर्व समाप्त किया जाना है, तो :

(*i*) उपभोक्ता 6 मास की अवधि या उस अवधि के लिए, जिस तक करार की कुल अवधि दो वर्ष तक कम होती है, न्यूनतम प्रभार (या मांग/नियत प्रभार), यदि कोई न्यूनतम प्रभार उस संवर्ग के लिए विहित नहीं है, भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो भी कम हो।

(*ii*) एच० टी०/ई० एच० टी०/व्यक्तिगत नलकूप (पी० टी० डब्ल्यू०) उपभोक्ता उपकरण और लाइन को हटाने के लिए प्राक्कलित व्यय का वहन करेंगे।

(झ) सेवा लाइन करार के समापन पर विखण्डित की जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी शेष बकाये की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगा।

(ञ) जब कभी, करार समाप्त किया जाता है, अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक 4. 8 में प्ररूप के अनुसार उपभोक्ता को लिखित सूचना देगा।

### 4.15 आपूर्ति का बिन्दु

(क) आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी के बाह्य टर्मिनल पर परिसर में एकल बिन्दु पर की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी ऐसी आपूर्ति के बिन्दु को अवधारित करेगा कि मीटर और अन्य उपकरण सदैव निरीक्षण के लिए अवरोध के बिना अनुज्ञप्तिधारी के लिए पहुंच योग्य है।

(ख) सभी ई० एच० टी० और एच० टी० उपभोक्ता/आवेदक मीटर या मीटर कक्ष में स्वतन्त्र प्रवेश प्रदान करेंगे।

(ग) लेकिन, विशेष मामलों में, अनुज्ञप्तिधारी संस्थापन के भौतिक नक्शा और उपभोक्ता/आवेदक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता/आवेदक के संस्थापन में एक बिन्दु से अधिक पर आपूर्ति प्रदान करने के लिए सहमत हो सकता है। प्रबन्धन इस शर्त के अध्यधीन होगा कि पृथक् माप किया जायेगा और सभी बिन्दुओं पर अभिलिखित मांग और ऊर्जा का संक्षिप्त विवरण सुसंगत टैरिफ अनुसूची के अधीन बिल निर्मित करने के लिए माप के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

### 4.16 आपूर्ति के बिन्दु पर उपकरण का संस्थापन

(क) आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर उपभोक्ता/आवेदक मीटर के बाह्य टर्मिनल के मुख्य स्विच/परिपथ अवरोधक प्रदान करेगा।

(ख) इसके अतिरिक्त एच० टी०/ई० एच० टी० उपभोक्ता/आवेदक भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 56 और 64 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त संरक्षणात्मक उपकरण प्रदान करेंगे और इसके पश्चात् विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विरचित विनियम के अनुसार प्रदान करेंगे। संरक्षण प्रणाली को आपूर्ति के प्रारम्भ के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(ग) एच० टी०/ई० एच० टी० उपभोक्ता/आवेदक के मामले में, मीटर, परिपथ अवरोधक और उससे संलग्न उपकरण आपूर्ति के बिन्दु(ओं) पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संस्थापित किए जाएंगे।

(घ) एच० टी०/ई० एच० टी० उपभोक्ता/आवेदक बाहर लाए गए और ठोस रूप से भू-सम्पर्क कराए गए न्यूटल टर्मिनल के साथ उच्च वोल्टता पार्श्व पर डेल्ा बाइन्डिंग और निम्न वोल्टता पार्श्व पर स्टार-वाइन्डिंग के साथ वेक्टर समूह के साथ स्टेट डाउन ट्रान्सफार्मर संस्थापित करेगा।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी पी० एल० सी० सी० के माध्यम से रेलमार्ग पर आपूर्ति करने वाले ग्रिड उपकेन्द्र से संसूचना सम्पर्क सुविधा को संस्थापित करेगा और बनाये रखेगा।

### 4.17 उपभोक्ता के परिसर पर उपकरण को नुकसानी

(क) मीटर, मीटर-वोल्ट, सर्विस मेन्स, एम० सी० बी०/सी० बी०, भार परिसीमक को किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारण से हस्तचालित नहीं करना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, जो अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि नहीं है। सील, जो मीटर/माप उपकरण, भार परिसीमक और अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों पर लगाये जाते हैं, किसी कारण से दूषित क्षतिग्रस्त नहीं किये जाने चाहिए और तोड़े नहीं जाने चाहिए। उपभोक्ता के परिसर के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों की सुरक्षित अभिरक्षा और मीटर/मापन उपकरण पर सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व उपभोक्ता पर होगा।

(ख) उपभोक्ता या उसके कर्मचारियों को किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों को कारित किसी नुकसानी की स्थिति में उसका खर्च, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है, उपभोक्ता द्वारा संदेय होगा। यदि उपभोक्ता मांग के बाद ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसे आपूर्ति करार के निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जायेगा और आपूर्ति वियोजित किये जाने के लिए दायी है।

### 4.18 भावी उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची

(क) अनुज्ञप्तिधारी रजिस्ट्रीकरण के आधार पर मुख्य निर्देश संख्या आबंटित करेगा। आवेदकों को पहले आने और पहले पाने के आधार पर संयोजन प्रदान किया जायेगा।

(ख) भावी उपभोक्ताओं के प्रतीक्षा सूची पर क्षेत्रवार सूचना, उनकी वर्तमान प्रास्थिति, निर्देश संख्या, जिस पर संयोजन प्रदान किया जाना है, केन्द्रीयकृत पुकार कक्ष में रखी जा सकेगी और सूचना पट्टी पर प्रदर्शित भी की जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में प्रमुख स्थान पर रखे गये श्हााम पट्ट पर नियमित रूप से अद्यतन की जायेगी।

### 4.19 प्रकीर्ण प्रभाव उद्गृहीत किया जाये

अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन से और नये संयोजन, नये संयोजन के लिए प्राक्कलन और भार के वर्धन के लिए रजिस्ट्रीकरण तथा प्रशंसकरण फीस के मद पर खण्ड 4.6 के अनुसार व्यय आंकड़ा पुस्तिका में प्रभार की अनुसूची विहित करेगा। इसमें पुनः संयोजन और वियोजन के प्रभार और प्रकीर्ण सेवा के लिए कोई अन्य प्रभार भी शामिल होगा।

### 4.20 प्रतिभूति निक्षेप

(क) दो मास के लिए प्राक्कलित ऊर्जा उपभोग को आच्छादित करने के लिए प्रतिभूति निक्षेप सभी उपभोक्ता/आवेदक द्वारा किया जायेगा।

(ख) नये उपभोक्ताओं के भिन्न संवर्गों के लिए प्राक्कलित उपभोग और प्रतिभूति निक्षेप धनराशि का अवधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के अनुमोदन से किया जायेगा।

(ग) भार की वृद्धि के मामले में केवल विद्यमान भार को कम करके वृद्धि के बाद अतिरिक्त भार को आच्छादित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति को निक्षेप किये जाने की आवश्यकता होगी।

(घ) निकाल दिया गया।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप को जमा करने के लिए किसी उपभोक्ता को नोटिस दे सकेगा, यदि :

(*i*) प्रतिभूति निक्षेप पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए उसके औसत मासिक उपभोग पर आधारित दो मास के प्राक्कलित ऊर्जा उपभोग बिल को आच्छादित करने के लिए कम होता है,

(*ii*) नये संयोजन के मामले में अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग एक वित्तीय वर्ष के केवल पूरा होने के बाद की जायेगी,

(*iii*) केवल तब, जब उपभोक्ता द्वारा संदेय अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप विद्यमान प्रतिभूति निक्षेप के 10% से अधिक है, अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप के लिए मांग की जायेगी,

(*iv*) प्रतिभूति निक्षेप को बकाये के समायोजन के कारण कम किया जाता है,

(*v*) प्रतिभूति निक्षेप किसी अन्य कारण से अविधिमान्य या अपर्याप्त हो गया है।

(च) उपभोक्ता नोटिस की तामीली के बाद 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त प्रतिभूति को निक्षेप करेगा। यदि व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उस अवधि के लिए विद्युत की आपूर्ति को स्थगित कर सकेगा, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है। लेकिन, अधिकतम 3 किस्त की अनुमति दी जा सकेगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रज्ञापूर्ण समझा जाय।

(छ) यदि विद्यमान प्रतिभूति निक्षेप अपेक्षित, प्रतिभूति निक्षेप के 20% से अधिक के आधिक्य में होना पाया जाता है, तो आधिक्य धनराशि की वापसी उपभोक्ता को 3 बिल देने के चक्र के अन्तर्गत आगामी बिल में समायोजन द्वारा की जा सकेगी।

(ज) प्रतिभूति निक्षेप उपभोक्ता को स्थायी वियोजन के करार और अन्तिम करने के समापन पर और 30 दिनों के भीतर सभी बकायों के समायोजन के बाद वापस किया जायेगा। लेकिन, यदि भुगतान में विलम्ब 90 दिनों से अधिक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर पर ब्याज उपभोक्ता को संदेय होगा। इस सम्बन्ध में समय-समय से बैंक दर पर निगरानी रखना अनुज्ञप्तिधारी का उत्तरदायित्व होगा।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी लागू बिल चक्र के अनुसार अप्रैल या मई या जून मास में उपभोक्ता के बिल में जमा द्वारा बैंक दर पर, जैसा कि 1 अप्रैल को है, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान करेगा। लेकिन, कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, यदि निक्षेप नकदी, चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा नहीं किया जाता। ब्याज दर समय-समय से आयोग के टैरिफ आदेस के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन है।

(ञ) प्रतिभूति निक्षेप की धनराशि ''फेज्ड कन्ट्रैक्ट दिनांक'' के मामले में भार की मुक्ति के लिए करारित फेज के अनुसार अंशत: स्वीकार किया जायेगा। पश्चात्वर्ती अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि अतिरिक्त भार की मुक्ति के 30 दिनों पूर्व निक्षेप किया जायेगा।

(ट) अनुज्ञप्तिधारी नये संयोजन को ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा, जब तक अपेक्षित प्रतिभूति धनराशि आवेदक/उपभोक्ता द्वारा निक्षेप नहीं किया गया है।

(ठ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस धारा के अनुसरण में प्रतिभूति की अपेक्षा करने के लिए हकदार नहीं होगा। यदि आपूर्ति की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति पूर्व भुगतान मीटर के माध्यम से आपूर्ति ग्रहण करने के लिए तैयार है, जैसे और जब वितरण अनुज्ञप्तिधारी पूर्व भुगतान मीटर के माध्यम से आपूर्ति के लिए विकल्प देने के लिए उपभोक्ता को चुनाव प्रदान करता है।

### 4.21 नये संयोजन/कटौती/भार की वृद्धि प्रदान करने का खर्च

(क) उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को नये संयोजन/भार में अभिवृद्धि प्रदान करने के खर्च के रूप में सेवा लाइन इत्यादि और प्रणाली भार प्रभार के खर्च का भुगतान करेगा। ये भार या तो आयोग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खर्च आंकड़ा पुस्तिका में विनिर्दिष्ट मानक प्रभार की अनुसूची के आधार पर या उसके अभाव में कार्य के वास्तविक खर्च के आधार होंगे, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन (खण्ड 4.6) में दिये गये हैं। भार की कमी करने के लिए, प्रणाली को भारित करने वाले प्रभार वापस नहीं किए जाएंगे किन्तु यदि भार में पुन: उसी उपभोक्ता द्वारा वृद्धि की जाती है, तो पहले से निक्षिप्त प्रणाली को भारित करने वाले प्रभार से अधिक केवल वर्धित प्रणाली को भारित करने वाले प्रभार प्रभारित किये जाएंगे।

(ख) एक फेज से 3 फेज एल० टी० तक सम्परिवर्तन के लिए और इसके प्रतिकूल तथा एल० टी० से एच० टी० में सम्परिवर्तन और इसके प्रतिकूल के लिए नये संयोजन के लिए अधिकथित प्रक्रिया और खण्ड 3.3 का अनुसरण किया जायेगा।

### 4.22 भुगतान का ढंग

(क) सभी भुगतान नकदी द्वारा (20,000 रु० तक) बैंकर्स चेक, चेक या डिमाण्ड द्वारा किये जाएंगे। चेक और डिमाण्ड ड्राफ्ट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की किसी शाखा पर अनुदेय होंगे, जो उस क्षेत्र के लिए समाशोधन गृह का सदस्य है, जहां सम्बद्ध खण्ड कार्यालय स्थित है। बाह्य स्थल का कोई चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ख) चेक द्वारा भुगतान की तारीख से ऐसी तारीख होना माना जायेगा, जिसको चेक अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में प्राप्त किया जाता है। यदि चेक का भुगतान नहीं किया जाता या अनादरित हो जाता है, तो आवेदक धनराशि का निक्षेप नकदी में या अभुगतान फीस के साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करेगा, जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विहित किया जाय, जिसमें खण्ड 4.36 (ज) के अनुसार अस्थायी वियोजन शामिल है और किसी परिस्थिति के अधीन चेक द्वारा भविष्य में भुगतान करने के लिए उपभोक्ता के अधिकार को वापस नहीं लिया जायेगा।

(ग) लेकिन, 10 एन० डब्ल्यू० से अधिक अनुबन्धित भार के नये संयोजन के लिए, उपभोक्ता को जिले में स्थित अनुसूचित बैंक की शाखा पर आहरित 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए विधिमान्य बैंक गारण्टी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के लिए भुगतान करने का विकल्प हो सकता है। उपभोक्ता का प्रत्याभूति से अवसान की तारीख के कम से कम 3 मास पूर्व 5 वर्ष की और अवधि के लिए प्रत्याभूति को नवीकृत कराना उत्तरदायित्व होगा।

### 4.23 उपभोक्ता के परिसर पर तार लगाना

(क) उपभोक्ता के परिसर में तार लगाने का कार्य अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा किया जायेगा और भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के अध्याय 7 में विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप होगा, जब तक विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन निर्मित नहीं किये जाते।

(ख) तार लगाने के लिए प्रयुक्त सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अभिकथित मानव के अनुरूप होगा और उच्चतर होगा।

(ग) सभी ऊँचे भवन, जिनकी भूतल से 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई है, भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 50 का भी अनुपालन करेंगे, जब तक विनियम विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 53 के अधीन निर्मित नहीं किये जाते। तार लगाने का परीक्षण भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 47 से 49 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, जब तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विनियम निर्मित नहीं की जाती।

### 4.24 ए०सी० मोटरों का संस्थापन

कोई ए० सी० मोटर अनुज्ञप्तिधारी को निम्न या मध्य वोल्टता प्रणाली में संयोजित नहीं किया जायेगा जब तक मोटर और उसके संस्थापन का नीचे निर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार प्रारम्भिक करेन्ट को सीमित करने के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है :

(क) विद्युत आपूर्ति किसी आवेदक को 3 एच० टी० क्षमता या अधिक के उपयोग करने वाले प्रवेशन मोटर या 1 के० वी० ए० क्षमता या अधिक के वेल्डन ट्रान्सफार्मर के लिए निम्न या मध्य वोल्टता पर किसी आवेदक को नहीं दी जायेगी, जब तक समुचित दर के पार्श्व पथ सन्धारित्र ऐसे मोटर और वेल्डन ट्रान्सफार्मर के टर्मिनल के आर-पार औसत मासिक ऊर्जा घटक को प्राप्त करने के लिए संस्थापित नहीं किया जाता, जो इस संहिता में निर्दिष्ट है,

(ख) निम्न या मध्य वोल्टता का मोटर सभी सम्भव स्थितियों के अधीन निम्नलिखित अनुसूची में दी गयी सीमा से अधिक उपभोक्ता के संस्थापन से अधिकतम वर्तमान मांग को समाधानप्रद ढंग से निवारित करने के लिए नियंत्रण गेयर के साथ प्रदान किया जायेगा :

| *आपूर्ति की प्रकृति* | *संस्थापन का आकार* | *अधिकतम करेन्ट मांग* |
|---|---|---|
| एकल फेज/तीन फेज | (क) एक बी० एच० पी० पर और को शामिल करके | (क) छ: गुना पूर्ण भार करेन्ट |
| | (ख) एक बी० एच० पी० से अधिक और 10 बी० एच० पी० तक और को शामिल करके | (ख) तीन गुना पूर्ण भार करेंट |

| | | |
|---|---|---|
| | (ग) 10 बी० एच० पी० से अधिक और 15 बी० एच० पी० तक और को शामिल करके | (ग) दो गुना पूर्ण भार करेण्ट |
| | (घ) 15 बी० एच० पी० से अधिक | (घ) डेढ़ गुना पूर्ण भार करेण्ट |

इन अपेक्षाओं का अनुपालन करने की असफलता उपभोक्ता को वियोजित किये जाने के लिए दायी बनायेगा। अनुज्ञप्तिधारी कार्य की अवस्थिति और स्थिति के आधार पर प्रारम्भिक करेण्ट सीमा तक मुक्त करेगा।

(ग) गैर वोल्ट मुक्ति द्वारा संरक्षित तीसरे पोल से सम्बन्धित स्विच मोटर परिपथ और तेहरे खम्भा फ्यूज (या अधिभार मुक्ति) को नियंत्रित करेगा। यह महत्वपूर्ण है कि मुक्ति उचित कार्य आदेश में रखा जायेगा। मोटर के लिए तार लगाना धातु के वाहक नली में सभी तीन फेज तार गुच्छों के साथ होगा, जिसे प्रभावी ढंग से पूर्ण रूप से भूमि से संलग्न किया जायेगा और मोटर की संरचना से सम्बन्धित किया जायेगा, जिससे दो पृथक् भूमि तार संचालित होंगे। अनुमति भूमि तार का न्यूनतम अनुमति योग्य आकार संख्या 14 एस० डब्ल्यू० डी० होगा। जब तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन विनियम को निर्मित नहीं किया जाता, तब तक भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 का प्रत्येक सम्बन्ध में अनुपालन किया जायेगा;

(घ) कुल गुणित बल वोल्टता विकृत नीचे वर्णित सीमा से अधिक नहीं होगा :

ई० एच० टी० = 4%

एच० टी० = 5%

एल० टी० = 10% ;

अनुज्ञप्तिधारी सभी एच० टी० उपभोक्ताओं और एल० टी० वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (15 के० डब्ल्यू० से अधिक) के लिए इस संहिता की क्रियान्वयन की तारीख को एक वर्ष से अधिक का समय उन्हें देते हुए प्रारम्भ से गुणित फिल्टर के संस्थापन के लिए प्रचार करेगा, जिसके पश्चात् वह ऐसे उपभोक्ताओं पर आदेशात्मक होगा।

(ङ) इसके अतिरिक्त तुल्य कालिक मोटर वाट हीन करेण्ट को नियंत्रित करने के लिए उपकरण के साथ प्रदान किए जाएंगे।

### 4.25 सिंचाई/कृषि पम्पसेट का संस्थापन

सभी पम्पिंग संयोजन/पुन: संयोजन न्यूनतम क्षति को सुनिश्चित करेंगे और उसे प्राप्त करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अपेक्षा के अनुरूप होंगे और अवर नहीं होंगे तथा निम्नलिखित भी होगा-

(क) घर्षणहीन पाद वाल्ब;

(ख) एच० डी० पी० ई० पाइपिंग सक्सन और परिदान;

(ग) आई० एस० आई० चिन्हित ऊर्जा दक्ष मोनोब्लाक पम्पसेट;

(घ) पम्पसेट के लिए समुचित दर का सन्धारित्र।

अनुज्ञप्तिधारी समुचित/सम्बद्ध प्राधिकारी/अधिकरण के क्षेत्रों में जल स्तर का आंकड़ा एकत्रित करेगा और यदि यह भार की वृद्धि की अपेक्षा करता है, तो उपभोक्ता से भार में वृद्धि करने की अपेक्षा की जायेगी।

### 4.26 अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति प्रणाली के साथ समानान्तर कार्यवाही

(क) यदि उपभोक्ता ग्रिड के समानान्तर में अपने उत्पादन करने वाले उपकरण को चलाने का इच्छुक है, तो उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में हस्तक्षेप के उसे संरक्षित करने के लिए अपने संस्थापन की व्यवस्था करेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी ऐसी समानान्तरण कार्यवाही या उससे उद्भूत किसी प्रतिकूल परिणाम के कारण उपभोक्ता के संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों को कारित किसी नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

(ग) ग्रिड के साथ समानान्तर कार्यवाही के लिए, उपभोक्ता से उ० प्र० विद्युत ग्रिड संहिता और अन्य सुसंगत विनियमों के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा और समकालीन होने वाले प्रभार का भुगतान करेगा, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(घ) वास्तविक कार्यवाही एस० टी० यू० और अनुज्ञप्तिधारी के सहयोग से की जायेगी।

(ङ) जहां पुराना करार अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्यमान है, वहां समानान्तर कार्यवाही पर प्रभार का भुगतान करने की शर्त करार के अवसान तक अभिभावी होगी।

### 4.27 संरक्षणात्मक भार

अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट मामलों में, जिन्हें करार में विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उन उपभोक्ताओं को, जो विद्युत के चौबीस घण्टे के प्रयोग के लिए विकल्प दिया है, संरक्षणात्मक भार निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर प्रदान कर सकेगा :

(क) अतिरिक्त प्रभार, जैसा कि नवीनतम दर अनुसूची (टैरिफ आदेश में) विनिर्दिष्ट है, प्रति मास नियमित बिल, यदि कोई हो, के माध्यम से वसूल किया जायेगा;

(ख) संरक्षणात्मक भार किसी आपातिक रोस्टरिंग के अधीन होगा;

(ग) संरक्षणात्मक भार के लिए प्रभार की गणना मुख्य आपूर्ति के लिए न्यूनतम प्रभार के लिए किया जायेगा;

(घ) संरक्षणात्मक भार का उपयोग प्रकाश और पंखों तथा पसीने के जल के प्रयोजन के लिए भी किया जायेगा;

(ङ) लेकिन,संरक्षणात्मक भार की सुविधा प्राप्त करने वाला उपभोक्ता राज्य सरकार या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय-समय से अधिरोपित अनुसूचित विद्युत कटौती के अधीन नहीं होगा। अनुसूचित विद्युत कटौती की अवधि के दौरान संरक्षणात्मक भार स्वीकृत संरक्षणात्मक भार से अधिक नहीं होग;

(च) संरक्षणात्मक भार केवल ऐसे उपभोक्ताओं को स्वीकृत किया जायेगा, जिनको उपकेन्द्र से उद्भूत 11 के० वी० और अधिक के स्वतन्त्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति दी जाती है;

(छ) संरक्षणात्मक भार ऐसे उपभोक्ता को मुक्त नहीं किया जायेगा या जारी नहीं रखा जायेगा, जिसके विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी के लिए बकाया है। बकाया, जो किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है और स्थगित किया गया है, बकाये के रूप में नहीं माना जायेगा;

(ज) यदि एस० एल० डी० सी०/अनुज्ञप्तिधारी के संज्ञान में यह लाया जाता है कि विशिष्ट उपभोक्ता उस अवधि के दौरान, जिसमें उसको विद्युत का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, स्वीकृत संरक्षणात्मक भार से अधिक की विद्युत का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे उपभोक्ता को आपूर्ति करने वाले फीडर को स्रोत उपकेन्द्र से उसे विद्युत न प्रदान करने के लिए पृथक् किया जायेगा।

### 4.28 सेवा लाइन और उपकरणों से सम्बन्धित सामान्य उपबन्ध

(क) उपभोक्ता सेवा लाइन से उस भाग, जो उसके परिसर के अन्तर्गत आता है, ट्रान्सफार्मर, स्विच गियर, मीटर और सभी अन्य उपकरणों को आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु तक लगाने/संस्थापन के लिए निःशुल्क अपेक्षित आयाम का स्थल और सुविधापूर्ण अवस्थिति प्रदान करेगा, जैसा कि पारस्परिक रूप से उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी के बीच करार किया जाय।

(ख) सभी बहुमंजिला भवनों में, तलों की संख्या के बावजूद, सेवा संयोजन (चाहे शिरोपरि तार के माध्यम से हो या भूमिगत केबल के माध्यम से), सामान्यतया भूतल पर प्रभावी किया जायेगा। सेवा संयोजन भी उपभोक्ता के अनुरोध पर बहुमंजिला भवन के निम्नतम तल में प्रभावी किया जायेगा, यदि स्थल, जहां अनुज्ञप्तिधारी के मीटर, कट आउट इत्यादि संस्थापित किये जाते हैं, में बाहर से सीधा और स्वतंत्र पहुंच है, सुवातायन है, पर्याप्त मुख्य कक्ष और दरवाजा है, जो सेवा कक्ष के लिए प्रदान किया गया है, पर्याप्त अग्निरोधक सम्पत्ति है और जल-सह है और जल भराव से मुक्त है।

(ग) बहुमंजिला भवन में उपयुक्त स्थान पर पर्याप्त स्थल निःशुल्क अनुज्ञप्तिधारी को ट्रान्सफार्मर स्विच गियर इत्यादि को संस्थापित करने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा, यह नीचे अधिकथित स्थल अपेक्षा के अतिरिक्त है।

(घ) बहुमंजिला भवन के लिए, जिसका कुल फर्श क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर और अधिक है और बहुमंजिला भवन अर्थात् भूमि तथा तीन तल, जिसमें निम्नतम शामिल है, एल० टी० सर्विस संयोजन के लिए :

(*i*) बन्द करने की सुविधा, निकास पंखा और केबल नली के पर्याप्त आकार के साथ 2.75 मीटर के सीधे निकासी के साथ 6 मी० × 4 मीटर के स्पष्ट फर्श के क्षेत्र धारण करने वाले आर० सी० सी० छत के साथ विद्युत कक्ष को फर्श से संलग्न वितरण ट्रान्सफार्मर तथा सहयोजित स्विच गीयर को संस्थापित करने के लिए मुख्य प्रवेश के नजदीक बहुमंजिला भवन की उपभोक्ता परिसर के भीतर भूतल में प्रदान किया जायेगा;

(*ii*) आकाश में खुले 10 मीटर × 4 मीटर या 5 मीटर × 5 मीटर का स्पष्ट स्थल संरचना से संलग्न वितरण ट्रान्सफार्मर और सहयोजित स्विच गियर को संस्थापित करने के लिए अधिमानतः मुख्य प्रवेश पर उपभोक्ता परिसर के भीतर प्रदान किया जायेगा।

(*iii*) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले मानकों के अनुसार स्थल उपकेन्द्र/परिवर्तन स्थल के संस्थापन के लिए समूह आवास/वाणिज्यिक काम्पलेक्स में आबंटित किया जायेगा, जहां कुल मांग 3 एम० वी० ए० से अधिक या जहां कहीं 33/11 के० वी० उपकेन्द्र को सन्निर्मित किये जाने की अपेक्षा की जाती है। ये क्षेत्र नक्शा में विनिर्दिष्ट रूप से दर्शित किए जाएंगे।

(ङ) 3 मीटर से अन्यून चौड़ा पहुंच मार्ग सार्वजनिक मार्ग से विद्युत गृह/खुले स्थल में प्रदान किया जायेगा, जो वितरण ट्रान्सफार्मर, सहयोजित स्विच गियर को संस्थापित करने के लिए पृथक् किया जाये, उपकेन्द्र/परिवर्तन स्थल उपभोक्ता द्वारा उसकी कीमत पर प्रदान किया जायेगा।

(च) उपभोक्ता द्वारा उपबन्धित मीटर कक्ष में सुरक्षा विनियम की अपेक्षा के अनुसार समुचित क्षमता और गुणवत्ता का अग्निशमन यन्त्र होना चाहिए।

**4.29 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के सेवा लाइन का प्रयोग**

(क) अनुज्ञप्तिधारी अन्य उपभोक्ता को आपूर्ति प्रदान करने के लिए सेवा लाइन और अन्य उपकरणों का प्रयोग कर सकेगा परन्तु उपभोक्ता को, जिसने उनके लिए भुगतान किया है, आपूर्ति प्रभावित नहीं होता।

(ख) पुन: यदि उपभोक्ता को, जिसने लाइन/उपकरण के लिए भुगतान किया है, आपूर्ति असंयोजित किया जाता है, चाहे जिस कारण से हो, तो उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को सेवा लाइन और अन्य उपकरण तक निरन्तर पहुंच की अनुमति प्रदान करेगा, यदि उनसे अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है और कोई भुगतान ऐसे पहुंच/सुविधा के लिए उपभोक्ता को देय नहीं होता, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती।

(ग) लेकिन, अभिव्यक्त रूप से यह प्रावधान किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी वैकल्पिक व्यावस्था करने के लिए सभी सम्भव प्रयास यथाशीघ्र करेगा, जितना व्यावहारिक रूप से सम्भव हो। इस प्रयोजन के लिए. अनुज्ञप्तिधारी पारस्परिक रूप से विद्यमान स्थल पर संस्थापन की निरन्तरता के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य व्यवस्था का पता लगा सकता है।

**4.30 उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच**

अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्राधिकृत कर्मचारी, किसी युक्तियुक्त समय पर और अपने आशय का अधिभोगी को सूचना देने पर किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा, जिसमें विद्युत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी परिसर या भूमि को प्रदान की जाती है या प्रदान की गयी है, जिसके अधीन, जिस पर, जिसके साथ, जिसके आर-पार, जिसमें या जिस पर विद्युत आपूर्ति लाइन या अन्य कार्य विधिपूर्वक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित प्रयोजन के लिए रखे गये हैं—

(*i*) अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत आपूर्ति लाइन, मीटर, उपस्कर, कार्य और उपकरण के निरीक्षण, परीक्षण, मरम्मत या परिवर्तन के लिए;

(*ii*) आपूर्ति की गयी विद्युत की मात्रा या आपूर्ति में अन्तर्विष्ट विद्युत मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए; या

(*iii*) अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित किसी विद्युत आपूर्ति लाइन, मीटर, उपस्कर, कार्य या उपकरण को हटाने, जहां विद्युत की आपूर्ति अब अपेक्षित नहीं है या जहां अनुज्ञप्तिधारी ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी आपूर्ति की कटौती के लिए।

**4.31** अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकारी कर्मचारी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त किये गये विशेष आदेश के अनुसरण में और अधिभोगी को लिखित में 24 घण्टे से अन्यून नोटिस देने के बाद :

(क) खण्ड 4.30 में निर्दिष्ट किसी परिसर या भूमि में उसमें वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रवेश कर सकेगा;

(ख) उपभोक्ता से सम्बन्धित विद्युत के प्रयोग के लिए विद्युत तार, उपस्कर, कार्य और उपकरण की परीक्षा और परीक्षण के प्रयोजन के लिए किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा, जिसमें विद्युत की आपूर्ति उसके द्वारा की जानी है

**4.32.** जहां उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को खण्ड 4.30 या 4.31 के प्रावधानों के अनुसरण में उसके परिसर या भूमि में प्रवेश करने से इन्कार करता है, जब ऐसा अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति इस प्रकार प्रवेश किया है, तब उसे कोई कार्य करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करता है, जिसे वह करने के लिए उन खण्डों द्वारा प्राधिकृत है या ऐसे प्रवेश या कार्य के लिए युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को लिखित में सूचना की तामीली से चौबीस घण्टे के अवसान के बाद उपभोक्ता को आपूर्ति ऐसे समय तक काट सकता है, जब तक ऐसी इन्कारी या असफलता जारी रहती है।

**4.33.** राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी–

(क) किसी स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा, तोड़कर खोल सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जिसमें उसको यह विश्वास करने का कारण है कि विद्युत का अप्राधिकृत ढंग से प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है;

(ख) सभी ऐसे यन्त्रों, उपकरणों, तारों और किसी अन्य सुविधा या सामान की तलाीश ले सकेगा, अभिग्रहण कर सकेगा और हटा सकेगा, जिनका प्रयोग विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग के लिए किया गया है या किया जा रहा है;

(ग) किसी लेखा बही या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा या अभिग्रहण कर सकेगा, जो उसकी राय में उपधारा (1) के अधीन अपराध के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी होगा या सुसंगत होगा और व्यक्ति को, जिससे ऐसे लेखा बही या दस्तावेज का अभिग्रहण किया जाता है, उसकी प्रतिलिपि निर्मित करने या उसकी उपस्थिति में उससे उद्धरण लने की अनुज्ञा दे सकेगा।

**4.34.** तलाशी स्थल का अधिभोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति तलाशी के दौरान उपस्थित रहेगा और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सभी वस्तुओं की सूची तैयार की जायेगी और ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को प्रदत्त की जायेगी, जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा :

परन्तु निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण के लिए घरेलू परिसर के भीतर कोई प्रवेश सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि घरेलू स्थल पर निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण केवल उपभोक्ता के वयस्क प्रतिनिधि की उपस्थिति में या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया जायेगा।

### 4.35. आपूर्ति के असंयोजन के लिए प्रक्रिया

आपूर्ति नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी रूप से या स्थायी आधार पर असंयोजित की जा सकेगी :

(*i*) अनुज्ञप्तिधारी स्थायी असंयोजन के बाद सेवा लाइन/मीटर इत्यादि को हटायेगा।

(*ii*) लेकिन, अनुज्ञप्तिधारी अस्थायी असंयोजन के मामले में सेवा लाइन, मीटर इत्यादि को नहीं हटा सकेगा।

(*iii*) अनुज्ञप्तिधारी सेवा लाइन/केबल को हटा सकेगा, यदि उसे अस्थायी असंयोजन के मामले में विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग का पर्याप्त कराण है। लेकिन, मीटर ऐसे मामलों में नहीं हटाया जायेगा।

### 4.36. अस्थायी असंयोजन

आपूर्ति केवल सम्यक् तत्परता के बाद अस्थायी रूप से असंयोजित की जायेगी और यदि असंयोजन का कारण अधिनियम की धारा 171 में यथावर्णित ढंग में शामिल की गयी नोटिस में निर्दिष्ट दिनों की संख्या के भीतर नहीं हटाया जाता, तो निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक में :

(क) उपभोक्ता को तामील की गयी नोटिस में निर्दिष्ट असंयोजन की तारीख के अन्तर्गत किन्तु 15 दिनों से अन्यून के अन्तर्गत यदि विद्युत के प्रभार के कारण विद्युत बिल या विद्युत के लिए प्रभार के अतिरिक्त किसी अन्य धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता, परन्तु यह और कि नोटिस में निर्दिष्ट बिल की धनराशि विधि के किसी न्यायालय द्वारा स्थगित नहीं किया जाता, तो आपूर्ति असंयोजित नहीं की जायेगी :

परन्तु आपूर्ति असंयोजित नहीं की जायेगी, यदि ऐसा व्यक्ति प्रतिवाद के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावाकृत राशि के समान धनराशि या पूर्ववर्ती 6 मास के दौरान भुगतान किये गये विद्युत के लिए औसत प्रभार के आधार पर संगणित प्रतिमास के लिए विद्युत प्रभार का, जो भी कम हो, भुगतान उसके और अनुज्ञप्तिधारी के बीच किसी विवाद के निस्तारण के लम्बित रहने पर किया जाता है।

(ख) सात दिनों की न्यूनतम अवधि के बाद यदि विशिष्ट कारबार/उद्योग या किया जा रहा कोई क्रिया-कलाप आवश्यक अनुमति के अभाव या विधित: सक्षम प्राधिकारी से अनुमति वापस लिये जाने के कारण विधिविरुद्ध हो जाता है :

(ग) सात दिनों की न्यूनतम अवधि के बाद यदि उपभोक्ता के निम्नलिखित संवर्गों के अतिरिक्त उपभोक्ता के अन्य संस्थापन का विद्युत कारक 0.75 से कम है, यदि अन्यथा किसी बिल अवधि के दौरान टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट नहीं है।

(*i*) घरेलू दस किलोवाट तक के भार संयोजित किया गया है;

(*ii*) गैर घरेलू 5 किलोवाट के भार संयोजित किया गया है;

(घ) 48 घण्टे के भीतर–

- यदि किसी उपभोक्ता के परिसर में तार बिछ्ना, उपकरण, साधित्र या संस्थापन त्रुटिपूर्ण होना पाया गया है,
- यदि विद्युत का रिसाव है,

- यदि यह पाया गया है कि उपभोक्ता मीटर और सम्बन्धित उपकरण की स्थिति में परिवर्तन किया है,
- यदि उपभोक्ता किसी उपकरण या साधन का प्रयोग करता है या ऐसे ढंग में ऊर्जा का प्रयोग करता है, जो अनुज्ञप्तिधारी की सेवा लाइन, उपकरण, विद्युत आपूर्ति स्रोत परिपथ और अन्य कार्यों को संकटापन्न करता है,
- यदि उपभोक्ता के संस्थापन में अधिकतम करेन्ट मांग की सीमा खण्ड 4.24 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है।
- यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता किसी ढंग में विद्युत का प्रयोग कर रहा है, जो असम्यक् रूप से या अनुचित रूप से किसी अन्य उपभोक्ता को ऊर्जा की दक्ष आपूर्ति में हस्तक्षेप करता है।

(ङ) उपभोक्ता को तामील की गयी नोटिस में निर्दिष्ट असंयोजन की तारीख किन्तु 15 दिनों से अन्यून नहीं, यदि उपभोक्ता खण्ड 6.8 (ङ) या 8.1 (ग) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग या चोरी के परिणामस्वरूप निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में व्यतिक्रम कारित करता है। परन्तु असंयोजन के पूर्व नोटिस की तामीली विद्युत की चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग के मामले में आवश्यक नहीं होगा, जहां अनुज्ञप्तिधारी का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है और ऐसे अन्य मामलों में जहां कहीं असंयोजन के लिए अभिव्यक्त प्रावधान किया गया है।

(च) कम से कम 30 दिन, यदि उपभोक्ता अतिरिक्त प्रतिभूति का निक्षेप करने में असफल हो जाता है या प्रतिभूति अपर्याप्त हो गया है;

(छ) 24 घण्टे की न्यूनतम अवधि के बाद, यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत व्यक्ति को युक्तियुक्त रूप से ऐसे प्रवेश या कार्यपालन के लिए युक्तियुक्त सुविधा देने में असफल रहता है, जैसा कि संहिता के खण्ड 4.30 से 4.34 में विनिर्दिष्ट है;

(ज) सात दिनों की निम्नतम अवधि के बाद, बैंक द्वारा चेक का अनादर (चेक का भुगतान न होना) के मामले में;

**4.37.** (क) अनुज्ञप्तिधारी, संयोजन के अस्थायी रूप से असंयोजित किया जाने के बाद उपभोक्ता को न्यूनतम प्रभार पर बिल देगा और उपभोक्ता को संलग्नक 4.9 में दिये गये प्ररूप के अनुसार असंयोजन के कारण को हटाने के लिए नोटिस भी जारी करेगा, जिसमें असफल रहने पर आपूर्ति 6 मास के भार स्थायी रूप से असंयोजित की जायेगी। ऐसे संयोजन को निष्क्रिय संयोजन (अन्तिम लेखा की प्रतीक्षा करते हुए) माना जायेगा और बिल निरीक्षण करने और उपभोक्ता को सम्यक् रूप से सूचना देने के बाद स्थगित किया जायेगा और उपभोक्ता का अन्तिम लेखा तैयार किया जायेगा।

(ख) जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारी पता लगाता है कि संयोजन अस्थायी असंयोजन के बाद अप्राधिकृत ढंग से पुन: संयोजित किया गया है, वहां अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा।

### 4.38. स्थायी असंयोजन

(*i*) आपूर्ति निम्नलिखित मामलों में स्थायी रूप से असंयोजित की जायेगी :

(क) करार के अवसान के साथ;

(ख) यदि कारण, जिसके लिए आपूर्ति अस्थायी रूप से असंयोजित की जाती है, 6 मास की अवधि के भीतर हटाया नहीं जाता;

(ग) उपभोक्ता के अनुरोध पर, जैसा कि धारा 4.14 (छ) के अधीन वर्णित है।

(*ii*) यदि बकाये का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा नहीं किया जाता, तो बकाये पर उपभोक्ता द्वारा संदेय अधिभार धारा 5 की नोटिस से निर्गम की अवधि तक या केवल अधिकतम 8 मास की अवधि तक उदगृहीत किया जायेगा।

(*iii*) प्रतिभूति धनराशि पहले समायोजित की जायेगी और प्रतिभूति धनराशि के समायोजन के बाद शत्रु बकाया की गणना की जायेगी पर अधिभार उपभोक्ता द्वारा संदेय होगा।

### 4.39. पुन: संयोजन के लिए प्रक्रिया

(क) संयोजक, जो स्थायी रूप से असंयोजित किया जाता है, पुन: संयोजित नहीं किया जायेगा और उपभोक्ता को नये संयोजन के लिए आवेदन करना होगा।

(ख) अस्थायी असंयोजन के मामले में आपूर्ति असंयोजन के कारण को हटाये जाने के बाद पुन: संयोजित की जायेगी।

(ग) यदि असंयोजन बिल का भुगतान न करने के कारण था, तो संयोजन को पुन: नोटिस की प्रतिलिपि के साथ उपभोक्ता के आवेदन पर संयोजित किया जायेगा।

(घ) विहित असंयोजन और पुन: संयोजन की फीस के साथ बकाये की भुगतान की प्राप्ति पर आपूर्ति पूर्ण आवेदन को प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के भीतर पुन: संयोजित की जायेगी, परन्तु जहां सेवा केबल/सुचालक को पुन: निर्मित किया जाना है, वहां संयोजन 48 घण्टे के भीतर पुन: संयोजित किया जायेगा।

(ङ) यदि भुगतान चेक (बैंकर के चेक के अतिरिक्त) द्वारा किया जाता है, तो आपूर्ति चेक के वसूली के बाद पुन: संयोजित की जा सकेगी।

(च) अन्य मामलों में आवेदक विहित असंयोजन और पुन: संयोजन फीस के साथ कारण को हटाने के बाद और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पुन: संयोजन के लिए आवेदन करेगा :

(*i*) असंयोजन/पुन: संयोजन फीस की भुगतान की रसीद

(*ii*) एल० ई० सी० द्वारा परीक्षण रिपोर्ट, यदि असंयोजन खण्ड 4.36 (घ) और 4.36 (ङ) के अधीन किया गया था।

(*iii*) कारण को हटाने का दस्तावेजी साक्ष्य, यदि संयोजन खण्ड 4.36 (ख) के अधीन किया गया था।

(*iv*) खण्ड 4.36 (ङ) के अधीन आच्छादित मामलों में शपथ-पत्र।

(*v*) खण्ड 4.36 (च) के अधीन आच्छादित मामलों में आधिक्य भार (प्रतिभूति धनराशि, संयंत्र भार इत्यादि) के विनियमितीकरण के लिए भुगतान की रसीद अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा असंयोजन के कारण के हटाने की परिसीमा पर परिसर का निरीक्षण करेगा और यदि उसे समाधान हो जाता है कि असंयोजन के कारण को हटाया गया है, तो आपूर्ति सूचना के 24 घण्टे के भीतर पुन: संयोजित की जायेगी।

### 4.40. संवर्ग का परिवर्तन

(i) *"उपभोक्ता का संवर्ग"* से टैरिफ अनुसूची अभिप्रेत है, जिसके अधीन उपभोक्ता को आयोग से नवीनतम प्रयोज्य टैरिफ आदेश के अनुसार बिल दिया जाता है।

आवेदक एक टैरिफ दर अनुसूची से दूसरे में संवर्ग के परिवर्तन के लिए संलग्नक 4.13 में विहित प्ररूप पर आवेदन करेगा।

(ii) यदि नये संवर्ग की स्वीकृति की अनुमति प्रवर्तनीय विधि के अधीन नहीं दी जाती, तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता को सूचित करेगा।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी सत्यापित करने के लिए परिसर का निरीक्षण करेगा और आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 10 कार्य दिवस के भीतर संवर्ग का परिवर्तन करेगा।

(iv) संवर्ग का परिवर्तन अगले बिल के चक्र से प्रभावी होगा।

(v) ऊर्जा के अप्राधिकृत प्रयोग का कोई मामला अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बुक नहीं किया जायेगा, यदि उपभोक्ता के संवर्ग के परिवर्तन के लिए आवेदन करने के बाद पता चलता है और परिवर्तन विधित: अनुज्ञेय है।

(vi) उपभोक्ता के आवेदन को नया आवेदन माना जायेगा और तद्नुसार वह प्रशंसकरण फीस, नई अतिरिक्त प्रतिभूति, यदि कोई हो, निक्षेप करेगा और अनुपूरक करार निष्पादित करेगा, जहां कहीं आवश्यक हो।

### 4.41. अनुबन्धित भार में कटौती

(क) अनुबन्धित भार की कटौती मांग को अभिलिखित करने के योग्य इलेक्ट्रानिक मीटर को धारण करने वाले उपभोक्ताओं के सभी संवर्ग के लिए अनुज्ञेय होगा, यदि उनका उपभोग पिछले 6 मास में या ऐसी अवधि के लिए, जो मौसम में विचारण में लिया जाता है, उपभोग की सामान्य अवधि से कम होना सुनिश्चित की जाती है। आवेदन भार की कटौती के लिए केवल किसी अतिरिक्त प्रभार के बिना विहित प्रशंसकरण फीस के साथ विहित प्ररूप (संलग्नक 4.10) पर सम्बद्ध अधिकारी को दो प्रतियों में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जायेगा :

(*i*) अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के लिए कार्य पूरा करने का प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्ट, जहां संस्थापन का परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त है।

(*ii*) अन्तिम दो बिल चक्र में अभिलिखित अधिकतम मांग, यदि मीटर में पूर्व दो बिल चक्र की अधिकतम मांग और विद्युत बिल को अभिलिखित करने की सुविधा है,

(*iii*) लोप किया गया।

(*iv*) भुगतान किये गये नवीनतम विद्युत बिल की प्रतिलिपि, यदि बकाये से सम्बन्धित मामला स्थगित किया जाता है और न्यायालय में लम्बित है, तो खण्ड 4.49 के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा अन्यथा नवीनतम बिल का भुगतान पूर्णरूप से किया जायेगा।

(*v*) सम्यक् रूप से दाखिल और उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित मुख्य करार के अनुपूरक के रूप में कार्य करने के लिए करार का संलग्नक,

(ख) सत्यापन के बाद अनुज्ञप्तिधारी का पदाभिहित प्राधिकारी आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 30 दिनों के भीतर कम किये गये भार को स्वीकार करेगा।

(ग) दो वर्ष के अनिवार्य करार की अवधि की गणना सभी मामलों के लिए पी० डी० के प्रयोजन के लिए मूल करार की तारीख से की जायेगी।

(घ) कोई वापसी लाइन और उपकेन्द्र के निक्षिप्त व्यय के लिए अनुज्ञात नहीं की जायेगी। लेकिन यदि पहले निक्षिप्त प्रतिभूति कम किये गये भार के लिए अपेक्षा के आधिक्य में है, तो आधिक्य प्रतिभूति का समायोजन भविष्य के बिल में किया जायेगा। यदि लाइन, उपकेन्द्र और मीटर प्रणाली उनकी क्षमता/मात्रा में कमी की अपेक्षा करते हैं, तो अनुज्ञप्तिधारी अपने व्यय पर इसे करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(ङ) ऐसी कटौती की प्रभावी तारीख की गणना आगामी मास के प्रथम दिन से की जायेगी, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी आवेदन को स्वीकार किया है।

(च) भार में कमी की अनुमति निम्नलिखित मामलों में नहीं दी जायेगी :

(*i*) आर्क/अधिष्ठापन भट्ठी बेलन और पुन: बेलन मील तथा छोटे लौह संयंत्र को परिसर में संस्थापित मशीनों और भट्ठियों को कुल दर से कम भार कम करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी सिवाय संरक्षणात्मक उत्पादन क्षमता के उत्पाद के सिवाय, जिसका संस्थापन किया जा सकता है और समानान्तर में परिवर्तित हो रहा है। सहायक भार अपवर्जित किया जायेगा,

(*ii*) अनुबन्धित भार छोटे और मध्यम औद्योगिक और प्राइवेट नलकूप उपभोक्ताओं के मामले में, जिसने कोई एम० बी० आई० मीटर नहीं है, संस्थापित मशीनों के कुल दर से नीचे कम नहीं किया जायेगा,

(*iii*) भार को आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख से 24 महीने के भीतर कम नहीं किया जायेगा। लेकिन, यदि उपभोक्ता 24 मास की अवधि और 6 मास के सन्तुलन के लिए, जो भी कम हो, समर्पण किये गये/कम किये गये अनुबन्धित भार की मात्रा के लिए लागू निर्धारित/न्यूनतम प्रभार का भुगतान करने का इच्छुक है, तो कटौती की अनुज्ञा दी जा सकेगी,

(*iv*) भार की कटौती के लिए कोई आवेदन कारण को अभिलिखित किये बिना नामंजूर नहीं किया जाये और विनिश्चय की संसूचना आवेदक को दी जायेगी,

(*v*) यदि अन्तिम दो बिल चक्र में से किसी में अभिलिखित अधिकतम मांग उपभोक्ता द्वारा वांछित कम किये गये अनुबन्धित भार की अपेक्षा अधिक है,

(*vi*) उन मामलों में, जहां मीटर में अधिकतम मान का अभिलिखित करने की सुविधा नहीं है, अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा बिल से और स्थल निरीक्षण द्वारा अधिकतम मांग को सुनिश्चित करेगा। लेकिन, इस अपेक्षा का उन मामलों में त्याग किया जा सकता है, जहां अनुज्ञप्तिधारी स्थल निरीक्षण द्वारा सहमत है कि उपभोक्ता कम किये गये अनुबन्धित भार के परे विद्युत का प्रयोग करने के लिए सम्भाव्य नहीं है।

### 4.42. सार्वजनिक प्रकाश के लिए भार की वृद्धि के लिए प्रक्रिया

विकास प्राधिकरणों/न्यास परिषदों/नगर निगमों/नगर पालिकाओं/पालिकाओं आवास परिषदों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों/निकायों से, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित किया जाये, सम्बन्धित अधिसूचित क्षेत्रों/सार्वजनिक स्थानों में, अतिरिक्त सार्वजनिक लैम्पों को विद्युत आपूर्ति या उपस्कर के प्रकार में परिवर्तन की व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जायेगी :

(क) आवेदक विहित रजिस्ट्रीकरण किरण तथा प्रशंसकरण फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्तिधारी के उपखण्ड कार्यालय में विहित प्ररूप में आवेदन करेगा;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी 15 दिनों के भीतर विद्युत आपूर्ति की व्हावस्था करने के व्यय की सूचना देगा;

(ग) आवेदक आपूर्ति के प्राक्कलित व्यय का भुगतान करेगा, जिसमें सूचना के एक मास के भीतर प्रतिभूति का व्यय शामिल है;

(घ) आवेदक विहित प्ररूप में करार का निष्पादन करेगा;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी आवेदक द्वारा निक्षिप्त धनराशि के 15 दिनों के भीतर वर्धित मांग की आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा;

(च) अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदित प्ररूप के अनुसार मीटर और सड़क प्रकाश में अन्तर एम० सी० बी० को रखने के लिए उपयुक्त धातु का जल सह-सन्दूक आवेदक द्वारा उसके व्यय पर प्रदान किया जायेगा।

### 4.43. सार्वजनिक प्रकाश की अपेक्षा अन्य मामलों के लिए भार की वृद्धि

(क) भार की वृद्धि के लिए आवेदन अनुज्ञप्तिधारी के सम्बद्ध उप-खण्डीय अधिकारी के समक्ष विहित प्ररूप (संलग्नक 4.10) में दो प्रतियों में निम्नलिखित के साथ दाखिल किया जायेगा :

(*i*) विहित पंजीकरण तथा प्रशंसकरण फीस, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय से अनुमोदित है,

(*ii*) एल० ई० सी० (अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार) से कार्य पूरा करने का प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्ट,

(*iii*) विद्युत निरीक्षक से अनुमोदन का पत्र, यदि अपेक्षित हो,

(*iv*) भुगतान किये गये नवीनतम विद्युत बिल/बकाया की प्रतिलिपि,

(*v*) यदि मामला बकाये से सम्बन्धित है, तो न्यायालय द्वारा स्थगित किया जाता है, खण्ड 4.49 के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण किया जा सकेगा,

(*vi*) उपभोक्ता द्वारा सम्यक् रूप से भरे गये और हस्ताक्षरित मुख्य करार के अनुपूरक के रूप में कार्य करने के लिए करार का संलग्नक।

(ख) यदि आपूर्ति की प्रणाली और वोल्टता अनुरोध किये गये वर्धित भार के परिणामस्वरूप परिवर्तित नहीं होता (विद्यमान भार को कम करके वर्धन के बाद भार), तो भार का वर्धन सम्बद्ध अधिशाषी अभियन्ता या भार को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा :

(*i*) आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 7 दिनों के भीतर, यदि मीटर और सम्बन्धित उपकरण में अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रणाली पर भारित होने वाले प्रभार के निक्षेप के अध्यधीन किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है,

(*ii*) आवेदन की स्वीकृति की तारीख 30 दिनों के भीतर, जहां मीटर और सम्बन्धित उपकरण के अतिरिक्त प्रतिभूति, प्रणाली पर भारित होने वाले प्रभार और नये मीटर के लिए खर्च, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया जाय, के निक्षेप के बाद परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता के एल० ई० सी० या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में परिसर का निरीक्षण करने के बाद, जिसके लिए नोटिस उपभोक्ता को प्रदान की जायेगी, समुचित चीज के साथ मीटर लगाया जायेगा और वृद्धि उसके तत्काल बाद प्रभावी की जायेगी।

(ग) यदि आपूर्ति की प्रणाली या वोल्टता में परिवर्तन है, तो वर्धित भार को स्वीकार करने के लिए प्राधिकारी नये संयोजन के स्वीकृति के लिए उसी समय सारणी और प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसा कि खण्ड 4.8 में वर्णित है।

(घ) वर्धित भार के लिए नया करार दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए निष्पादित किया जायेगा।

(ङ) स्वीकृत भार की वृद्धि के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा, यदि उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी के बकाये की कोई किस्त है।

### 4.44. संयोजन का अन्तरण और नामों का नामान्तरण

(क) संयोजन उपभोक्ता की मृत्यु पर अन्य व्यक्ति के नाम में या परिसर के स्वामित्व या अधिभोग के अन्तरण के मामले में उपभोक्ता के आवेदन पर अन्तरित किया जायेगा।

(ख) नामान्तरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में अन्तरिती या मृत उपभोक्ता के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा विहित फीस के साथ विहित प्ररूप (संलग्नक 4.11) में दाखिल किया जायेगा।

(ग) आवेदन अन्तरण या विधिक उत्तराधिकारी के दस्तावेजी साक्ष्य और उस संयोजन पर विद्युत प्रभार के कारण बढ़ाया न होने के सबूत के साथ दाखिल किया जायेगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी 21 दिनों के भीतर नामान्तरण मामले को विनिश्चय करेगा। यदि दाखिल खारिज आवेदन अनुज्ञात किया जाता है, तो सूचना आवेदक को संयोजन और औपचारिकताओं के विरुद्ध, जिन्हें अन्तरण होने के लिए पूरा किया जाना है, लम्बित बकाये के सम्बन्ध में सूचना के साथ आवेदक को दी जायेगी।

(ङ) लेकिन यदि नामान्तरण आवेदन को अननुज्ञात किया जाता है और नामान्तरण से इन्कार किया जाता है, तो आदेश सकारण आदेश द्वारा आवेदक को स्वयं उपस्थित होने का अवसर प्रदान करने के बाद पारित किया जायेगा। परन्तु यह और कि मामले में, जहां नामान्तरण अनुज्ञात नहीं किया जाता, वहां अन्तरण की इप्सा करने वाला अन्तरिती पुराने नाम (किन्तु उपभोक्ता के मृत्यु के मामले में नहीं), में संयोजन जारी रखने के लिए सहमत हो सकेगा या स्थायी असंयोजन की ईप्सा करने का विकल्प रख सकेगा और नये संयोजन के लिए आवेदन कर सकेगा।

(च) अन्तरिती या विधिक उत्तराधिकारी 30 दिनों के भीतर लम्बित बकाये, यदि कोई हो, के साथ विहित प्ररूप में नये करार को प्रस्तुत करेगा. अन्तरण प्रभावी किया जायेगा और करार की प्रतिलिपि 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता को भेजी जायेगी।

(छ) पी० टी० डब्ल्यू० उपभोक्ताओं के मामले में, स्वप्रेरणा से नामान्तरण सरकारी राजस्व विभाग से रिपोर्ट ग्रहण करने के बाद किया जा सकेगा। लेकिन, विधिक उत्तराधिकारी विद्युत बकाये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस प्रभाव का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।

### 4.45. (क) उपभोक्ता के परिसर में तार लगाने और/या उपकरणों के परिवर्तन या सेवा लाइन को अन्तरित करने के मामले में प्रक्रिया

उपभोक्ता लम्बित सभी बकायों, यदि कोई हो, का भुगतान करने के बाद तार बिछाने/उपकरणों/सेवा लाइन से सम्बन्धित अपने परिसर में किसी परिवर्तन के लिए अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन दे सकेगा परन्तु उसे किसी न्यायालय द्वारा निम्नलिखित के अध्यधीन स्थगित नहीं किया जाता :

(क) उपभोक्ता केवल अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के पर्यवेक्षण द्वारा या के अधीन अपने परिसर पर तार लगाने से सम्बन्धित कार्य करेगा और कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करेगा, जैसा कि भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 द्वारा विहित है, जब तक विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन जारी नहीं किया जाता;

(ख) कोई निर्देश अनुज्ञप्तिधारी को नहीं किया जायेगा, यदि एल० टी० भार के तार बिछाने में परिवर्तन का परिणाम मीटर या अन्य सम्बन्धित उपकरणों के विस्थापन में नहीं होता और भार में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन, उपभोक्ता परीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा, यदि भविष्य में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षित है;

(ग) अन्य मामलों में, यदि उपभोक्ता अपने परिसर पर तार बिछाने को परिवर्तित करने की वांछा करता है या मीटर अथवा अन्य सम्बन्धित उपकरण के स्थान से परिवर्तित करता है या अपने परिसर पर सेवा लाइन को अन्तरित करता है, तो उसकी नोटिस लिखित में उपान्तरित तार बिछाने के नक्शे और अन्य आवश्यक विवरण के साथ अनुज्ञप्तिधारी को भेजी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी सम्यक् जांच के बाद प्रस्ताव को उपान्तरण सहित या रहित जांच के बाद अनुमोदन प्रदान करेगा या 15 दिनों के भीतर लिखित में उसके कारणों को अधिकथित करते हुए अनुरोध नामंजूर करेगा;

(घ) लिखित में परिवर्तन से सम्बन्धित कार्य उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से किया जायेगा और परीक्षण परिणाम के साथ कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी एक सप्ताह के भीतर परिसर का निरीक्षण यह अभिपुष्टि करने के लिए करेगा कि परिवर्तन उसके द्वारा दिये गये अनुदान और भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार है, जब तक विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन निर्गत नहीं किये जाते;

(ङ) आपूर्ति बिन्दु की स्थिति, मीटर या सम्बन्धित उपकरण में परिवर्तन का कार्य और सेवा लाइन का परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के व्यय पर किया जायेगा। इस कार्य के लिए प्राक्कलन अनुमोदन के साथ उपभोक्ता को भेजा जायेगा और कार्य धन का निक्षेप किये जाने के 15 दिन के अन्दर पूरा किया जायेगा।

**(ख) संयोजनों के अन्तरित करने के लिए प्रक्रिया**

केवल पी० टी० डब्ल्यू० संयोजन को (क) वेधन की असफलता, और (ख) उपभोक्ता के अनुरोध पर चकबन्दी में नियम भू-खण्ड की स्थिति के परिवर्तन के मामले में और बी० डी० ओ० से वेधन की असफलता प्रमाण-पत्र या राजस्व विभाग की चकबन्दी के कारण भू-खण्ड की स्थिति के परिवर्तन के प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर अन्तरित किया जा सकता है। उपभोक्ता से व्यय आंकड़ा पुस्तिका के रूप में सभी आवश्यक प्रभारों का निक्षेप करने और संयोजन को अन्तरित करने के पूर्व विद्युत बकायों का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी। किसी न्यायालय में लम्बित विवाद के मामले में संयोजन को अन्तरित किये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। पी० टी० डब्ल्यू० के अतिरिक्त अन्य मामले में संयोजन के अन्तरण की केवल असाधारण परिस्थितियों के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी, जिसके लिए एम० डी० की समुचित स्वीकृति आवश्यक होगी।

## 4.46. उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा का विक्रय

(क) उपभोक्ता अन्य व्यक्ति या अन्य परिसर के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसको प्रदान की गयी ऊर्जा के भाग या पूरे की आपूर्ति नहीं करेगा, जब तक वह आयोग द्वारा प्रदत्त ऊर्जा के वितरण और विक्रय के लिए उपयुक्त स्वीकृति या अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता या आयोग द्वारा मुक्त नहीं किया गया है।

(ख) गैर घरेलू मामले में कार्यालय या आवासीय काम्प्लेक्स, जहां विद्युत आपूर्ति मूल रूप से काम्प्लेक्स के निर्माण या प्रवर्तन के नाम में प्राप्त की जाती है और जो बाद में काम्प्लेक्स का स्वामित्व या तो पूर्ण रूप से भिन्न व्यक्ति को या आंशिक रूप से भिन्न व्यक्ति को पट्टे के लिए अतिशेष को धारित करते हुए अन्तरित करता है, विद्युत आपूर्ति निम्नलिखित ढंग में जारी रखी जा सकेगी :

(*i*) काम्पलेक्स का निर्माता या प्रवर्तक, जिसके नाम में आपूर्ति जारी रखी जाती है, को फ्लैट इत्यादि के व्यक्तिगत स्वामी को या अनुज्ञप्तिधारी के उपमीटर स्थापित करके विद्युत आपूर्ति को विस्तारित करने और उनसे लाभ बिना या हानि बिना आधार पर (अर्थात् विद्युत के उपभोग के खर्च के अंश) उनसे विद्युत के उपभोग के व्यय को एकत्रित करने की अनुमति दी जायेगी और उसे ऊर्जा की आपूर्ति या पुन: विक्रय के अप्राधिकृत विस्तार के रूप में माना जायेगा;

(*ii*) यदि काम्पलेक्स का प्रवर्तक या निर्माता काम्प्लेक्स निर्मित होने के बाद काम्प्लेक्स में दावा करने की इच्छा नहीं करता, तो मूलरूप से प्राप्त सेवा संयोजन संगम या समिति के नाम में अन्तरित किये जाने की अनुमति दी जा सकती है, जो काम्प्लेक्स में गठित हो सकता है और पंजीकृत हो सकता है और इस प्रकार गठित सेवा अभिकरण को फ्लैट इत्यादि के व्यक्तिगत स्वामियों या अनुज्ञप्तिधारियों को उपमीटर लगाकर आपूर्ति को विस्तारित करने और बिना लाभ या बिना हानि के आधार पर (अर्थात् विद्युत के उपभोग के व्यय की भागीदारी) पर उनसे विद्युत के उपभोग के लिए व्यय को वसूल करने की अनुमति प्रदान की जाती है और इसे विद्युत के अप्राधिकृत विस्तार या पुन: विक्रय के रूप में माना जायेगा।

## 4.47. एकल बिन्दु आपूर्ति

एकल बिन्दु पर विद्युत की आपूर्ति भी की जा सकती है :

(*i*) उपभोक्ताओं के समूह को आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के फ्रैन्चाइजी/फ्रैन्चायक/सहकारिता या रजिस्ट्रीकृत संगम,

(*ii*) उसी परिसर में निवास करने वाले आवासीय प्रयोजनों के लिए उसके कर्मचारियों को विद्युत उपलब्ध करने के लिए व्यक्ति या संगठन :

परन्तु उक्त (i) और (ii) में निकाय, जो एकल बिन्दु संयोजन ग्रहण किया है, अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रभार के सभी भुगतान के लिए और प्रयुक्त संवर्ग के लिए लागू टैरिफ के अनुसार अन्तिम उपभोक्ता से वसूल करने के लिए उत्तरदायी होगा।

**4.48. फ्रैन्चाइजी की सेवा के माध्यम से वितरण आपूर्ति**

अनुज्ञप्तिधारी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, चाहे कम्पनी हो या निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम या निकाय हो, चाहे निगमित हो या नहीं या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो, आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए विद्युत के वितरण को कर सकेगा।

**4.49. स्थायी असंयोजन/संयोजन की मुक्ति/भार की वृद्धि और कटौती, जहां विवादास्पद बकाया न्यायालय/अन्य फोरम द्वारा स्थगित किया जाता है :**

जहां किसी न्यायालय, फोरम, अधिकरण द्वारा या आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी बकाये की वसूली को स्थगित करते हुए स्थगन आदेश है और किसी ऐसे आदेश की अवधि को प्रवर्तित करने के दौरान :

(*i*) यदि उपभोक्ता परिसर का विक्रय करता है और नये संयोजन की मुक्ति के लिए आवेदन क्रेता द्वारा किया जाता है; या

(*ii*) यदि नये संयोजन, पुन: संयोजन, भार की वृद्धि या कमी के लिए कोई आवेदन उपभोक्ता द्वारा किया जाता है; या

(*iii*) यदि स्थायी असंयोजन के लिए कोई आवेदन उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ता को नया संयोजन मुक्त करेगा और पुन: संयोजन, भार की कटौती या वृद्धि की अनुमति भी देगा तथा स्थायी असंयोजन की अनुज्ञा देगा, जो निम्न के अध्यधीन होगा :

- आवेदक या स्वामी द्वारा लम्बित बकाये की समान धनराशि का अनुज्ञप्तिधारी के समाधान में बैंक गारण्टी को प्रस्तुत करना, और
- विस्तार/प्रत्याभूति के आश्रय के निबन्धनों पर अनुज्ञप्तिधारी के साथ करार और लम्बित बकाये पर अधिभार धनराशि का उद्ग्रहण और ऐसे उपभोक्ता का आवेदन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लम्बित रखा जायेगा।

## अध्याय 5

## मीटर

### 5.1. मीटर पर आपूर्ति प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की आबद्धता-मीटर की अपेक्षा

(क) कोई नया संयोजन इस संहिता के जारी करने की तारीख से समुचित विनिर्देश के मीटर और विनियेचर सर्किट ब्रेकर (एम० सी०बी०) या सर्किट ब्रेकर के बिना प्रदान नहीं किया जायेगा,

(ख) पी० टी० डब्ल्यू०, सड़क प्रकाश को शामिल करके सभी बिना मीटरयुक्त संयोजन की माप अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेग;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये जाने वाले विनियमों के अनुसार सही मीटर के संस्थापन के माध्यम के सिवाय किसी व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति नहीं करेगा :

परन्तु आयोग, अधिसूचना द्वारा उक्त अवधि का विस्तार व्यक्तियों को वर्ग या वर्गों के लिए और ऐसे क्षेत्र के लिए कर सकेगा, जैसा कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय :

परन्तु यह भी कि यदि व्यक्ति खण्ड 5.1 (क), (ख) और (ग) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है, तो यू० पी० ई० आर० सी० ऐसा आदेश कर सकेगा, जैसा कि वह उत्पादन करने वाली कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या कम्पनी के किसी अधिकारी या अन्य संगम या किसी व्यक्ति द्वारा, जो व्यतिक्रम के लिए उत्तरदायी है, व्यतिक्रम के सही बनाने के लिए अपेक्षा करते हुए ठीक समझे।

### 5.2. मीटर का वर्गीकरण इत्यादि

नये संयोजन के लिए मीटर मानक तथा बनावट का होगा, जो बी० आई० एस०/आई० ई० सी०/सी० बी० आई० पी० या किसी अन्य उच्चतर विनिर्देश द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जैसा कि मीटर के संस्थापन और प्रवर्तन पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम में विनिर्दिष्ट है और निम्नलिखित प्रक(रों) का होगा :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू और गैर घरेलू भार के लिए-एलेक्ट्रो मैकेनिकल या स्थिर मीटर;

(ख) शहरी क्षेत्रों में सभी भार के लिए-स्थिर मीटर;

(ग) एल० टी० (अनुबन्धित भार < 25 के० डब्ल्यू०)/एच० टी०/ई० एच० टी० उपभोक्ताओं के लिए-स्थिर, 3 फेज एम० डी० आई० के साथ ट्राई वेक्टर मीटर।

मीटर में दिवस माप करने के समय और 12 मास के लिए समायोजन तारीख के लिए पर्याप्त स्मृति के साथ 35 दिनों या अधिक के भण्डारण के लिए सुविधा होगा।

- एच० टी०/ई० एच० टी० खण्ड के लिए 3 फेज मीटर तारीख और समय को स्टाम्पित करने, सामान्य प्रणाली/संयोजन असंगति जैसे फेज क्रम लोप अन्त: शक्ति, फेज क्रम सी० टी० उलटना, करेण्ट असन्तुलन और वोल्टता असन्तुलन के साथ अभिलेख के लिए समर्थ होना चाहिए।
- मीटरों में उक्त सी० ई० ए० विनियम के अनुसार दूषण विरोधी लक्षण होना चाहिए और सम्यक् रूप से आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- मीटरों में मानक नया चार का प्रयोग करते हुए जी० एस० एम०/माइक्रोवेब/एस० सी० ए० डी० ए०/वी० एस० ए० टी० के माध्यम से आंकड़ा सुधार के लिए सुदूर संसूचना की सुविधा होगी।

  अनुज्ञप्तिधारी आयोग को सूचना के अधीन निश्चित समय संरचना के अन्तर्गत उक्त को सुनिश्चित करेगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी एकल फेज माप के लिए और 3 फेज के सम्पूर्ण करेण्ट आपूर्ति के लिए पूर्व संदत्त मीटर को संस्थापित करेगा, जिसे छोड़ी गयी धनराशि, उपभुक्त इकाई और लागू टैरिफ को असंयोजन, मीटर के भीतर ट्रिपिकस्विच सामग्री द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए।

(ङ) मीटर सील को उच्च वर्ग के अभियांत्रिकी प्लास्टिक/पोलीकार्बोनेट से निर्मित किया जाना चाहिए, जिसमें सील पर स्थायी लेजर उत्तीर्ण यूनिक सील होना चाहिए, जो विहित पर्यावरणीय परीक्षण का सामना करने में समर्थ हो। सील करना निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया जायेगा (जैसा कि लागू हो) :

- द्वितीयक सन्दूक (ताला बन्द करने की व्यवस्था के अतिरिक्त),
- पी० टी० द्वितीयक सन्दूक (ताला बन्द करने की व्यवस्था के अतिरिक्त),
- मीटर कक्ष,
- मीटर परीक्षण खण्ड,
- मीटर टर्मिनल आवरण,
- मीटर आवरण,

- पैनल दरवाजा, जहां सी० टी० और पी० टी० द्वितीयक परिपथ को समाप्त किया जाता है या जहां संक्षेप करने या अवरोध करने की सम्भाव्यता विद्यमान है और फ्यूज/सम्पर्क प्रदान किया जाता है,
- सी० टी० चयनकर्ता रीले सन्दूक, जहां। पी० टी० से० अन्य को मीटर को अन्त: शक्ति आपूर्ति का स्वत: परिवर्तन आवरण प्रदान किया जाता है,
- सी० टी० प्राथमिक सम्पर्क और ऊपरी आवरण,
- अधिकतम मांग (एम० डी०) रीसेट पुश बटन,
- प्रणाली में और सन्दूकों में, जहां आन्तरिक फेज उपकरण होते हैं, संसूचना चैनल, जोड़ सन्दूक के द्वारा माप किये गये आंकड़े के सुदूर प्रेषण के लिए टर्मिनल को अन्तर्विष्ट करने वाले सन्दूक/कैबिनेट।

*टिप्पण :* उपभोक्ता मीटर का सील केवल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हटाया जायेगा। कोई उपभोक्ता किसी परिस्थिति के अधीन सील को दूषित नहीं करेगा, नहीं तोड़ेगा या नहीं हटायेगा। मीटर से सील को दूषित करने, तोड़ने या हटाने पर अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार विचार किया जायेगा।

(च) सभी 11 के० वी० और 33 के० वी० आधानों के लिए, अनुज्ञप्तिधारी सुदूर मीटर अध्ययन (जी० एस० एम० तकनीकी) को लेने के लिए और वितरण ट्रान्सफार्मर, सुदूर मीटर अध्ययन (न्यून विद्युत रेडियों की सुविधा के साथ) के लिए केन्द्रीय रूप से आंकड़ों को उद्धृत करने के लिए आंकड़ों पर पहुंच धारण करने के लिए सुविधा को पेश करेगा, जैसे और जब आवश्यक हो।

(छ) ई० एच० टी०/एच० टी०)/एल० टी० (सम्पूर्ण करेण्ट मीटर)/एल० टी० (सी० टी० संचालित उपभोक्ता) के लिए मीटर का सही वर्ग 0.2/0.5 या बेहतर/1.0 या बेहतर 1.0 या बेहतर या ऐसा होगा, जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिर्देश में अभिकथित हो।

### 5.3. मीटर और एम० सी० बी०/सी० बी० की आपूर्ति और संस्थापन

(क) मीटर मीटरों के संस्थापन और प्रवर्तन पर सी० ई० ए० द्वारा निर्मित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रवर्तन) द्वारा विहित रूप में तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार आपूर्ति और संस्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि एकल बिन्दु आपूर्ति के विकल्प का प्रयोग भार के विभिन्न संवर्गों को धारण करते हुए परिसर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो पृथक् मीटर(रों) को भार के प्रत्येक संवर्ग के लिए ऊर्जा के माप के लिए संस्थापित किया जायेगा;

(ग) एल० टी० भार एम० सी० बी० के लिए और समुचित दर और विनिर्देश के एच० टी०/ई० एच० टी० भार सी० बी०, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित है, मीटर के साथ उपभोक्ता के व्यय पर संस्थापित किया जायेगा;

(घ) 250 के० डब्ल्यू० तक एच० टी० भार धारण करने वाले और एल० टी० पर माप करने वाले विद्यमान उपभोक्ताओं के मामले में बिल प्रयोजन के लिए एच० टी० अध्ययन की संगणना अधिकतम मांग अध्ययन में 2% और एल० टी० मीटर पर अभिलिखित के० डब्ल्यू० एच० अध्ययन को 3% तक जोड़कर की जायेगी, यदि दर अनुसूची में नहीं दी जाती;

(ङ) यदि एच० टी०/ई० एच० टी० उपभोक्ता को आपूर्ति उसके अनन्य प्रयोग के लिए स्वतन्त्र फीडर तक दी जाती है, तो मीटर व्यवस्था उपभोक्ता के परिसर पर संस्थापित किया जायेगा या यदि पारस्परिक रूप से सहमति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र पर मीटर व्यवस्था का प्रयोग बिल के लिए किया जा सकेगा और किसी मीटर के उपभोक्ता के परिसर पर संस्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं है;

(च) अनुज्ञप्तिधारी कालोनी, उद्योग या किसी संस्थान को आपूर्ति पर ऊर्जा लेकर, ऊर्जा लेखा सम्परीक्षा और वाणिज्यिक क्षति की जांच करने के प्रयोजन के लिए तीन मास के भीतर स्वतन्त्र फीडर/प्रतिबद्ध फीडरों से प्रारम्भ होकर उपकेन्द्र ट्रान्सफार्मर (एल० वी० और एच० वी०) को शामिल करके सभी आने वाले और जाने वाले फीडरों के लिए उपकेन्द्र पर माप करने की व्यवस्था करेगा;

(छ) ई० एच० टी०/एच० टी० उपभोक्ता उपभोग और क्षति पर जांच करने के लिए यथा साध्य उपकेन्द्रों पर मीटर धारण कर सकता है किन्तु उनके अध्ययन का प्रयोग बिल के प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा सिवाय वहां के, जहां मीटर त्रुटिपूर्ण है या उपभोक्ता से खो गया है;

(ज) उसी संवर्ग से सम्बन्धित उपभोक्ताओं का समूह व्यक्तिगत मीटर के बदले वितरण ट्रान्सफार्मर पर माप के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी इसे स्वीकार कर सकता है, यदि यह समाधान किया जाता है कि कोई दुरुपयोग नहीं होगा।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा लेखा, लेखा सम्परीक्षण और वाणिज्यिक क्षति या आपूर्ति के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए समयबद्ध ढंग में उच्च क्षति धारण करने वाली फीडर के वितरण ट्रान्सफार्मर के एल० वी० पक्ष पर पर्याप्त मापन

के लिए व्यवस्था करेगा। वितरण ट्रान्सफार्मर मापन के लिए केवल मापन इकाई की संघत प्रास्थिति पसन्द की जाती है/स्थिर मीटर की व्यवस्था ट्रान्सफार्मर के नजदीक इकाई पर संस्थापित किये जाने वाले मीटर के रूप में वितरण ट्रान्सफार्मर मापन के मामले में सुदूर अध्ययन के लिए व्यवस्था होगी;

(ञ) अनुज्ञप्तिधारी क्रमबद्ध ढंग में जलाने या बुझाने के लक्षण के प्रयोग के समय के लिए सुविधा के साथ सड़क प्रकाश संयोजन पर मीटर संस्थापित करेगा।

### 5.4. मीटरों का स्वामित्व और प्रयोग

(क) नये संयोजन की इप्सा करने के समय उपभोक्ता या तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत विक्रेता(ओं)मीटर के बनावट या विनिर्माण से स्वयं मीटर, एम० सी० बी०/सी० बी० और सम्बद्ध उपकरण क्रय करने के लिए आवेदन प्ररूप में विकल्प निर्दिष्ट करेगा या अपेक्षा करेगा कि ऐसे अनुमोदित मीटर, एम० सी० बी०/सी० बी० और सम्बद्ध उपकरण की आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाय :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी का यह सुनिश्चित करना उत्तरदायित्व होगा कि केवल राष्ट्रीय ख्याति के मीटर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि खण्ड 5.2 में है और सी० ई० ए० द्वारा अधिनियम की धारा 55 के अधीन विनिर्दिष्ट है। अनुज्ञप्तिधारी केवल 2-3 बनावट/विनिर्माता तक उपभोक्ता के विकल्प को निर्बन्धित नहीं करेगा किन्तु अनुमोदित बनावट/विनिर्माताओं की सूची में से व्यापक विकल्प का प्रस्ताव देगा। अनुज्ञप्तिधारी अपने वेबसाईट पर मीटर के अनुमोदित विक्रेता(ओं)/बनावट या विनिर्माताओं की सूची देगा/सूचनापट पर प्रदर्शित करेगा/और यदि अनुरोध किया जाता है, तो उपभोक्ता को अनुमोदित विक्रेता (ओं)/बनावट या विनिर्माता की सूची प्रदान करेगा।

परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा, जिसको परीक्षण और मापने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के प्रत्यायन प्राप्त है, द्वारा मीटर के लाट का निरीक्षण करायेगा और खण्ड 5.5 में विनिर्दिष्ट परीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला की सूची अपने वेबसाइट पर रखेगा/सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा/और यदि अनुरोध किया जाता है, तो उपभोक्ता को अनुमोदित प्रयोगशाला की सूची प्रदान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण प्रयोगशालाओं की समुचित संख्या को भी स्थापित करेगा और एन० ए० बी० एल० से प्रत्यायन प्राप्त करेगा, यदि पहले नहीं किया गया है।

(ख) एच० टी० और एल० टी० उपभोक्ता, यदि वे मीटर और सम्बन्धित उपकरणों की उपाप्ति के लिए विकल्प प्रस्तुत करते हैं, मीटर उपकरणों को, जिसमें सी० टी० और पी० टी० शामिल है। घर में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित आकार के बन्द और मौसम सह अन्त: क्षेत्र प्रदान करेगा। अन्य मामलों में ये प्राक्कलन में शामिल की जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

(ग) यदि मीटर की आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रानिक मीटर द्वारा एलेक्ट्रो मैकेनिकल का बदलना शामिल है, तो मीटर और संलग्न उपकरण की प्रतिभूति व्यय आकरण पुस्तिका में विनिर्दिष्ट व्यय के अनुसार वसूल की जा सकेगी। अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन के लिए इस प्रभाव का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।

*टिप्पण*–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 (1) का परन्तुक प्रावधान करता है कि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से मीटर की कीमत के लिए प्रतिभूति का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा और उसके भाड़ा के लिए करार कर सकेगा, जब तक उपभोक्ता मीटर का क्रय करने का चुनाव करता है। उपभोक्ता के लाभ/सुविधा के लिए, जैसा कि विगत में अनुभव से देखा गया है, यह समीचीन समझा गया है कि उपभोक्ता स्वयं मीटर की व्यवस्था कर सकता है तथा अनुज्ञप्ति के मीटर के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार यह प्रावधान किया गया है कि यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी के मीटर के लिए विकल्प प्रस्तुत करता है, तो मीटर की प्रतिभूति का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा और जहां ऐसी प्रतिभूति निक्षिप्त की गयी है, वहां यह अधिनियम की धारा 45 (3) (ख) के अनुसार उसके मीटर किराया अपेक्षा को अकृत करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी पर कोई ब्याज भार अधिनियम की धारा 47 (4) नहीं डालेगा, परन्तु यह प्रावधान केवल नये संयोजनों को और पुनरीक्षित आपूर्ति संहिता के प्रवर्तन के बाद होने वाले मीटर प्रतिस्थापन को लागू होगा।

(घ) संयोजनों के मामले में, जहां मीटर के व्यय का वहन उपभोक्ता द्वारा किया गया है, न तो मीटर किराया और न ही मीटर की कीमत के लिए कोई प्रतिभूति उपभोक्ता से प्रभारित की जायेगी।

(ङ) उपभोक्ता के मामले में, जिसने स्वयं मीटर के भार का वहन किया है या मीटर क्रय किया है, अनुज्ञप्तिधारी को या तो उपभोक्ता द्वारा सहन किये गये मीटर के व्यय या करार के अवसान के समय प्रभार को विखण्डन करने का दावा करने के बाद स्वयं मीटर के क्षीजन मूल्य को प्रदान करेगा। क्षीजन की संगणना 10 वर्षों के जीवन अन्तराल को ग्रहण करते हुए सीधे ढंग द्वारा किया जायेगा।

(च) मीटर की संस्थापना आपूर्ति के बिन्दु पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या तो उपभोक्ता के परिसर पर या उपभोक्ता के परिसर के बाहर ऐसे ढंग में किया जायेगा कि यह मीटर अध्ययन और अन्य प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी को सदैव पहुंच योग्य है :

परन्तु जहां अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर के बाहर मीटर को संस्थापित करता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त विद्युत को निर्दिष्ट करने के लिए उसकी सूचना के लिए उपभोक्ता परिसर में वास्तविक समय प्रदर्शन इकाई प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि बिल के प्रयोजन के लिए उपभोक्ता मीटर का अध्ययन और न कि इकाई के प्रदर्शन पर विचार किया जायेगा।

(छ) जब कभी नया मीटर संस्थापित किया जाता है (प्रतिस्थापन के रूप में या नये संयोजन के लिए, तब इसे उपभोक्ता की उपस्थिति में सील किया जायेगा और मीटर इतिहास कार्ड दो प्रति में तैयार कराया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी एक प्रतिलिपि प्रतिधारित करेगा और दूसरी प्रतिलिपि मीटर में संलग्न किया जायेगा। बाद में मीटर में किसी त्रुटि, मरम्मत इत्यादि का विवरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस कार्ड में प्रविष्ट किया जायेगा। उक्त हथियार या उपकरण पर संलग्न सील, नाम पट्टी और विभेदक संख्या या चिन्ह को किसी तरह उपभोक्ता द्वारा तोड़ा नहीं जायेगा, मिटाया नहीं जायेगा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(ज) उपभोक्ता मीटर(रों), एम० सी० बी०/सी० बी० इत्यादि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा सिवाय उन मामलों के, जहां ऐसा मीट(रों), एम० सी० बी०/सी० बी० इत्यादि अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में संस्थापित किये जाते हैं। उपभोक्ता तकनीकी विनिर्देश के अनुरूप संस्थापित मीटर को जांच करायेगा, जैसा कि भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 57 में अधिकथित है, जब तक विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विनिर्मित नहीं किये जाते। इन जांच मीटरों को विहित फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सही किया जा सकता है। लेकिन, जांच मीटर अध्ययन का प्रयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल के प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

### 5.5. मीटर का परीक्षण करना

(क) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षित मीटर उपभोक्ता के परिसर पर संस्थापित किये जाते हैं। उपभोक्ता द्वारा क्रय किये गये मीटरों का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा, संस्थापित किया जायेगा और सील किया जायेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार मीटर का आवधिक निरीक्षण/परीक्षण भी करेगा :

(*i*) एकल फेस मीटर-प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार,

(*ii*) 20-100 के वी० ए० (सी० टी० संचालित) के बीच भार धारण करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एल० टी० तीन फेज का मीटर-वर्ष में एक बार,

(*iii*) अन्य एल० टी० मीटर प्रणाली-संस्थापन के बाद दो वर्ष में एक बार,

(*iv*) एम० डी० आई० को शामिल करके एच० टी० मीटर :

- ई० एच० टी० स्तर उपभोक्ता के लिए (10 एम० वी० ए० ऊपर)-तीन मास में एक बार,
- भार के लिए (संविदा मांग 5-10 एम० वी० ए०)-छः मास में एक बार,
- शेष एच० टी० उपभोक्ता-वर्ष में एक बार।

जब कभी लागू हो, सी० टी० और पी० टी० पाइलट तार का भी मीटर के साथ परीक्षण किया जायेगा। अनुपात परीक्षण और त्रुटि प्रतिकर, जहां कहीं लागू हो, किया जा सकता है।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी एन० ए० बी० एल० में तृतीय पक्षकार परीक्षण के लिए व्यवस्था कर सकेगा, जो खण्ड 5.4 में विनिर्दिष्ट प्रत्यायित परीक्षण प्रयोगशाला है और पुनः अंश शोधित है, यदि विनिर्माता कार्य पर अपेक्षित है, यदि आवधिक परीक्षण के लिए उनके पास परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है या उपभोक्ता के अनुरोध के मामले में, जब मीटर त्रुटिपूर्ण है।

(घ) परीक्षा परिणाम भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 57 के अनुसार कायम रखा जायेगा, जब तक विनियम अधिनियम की धारा 53 और 55 के अधीन सी० ई० ए० द्वारा निर्मित नहीं किये जाते।

### 5.6. व्यतिक्रमी मीटर

(क) अनुज्ञप्तिधारी को किसी मीटर और सम्बन्धित उपकरण का परीक्षण करने का अधिकार होगा यदि मीटर की शुद्धता के बारे में युक्तियुक्त संदेह है और उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण के संचालन में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। लेकिन, उपभोक्ता को परीक्षण के दौरान उपस्थित होने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(ख) उपभोक्ता अपने परिसर पर संस्थापित मीटर की, अपेक्षित परीक्षण फीस के साथ विहित प्ररूप (संलग्नक 5.1) में अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करके परीक्षा करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी से अनुरोध कर सकेगा, यदि वह मीटर अध्ययन की शुद्धता पर संदेह करता है, जो विद्युत के उसके उपभोग, मीटर के रुकने सील को क्षति के अनुरूप नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी मीटर का परीक्षण करेगा :

(*i*) आवेदन के प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर उपभोक्ता के परिसर में; या

(*ii*) तीस दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला या स्वतंत्र प्रयोगशाला; या

(*iii*) आवेदन के दाखिल करने के सात दिनों के भीतर विद्यमान मीटर के साथ शृंखला में परीक्षित जांच मीटर को स्थापित करके।

(ग) उपभोक्ता के परिसर में मीटर के परीक्षण के मामले में मीटर का परीक्षण एक किलोवाट के न्यूनतम उपभोग के लिए किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी का मीटर परीक्षण दल परीक्षण को निष्पादित करने की पर्याप्त क्षमता के भार के तापन का क्रियान्वयन

करेगा। प्रकाशीय स्कैनर का प्रयोग स्पन्द/परिक्रमण की गणना के लिए किया जा सकेगा या मीटर का परीक्षण आई० एस०/आई० ई० आर० 1956 में विहित प्रक्रिया के अनुसार या एल० टी० मीटर के लिए जल जांच के माध्यम से या अन्य के लिए आर० एस० एस० के माध्यम से किया जायेगा। जल जांच और आर० एस० एस० वर्ष में एक बार राष्ट्रीय ख्याति के प्रयोग ख्याति के प्रयोगशाला में शोधित किया जायेगा :

(*i*) यदि मीटर पूर्णतया सही पाया जाता है, तो पुन: कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी,

(*ii*) यदि मीटर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तेज/मन्द पाया जाता है और उपभोक्ता रिपोर्ट से सहमत होता है, तो मीटर को पन्द्रह दिनों के भीतर नये मीटर से बदला जायेगा और उस मास के, जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है, पूर्व तीन पूर्व मास का बिल अन्तिम परिणाम के अनुसार पश्चात्वर्ती बिल में समायोजित किया जायेगा। यदि मीटर मन्द होना पाया जाता है, तो उपभोक्ता के अनुरोध पर इन प्रभारों की वसूली किस्तों में की जायेगी, जो तीन से अधिक न हो,

(*iii*) यदि उपभोक्ता परीक्षण के परिणाम पर विवाद करता है या उपभोक्ता के परिसर पर परीक्षण कठिन है, तो त्रुटिपूर्ण मीटर को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नये परीक्षित मीटर द्वारा बदला जायेगा और त्रुटिपूर्ण मीटर उपभोक्ता की उपस्थिति में सील के बाद अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला/स्वतन्त्र प्रयोगशाला/विद्युत निरीक्षक में परीक्षण किया जायेगा, जैसा उपभोक्ता द्वारा सहमति दी गई है। उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त एक बार विकल्प को परिवर्तित नहीं किया जायेगा। परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर विनिश्चय अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता पर अन्तिम होगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी/स्वतन्त्र परीक्षण प्रयोगशाला में मीटर के परीक्षण के मामले में–

(*i*) उपभोक्ता को कम से कम सात दिन अग्रिम में प्रस्तावित तारीख की सूचना दी जायेगी, जिससे वह परीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सके,

(*ii*) उपभोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का, यदि कोई उपस्थित हो, हस्ताक्षर परीक्षण परिणामपत्र पर अभिप्राप्त किया जायेगा,

(*iii*) परीक्षण, बिल का परिणाम और यदि उपभोक्ता परीक्षण के परिणाम पर विवाद करता है, तो वह वही होगा, जैसा कि उक्त खण्ड 5.6 (ग) में प्रदान किया जायेगा।

***टिप्पण-***(i) अनुज्ञप्तिधारी आयोग को अपने परीक्षण प्रभार के साथ ख्याति प्राप्त और अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला की सूची के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।

(ii) लेकिन आई० ई० आर० 1956 के प्रावधानों का तब तक अनुसार किया जायेगा, जब तक अधिनियम की धारा 53 और 55 के अधीन नियम निर्मित नहीं किये जाते।

(ङ) यदि जांच मीटर संस्थापित किया जाता है और यदि परीक्षण की अवधि के 7-15 दिनों बाद विद्यमान मीटर को अनुज्ञेय सीमा के परे तीव्र या मन्द होना पाया जाता है और परीक्षण पर परिणाम पर उपभोक्ता द्वारा विवाद नहीं किया जाता, तो उसे भविष्य के मापन के लिए उसके स्थान में जांच मीटर को छोड़कर हटाया जायेगा और उस मास के, जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है, पूर्व तीन मास के बिल को परीक्षण परिणाम के अनुसार अगले बिल में समायोजित किया जायेगा। जहां परीक्षण परिणाम पर विवाद किया जाता है, वहां उक्त खण्ड 5.6 (ग) के अनुसार, यथास्थिति, प्रक्रिया का अनुसार किया जायेगा।

### 5.7. मीटर (एम० डी० आई० को शामिल करके) जो अभिलिखित नहीं करता

(क) उपभोक्ता से अनुज्ञप्तिधारी को यथाशीघ्र यह सूचना देने की प्रत्याशा की जाती है, ज्यों ही उसे यह ज्ञात होता है कि मीटर स्थगित हो गया है/अभिलिखित नहीं कर रहा है।

(ख) यदि आवधिक या अन्य निरीक्षण के दौरान, मीटर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलिखित न करने वाला होना पाया जाता है या उपभोक्ता इस सम्बन्ध में परिवाद करता है, जो अनुज्ञप्तिधारी पन्द्रह दिनों के भीतर मीटर का परीक्षण करने की व्यवस्था करेगा।

(ग) यदि मीटर वास्तव में अभिलिखित न करने वाला पाया जाता है, तो यह परीक्षण के पन्द्रह दिनों के भीतर बदल दिया जायेगा।

(घ) उपभोक्ता को अन्तिम परीक्षण की तारीख और त्रुटिपूर्ण मीटर के बदलने की तारीख से बीच के अवधि के लिए अन्तिम रीडिंग के पूर्व तीन बिल चक्र के औसत अधिकतम मांग और औसत उपभोग के आधार पर बिल दिया जायेगा। औपबन्धिक बिल, यदि कोई जारी किया जाता है, तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

(ङ) उन मामलों में, जहां उस तारीख के पूर्व, जिसको मीटर त्रुटिपूर्ण हो गया था, विगत तीन बिल चक्र का अभिलिखित उपभोग या तो उपलब्ध या तो उपलब्ध नहीं है या अंशत: उपलब्ध है, उपभोग प्रतिमान, जैसा कि तीन बिल चक्र के लिए नये/मरम्मत किये गये मीटर के उपभोग से अभिप्राप्त है, उपभोग के प्राक्कलन के लिए ग्रहण किया जायेगा।

(च) औसत उपभोग की संगणना करते समय, भार के मौसम का सम्यक् विचारण किया जायेगा और ऐसे मामलों में उसी अवधि के लिए पूर्व वर्ष के उपभोग को ग्रहण किया जायेगा संयंत्र के बन्द करने और कायम रखने के कारण उद्योग की बन्दी के दौरान उपभोग का सम्यक् संज्ञान अभिलेख के सावधानीपूर्ण सत्यापन के बाद या ऐसी बन्दी अवधि के दौरान जांच मीटर के माध्यम से उपभोग को सुनिश्चित करके अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा।

## 5.8. जले हुए मीटर

(क) यदि मीटर जला हुआ पाया जाता है, तो या तो उपभोक्ता के परिवाद पर या अनुज्ञप्तिधारी के निरीक्षण पर :

(*i*) अनुज्ञप्तिधारी जले हुए मीटर का त्याग करने के बाद तत्काल आपूर्ति को प्रत्यावर्तित करेगा,

(*ii*) स्थल पर आवश्यक निवारक कार्यवाही को भावी क्षति को निवारित करने के लिए यथासम्भव शीघ्र की जायेगी,

(*iii*) पाया गया आधिक्य भार उपभोक्ता को खण्ड 6.9 के अनुसार प्रभार का निक्षेप करने के लिए उपभोक्ता से कहकर हटाया जायेगा या नियमित किया जायेगा,

(*iv*) नया मीटर खण्ड 5.4 (क) में दिये गये उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार तीन दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संस्थापित किया जायेगा।

(ख) यदि सम्भव हो, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता परिसर से हटाये गये जले हुए मीटर का परीक्षण करेगा और खण्ड 5.6 (घ) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। यदि मीटर का परीक्षण करना सम्भव नहीं है, तो उपभोक्ता को 5.7 (घ) से 5.7 (च) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार बिल दिया जायेगा।

## 5.9. त्रुटिपूर्ण/जले हुए मीटरों के प्रतिस्थापन का व्यय

(क) मीटर के प्रतिस्थापन का खर्च उपभोक्ता द्वारा या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन वहन किया जायेगा :

(ख) लोप किया गया।

(*i*) यदि परीक्षण के परिणामस्वरूप यह साबित किया जाता है कि मीटर तकनीकी कारणों अर्थात् वोल्ट घट-बढ़, अस्थिरता इत्यादि के कारण जलता है, तो अुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपित किये जाने योग्य है, जो मीटर के खर्च का वहन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा। लेकिन यदि यह साबित हो जाता है कि मीटर उन कारणों से जला था, जो उपभोक्ता पर अधिरोपित करने योग्य है अर्थात् उपभोक्ता के संस्थापन उपभोक्ता द्वारा अप्राधिकृत भार के संयोजन इत्यादि के कारण, को व्यय का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा,

(*ii*) यदि परीक्षण के परिणामस्वरूप यह साबित किया जाता है कि मीटर को मीटर में हस्तक्षेप करने के लिए उपभोक्ता द्वारा दूषित करने या किसी अन्य जानबूझकर कार्य के कारण त्रुटिपूर्ण बनाया गया था, तो मीटर के खर्च का वहन उक्त रूप में उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। उपभोक्ता का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अधीन किया जायेगा और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अधीन दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, विधि के अधीन दण्डनीय रूप में कार्यवाही चोरी और दूषित करने के लिए उपभोक्ता के विरुद्ध की जायेगी।

(ग) यदि मीटर जला हुआ पाया जाता है और यह विश्वास करने का कारण है कि अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी ने सीधा संयोजन दिया था, तो मीटर के प्रतिस्थापन के लम्बित रहने के दौरान सीधे चोरी का मामला दाखिल नहीं किया जायेगा। जले हुए मीटर के प्रतिस्थापन के लिए उपभोक्ता का परिवाद या ऊर्जा की आपूर्ति में विखण्डन से सम्बन्धित परिवाद को इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त माना जायेगा।

(घ) मीटर के प्रतिस्थापन के सभी मामले में, जहां व्यय का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जाना है, उसे स्वयं खण्ड 5.2 और 5.4 के अनुसार मीटर और सम्बद्ध उपकरण को उपाप्त करने के लिए विकल्प होगा।

## 5.10. खोये हुए मीटर

(i) खोये हुए मीटर से सम्बन्धित शिकायत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तब स्वीकार की जायेगी, यदि वे थाने में उपभोक्ता द्वारा दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ है। ऐसे सभी मामलों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी जांच करेगा।

(ii) इन मामलों में आपूर्ति नये मीटर के संस्थापन के बाद और उस अवधि के लिए जिसमें मीटर उपलब्ध नहीं था, विद्युत प्रभार और किसी अन्य विहित प्रभार के, जो उपभोक्ता द्वारा नियोजित किया जाय, भुगतान के बाद प्रत्यावर्तित की जायेगी।

(iii) अवधि के लिए, जिसमें मीटर उपलब्ध नहीं था, विद्युत प्रभार का मूल्यांकन निम्न रूप में किया जायेगा :

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अनुसार, यदि अनुज्ञप्तिधारी के जांच में यह साबित हो जाता है कि मीटर की क्षति उपभोक्ता के जानबूझकर कार्य और/या उसके मौनानुमति के कारण था;

(ख) अन्य मामले में इस संहिता के खण्ड 5.7 (घ) से 5.7 (च) के अनुसार था।

मीटर के खोने के सभी मामलों में नये मीटर और अन्य उपकरणों का व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

# अध्याय 6
# बिल भेजना

## 6.1. सामान्य प्रावधान

(क) उपभोक्ता के विभिन्न संवर्गों के लिए बिल भेजने का चक्र संलग्नक 3.1 में विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी उस तारीख को अधिसूचित करेगा, जिसके द्वारा उपभोक्ता का प्रत्येक संवर्ग इस संहिता में विनिर्दिष्ट बिल चक्र के अनुसार बिल प्राप्त करेगा। ऐसी अधिसूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवर्ष या तारीख में कोई परिवर्तन किये जाने के एक मास पूर्व दी जायेगी।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी अधिसूचित वितरण क्षेत्र में घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ''स्थल पर बिल देने'' की प्रणाली के लिए विकल्प का विनिश्चय कर सकेगा।

(ग) ''स्थल पर बिल देना'' प्रणाली के अधीन, उपभोक्ता अन्तिम बिल पर वर्णित मीटर अध्ययन के एक सप्ताह (पूर्व या पश्चात्) के भीतर मीटर का सही अध्ययन करने के लिए उत्तरदायी होगा और अनुज्ञप्तिधारी के अधिसूचित बिल देने के कार्यालय से अपना बिल अभिप्राप्त करेगा। लेकिन, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये मीटर अध्ययन को सत्यापित करने में विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। स्थल पर बिल देने की प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर वर्णित है, फेज में स्थल बिल देने की प्रक्रिया में परिवर्तित की जायेगी, जैसा कि नीचे (घ) में दिया गया है।

(घ) समेकित मीटर, बिल देने और राजस्व संग्रहण प्रणाली सभी क्षेत्रों में प्रारम्भ की जा सकेगी। अनुज्ञप्तिधारी जी० एस० एम० संयोजकता के साथ हस्तधारित कम्प्यूटर उपकरण (एच० एच० सी०) द्वारा मीटर से डाउनलोड किये गये आंकड़े से स्थल बिल के आधार पर बिल तैयार कर सकेगा, जिसमें उपभोक्ता को बिल देने के लिए बिल पर मीटर अध्ययन का फोटो लेने का लक्षण हो सकता है और ऐसा बिल फोटोग्राम किये गये अध्ययन के आधार पर वर्ष में कम से कम दो बार उपभोक्ता पर तामील किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी एच० एच० सी० में डाटा डाउनलोड करने के समय उपभोक्ता को बिल परिदान करने का प्रयत्न करेगा और उपभोक्ता से चेक ग्रहण करेगा, यदि वह स्थल पर भुगतान करने और रसीद के निर्गम की ऐसी इच्छा करता है। अनुज्ञप्तिधारी एच० एच० सी० उपकरणों द्वारा मीटर अध्ययन के लिए परिनियोजित अभिकरण द्वारा मीटर अध्ययनकर्ता के उपयुक्त परिनियोजन को सुनिश्चित करेगा, जिसके आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व और संग्रहण दक्षता में वृद्धि को सुनिश्चित किया जाय। शास्ति का प्रावधान विनिर्दिष्ट लक्ष्य से कम संग्रहण के अधीन संग्रहण अभिकरण के साथ संविदा में प्रविष्ट की जा सकेगी।

(ङ) जहां कहीं बिल एम० आर० आई० द्वारा डाउनलोड किये गये मीटर डाटा की सहायता से उत्पन्न किया जाता है, तब अनुज्ञप्तिधारी सात कार्य दिवस के भीतर उपभोक्ता को बिल का परिदान करेगा। उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में, मीटर का अध्ययन प्रत्येक बिल चक्र में एक बार अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी मीटर अध्ययनकर्ता को समुचित फोटो पहचान-पत्र जारी करेगा। मीटर अध्ययनकर्ता उपभोक्ता के परिसर में मीटर कार्ड में मीटर अध्ययन को भी अभिलिखित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी आयोग की अनुमति के साथ बेहतर वैकल्पिक दृष्टिकोण अंगीकार कर सकेगा।

(च) मीटर का अध्ययन करने वाले अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी का सील/मीटर की स्थिति और इलेक्ट्रानिक मीटर पर एल० सी० डी०/एल० ई० डी० की स्थिति पर रिपोर्ट देना कर्तव्य होगा। सील/मीटर में किसी असामान्यता के मामले में, वह मामले की रिपोर्ट तत्काल सम्बद्ध उच्चतर अधिकारी को देगा, जो सील/मीटर की जांच करेगा और यदि अपेक्षित हो तो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अनुसार कार्यवाही अधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी। ई०/एल० या रेव एल० ई० डी० निर्देशक के मामले में, जो इलेक्ट्रानिक मीटर पर प्रदान किया गया है, प्रारम्भ पाया जाता है, तो वह उच्चतर अधिकारी को मामले की रिपोर्ट देगा।

यदि सील टूटा हुआ पाया जाता है या कोई अन्य अनियमितता जैसे टूटा हुआ शीशा, मीटर में छिद्र पाया जाता है, तो इस संहिता के अध्याय 6 के अधीन कार्यवाही सील के सम्बन्ध में विशेष रूप से सम्यक् तत्परता प्रदान किये जाने के बाद प्रारम्भ की जा सकेगी, जहां शाश्वत या न्यूट्रल कारक कारण हैं। निरीक्षण करने वाले अधिकारी का ब्यौरेवार स्पष्टीकरण किसी विवाद को निवारित करने के लिए आवश्यक होगा।

(छ) अनुज्ञप्तिधारी भुगतान की नियत तारीख से पूर्व भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को कम से कम 15 दिन देते हुए बिल प्रेषित करेगा। जहां बिल की तामीली हस्तधारित प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता पर की जाती है, वहां उपभोक्ता 7 दिनों के भीतर निक्षेप करेगा। बिल में ऊर्जा उपभोग, विभिन्न प्रभार भुगतान की नियत तारीख, असंयोजन तारीख, बकाया, प्रतिभूति निक्षेप विवरण, कटौती, उपभोक्ता अधिकार, भुगतान का ढंग और संग्रह सुविधा, उपभोक्ता सेवा की दूरभाष संख्या और पता तथा काल केन्द्र, जहां उपभोक्ता बिल से सम्बन्धित परिवाद कर सकते हैं, उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम इत्यादि की दूरभाष संख्या और पता इत्यादि के विवरण अन्तर्विष्ट होंगे। चेक और बैंक ड्राफ्ट के मामले में ग्रहण करने वाला प्राधिकारी, जिसके पक्ष में धनराशि आहरित की जानी चाहिए, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ज) प्रत्येक उपभोक्ता का बिल स्पष्ट रूप से बकाया और नवीन बिल की धनराशि को पृथक् ढंग से वर्णित करेगा। उपभोक्ताओं के लिए भुगतान की सम्यक् तारीख को या के पूर्व अपने विद्युत बिल का भुगतान करना आबद्धकर होगा।

(झ) मीटरहीन उपभोक्ताओं के मामले में, जिनका नियत मासिक टैरिफ है, अनुज्ञप्तिधारी पासबुक जारी करेगा, जिसमें उपभोक्ता द्वारा किया गया भुगतान अभिलिखित किया जायेगा।

(ञ) यदि उपभोक्ता खण्ड 6.1 (क) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिसूचित दिनांक तक बिल प्राप्त नहीं करता, तो वह अनुज्ञप्तिधारी से सम्बद्ध बिल देने के कार्यालय से बिल की दूसरी प्रति अभिप्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी चरणबद्ध ढंग में उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर बिल की दूसरी प्रति ग्रहण करने के लिए उपभोक्ता को सुविधा प्रदान कर सकेगा।

(ट) अनुज्ञप्तिधारी निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत वाणिज्यिक, सार्वजनिक और व्यक्तिगत संस्थानों और अभियोजित उपभोक्ताओं को अपने बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बिल का भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा। ऐसे उपभोक्ता अपने-अपने बैंकर को बिल के प्रस्तुत करने पर सीधे अनुज्ञप्तिधारी बैंक को बिल का भुगतान करने के लिए सूचना देगा। अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार बैंक से करार कर सकेंगे और योजना को व्यापक रूप से प्रचारित कर सकेंगे।

(ठ) अनुज्ञप्तिधारी चरणबद्ध ढंग में विशेष वर्ग/बड़े नगरों से प्रारम्भ करके विशेष राजस्व संग्रहण केन्द्र (ई-सेवा) के साथ सभी राजस्व कार्यालयों तक नेटवर्क फैला सकेगा।

(ड) अनुज्ञप्तिधारी का कम्प्यूटर बिल अभिकरण को अतिरिक्त रूप से ऊर्जा लेखा के अभिलेख को रखने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा जा सकेगा, जहां पूर्व भुगतान बिल देने के प्रणाली पुर:स्थापित की गयी है।

### 6.2. बिल जब मीटर अध्ययन उपलब्ध नहीं है

(क) उन सभी मामलों में, जो ''स्थल पर बिल देने की प्रणाली'' द्वारा आच्छादित नहीं है, यदि अनुज्ञप्तिधारी मीटर का अध्ययन करने में समर्थ नहीं है, तो औपबन्धिक बिल तीन पूर्व बिल चक्र के औसत उपभोग के आधार पर जारी किया जा सकेगा। लेकिन, अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा औपबन्धिक बिल देने का विस्तार एक बार में दो बिल देने के चक्र से अधिक नहीं होता। औपबन्धिक बिल पश्चात्वर्ती वास्तविक मीटर अध्ययन के आधार पर समायोजित किया जायेगा।

(ख) यदि मीटर का दो लगातार बिल चक्र में अध्ययन नहीं किया जाता क्योंकि वह पहुंच योग्य नहीं था, तो औपबन्धिक बिल पूर्व तीन बिल के औसत उपभोग के आधार पर जारी किया जायेगा और उपभोक्ता को नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख (नोटिस) के तारीख के कम से कम सात दिनों पश्चात् और समय पर अध्ययन के लिए मीटर पहुंच योग्य रखने के लिए नोटिस जारी की जायेगी।

(ग) यदि मीटर नियत तारीख पर भी पहुंच योग्य नहीं बनाया जाता, तो नोटिस अगले सात दिनों के भीतर शास्ति प्रभार का, जैसा कि आयोग द्वारा अधिकथित है, का भुगतान करने के बाद, जिसमें असफल रहने पर आपूर्ति असंयोजित की जायेगी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर का अध्ययन कराने के लिए उपभोक्ता पर तामील की जायेगी, यदि उपलब्ध हो या परिसर के मुख्य प्रवेश के नजदीक चिपकायी जायेगी।

(घ) उपखण्ड (ख) और (ग) के प्रावधान घरेलू उपभोक्ता के मामले में लागू नहीं होंगे, जिसने उपभोक्ता के बाहर जाने के कारण अध्ययन के लिए मीटर की अपहुंच योग्यता की अग्रिम सूचना अनुज्ञप्तिधारी को दिया है और यदि उसने धनराशि का निक्षेप किया है, जो प्रस्तावित अनुपस्थिति की अवधि के लिए न्यूनतम/अनिर्धारित प्रभार को आच्छादित करता है। ऐसा औपबन्धिक भुगतान समायोजित किया जायेगा, जब पश्चात्वर्ती बिल वास्तविक मीटर अध्ययन के आधार पर जारी किया जाता है। लेकिन, यदि उपभोक्ता वास्तव में उस अवधि के दौरान, जब उसे बाहर होना घोषित किया गया है, उसके पूर्व तीन मास के औसत के उपभोग के 15% से अधिक विद्युत का वास्तव में प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी 1,000 रु० के अधिकतम तक अपघोषणा के लिए शास्ति अधिरोपित करेगा।

### 6.3. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए परिसर के अधिभोग के परिवर्तन/रिक्ति के मामले में मीटर का विशेष अध्ययन

(क) उपभोक्ता का अपने संयोजन को असंयोजित कराने का उत्तरदायित्व होगा, यदि वह परिसर को रिक्त करता है/का विक्रय करता है क्योंकि अन्यथा वह सभी प्रभारों के लिए निरन्तर दायी बना रहेगा।

(ख) असंयोजन के लिए नोटिस और अनुरोध रिक्ति की प्रस्तावित तारीख के कम से कम 15 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। (संलग्नक 4.7) लेकिन, अनुज्ञप्तिधारी संक्षिप्त अवधि की नोटिस स्वीकार कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को सूचित करने के बाद मीटर का विशेष अध्ययन करने के लिए व्यवस्था करेगा। विशेष बिल में मीटर अध्ययन तारीख के आगामी तारीख से असंयोजन की तारीख तक अनुपात के आधार पर भुगतान भी शामिल होगा।

(ग) यदि एक बार अन्तिम बिल दिया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे बिल की तारीख के पूर्व किसी अवधि के लिए अन्तिम बिल में इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रभा(रों) को वसूलने का कोई अधिकार नहीं होगा। संयोजन के स्वामी का परिसर की रिक्ति के पूर्व भुगतान करने का उत्तरदायित्व होगा और अनुज्ञप्तिधारी भुगतान के प्राप्त करने पर अबकाया प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

### 6.4. बिल का अग्रिम भुगतान

(क) उपभोक्ता विद्युत बिल का अग्रिम भुगतान कर सकेगा।

(ख) विहित प्ररूप (संलग्नक 6.1) में अनुरोध की प्राप्ति पर, सम्बद्ध अधिकारी एक वर्ष पूर्व के औसत उपभोग पर आधारित औपबन्धिक बिल को तैयार करने की व्यवस्था करेगा और उपभोक्ता इस बिल के विरुद्ध भुगतान करेगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी के पास पड़े हुए असमायोजित अतिशेष धनराशि पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(घ) अग्रिम भुगतान का समायोजन भावी बिल के विरुद्ध किया जायेगा। विधेयक लेखा में अधिशेष को प्रकट करेगा और ग्राहक से सामान्य ढंग में सम्यक् धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी, जबकि बिल विकलन अतिशेष दर्शित करता है और बिल के अभुगतान का सभी परिणाम होगा।

अनुज्ञप्तिधारी लम्बे अप्रयोग की अवधि के लिए संयोजन को प्रतिधारित करने की वांछा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए संयोजन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

### 6.5. विवादास्पद बिल और बकाया

(क) यदि बिल में गैर धन सम्बन्धी प्रकृति की त्रुटि (गलत नाम, पता इत्यादि) है, तो परिवाद सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया जायेगा। शुद्धीकरण, यदि अपेक्षित हो, अगले बिल में की जायेगी। उपभोक्ता से सम्यक् तारीख के पूर्व भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ख) यदि उपभोक्ता किसी बिल की शुद्धता पर विवाद करता है, तो वह या तो (i) उससे दावाकृत राशि के समान धनराशि, या (ii) पूर्ववर्ती छः मास के विद्युत बिल के औसत के आधार पर संगणित विद्युत प्रभार का प्रतिवाद के अधीन भुगतान कर सकेगा, जो भी कम हो और भुगतान की नियत तारीख के पूर्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष परिवाद दाखिल कर सकेगा। परिवाद का विनिश्चय सात दिनों के भीतर किया जायेगा और उपभोक्ता को सूचना दी जायेगी :

(*i*) यदि परिवाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही होना पाया जाता है, तो पुनरीक्षित बिल परिवाद के सात दिनों के भीतर जारी किया जायेगा और उपभोक्ता को भुगतान करने के लिए सात दिन प्रदान किया जायेगा। उपभोक्ता किसी विलम्ब भुगतान अधिभार से प्रभारित नहीं किया जायेगा। (और वह समय से भुगतान कटौती के लिए दायी होगा, यदि कोई लागू हो) यदि भुगतान को भुगतान के पुनरीक्षित नियत तारीख तक किया जाता है। यदि भुगतान पहले किया गया है, तो आधिक्य धनराशि पश्चात्वर्ती बिल में समायोजित की जायेगी।

(*ii*) यदि परिवाद गलत होना पाया गया था, तो उपभोक्ता अधिसूचित किया जायेगा और तत्काल मूल बिल के अनुसार भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जायेगा, यदि पहले भुगतान नहीं किया है और उपभोक्ता विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(ग) यदि उपभोक्ता ने अपनी बकाये का भुगतान कर दिया है, जैसा कि बिल में विनिर्दिष्ट है और फिर भी उसके कुछ भाग को अगले बिल में बकाये के रूप में दर्शित किया जाता है, तो उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी के पास परिवाद दाखिल कर सकेगा। लेकिन, यदि यह बकाया अगले बिल चक्र में भी पुनः प्रकट किया जाता है, तो उपभोक्ता प्रतिकर के लिए हकदार होगा, जैसा कि संलग्नक 7.1 में विहित है।

(घ) यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थायी रूप से असंयोजित संयोजन में, उदाहरण के लिए अस्थायी असंयोजन के छः मास बाद ऊर्जा की आपूर्ति के लिए बिल देता है, तो उपभोक्ता समुचित रसीद के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के एम० डी० को सूचना दे सकेगा और यदि अब भी कोई कार्यवाही अगले पन्द्रह दिनों में नहीं की जाती, तो यह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिकर के लिए हकदार होगा, जैसा कि संलग्नक 7.1 में विहित है। अनुज्ञप्तिधारी 3 मास के दौरान इस मद में दिये गये प्रतिकर के साथ ऐसे बिल का क्षेत्रवार विवरण देते हुए उपभोक्ता के समक्ष त्रैमासिक विवरण देगा।

### 6.6. स्वनिर्धारित बिल

बिल की अप्राप्ति के मामले में, उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विहित प्ररूप में स्वनिर्धारित बिल का उस अवधि के लिए निक्षेप करेगा, जिसके लिए बिल का नहीं किया गया है परन्तु यह पिछले छः मास के औसत उपभोग से कम नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी अगले बिल में कोई विलम्ब भुगतान अधिभार उद्गृहीत नहीं करेगा, यदि बिल की अप्राप्ति का उपभोक्ता का दावा सही है। उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार किया गया भुगतान अगले बिल में समायोजित किया जायेगा।

### 6.7. विलम्ब भुगतान अधिभार

अधिभार के उद्ग्रहण से सम्बन्धित विवाद के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा प्रतिवाद की तारीख से दो बिल चक्र के भीतर उसे उत्तर के लिए और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद विवाद का निपटारा करेगा।

### 6.8. अधिनियम की धारा 126 के अधीन विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग (यू० यू० ई०) के मामले में निरीक्षण, औपबन्धिक निर्धारण, सुनवाई और अन्तिम निर्धारण के लिए प्रक्रिया

**(क)** (*i*) निर्धारण अधिकारी स्वप्रेरणा से या विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग से सम्बन्धित विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति पर या उच्चतर प्राधिकारी से अनुदेश पर तत्परता से सम्यक् तत्परता का प्रयोग करते हुए ऐसे परिसर का निरीक्षण करेगा; (सलंग्नक 7.3 (i))

(*ii*) निर्धारण अधिकारी, यदि ऐसा करने के लिए अपेक्षित है, अपना कारबार कार्ड परिसर में प्रवेश करने के पूर्व उपभोक्ता को सौंपेगा। फोटो आई० डी० कार्ड को दल के प्रत्येक सदस्यों द्वारा वहन किया जायेगा;

(*iii*) उपभोक्ता परिसर में पहुंच खण्ड 4.30 से 4.34 के अनुसार होगा। परन्तु तलाशी स्थल का अधिभोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा। ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सभी चीजों की सूची तैयार की जायेगी और ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को परिदत्त की जायेगी, जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा

(*iv*) रिपोर्ट संयोजित भार, पुराने सील और पुन: सील करने की स्थिति और विवरण, मीटर के कार्य करने की स्थिति और नये सील का विवरण देते हुए तैयार की जायेगी। रिपोर्ट ध्यान में आयी किसी अनियमितता का उल्लेख करेगी, जो संलग्नक 6.4 में दिये गये प्ररूप में विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग के अनुमान को निर्दिष्ट कर सकता है। निरीक्षण अधिकारी इस प्रयोजन के लिए सील का वहन करेगा;

(*v*) रिपोर्ट स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगी कि क्या इस तथ्य के प्रमाणित करते हुए निश्चायक साक्ष्य है या नहीं कि विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग पाया गया था। ऐसे साक्ष्य का विवरण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट पर निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को समुचित रसीद के अधीन तत्काल स्थल पर सौंपा जायेगा। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा या तो रिपोर्ट को स्वीकार करने या रसीद देने के लिए इन्कारी के मामले में, निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि परिसर में/बाहर सहजदृश्य स्थान पर लगाया जायेगा और उसका फोटो चित्र लिया जा सकेगा। साथ ही साथ रिपोर्ट निरीक्षण के दिन या अगले दिन पंजीकृत डाक/त्वरित डाक के अधीन उपभोक्ता को भेजी जायेगी;

(*vi*) निरीक्षण की तारीख के तीन कार्य दिवस के अन्तर्गत, निर्धारण अधिकारी सावधानीपूर्वक सभी साक्ष्य का विद्युत उपभोग, जहां उपलब्ध है, तथा निरीक्षण रिपोर्ट भी सम्मिलित है पर विचार करने के बाद मामले का विश्लेषण करेगा, यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विद्युत का कोई अप्राधिकृत प्रयोग नहीं हुआ है, तो आगे कार्यवाही नहीं की जायेगी।

**(ख) उपभोक्ता को नोटिस और उसका उत्तर**

(*i*) यदि निर्धारण अधिकारी यह संदेह करता है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग हुआ है (जैसा कि अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण के अधीन परिभाषित है), वह उपभोक्ता को सुनवाई की तारीख नियत करते हुए समुचित रसीद के अधीन उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पन्द्रह कार्य दिवस देते हुए कारण बताओ नोटिस के साथ औपबन्धिक निर्धारण बिल देगा;

(*ii*) यह नोटिस प्रभारों और औपबन्धिक निर्धारण के विरुद्ध उपभोक्ता से लिखित में आक्षेप आमंत्रित करेगा और सुनवाई की तारीख पर उपभोक्ता की उपस्थिति की अपेक्षा करेगा।

**(ग) सुनवाई**

(*i*) सुनवाई की तारीख पर, निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता को सुनेगा। निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता द्वारा पेश किये गये तथ्यों पर सम्यक् विचार करेगा और सात कार्य दिवस के भीतर सकारण आदेश पारित करेगा कि क्या अप्राधिकृत विद्युत उपभोग का मामला पारित किया गया है या नहीं। आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सार, उपभोक्ता द्वारा उसके लिखित उत्तर में और सुनवाई के दौरान दिया गया तर्क अन्तर्विष्ट होगा;

(*ii*) आदेश की प्रतिलिपि समुचित रसीद के अधीन उपभोक्ता को दी जायेगी और आदेश को स्वीकार करने के लिए इन्कारी के मामले में या उपभोक्ता की अनुपस्थिति में उसे पंजीकृत डाक/त्वरित डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी। उपभोक्ता से निर्धारण के लिए अन्तिम आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।

(*iii*) यदि निर्धारण अधिकारी पाता है कि विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग किया गया है (जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के स्पष्टीकरण के अधीन परिभाषित है, तो यह उपधारणा किया जायेगा, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता, कि विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत प्रयोग या तो दुरुपयोग की वास्तविक तारीख से, यदि उपलब्ध है या घरेलू और कृषि सेवा के मामले में निरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तीन मास के लिए और सेवाओं के सभी अन्य संवर्ग के लिए निरीक्षण की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती छ: मास की अवधि के लिए जारी था और वह यह निर्धारण अंतिम है। मूल प्रति में भी यह त्रुटि है। सुधार लेना उचित होगा। रूप से संलग्नक 6.3 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उपभोग का निर्धारण करेगा;

(*iv*) उक्त (iii) के अधीन निर्धारण सेवा के सुसंगत वर्ग के लिए लागू टैरिफ दर के डेढ़ गुना दर पर किया जायेगा। इस दर (टैरिफ दर का डेढ़ गुना) पर बिल में दी गई धनराशि को मासिक/वार्षिक प्रभार जहां कहीं लागू हो। का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता के दायित्व की संगणना करने के लिए सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**(घ) अपील**

(*i*) उक्त उपखण्ड (ग) के अधीन किये गये अन्तिम आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के तीस दिनों के भीतर संलग्नक 6.2 में विनिर्दिष्ट ढंग में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा;

(*ii*) कोई अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी, यदि व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी के सम्बद्ध खण्ड के पास विहित फीस के साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि के एक तिहाई का निक्षेप नहीं करता है और ऐसे निक्षेप का दस्तावेजीय सबूत संलग्न नहीं करता है;

(*iii*) कोई अपील निर्धारित व्यक्ति के लिखित सहमति के साथ किये गये अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दाखिल नहीं की जायेगी;

(*iv*) अनुज्ञप्तिधारी उक्त (i) में वर्णित तीस दिनों की अवधि में निर्धारित धनराशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं करेगा, जहां निर्धारित व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को इस अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने के अपने आशय की सूचना देता है;

(*v*) अपील की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी अपीलार्थी और निर्धारण अधिकारी को नोटिस के दिन के पन्द्रह दिनों के भीतर सुनवाई की तारीख नियत करते हुए नोटिस जारी करेगा। अपीलीय प्राधिकारी सकारण आदेश द्वारा तीस दिनों के भीतर अपील का निस्तारण करेगा और निर्धारण अधिकारी तथा अपीलार्थी को आदेश की प्रतिलिपि भेजेगा;

(*vi*) आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सार, व्यक्ति द्वारा उसके लिखित उत्तर में और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिये गये तर्क और उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कारण अन्तर्विष्ट होंगे;

(*vii*) अपीलीय प्राधिकारी अवधि कम करने पर विचार करेगा जिसका कारण लेखबद्ध करेगा विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग की और तदनुसार धनराशि का निर्धारण करेगा।

***टिप्पणी-***विद्युत अधिनियम की धारा 145 प्रावधान करती है कि किसी सिविल न्यायालय को किसी मामले के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाही को स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसे निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी अवधारित करने के लिए सशक्त है और कोई व्यादेश किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया जायेगा। यह भी प्रावधान किया जाता है कि हम 6.8 में अधिकथित प्रक्रिया में अन्तर्विष्ट किसी चीज का प्रभाव नहीं होगा, जहां तक यह अधिनियम की धारा 126, 127 और 145 के प्रावधानों से असंगत है।

**(ङ) निर्धारित धनराशि या उसके किस्तों के भुगतान में व्यतिक्रम**

(क) निर्धारित धनराशि या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी किस्त के भुगतान में व्यतिक्रम के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी लिखित में पन्द्रह दिनों की नोटिस देने के बाद विद्युत की आपूर्ति को किसी समुचित साधन द्वारा असंयोजित करेगा, जैसा खम्भा/ट्रान्सफार्मर से असंयोजन, मीटर, विद्युत लाइन, विद्युत संयंत्र और अन्य उपकरणों को हटाना। पुन: संयोजन खण्ड 4.39 में अधिकथित पुन: संयोजन के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा;

(ख) जब व्यक्ति निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है, तो वह निर्धारण आदेश की तारीख से तीस दिनों के अवसान की तारीख से प्रत्येक छ: मास में चक्रवृत्ति दर पर निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त 16% वार्षिक की दर पर ब्याज की धनराशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा;

(ग) विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग के कारण प्रभार का उद्ग्रहण के कारण को हटाये जाने और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापित किये जाने तक जारी रहेगा।

## 6.9. आधिक्य भार के मामले में बिल देना

**(क) जहां संस्थापित मीटर में ''अधिकतम मांग'' के अध्ययन की सुविधा है**

(*i*) गैर घरेलू और उद्योगों के लिए, आधिक्य भार का निर्धारण मीटर में अभिलिखित अधिकतम मांग के आधार पर किया जायेगा। आधिक्य भार अनुबन्धित भार से कम मीटर में अभिलिखित अधिकतम मांग होगा और प्रभार टैरिफ आदेश के अनुसार होगा;

(*ii*) घरेलू संयोजन के लिए, प्रभार ***'एम०'*** का, जहां ***'एम०'*** मासों की संख्या है, जिनके लिए अधिकतम मांग विद्यमान है, का दो गुना होगा अनुबन्धित भार के लिए निर्धारित प्रभार या मांग प्रभार से कम अधिकतम मांग के लिए निर्धारित प्रभार या मांग प्रभार;

(*iii*) यदि उपभोक्ता का अधिकतम मांग अनुबन्धित भार के आधिक्य में पाया जाता है, जिसके लिए उच्चतर टैरिफ, संवर्ग लागू है (प्रतिकूल नहीं) तो अत्यधिक मांग प्रभार का उद्ग्रहण उस अवधि के लिए, जैसा कि मीटर में पंजीकृत है, जो भी कम हो, पता लगाये गये उच्चतर संवर्ग को लागू टैरिफ पर किया जायेगा और इसका अर्थान्वयन अप्राधिकृत विद्युत प्रयोग के रूप में नहीं किया जायेगा और पुन: कोई प्रभार अधिरोपित नहीं किया जायेगा। उपभोक्ता को लागू सन्नियम के अनुसार पता लगाने के तीस दिनों के भीतर नियमित किये गये संवर्ग को प्राप्त करने के लिए नोटिस द्वारा सलाह दी जायेगी (खण्ड 9.3 को निर्दिष्ट करें) ;

(*iv*) यदि अभिलिखित अधिकतम मांग अनुबन्धित भार से कम है, तो आधिक्य भार के कारण कोई प्रभार सम्बन्धित भार के बावजूद लागू नहीं है।

**(ख) जहां अधिकतम मांग के चित्रण के लिए मीटर में कोई प्रावधान नहीं है**

(*i*) घरेलू संवर्ग में, आधिक्य भार वास्तविक संयोजित भार और अनुबन्धित भार के 50 % का अन्तर होगा;

(*ii*) औद्योगिक के अतिरिक्त अन्य गैर घरेलू संवर्ग में आधिक्य भार वास्तविक संयोजित भार और अनुबन्धित भार के 75 % का अन्तर होगा;

(*iii*) औद्योगिक मामलों में आधिक्य भार संयोजित भार और अनुबन्धित भार के बीच अन्तर होगा।

(*iv*) उक्त (i), (ii), (iii) के लिए प्रभार 2 एम होगा, जहां एम० उन मासों की संख्या है, जिसके लिए आधिक्य भार विद्यमान है या ख, जो भी कम हो (अनुबन्धित भार के लिए नियत प्रभार या मांग प्रभार से कम पता लगाये गये भार के लिए नियत प्रभार या मांग प्रभार :

परन्तु उक्त (i), (ii), (iii) के लिए आधिक्य भार को केवल तब ग्रहण किया जायेगा, यदि अन्तर की संगणना सकारात्मक है।

(*v*) उपभोक्ता को पता लगने के 30 दिनों के भीतर अनुबन्धित भार में वृद्धि कराने के लिए उसे सलाह देते हुए नोटिस तामील की जायेगी (खण्ड 9.3 को विनिर्दिष्ट करें)। लेकिन उपभोक्ता को नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आधिक्य भार के लिए प्रभारित किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी पहले से स्वीकृत भार के साथ आधिक्य भार का विलय करेगा और अतिरिक्त प्रतिभूति के साथ उक्त रूप में संगणित अतिरिक्त प्रभार का उद्ग्रहण करेगा और पश्चात्वर्ती बिल वर्धित भार के साथ जारी किया जायेगा;

(*vi*) यदि उपभोक्ता का संयोजन अनुबन्धित भार के आधिक्य में पाया जाता है, जिसके लिए उच्चतर टैरिफ संवर्ग लागू है (न कि विपर्ययेन), तो उपभुक्त ऊर्जा का निर्धारण और पता लगाये गये संवर्ग तथा भार के लिए लागू दर पर प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा, जैसा कि संलग्नक 6.3, उपखण्ड (ख) में विहित है। कोई अन्य प्रभार अधिरोपित नहीं किया जायेगा। उपभोक्ता को नोटिस द्वारा अनुबन्धित भार में वृद्धि कराने की और पता लगने के तीस दिनों के भीतर संवर्ग को विनियमित कराने की सलाह दी जायेगी, जिसके पश्चात् अननुपालन के मामले में या उपभोक्ता को सम्मति देने पर, अनुज्ञप्तिधारी पूर्व स्वीकृत भार के साथ आधिक्य भार को विलीन करेगा और अगले बिल चक्र में नियमित बिल में पता लगाये गये संवर्ग के लिए लागू दर पर वर्धित भार के लिए अतिरिक्त प्रभार (अतिरिक्त प्रतिभूति इत्यादि को शामिल करके) उद्ग्रहण करेगा और नया बिल जारी किया जायेगा :

परन्तु यदि उपभोक्ता उक्त (क) और (ख) के अनुसार आधिक्य भार का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो निर्धारित आधिक्य भार भारकारक संगणना या टैरिफ में किये गये किसी छूट को प्रभावित नहीं करेगा।

निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि उसका हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के बाद उसको प्रदान की जायेगी।

**(ग)** (*i*) यदि उपभोक्ता अनुसूचित रोस्टरिंग के दौरान स्वीकृत संरक्षणात्मक भार से अधिक हो जाता है, तो वह विहित प्रभार के दो गुना का भुगतान करने के लिए या जैसा कि टैरिफ अनुसूची में उपबन्धित है, स्वीकृत संरक्षणात्मक भार से अधिक के लिए दायी होगा;

(*ii*) यदि उपभोक्ता संवर्ग के लिए निर्धारित प्रभार संयोजन आधार के अनुसार है और आधिक्य भार उच्च संवर्ग स्लैब के अधीन नहीं आता, तो कोई प्रभार नहीं होगा।

### 6.10. भुगतान का ढंग

(*i*) उपभोक्ता बिल का भुगतान नकदी (20,000 रु० तक) चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करेगा) चेक द्वारा भुगतान केवल तब स्वीकार किया जायेगा, यदि उसे खण्ड कार्यालय के मुख्यालय पर स्थित बैंक पर आहरित किया गया है;

(*ii*) चेक द्वारा भुगतान की तारीख को ऐसी तारीख होना माना जायेगा, जिसको चेक अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में प्राप्त किया जाता है परन्तु चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर भुनाया जाता है और अनादरित नहीं होता।

(*iii*) यदि चेक का बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान नहीं किया जाता, तो उपभोक्ता की फीस, यदि कोई हो, समपहृत की जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी अधिभार का उद्ग्रहण कर सकेगा।

(क) भुगतान किया जा सकेगा :

(*i*) व्यक्तिगत रूप से विनिर्दिष्ट समय के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के अभिहित संग्रहण कार्यालय में; या

(*ii*) डाक या कूरियर द्वारा; या

(*iii*) अभिहित स्थिति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे गये ड्राप सन्दूकों में निक्षेप द्वारा।

(ख) यदि चेक का अनादर किया जाता है या ड्राफ्ट वसूल नहीं किया जाता, तो–

(*i*) अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को सूचना देगा और उससे सात दिनों के भीतर नकदी में बिल का भुगतान करने के लिए अपेक्षा करेगा;

(*ii*) उपभोक्ता विलम्ब भुगतान अधिभार, जैसा कि लागू हो तथा चेक के अनादर/ड्राफ्ट की वसूली न करने के कारण प्रभार का भुगतान करने के लिए दायी होगा;

(*iii*) यदि उपभोक्ता के चेक के अनादरण का दो उत्तरवर्ती उदाहरण है, तो उपभोक्ता केवल वित्तीय वर्ष के अन्त तक नकदी/ड्राफ्ट में सभी भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 और 142 के अधीन उपभोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा;

(*iv*) अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 4.36 के अनुसार आपूर्ति का असंयोजन भी कर सकेगा।

(ग) उक्त उपखण्डों में विनिर्दिष्ट भुगतान के ढंग के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सिस्टम के माध्यम से या बैंक के अभिहित काउन्टर पर या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में और/या उपभोक्ताओं के विनिर्दिष्ट संवर्ग के लिए उपभोक्ताओं को सम्यक् नोटिस दिये जाने के बाद बिल भुगतान की स्वीकृति की योजना को अधिसूचित कर सकेगा। लेकिन, भुगतान के ढंग में कोई परिवर्तन प्रचलित प्रणाली के अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिए मैत्रीपूर्ण होना चाहिए।

(घ) जहां बिल पर भुगतान के लिए निर्दिष्ट सम्यक् तारीख रविवार या सार्वजनिक अवकाश को आता है, तो भुगतान अगले कार्य दिवस पर सम्यक् होगा।

(ङ) वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग और असमर्थ व्यक्तियों और महिलाओं के लिए भुगतान काउन्टर पर विशेष व्यवस्था सम्यक् तारीख पर की जा सकेगी और असाधारण मामलों में ऐसे उपभोक्ताओं से भुगतान संग्रह करने की व्यवस्था उनके निवास से की जा सकेगी, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी ठीक समझे।

### 6.11 रसीद

रसीद व्यक्तिगत किये गये बिल के भुगतान के लिए उपभोक्ता को दी जायेगी। सभी मामलों में, भुगतान अगले बिल में स्वीकार की जायेगी।

### 6.12 प्राप्त धनराशि का उपायोजन

उपभोक्ता द्वारा बिल भुगतान के मामले में, समायोजन प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में किया जायेगा-

(क) बकाया,

(ख) वर्तमान प्रभार,

(ग) प्रकीर्ण प्रभार।

विद्युत शुल्क और विलम्ब भुगतान प्रभार को शामिल करके विद्युत प्रभार बकाया की उनकी कुल धनराशि तथा वर्तमान प्रभार के अनुपात में समायोजित किये जायेंगे।

### 6.13 छूट और विलम्ब भुगतान अधिभार

छूट और विलम्बित भुगतान के लिए अधिभार प्रभावी टैरिफ आदेश के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा।

### 6.14 भुगतान की सुविधा किस्तों में

(i) अनुज्ञप्तिधारी केवल उन उपभोक्ताओं को, जो वित्तीय संकट में है, किस्तों की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। लेकिन, अधिभार के किसी अधित्यजन की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(ii) अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से न्यून कोई अधिकारी किस्तों को स्वीकार नहीं करेगा। अधिशाषी अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक/और महाप्रबन्धक क्रमशः दो, तीन या चार किस्तों के अधिकतम तक प्रदान कर सकता है। लेकिन, प्रथम किश्त कुल धनराशि के 40% से कम नहीं होगी। जहां किस्तों की धनराशि 10,000 रु० (दस हजार रु०) से अधिक होती है, वहां उपभोक्ता से अनुज्ञप्तिधारी को किस्तों के उत्तर दिनांकित चेक का निक्षेप करने के लिए कहा जायेगा।

### 6.15 बकाये की वसूली

(क) अनुज्ञप्तिधारी को बकाया भुगतान की वसूली अधिनियम की धारा 56 के प्रावधान के अनुसार और उ० प्र० सरकारी विद्युत उपक्रम (बकाये की वसूली) अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार जैसा कि समय-समय से संशोधित है, भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

(ख) तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी उपभोक्ता से बकाये की कोई धनराशि उस तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद वसूलनीय होगी, जब ऐसी धनराशि पहले बकाया हो जाती है, यदि ऐसी धनराशि को निरन्तर आपूर्ति किये गये विद्युत के प्रभार के बकाये के रूप में वसूलनीय के रूप में दर्शित किया जाता है और विद्युत की आपूर्ति इस कारण से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा असंयोजित नहीं की जायेगी।

***स्पष्टीकरण–***तारीख का, जिससे ऐसा प्रभार पहले बकाया होता है, सही ढंग से निर्वचन किये जाने की आवश्यकता है। यदि नियमित मीटर अध्ययन/उपभोक्ता के संस्थापन के निरीक्षण के परिणामस्वरूप इस संहिता या टैरिफ अनुसूची के अनुसार उदगृहीत ऐसा प्रभार/साक्ष्य पहले बकाया होगी, तो उसकी गणना ऐसे बिल के भुगतान की सम्यक् तारीख से की जायेगी और ऐसा बिल उपभोक्ता के इस संवर्ग के लिए दो बिल चक्र के अनधिक बाद प्रदान नहीं किया जायेगा।

## 6.16 पुनः प्रारम्भ की ईप्सा करते हुए असंयोजित औद्योगिक इकाई

छः मास से अधिक से असंयोजित पड़े हुए और पुनः प्रारम्भ की ईप्सा करते हुए उद्योगों के लिए संलग्नक-6.5 में दिया गया दिनांक 12-7-2005 का आयोग का आदेश, आदेश में विनिर्दिष्ट सीमा तक लागू होगा और यदि शासनादेश या किसी न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल नहीं है।

## अध्याय 7

## कार्य निष्पादन, शिकायत प्रतितोष तंत्र और प्रतिकर

**सामान्य**

**7.1** (क) अनुज्ञप्तिधारी अपनी प्रणाली और कार्य प्रक्रिया को संगठित करेगा जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत की गुणवत्ता से सम्बन्धित कार्यपालन के मानक को प्राप्त करे, जैसा कि अधिनियम के अधीन और या इस संहिता में उपवर्णित है।

(ख) विशेष बल समुचित संरक्षण और उपभोक्ता सूचीकरण के आधुनिकीकरण और आधुनिक आई० टी० आधारित प्रणाली, उपभोक्ता विश्लेषण उपकरण के प्रयोग के माध्यम से समयबद्ध ढंग में माप करने वाले जी० आई० एस०/जी० पी० एस० पर मीटर के माप, बिल भेजने और संग्रहण में संदिग्ध समस्याओं/असंगतियों की पहचान करने और प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए दिया जाना चाहिए, जिससे पुन: आवश्यक कार्यवाही को करने के लिए समर्थ बनाया जाय।

(ग) सर्वोत्तम प्रथा को लागू करने का समर्थन करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी अपेक्षा के अनुसार LAN / WAN / VSAT (एल० ए० एन०, डब्ल्यू० ए० एन०, वी० एस० ए० टी०) और आप्टिकल केबल फाइवर नेटवर्क का परिनियोजन कर सकेगा।

(घ) सुरक्षा, विश्वसनीयता और बेहतर भार प्रबन्धन के लिए SCADA (एस० सी० ए० डी० ए०) , रिमोट सब स्टेशन मानीटरिंग एण्ड कन्ट्रोल (आर० ई० एस० एम० ए० सी०) के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम किया जायेगा। सघन समयबद्ध कार्यक्रम उपकेन्द्र स्वचलन उपकरण, आंकड़ा प्रबन्धन प्रणाली, ट्रबुलकाल मैनेजमेंट सिस्टम, माइक्रो कन्ट्रोलर्स (पावर सप्लाई एण्ड कन्ट्रोल), इन्टेलिजेंस DTR's और डाटालागर्स की संस्थापना वितरण प्रणाली के दक्ष कार्य के लिए चरणबद्ध ढंग में फीडर पर विद्युत आपूर्ति का अनुवीक्षण करने के लिए और सभी उच्च राजस्व अर्जन औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रारम्भ करने के लिए किया जायेगा।

(ङ) वितरण प्रणाली सुधार कार्यक्रम के अधीन आन लाइन ट्रान्सफार्मर टैप चेंजर्स, आटो वोल्टेज बुस्टर्स, स्विच्ड कैपेसिटर बैंक्स और सेक्सनलाइजर का प्रयोग ए० पी० डी० आर० पी० परियोजना और चरणबद्ध ढंग में व्यापक प्रयोग के लिए किया जाना चाहिए।

**7.2** अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को पर्याप्त रूप से और समय से उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में और उनके परिवाद/शिकायतों पर की गई कार्यवाही के बारे में विवरण देने का प्रयत्न करेगा। उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों का उद्धरण विद्युत बिल के पीछे की ओर मुद्रित किया जायेगा।

**7.3** अनुज्ञप्तिधारी विनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाओं का, जो उपभोक्ताओं से सम्बन्धित है, विवरणिका, पम्फलेट, समाचार-पत्रों में प्रकाशन, जहां कहीं नियमों या विनियमों द्वारा ऐसा अपेक्षित है तथा इलेक्ट्रानिक समाचार माध्यम द्वारा व्यापक प्रचार किया जाता है। इन प्रक्रियाओं की प्रतिलिपि निःशुल्क सभी पंचायत कार्यालयों को भेजी जायेगी और सामान्य प्रभार के भुगतान पर अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से सामान्य जनता को उपलब्ध करायी जायेगी। इन प्रक्रियाओं को अनुज्ञप्तिधारी के वेबसाइट पर भी रखा जायेगा। इन नियमों में परिवर्तन/संशोधन का व्यापक रूप से प्रचार भी किया जाना है।

**7.4** अधिशसी अभियन्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि अधिसूचित घंटे के दौरान सभी अधिसूचित दिनों पर उपभोक्ताओं से मिलने के लिए अपने कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। उप-महाप्रबन्धक/क्षेत्र का सक्षम प्राधिकारी और मण्डल का मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक अधिसूचित समय के दौरान सप्ताह में कम से कम एक दिन सामान्य जनता से मिलने के लिए और उनकी शिकायतों को सुनने की अनुसूची बनायेगा। इसे व्यापक रूप से प्रचारित किया जायेगा।

**7.5** जैसा कि खण्ड 7.7 के अधीन वर्णित है, किसी शास्ति के, जो अधिरोपित किया जा सकेगा, प्रतिकूल हुए बिना मानकों का अनुपालन करने की असफलता प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के भुगतान को प्रवर्तित होगा, जैसा कि संलग्नक 7.1 में विनिर्दिष्ट है। आयोग समय-समय से उपभोक्ताओं और अनुज्ञप्तिधारियों से परामर्श करके प्रतिकर की धनराशि का पुनरीक्षण कर सकेगा।

**7.6** शास्ति और प्रतिकर की धनराशि, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान किया गया है, टैरिफ का अवधारण करते समय अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व अपेक्षा के माध्यम से अन्तरित नहीं की जायेगी।

**7.7 कार्यपालन का मानक**

(i) ग्राहक सेवा के मानदण्ड–

(क) आपूर्ति से सम्बन्धित मामले,

(ख) नये संयोजन/असंयोजन/पुन:संयोजन और सम्बन्धित मामलों,

(ग) मीटर लगाने,

(घ) बिल भेजने,

(ङ) स्वामित्व के अन्तरण और सेवा के परिवर्तन के लिए हैं।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी उन मानकों का अनुसरण करेगा, जैसा कि इस संहिता में अधिकथित है। ये मानक कार्यपालन का प्रत्याभूत मानक होंगे, जो सेवा का न्यूनतम मानक है कि अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के अधीन अपनी आबद्धता को स्वीकार करेगा और के

निर्वहन को कायम रखेगा। उक्त मानकों का अनुपालन करने की असफलता प्रभावित उपभोक्ताओं को भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर को आकर्षित करेगा :

परन्तु यह भी कि कार्यपालन का मानक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी।

### 7.7.1 आपूर्ति से सम्बन्धित मामले

**सामान्य**

(क) अनुज्ञप्तिधारी निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत प्रथम चरण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में क्रम में केन्द्रीय नियंत्रण केन्द्र (सी० सी० सी०) स्थापित करने का प्रयत्न करेगा।

(ख) केन्द्रीय नियंत्रण केन्द्र को लाइनों की पर्याप्त संख्या के साथ दूरभाष प्रदान किये जाएंगे और दूरभाष द्वारा नगर में सभी उपकेन्द्रों से संयोजित किये जाएंगे।

(ग) यदि किसी कारण से उपभोक्ता उपकेन्द्र से सम्पर्क करने में असमर्थ है, तो वह केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में परिवाद कर सकेगा, जो सम्बद्ध उपकेन्द्र के साथ परिवाद दाखिल करने के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिवाद को दाखिल करने की किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा, जिसका देय बकाया हो।

(घ) केन्द्रीय नियंत्रण केन्द्र स्वत: उत्तर देने वाला सेवा को भी प्रवर्तित करेगा, जो शहर क्षेत्र में अनुसूचित कटौती/रोस्टरिंग तथा व्यापक क्षेत्र (उपकेन्द्र) में अनुसूचित कटौती का विवरण तथा समय के बारे में अद्यतन सूचना देगा, जिसके द्वारा आपूर्ति प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए सम्भाव्य है।

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी कटौती अनुसूची के कम से कम 24 घंटे पूर्व समाचार-पत्र में प्रकाशित नोटिस द्वारा किसी क्षेत्र में 180 मिनट से अधिक सभी अनुसूचित कटौती (रोस्टरिंग को शामिल करके) को प्रचारित करेगा और उसे अपने वेबसाइट पर भी रखेगा।

(च) अनुज्ञप्तिधारी सम्बद्ध 33/11 के० वी० उपकेन्द्र की सूचना पट्टी पर अनुसूचित रोस्टरिंग को भी प्रदर्शित करेगा।

(छ) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने का सभी प्रयास करेगा कि अनुसूचित कटौती ऐसे ढंग में नियोजित की जाती है, जो उपभोक्ताओं को कम से कम असुविधा उत्पन्न करेगा और अधिमानत: आपूर्ति रात्रि होने के पूर्व प्रत्यावर्तित की जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में रोस्टरिंग ऐसे ढंग में अनुसूचित की जायेगी, जिससे निम्न एच० टी० और सी० क्षति धारण करने वाले क्षेत्र घंटों की व्यापक संख्या के लिए ऊर्जा प्राप्त करे, जो उच्चतर ए० टी० तथा सी० क्षति के साथ क्षेत्र के अनुरूप सीमा में हो और जहां राजस्व संयोजन कम हो, सरकारी अस्पतालों, चिकित्सा विद्यालयों, आपातिक सेवा संचालित करने वाले अन्य अस्पतालों, विमान पत्तनों, रेल मार्ग, वायरलेस केन्द्रों, आकाशवाणी, केन्द्रों, टी० वी० केन्द्रों, जल कार्यों तथा किसी अन्य आवश्यक सेवाओं को आपूर्ति करने वाले फीडर पृथक् किये जा सकेंगे और सामान्य रोस्टरिंग से मुक्त किये जा सकेंगे।

(ज) यदि व्यापक क्षेत्र में आपूर्ति का अनुसूचित विघटन है और विघटन 60 मिनट से अधिक चलने के लिए सम्भाव्य है, तो अनुज्ञप्तिधारी समय की सूचना देगा, जब आपूर्ति सभी उपलब्ध साधनों जैसे रेडियो/केबल टी० वी० इत्यादि के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए सम्भाव्य है।

(झ) आपूर्ति की उपलब्धता और/या आपूर्ति की गुणवत्ता से सम्बन्धित सभी परिवाद लिखित में या दूरभाष द्वारा या इन्टरनेट के माध्यम से सम्बद्ध उपकेन्द्रों में दाखिल किए जाएंगे, जहां कहीं ऐसी सुविधा उपलब्ध है।

(ञ) अनुज्ञप्तिधारी सप्ताह के सभी दिनों 24 घंटे आपूर्ति से सम्बन्धित परिवाद प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा। परिवाद रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा और परिवाद की संख्या उपभोक्ता को उस समय दी जायेगी, जब तक समुचित आपूर्ति प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए सम्भाव्य है।

(ट) अनुज्ञप्तिधारकों को आयोग द्वारा अनुमति की स्वीकृति के बाद प्रक्रिया संचालित करने वाले बेहतर परिवाद के लिए उपभोक्ताओं के हित में उक्त योजना को परिवर्तित करने का विकल्प है।

**(क) व्यवधान/विद्युत आपूर्ति की असफलता (भौतिक या तात्विक निर्बन्धन के प्रावधान खण्ड 9.1 के अध्यधीन)**

1. वितरण स्रोत परिपथ/सेवा खम्भा से उड़े हुए फ्यूज के मामले में–
   (क) चार घंटे के अन्तर्गत, जहां आपूर्ति नगरीय अनुसूची के अनुसार संचालित फीडर के माध्यम से की जाती है;
   (ख) आठ घंटे के अन्तर्गत, जहां आपूर्ति ग्रामीण अनुसूची के अनुसार संचालित फीडर के माध्यम से की जाती है।
   सिरोपरि लाइन की गड़बड़ी के मामले में :
2. (क) आठ घंटे के भीतर, जहां आपूर्ति नगरीय अनुसूची के अनुसार संचालित फीडर के माध्यम से की जाती है।
   (ख) 48 घंटे के अन्तर्गत जहां आपूर्ति ग्रामीण अनुसूची के अनुसार संचालित फीडर के माध्यम से की जाती है।
3. भूमिगत केबल या स्विच गियर में त्रुटि के मामले में–
   (क) 24 घंटे के अन्तर्गत, जहां आपूर्ति नगरीय अनुसूची के अनुसार संचालित फीडर के माध्यम से की जाती है;
   (ख) 96 घंटे के अन्तर्गत, जहां आपूर्ति ग्रामीण अनुसूची के अनुसार संचालित फीडर के माध्यम से की जाती है।
4. वितरण ट्रान्सफार्मर असफलता के मामले में–

(क) 24 घंटे के अन्तर्गत, जहां आपूर्ति नगरीय अनुसूची के अनुसार संचालित फीडर के माध्यम से की जाती है;

(ख) 72 घंटे के अन्तर्गत, जहां आपूर्ति ग्रामीण अनुसूची के अनुसार संचालित फीडरों के माध्यम से की जाती है।

5. विद्युत ट्रान्सफार्मर (33 के० वी० और ऊपर) को अन्तर्ग्रस्त करने वाले मुख्य असफलता के मामले में।

15 दिनों के अन्तर्गत (वैकल्पिक आपूर्ति यथासम्भवशीघ्र प्रत्यावर्तित की जायेगी।

**(ख) वोल्टता परिवर्तन-**अनुज्ञप्तिधारी घोषित वोल्टता के सन्दर्भ में इसमें नीचे नियत सीमा के अन्तर्गत उपभोक्ता को आपूर्ति प्रारम्भ के बिन्दु पर वोल्टता को कायम रखेगा–

(*i*) निम्न वोल्टता के मामले में, +6% और –6%;

(*ii*) उच्च वोल्टता के मामले में, +6% और –9%; और

(*iii*) अतिरिक्त उच्च वोल्टता के मामले में, +10% और –12.5%

लेकिन यदि आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर वोल्टता उक्त विनिर्दिष्ट सीमा के परे भिन्न होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी परिवाद को प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित समय सीमा के अन्तर्गत उसे ठीक कराने को सुनिश्चित करेगा :

(*i*) स्थानीय समस्याओं के मामले में 24 घंटे के भीतर;

(*ii*) एल० टी० वितरण प्रणाली की अपर्याप्तता के मामले में छः मास के भीतर;

(*iii*) एच० टी० वितरण प्रणाली में कमी के मामले में 12 मास के भीतर;

### 7.7.2 नया संयोजन/असंयोजन/पुनःसंयोजन और सम्बन्धित मामले

जैसा कि इस संहिता के अध्याय 4 में दिया गया है;

(क) यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत आवेदक को नया संयोजन प्रदान करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदक द्वारा निक्षिप्त धनराशि के प्रति हजार रुपये (या उसके भाग) के लिए 5 रुपये के दर पर व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए शास्ति के लिए दायी होगा, जो 1,000 रुपये तक हो सकता है। इस शास्ति का दावा करने के लिए आवेदक उपभोक्ता शिकायत फोरम के समक्ष याचिका दाखिल करेगा:

एल० टी० संयोजन के लिए, जहां खम्भा विद्यमान है-7 दिनों के भीतर।

यदि नये खम्भे की अपेक्षा है-तीस दिनों के भीतर

एच० टी० मामलों के लिए, जहां कार्य अपेक्षित है–

(क) 400 वोल्ट पर भार के लिए 45 दिन;

(ख) 11 के० वी० पर 60 दिन;

(ग) 33 के० वी० पर 120 दिन;

(घ) 132 के० वी० पर संयोजित किये जाने वाले भार के लिए 300 दिन अविद्युतीकृत क्षेत्रों के लिए :

(क) जहां नये रूप में विद्यमान कार्य के संवर्धन सम्भव है-180 दिन;

(ख) जहां नया कार्य या ग्रिड को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है-एक वर्ष;

(ग) अकेले उपभोक्ता के मामले में-180 दिन;

असंयोजन/पुन: संयोजन :

असंयोजन के कारण को हटाने के बाद पुन: संयोजन-24 घंटे

(ख) अनुज्ञप्तिधारी संयोजन को ऊर्जा प्रदान करने के दो बिल देने के चक के अन्तर्गत प्रथम बिल जारी करेगा। इस अवधि के बाद बिल की अप्राप्ति की रिपोर्ट अनुज्ञप्तिधारी के सम्बद्ध अधिशाषी अभियन्ता को दी जायेगी और अनुज्ञप्तिधारी अगले सात दिनों में बिल जारी करेगा। यदि बिल संयोजन को ऊर्जा प्रदान करने की तारीख से विनिर्दिष्ट अवधि के बाद नहीं दिया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी प्रतिकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट है;

(ग) प्रथम बिल के माध्यम से ऊर्जा प्रभार को वसूल करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी का अधिकार संयोजन को ऊर्जा प्रदान करने की तारीख से दो वर्ष तक सीमित की जायेगी;

(घ) संयोजन को ऊर्जा प्रदान करने की तारीख से दो बिल देने के चक्र के अन्तर्गत प्रथम बिल न दिये जाने के मामले में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विलम्ब के प्रत्येक बिल चक्र के लिए 500 रुपये की दर पर प्रतिकर संदेय होगा। अनुज्ञप्तिधारी तीन मास के दौरान इस मद पर दिये गये प्रतिकर के साथ ऐसे बिल (प्रथम बिल छः मास के बाद दिया जाता है) के क्षेत्रवार विवरण को देते हुए आयोग को त्रैमासिक विवरण देगा।

### 7.7.3 मीटर लगाना

जैसा कि नीचे दिया गया है :

- परीक्षण रिपोर्ट के साथ त्रुटिपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन : 15 दिन
- जले हुए मीटर का प्रतिस्थापन : 3 दिन

### 7.7.4 बिल देना

जैसा कि नीचे दिया गया है :

- भार की कटौती/वृद्धि-30 दिन
- करार का अवसार-30 दिन
- काल्पनिक बकाये का अग्रनयन-एक चक्र।

### 7.7.5 स्वामित्व का अन्तरण और सेवाओं का सम्परिवर्तन

जैसा कि नीचे दिया गया है :

- स्वामित्व का अन्तरण-3 दिन

### 7.7.6 वितरण और फुटकर आपूर्ति से सम्बन्धित प्रक्रिया को संचालित करने वाला परिवाद (संलग्नक 7.2)

अनुज्ञप्तिधारी 1 जनवरी, 2007 से और विद्यमान प्रथा के बदले शेष नगरों के लिए चरणबद्ध ढंग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में प्रक्रिया को संचालित करने वाले परिवाद को परिवर्तित करेगा, जैसा कि इसमें उपबन्धित हैं :

**1. परिवाद की प्रकृति**

- कोई करेन्ट नहीं/विद्युत आपूर्ति की असफलता
- वोल्टता उच्चावचन
- भार छोड़ना/अनुसूचित कटौती
- अनुसूचित कटौती/भार छोड़ना
- नया संयोजन/असंयोजन/पुन: संयोजन और सम्बन्धित मामले-स्वामित्व का अन्तरण और सेवाओं का सम्परिवर्तन।

**2. कहां परिवाद दाखिल करें–**सम्पर्क दूरभाष संख्या(ओं) जहां उपभोक्ता परिवाद दाखिल कर सकते हैं तथा सम्बद्ध अधिशाषी अभियन्ता/अपर महाप्रबन्धक का, जिससे परिवाद के प्रतितोष में विलम्ब के मामले में सम्पर्क किया जा सकता है, नाम और सम्पर्क दूरभाष सं० निम्न रूप में अधिसूचित की जायेगी :

- समय-समय से विद्युत बिल से संलग्न पृथक् पत्रक पर उक्त सूचना के प्रदर्शन/प्रसार द्वारा
- बिल संग्रहण केन्द्र पर उक्त सूचना के प्रदर्शन द्वारा
- अनुज्ञप्तिधारी के वेबसाइट पर प्रदर्शन द्वारा

**3. कोई करेंट नहीं/विद्युत आपूर्ति की असफलता-**परिसर में विद्युत आपूर्ति निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण असफल हो सकती है, जिसे वितरण कम्पनी (डी० आई० एस० ओ० एम०) पर अधिरोपित किया जा सकता है, जिसमें से भार निरोध/ग्रिड असफलता को अपवर्जित किया जाता है, जो प्रेषण की अधिकारिता के अन्तर्गत आता है :

(*i*) एम० सी० बी० के स्पन्दन से उड़ा हुआ फ्यूज,
(*ii*) जला हुआ मीटर,
(*iii*) सेवा लाइन टूट गया था,
(*iv*) सेवा लाइन खम्भे से पृथक् हो गया था,
(*v*) वितरण स्रोत परिपथ में त्रुटि,
(*vi*) वितरण ट्रान्सफार्मर असफल हो गया था/जल गया था,
(*vii*) एच० टी० स्रोत परिपथ असफल हो गया था,
(*viii*) ग्रिड (33 के० वी० या 132 के० वी०) उपकेन्द्र में समस्या,
(*ix*) नियोजित/अनुसूचित/आपातिक अनुरक्षण कार्य,
(*x*) भार निरोध।

*टिप्पण* **1**–विद्युत की असफलता या अवरोध के मामले में, परिवाद नाम, पता और परिवाद की संक्षिप्त प्रकृति का विवरण देते हुए अनुज्ञप्तिधारी के केन्द्रीयकृत नियंत्रण केन्द्र को दूरभाष पर दाखिल किया जाता है।

2. केन्द्रीयकृत नियन्त्रण केन्द्र पर प्राप्त ''आपूर्ति नहीं'' परिवाद को तत्काल परिवादी को एकमात्र परिवाद प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा तत्काल स्वीकार किया जायेगा। केन्द्रीयकृत नियन्त्रण केन्द्र डाटाबेस/रजिस्टर में प्राप्त सभी परिवादों का विवरण रखेगा।

3. यदि केन्द्रीयकृत नियन्त्रण केन्द्र को जानकारी है कि परिवाद उक्त (v)-(x) में सूचीबद्ध कारणों में से किसी के कारण हैं, तो अधिकारी परिवादी को विद्युत असफलता के कारण(णों) की सूचना देगा और विद्युत आपूर्ति के प्रत्यावर्तन के लिए अपेक्षित समुचित समय को भी निर्दिष्ट करेगा। फिर भी, वह प्राप्त प्रत्येक परिवाद को पंजीकृत करेगा और ऐसे परिवादों के लिए अद्वितीय परिवाद संख्या जारी करेगा।

4. केन्द्रीयकृत नियन्त्रण कक्ष सम्बद्ध सेवा केन्द्रों के सचल सेवा समूह को परिवाद की संसूचना देगा। इसके पश्चात् सचल सेवा समूह परिवादी द्वारा प्रदत्त पता पर जायेगा, परिवाद के कारण का अन्वेषण करेगा और समस्या का समाधान करेगा। परिवाद के समाधान पर, परिवाद प्राप्त करने वाला केन्द्र (करेंटहीन परिवाद केन्द्र/केन्द्रीयकृत नियंत्रण केन्द्र) को प्रास्थिति की सूचना दी जायेगी।

5. यदि परिवाद का कारण अत्यधिक कठोर है, तो उक्त (v)-(x) पर सूचीबद्ध किसी कारण(णों) के कारण सचल सेवा समूह त्रुटि की प्रकृति और सुधार के लिए अपेक्षित लगभग समय की सूचना परिवादी और केन्द्रीयकृत नियन्त्रण केन्द्र को भी देगा। सचल सेवा समूह अगले उच्चतर प्राधिकारी को परिवाद का समाधान करने के लिए अतिरिक्त स्रोत और सामग्री को समुचित कार्यवाही करने के लिए भी सूचना देगा।

6. सभी परिवादों का अनुवीक्षण खण्ड 7.7 के अनुसार नियत समय सीमा के अन्तर्गत परिवाद के समाधान के सम्बन्ध में केन्द्रीयकृत नियन्त्रण केन्द्र द्वारा किया जायेाग।

*टिप्पण*–(क) यदि कोई सूचना उक्त दिये गये नियत सीमा के अन्तर्गत परिवाद प्राप्त करने वाले केन्द्र द्वारा प्राप्त नहीं की जाती, तो नियन्त्रण केन्द्र सम्बद्ध उप-महाप्रबन्धक (विवरण) को परिवाद में वृद्धि करेगा।

(ख) वृद्धि प्रक्रिया प्रणाली में अन्तर्निहित होगी और नियन्त्रण सर्वश्र आधारित प्रणाली का प्रयोग करके उप-महाप्रबन्धक (वितरण) के स्तर तक प्रत्येक दो घंटे में स्वत: वृद्धि होगी, जब तक परिवाद का समाधान अभिलिखित नहीं किया जाता। सभी परिवाद को हस्तचालित करने वाले अधिकारियों को परिवाद से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करने के लिए मोबाइल वायरलेस आधारित संसूचना उपकरण दिया जायेगा।

(ग) सम्बद्ध प्राधिकारी परिवाद के समाधान के बारे में नियंत्रण केन्द्र को जानकारी देगा।

(घ) उस स्थिति में कि अगला उच्चतर प्राधिकारी अनुपलब्ध है या नियत समय के भीतर समस्या का समाधान करने में समर्थ है, परिवाद में समुचित प्रक्रम के माध्यम से महाप्रबन्धक (वितरण) को भेजा जायेगा।

(ङ) दैनिक एम० आई० एस० रिपोर्ट लम्बित परिवादों की प्रास्थिति, एम० आई० एस० रिपोर्ट को देते हुए, प्राप्त परिवादों की संवर्गवार कुल संख्या और परिवादों का विवरण, जिनका नियत समय के अन्तर्गत समाधान नहीं किया जाता, उसके कारणों के साथ विवरण देते हुए त्रैमासिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा।

**4. वोल्टता परिवाद**–(क) निम्न/उच्च वोल्टता के मामले में परिवाद सामने आयी समस्या की संक्षिप्त प्रकृति के साथ परिवादी का नाम, पता देते हुए केन्द्रीकृत सेवा केन्द्र में दाखिल किया जाना चाहिए। कर्तव्यस्थ संचालक परिवाद को पंजीकृत करेगा और प्रत्येक मामले में परिवाद संख्या की सूचना देगा।

(ख) केन्द्रीयकृत सेवा केन्द्र परिवादी को सम्बद्ध से सवा केन्द्र पर सचल सेवा समूह को संसूचित करेगा। इसके पश्चात् सचल सेवा समूह परिवादी द्वारा दिये गये पते पर जायेगा, परिवाद के कारण का अन्वेषण करेगा और समस्या का समाधान करेगा।

(ग) यदि समस्या स्थानीय है, उदाहरणार्थ सेवा लाइन के ढीले संयोजन के कारण है, तो सचल समूह स्वयं त्रुटि का सुधार करेग। यदि वोल्टता समस्या कुछ अन्य कारण(णों) के कारण है, जैसे प्रणाली में कमी, तो सचल समूह इसे क्षेत्र उप-खण्डीय अधिकारी के संज्ञान में लायेगा।

(घ) क्षेत्र उप-खण्डीय अधिकारी सुनिश्चित करेगा, यदि समस्या का समाधान ट्रान्सफार्मर की टैप स्थिति के परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है और यदि सम्भव हो, तो वह उप-महाप्रबन्धक (वितरण) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसा करेगा। लेकिन, यदि उप-खण्डीय अधिकारी पाता है कि समस्या वितरण लाइन, ट्रान्सफार्मर, संधारित्र इत्यादि के उच्चीकरण की अपेक्षा करते हुए वितरण प्रणाली में कमी के कारण है, तो वह पुन: आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उप-महाप्रबन्धक (वितरण) को सूचना देगा।

(ङ) वोल्टता समस्या का समाधान खण्ड 7.7 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

अनुज्ञप्तिधारी आयोग को प्राप्त परिवादों की और उन परिवादों की, जिनका समाधान नियत समय के भीतर नहीं किया जा सका था, संवर्गवार संख्या और उनके कारणों को देते हुए त्रैमासिक एम० आई० एस० रिपोर्ट दर्शित करेगा।

**5. अनुसूचित कटौती/भार विरोधा**–बार-बार भार निरोध या अनुसूचित कटौती (कानूनी विद्युत कटौती को अपवर्जित करके), जो किसी दिन 12 घण्टे से अधिक के समान है, के मामले में परिवाद संलग्नक 7.2 में दिये गये प्ररूप में सम्बद्ध क्षेत्र के उप-महाप्रबन्धक (वितरण) के पास दाखिल किया जा सकता है। उप-महाप्रबन्धक (वितरण) ऐसे परिवाद की प्राप्ति को स्वीकार करेगा और ऐसी आवृत्ति को निवारित करने की व्यवस्था करेगा।

**7.8** उक्त निर्दिष्ट समय सीमा सम्पूर्ण अनुज्ञप्तिधारी को लागू है, यदि पृथक् कार्यपालन मानक को विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारी के लिए आयोग द्वारा अवधारित किया गया था।

**7.9 प्रतिकर**

(क) अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित उपभोक्ताओं को कार्यपालन के प्रत्याभूत मानक को पूरा न करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी की असफलता के लिए संलग्नक 7.1 में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। भार की कटौती, भार की वृद्धि और संलग्नक 7.1 के काल्पनिक बकाये के अग्रनयन के सम्बन्ध में, अनुज्ञप्तिधारी पर प्रतिकर का दायित्व संहिता के प्रवर्तन की तारीख से प्रभावी होगा। कार्यपालन के अन्य मानक में प्रतिकर का दायित्व ऐसी तारीख से जिसे आयोग इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये आदेश या अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

(ख) परिवाद की प्रकृति के आधार पर प्रतिकर उसके 90 दिनों के भीतर स्वतः सम्बद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किया जायेगा या इसका दावा अनुज्ञप्तिधारी से उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा, जैसा कि संलग्नक 7.1 में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु–

(*i*) प्रतिकर केवल उन उपभोक्ताओं को लागू होगा, जिनका विद्युत बकाया पर कोई किस्त नहीं है या उन शर्तों पर लागू होगा, जो इस संहिता के खण्ड 9.1 में वर्णित कारकों से आच्छादित नहीं है या के आनुषंगिक नहीं है,

(*ii*) अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित व्यक्ति(यों) को तीन बिल देने के चक्र के पहले प्रतिकर देगा,

(*iii*) प्रतिकर के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा, यदि उसे कार्यपालन मानक में कमी के सुधार की तारीख से 90 दिनों की अवधि के बाद दाखिल किया जाता है,

(*iv*) ऐसे प्रतिकर का भुगतान या समायोजन प्रतिकर के अधिनिर्णय के पश्चात् जारी किये गये उपभोक्ता के बिल में किया जायेगा,

(*v*) प्रतिकर से सम्बन्धित किसी उपभोक्ता की शिकायत से सम्बन्धित मामलों पर याचिका दाखिल करने के लिए कारबार विनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष विनियम में उपवर्णित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जायेगा,

(*vi*) आयोग अनुज्ञप्तिधारी और प्रभावित उपभोक्ता(ओं)/उपभोक्ता समूहों को सुनने के बाद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किसी मानक के पालन में किसी त्रुटि के लिए उपभोक्ता को प्रतिकर देने के दायित्व से अनुज्ञप्तिधारी को मुक्त कर सकेगा, यदि आयोग को समाधान है कि ऐसा व्यक्तिक्रम अनुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपित करने योग्य कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण से है और यह और कि अनुज्ञप्तिधारी अन्यथा अपनी आबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किया है।

**7.10 उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और लोकपाल**

(*i*) अनुज्ञप्तिधारी यू० पी० ई० आर० सी० (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और लोकपाल) विनियम, 2003 के अनुसार, जैसा कि समय-समय से संशोधित है, उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम की स्थापना करेगा। फोरम के नाम/पता और सम्पर्क दूरभाष संख्या का उल्लेख विद्युत बिल में किया जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी/फोरम के वेबसाइट में भी प्रदर्शित किया जायेगा,

(*ii*) खण्ड 7.7.1 से 7.7.5 में वर्णित मामले और उक्त विनियम के अधीन आच्छादित मामलों के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी की किसी कार्यवाही द्वारा व्यथित कोई उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी के पास परिवाद दाखिल कर सकेगा,

(*iii*) यदि अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत या उक्त नियम में अन्यथा उपबन्धित समय सीमा के अन्तर्गत उपभोक्ता के परिवाद का निपटारा करने में असफल रहता है या उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी के

विनिश्चय द्वारा सन्तुष्ट नहीं है, तो उपभोक्ता उक्त विनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में परिवाद दाखिल कर सकेग,

(*iv*) कोई उपभोक्ता, जो उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम द्वारा अपनी शिकायत के अप्रतितोष द्वारा व्यथित है, लोकपाल के समक्ष, जो यू० पी० ई० आर० सी० (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और लोकपाल) विनियम, 2003 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग द्वारा अभिहित/नियुक्त है, अपनी शिकायत को प्रतितोष के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा।

### 7.11 निर्धारण

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अन्तिम आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति समय-समय से केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार उ० प्र० सरकार द्वारा विहित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उक्त आदेश के 30 दिनों के भीतर खण्ड 6.8 और संलग्नक 6.2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अपील दाखिल कर सकेगा। निर्धारण अधिकारी को अभिहित करने वाला आदेश और अपीलीय प्राधिकारी तथा प्राधिकारी अधिकारी के गठन को, जैसा कि उ० प्र० सरकार द्वारा जारी किया गया है, संलग्नक 7.3 में उद्धृत किया जाता है।

### 7.12 कार्यपालन और विश्वसनीयता अनुक्रमणिका के मानक पर सूचना

(क) अनुज्ञप्तिधारी सेवा मानदण्ड के विरुद्ध कार्यपालन के प्रयोजन के लिए अभिहित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुवीक्षण के लिए प्रणाली को स्थापित करेगा और आयोग को रिपोर्ट भेजेगा, जो पर्याप्त रूप से अवधि के दौरान रिपोर्ट किये गये ऐसे मामले और तीन मास के प्रत्येक मास के अन्त में पृथक् शीर्षो के अधीन लम्बित समाधान के मामलों की संख्या को उचित रूप से दर्शित करेगा।

(ख) निकाल दिया गया।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त खण्ड 7.12 (क) के अधीन प्रदत्त सूचना के आधार पर, आयोग अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाने वाले सम्पूर्ण कार्यपालन मानक और अनुक्रमणिका तथा प्रत्याभूत मानक के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी कार्यपालन के प्रथम वार्षिक पुनर्विलोकन को धारण करने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए सड़क नक्शा के लिए प्रतिशत रूप में लक्ष्य स्तर को अधिसूचित करेगा। आयोग द्वारा विहित या न विहित डिग्री के क्रियान्वयन के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी आयोग को वास्तविक आधार पर या तीन मास में से प्रत्येक मास के अन्त में पृथक् शीर्षक के अधीन उसके वेबसाइट पर खण्ड 7.14 से 7.18 में विहित सभी अनुक्रमणिका के लिए ऐसी सूचना उपलब्ध करायेगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 7.12 के अधीन दी गई सूचना को ऐसे प्ररूप में और ढंग में प्रकाशित करेगा, जैसा कि आयोग उसे समुचित होना समझे।

### 7.13 आयोग के समक्ष परिवाद

आयोग के समक्ष परिवाद या अपील अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन निर्मित विनियमों के अधीन दाखिल की जा सकेगी, जो सम्बन्धित है– (i) उपभोक्ताओं के व्यापक समूह के सामान्य हित से, (ii) विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 35 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक के विनिश्चय से, जब तक इस प्रभाव के प्रतिकूल प्रावधान राज्य सत्ता द्वारा निर्मित नहीं किया जाता :

परन्तु कोई परिवाद आयोग के समक्ष दाखिल नहीं किया जायेगा, जो इस संहिता के खण्ड 7.10 के अधीन आच्छादित मामले से सम्बन्धित है और जहां अन्य प्राधिकारी/न्यायालय/फोरम विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार विद्युत नियमावली, 2005 और विद्युत (कठिनाइयों का निवारण) के अधीन आदेशों के साथ पठित अधिनियम की धारा 42, 126, 127, 135 या 153 के अधीन पहले से सशक्त है।

### 7.14 विश्वसनीयता अनुक्रमणिका

निम्नलिखित विश्वसनीयता/कटौती अनुक्रमणिका विद्युत और इलेक्ट्रानिक अभियन्ता संस्थान (आई० ई० ई० ई०) मानक 1366 वर्ष 1988 द्वारा विहित की जाती है। अनुज्ञप्तिधारी इन अनुक्रमणिकाओं के मूल्य की संगणना करेगा और त्रैमासिक रिपोर्ट करेगा : (संलग्नक **7.4 (i))**

(क) प्रणाली औसत व्यवधान बारम्बारता अनुक्रमणिका (एस० ए० आई० एफ० आई०): अनुज्ञप्तिधारी नीचे विनिर्दिष्ट सन्नियम और ढंग के अनुसार मूल्य की संगणना करेगा।;

(ख) प्रणाली औसत व्यवधान अवधि अनुक्रमणिका (एस० ए० आई० डी० आई०) : अनुज्ञप्तिधारी नीचे विनिर्दिष्ट समूह और ढंग के अनुसार मूल्य की संगणना करेगा;

(ग) प्रतिक्षण औसत व्यवधान बारम्बारता अनुक्रमणिका (एम० ए० आई० एफ० आई०) : अनुज्ञप्तिधारी नीचे विनिर्दिष्ट सन्नियम और ढंग के अनुसार मूल्य की संगणना करेगा।

**वितरण प्रणाली विश्वसनीयता अनुक्रमणिका की संगणना करने का ढंग**-अनुक्रमणिका की संगणना प्रमुख रूप से कृषीय भार में सेवारत फीडरों को अपवर्जित करके आपूर्ति क्षेत्र में 11 के० वी०/33 के० वी० के सभी फीडरों के प्रत्येक मास के लिए या उपकेन्द्र के लिए यथास्थिति, को एकत्रित करके पूर्णरूप से तथा के पश्चात् प्रत्येक फीडर के लिए उस मास में सभी व्यवधान की संख्या और अवधि का योग करके पूर्ण रूप से डिस्काम के लिए की जाएगी इसके पश्चात् अनुक्रमणिका की संगणना निम्नलिखित नियम का प्रयोग करके की जाएगी :

1. एस० ए० आई० एफ० आई० $= \frac{(A_1 * N_1 + A_2 * N_2 + A_3 * N_3 + A_4 * N_4 + \ldots\ldots A_n * N_n)}{N_t}$

जहां,

$ए_{1,2,3}$ एन = मास के लिए प्रत्येक फीडर पर हुए व्यवधान की कुल संख्या (प्रत्येक पांच मिनट से अधिक)

$ए_{1,2,3}$ एन = प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित प्रत्येक फीडर का संयोजित भार

$एन_1$ = वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के०वी० पर कुल संयोजित भार

$ए_1$ = प्रत्येक मामले के अनुसार उपकेन्द्र के लिए जिला के वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति क्षेत्र में 11 के० वी० पर कुल संयुक्त भार।

एन = प्रत्येक मामले के अनुसार आपूर्ति के अनुज्ञप्त क्षेत्र में 11 के० वी० के फीडरों (प्रमुख रूप से कृषीय भार में सेवारत फीडरों को अपवर्जित करके)/उपकेन्द्रों की संख्या।

2. एस० ए० आई० डी० आई $= \frac{(B_1 * N_1 + B_2 * N_2 + B_3 * N_3 + B_4 * N_4 + \ldots\ldots B_n * N_n)}{N_t}$

जहां,

$बी_{1,2,3}$ ....एन = मास के लिए प्रत्येक फीडर पर हुए सभी व्यवधान की कुल अवधि

$एन_{1,2,3}$ ....एन = प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित प्रत्येक फीडर पर संयोजित भार

एन आपूर्ति के अनुज्ञप्त क्षेत्र में 11 के० वी० फीडरों की संख्या (प्रमुख रूप से कृषीय भार में सेवारत फीडरों को अपवर्जित करके)।

3. एम० ए० आई० एफ० आई $= \frac{(C_1 * N_1 + C_2 * N_2 + C_3 * N_3 + C_4 * N_4 + \ldots\ldots C_n * N_n)}{N_t}$

जहां,

$सी_{1,2,3}$ ....एन = मास के लिए प्रत्येक फीडर पर क्षणिक व्यवधान की कुल संख्या (पांच मिनट से प्रत्येक कम या समान)

$एन_{1,2,3}$ ....एन = प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित प्रत्येक फीडर पर संयोजित भार

$एन_1$ = वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 के० वी० पर कुल संयोजित भार

एन = आपूर्ति के अनुज्ञप्त क्षेत्र में 11 के० वी० फीडरों की संख्या (प्रमुख रूप से कृषीय क्षेत्र में सेवारत फीडरों को अपवर्जित करके)।

***टिप्पण***-फीडरों को ग्रामीण और नगरीय में पृथक् किया जाना चाहिए और अनुक्रमणिका के मूल्य की रिपोर्ट पृथक् रूप से प्रत्येक मास के लिए की जानी चाहिए।

4. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर, आयोग वार्षिक रूप से इन अनुक्रमणिकाओं के लिए लक्ष्य स्तर को अधिसूचित करेगा।

### 7.15 बारम्बारता भिन्नता

अनुज्ञप्तिधारी अन्य नेटवर्क संघटकों जैसे राज्य प्रेषण यूटिलिटी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और अन्य प्रेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, जैसाकि समय-समय से संशोधित है (के अनुसार आपूर्ति बारम्बारता) वर्तमान मूल्य 49.0 और 50.5 हर्ट्ज के बीच है) को कायम रखने के लिए सहयोग प्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी मासिक आधार पर प्रतिदिन प्राप्त करने योग्य/संदेय अनुसूचित अन्तर परिवर्तन (यू० आई०) की धनराशि देगा, यदि यू० आई० की योजना एक बार राज्य में पुर:स्थापित की जाती है।

### 7.16 वोल्टता असन्तुलन

अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि वोल्टता असन्तुलन आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर 3% से अधिक नहीं है। वोल्टता असन्तुलन की संगणना आयोग द्वारा पृथक् रूप से या वितरण संहिता या वितरण संचालित करने वाले मानक के भाग के रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ढंग में की जायेगी।

### 7.17 बिल देने की त्रुटि

अनुज्ञप्तिधारी 0.2% से अनधिक मूल्य पर जारी किए गये बिल की कुल संख्या में परिवादों का अनुसरण करते हुए उपान्तरण की अपेक्षा करने वाले बिल के प्रतिशत को कायम रखेगा।

### 7.18 त्रुटियुक्त मीटर

अनुज्ञप्तिधारी 3% से अनधिक मूल्य पर सेवा में मीटर की कुल संख्या के त्रुटिपूर्ण मीटर के प्रतिशत को कायम रखेगा।

## अध्याय 8

## विद्युत संयंत्र, मीटर इत्यादि को बिगाड़ना, संकट या नुकसानी

**8.0** विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 8 जून, 2005 के आदेश संख्या एस० ओ० 796 (ई) द्वारा शीर्षक ''विद्युत (कठिनाइयों का निवारण)'' के साथ राज्य आयोग को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विद्युत आपूर्ति संहिता में चोरी को नियंत्रित करने के लिए उपायों को शामिल करने के लिए निर्देश दिया है :

(1) विद्युत आपूर्ति संहिता में, जो कि अधिनियम की धारा 50 के अधीन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट है, निम्नलिखित को भी शामिल किया जायेगा, अर्थात्

(i) समुचित न्यायालय द्वारा न्याय-निर्णय के लम्बित रहने तक विद्युत की चोरी के मामले में संदेय विद्युत प्रभार के निर्धारण का ढंग,

(ii) विद्युत की आपूर्ति का असंयोजन और मीटर, विद्युत लाइन, विद्युत संयंत्र और अन्य उपकरणों को विद्युत की चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग के मामले में हटाना, और

(iii) विद्युत के अपवर्तन, विद्युत की चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग या विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइन या मीटर को बिगाड़ने, संकट या नुकसानी को निवारित करने के लिए उपाय।

(2) विद्युत आपूर्ति संहिता में उक्त प्रावधान बकाया धनराशि को वसूलने और अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्ति और हितों का संरक्षण करने के लिए अधिनियम या लागू किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(3) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 26.10.2005 के स्पष्टीकरण पत्र द्वारा यह भी निर्दिष्ट किया है कि परिशमन फीस राज्य सरकार के खाते में जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित धनराशि प्राप्त कर सकेगा।

(4) पुनरीक्षित खण्ड संख्या 6.8 और खण्ड संख्या 8.1 तथा 8.2 निरीक्षण तथा निर्धारण और विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग और चोरी से सम्बन्धित मामले में विचार करने में विभिन्न अनुज्ञप्तिधारकों के समनुदेशित करने वाले/अप्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अंगीकृत दृष्टिकोण में एकरूपता को सुकर बनाने के लिए प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि खण्ड 8.1 और 8.2 में अधिकथित प्रक्रिया में अन्तर्विष्ट किसी बात का प्रभाव नहीं होगा, जहां तक यह अधिनियम के ''अपराध और शास्ति'' के अधीन अध्याय के प्रावधानों से असंगत है। निरीक्षण, औपबन्धिक निर्धारण, सुनवायी और अन्तिम निर्धारण तथा विद्युत की चोरी के मामले में संज्ञान लेने की प्रक्रिया समवर्ती रूप से लागू होगी।

(5) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए, यह प्रावधान करना समीचीन समझा गया है कि डिसकाम का प्रबन्ध निदेशक यह जांच करने के लिए समिति को गठित करेगा कि प्रक्रिया, जैसा कि संहिता के खण्ड 6.8, 8.1 और 8.2 में उपबन्धित है, का पालन किया जाता है।

**8.1 अधिनियम की धारा 135 के अधीन विद्युत चोरी के मामले में निरीक्षण, औपबन्धिक निर्धारण सुनवायी और अन्तिम निर्धारण के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया-**

(i) अधिनियम की धारा 135 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी स्वप्रेरणा से या विद्युत की चोरी से सम्बन्धित विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति पर तत्परता से सम्यक् तत्परता का प्रयोग करते हुए ऐसे परिसर का निरीक्षण करेगा,

(ii) प्राधिकृत अधिकारी, यदि अपेक्षित हो, उपभोक्ता को अपना कारबार पत्र सौंप सकेगा। फोटो परिचय-पत्र का वहन प्रत्येक दल के सदस्य द्वारा वहन किया जा सकेगा और उपभोक्ता को, यदि अपेक्षा की जाए, परिसर में प्रवेश करने के पूर्व दिखाया जा सकेगा।

(iii) उपभोक्ता परिसर तक पहुँच इस संहिता के खण्ड 4.30 से 4.34 के अनुसार होगा। तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान इस संहिता के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को भी यथाशक्य लागू होंगे,

(iv) तलाशी स्थल का अधिभोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा। ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सभी वस्तुओं की सूची तैयार की जाएगी और ऐसे अधिभोगी या उसकी ओर से उपस्थित व्यक्ति को दी की जाएगी, जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा

(v) निरीक्षण के सभी मामलों में, एक रिपोर्ट संयोजित भार, पुराने सील की स्थिति और विवरण, मीटर के कार्य करने की स्थिति नये सील के विवरण देते हुए स्थल पर तैयार की जाएगी और स्पष्ट रूप से देखी गयी किसी अनियमितता का उल्लेख करेगी, जिसका परिणाम विद्युत की चोरी में हो सकता है और रिपोर्ट संलग्नक 6.4 में दिए गए प्ररूप में होगी। प्राधिकृत अधिकारी इस प्रयोजन के लिए सील का वहन करेगा। विद्युत मीटर, माप करने का यंत्र, उपकरण, लाइन, केबिल या अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत संयन्त्र को कोई क्षति, जो व्यक्ति द्वारा की जाती है या किये जाने की अनुज्ञा दी जाती है, जिससे विद्युत के सही या उचित माप में हस्तक्षेप किया जाए या विद्युत की चोरी किया जाए, को भी रिपोर्ट में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी विद्युत की चोरी

के लिए की गयी पायी गयी व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए रेखा चित्र भी तैयार कर सकेगा, जहां कहीं सम्भव हो, और ऐसा रेखाचित्र निरीक्षण रिपोर्ट का भाग होग,

(vi) रिपोर्ट स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगी कि क्या प्रथमदृष्ट्या चोरी के मामले का अनुमान किया जा सकता है। रिपोर्ट पर निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और समुचित रसीद के अधीन तत्काल उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को सौंपा जाएगा। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा या तो स्वीकार करने या रसीद देने के लिए इन्कार के मामले में, निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि परिसर में /के बाहर सहजदृश्य स्थान पर चिपकायी जाएगी और उसका फोटोग्राफ लिया जा सकेगा। साथ ही साथ रिपोर्ट निरीक्षण के दिन या अगले दिन पंजीकृत डाक/त्वरित डाक के अधीन उपभोक्ता को भेजी जाएगी।

(vii) एल० टी० उपभोक्ताओं के मामले में मीटर या माप करने वाले उपकरण से छेड़छाड़ करके चोरी के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के मामले में मीटर हटाया जाएगा, समुचित रूप से सील किया जायेगा और खण्ड 5.6 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। आपूर्ति समुचित क्षमता के नये मीटर या माप करने वाले उपकरण के माध्यम से दी जाएगी। एच० टी० संयोजन के मामले में आपूर्ति असंयोजित की जा सकेगी, यदि चोरी का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है, जैसाकि टी० वी० एम० मीटरों के लिए फोटो चित्र/एम० आर० आई० रिपोर्ट द्वारा अभिलिखित है या जहां उपभोक्ता द्वारा साक्ष्य के हटाए जाने की आशंका की जाती है। रिपोर्ट उक्त उपखण्ड (iii) के अनुसार स्थल पर तैयार की जाएगी

(viii) उन मामलों में, जहां विद्युत की चोरी मीटर या माप करने वाले उपकरण को अमान्य करके किया जाता है और व्यक्ति के संयोजन का विद्युत भार पूर्णत: या अंशत: लाइन, केबल या विद्युत संयन्त्र से सीधे संयोजित किया गया पाया जाता है, ऐसे परिसर की विद्युत आपूर्ति तत्काल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थल पर असंयोजित किया जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी के समाधान में चोरी के कारण को हटाए जाने के बाद तथा इस संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यावेदन इत्यादि करने के लिए उसको सम्यक् अवसर के बाद निर्धारण बिल भुगतान के पश्चात ही पुनर्संयोजित किया जायेगा।

(ix) अनुज्ञप्तिधारी की लाइन, केबल या विद्युत संयन्त्र से संलग्न करके प्रत्यक्ष चोरी के मामलों में, ऐसे परिसर या स्थान को विद्युत आपूर्ति तत्काल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा असंयोजित की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी बाद में विद्युत की पुन: चोरी को निवारित करने के लिए अपनी लाइन, केबल या विद्युत संयन्त्र को हटा सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा या सम्परिवर्तित कर सकेगा परन्तु ऐसी कार्यवाही का परिणाम अन्य उपभोक्ताओं को उचित आपूर्ति या आपूर्ति के व्यवधान में कोई असुविधा उत्पन्न नहीं करेगा,

(x) यदि परिसर, जहां विद्युत की चोरी का पता लगाया गया है, में नियमित विद्युत संयोजन नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी तत्काल ऐसे परिसर की आपूर्ति को असंयोजित करेगा और विद्युत की चोरी के लिए निर्धारित प्रभार के मद में पूर्ण भुगतान किए जाने के कारण बकाया का समाशोधन करने के बाद और अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियमित नया संयोजन दिया जायेगा।

**(ख) सुनवायी-**

(i) निरीक्षण की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर, अभिहित प्राधिकृत अधिकारी सभी साक्ष्यों जैसे दस्तावेजों, अभिलेख पर के तथ्यों, उपभोक्ता प्रतिमान, जहां कहीं उपलब्ध हो और निरीक्षण रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मामले का विश्लेषण करेगा,

(ii) चोरी का कोई मामला ऊर्जा मीटर के पुराने सील या खिड़की का शीशा टूटने पर बुक नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, यदि पिछले एक वर्ष के लिए मासिक उपभोग युक्तियुक्त रूप से एक समान है, जैसाकि निर्धारित उपभोग (मासिक) है और उपभोक्ता परिसर में पायी गयी चोरी/अप्राधिकृत विद्युत प्रयोग का अन्य प्रथदृष्ट्या साक्ष्य नहीं है, तो कोई और कार्यवाही विद्युत की चोरी/अप्राधिकृत उपयोग के लिए नहीं की जाएगी और विनिश्चय की सूचना निरीक्षण की तारीख के सात कार्य दिवस के भीतर समुचित रसीद के अधीन उपभोक्ता को संसूचित की जाएगी और संयोजन समुचित जांच/पुन: सील करने के बाद मूल मीटर के माध्यम से प्रत्यावर्तित की जाएगी। मामले को समाप्त करने के लिए अनुशंसा करते हुए ऐसी रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु की सूचना थाने को प्रतिलिपि के साथ विशेष न्यायालय को संसूचित की जाएगी जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल की गयी थी।

(iii) यदि अनुज्ञप्तिधारी का निर्धारण अधिकारी यह सन्देह करता है कि विद्युत की चोरी की गयी है (जैसाकि अधिनियम की धारा 135 के अधीन परिभाषित है), तो वह समुचित रसीद के अधीन उपभोक्ता को सुनवायी के लिए 15 कार्य दिवस देते हुए उपभोक्ता को कारण बताओ नोटिस के साथ औपबन्धिक निर्धारण बिल तामील करेगा। नोटिस आरोपों और औपबन्धिक निर्धारण के विरुद्ध उपभोक्ता से, लिखित में आक्षेप आमंत्रित करेगा और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिरोपित सभी आरोपों का उत्तर देने के लिए उपभोक्ता की उपस्थिति की अपेक्षा करेगा,

(iv) यदि सुनवायी के बाद प्राधिकृत अधिकारी पाता है कि चोरी का मामला साबित किया गया है, तो निर्धारण संलग्नक 6.3 में दिए गए निर्धारण सन्नियम के अनुसार विगत अवधि के लिए ऊर्जा उपभोग के लिए उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, या उपभोग किया जाता है, या व्यर्थ किया जाता है, या परिवर्तित, किया जाता है, जो भी अधिक हो लागू सामान्य टैरिफ के अनुसार दर के 1.5 (डेढ़) गुना पर किया जाएगाा और पृथक् बिल में उसे शामिल करके उसे मांगा जाएगा और एकत्रित किया जाएगाा। यह किसी सिविल/दाण्डिक कार्यवाही के अतिरिक्त है, जो संस्थित किया जा सकता है,जैसाकि अधिनियम द्वारा उपबन्धित है और खण्ड 8.2 (vii) में वर्णित ,

(v) आदेश की प्रतिलिपि समुचित रसीद के अधीन उपभोक्ता पर तामील की जाएगी और आदेश को प्राप्त करने से इन्कारी के मामले में या उपभोक्ता की अनुपस्थिति में पंजीकृत डाक/त्वरित डाक के अधीन उस पर तामील की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी भुगतान की अन्तिम तारीख का विस्तार कर सकेगा और वित्तीय स्थिति के विचारण पर किस्तों में भुगतान किया जा सकेगा। भुगतान/किस्तों की धनराशि, विस्तारित अन्तिम तारीख और/या समय अनुसूची को स्पष्ट रूप से सकारण आदेश में अधिकथित किया जाना चाहिए।

**(ग) निर्धारित धनराशि या उसके किस्तों के भुगतान में व्यक्तिक्रम-**

(i) निर्धारित धनराशि या करारित या स्वीकृत किसी किस्त के भुगतान में व्यतिक्रम के मामले में,प्राधिकृत अधिकारी लिखित में 15 दिनों की नोटिस देने के बाद किसी उपयुक्त साधन द्वारा जैसे खम्भा/ट्रांसफार्मर से असंयोजन द्वारा, मीटर, विद्युत लाइन, विद्युत संयन्त्र और अन्य उपकरणों को हटाकर विद्युत की आपूर्ति को असंयोजित करेगा और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही भी करेगा। पुन: संयोजन खण्ड 4.39 में अधिकथित पुन: संयोजन के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(ii) जब व्यक्ति निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में व्यतिक्रम कारित करता है, तो वह निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त निर्धारण आदेश की तारीख से तीस दिनों के अवसान पर 16% (सोलह प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की धनराशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जिसकी गणना प्रति छ: मास में चक्रवृद्धि दर पर की जाएगी।

## 8.2 विद्युत की चोरी के मामले में संज्ञान लेने की प्रक्रिया

(i) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और विद्युत नियमावली 2005 के अधीन ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 8.6.2005 के आदेश और कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति के अनुसार उक्त खण्ड 8.1 में प्रक्रिया और जैसा कि इसमें उपबन्धित है, अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षण की तारीख से 30 दिनों के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष और थाने में परिवाद दाखिल करने से मुक्त नहीं करता और ऐसा करने की असफलता पर विद्यमान टैरिफ के 1.0 गुना पर संगणित निर्धारित धनराशि के अन्तरिम भुगतान पर, जो उपभोक्ता द्वारा किये गये भुगतान को कम करने पर आपूर्ति प्रत्यावर्तित करेगा। प्राधिकृत अधिकारी बाद में सूचना रिपोर्ट को दाखिल करने/विशेष न्यायालय के समक्ष वाद दाखिल करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(ii) प्राधिकृत अधिकारी सम्बद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है और इसके अतिरिक्त विशेष न्यायालय में लिखित में परिवाद दाखिल कर सकता है, जो दाण्डिक और सिविल दायित्व को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए गठित किया जाता है, लेकिन, इसे नीचे उपखण्ड (x) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

(iii) अधिनियम की धारा 152, जो अपराधों के उपशमन से सम्बन्धित है, वहां लागू होगी, जहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत की चोरी के अपराध को कारित किया था, या जो कारित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध है, अपराध के उपशमन द्वारा धनराशि को स्वीकार करता है, जैसाकि अधिनियम में विनिर्दष्ट है।

(iv) उपशमन द्वारा धन की धनराशि का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारियों या सतर्कता पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक को किया जा सकेगा, जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत उपभोक्ता का परिसर स्थित है, यदि विनिर्दिष्ट रूप से उपशमन धनराशि के स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सशक्त है,

(v) उक्त रूप में भुगतान करने के बाद और अधिनियम की धारा 152 (1) के अनुसार उस अपराध के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, मुक्त किया जाएगा और कोई कार्यवाही ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जाएगा या जारी नहीं रखी जाएगा।

(vi) अपराध के उपशमन की अनुज्ञा केवल एक बार किसी उपबोक्ता या व्यक्ति के लिए दी जाएगा।

(vii) यदि उपशमन प्रभार को अधिनियम में विहित धन के अनुसार उपभोक्ता से किया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इकाई के निर्धारण के लिए कोई और प्रभार केवल टैरिफ के सामान्य दर पर होगा।

(viii) आपूर्ति प्रत्यावर्तित की जाएगी, यदि उपभोक्ता मांग गए प्रभार का भुगतान करता है (उपशमन प्रभार/निर्धारण प्रभार, यदि कोई हो) और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्देशों का अनुपालन करता है।

(ix) परन्तु ऐसी उपशमन धनराशि उक्त संशक्त प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के लेखा में निक्षेप किया जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी निर्धारण धनराशि, यदि कोई हो, को एकत्रित करेगा और प्रतिधारित करेगा।

(x) अपराध का संज्ञान-

(क) उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट समुचित सरकार या समुचित आयोग या इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्राधिकृत उनके अधिकारियों में से किसी या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी, यथास्थिति, द्वारा उस क्षेत्र के डाकखाने में दाखिल की जा सकेगी;

(ख) पुलिस किसी अपराध के अन्वेषण में लागू सामान्य विधि के अनुसार मामले का अन्वेषण करेगी। अधिनियम या इस संहिता के अधीन अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए पुलिस को वे सभी शक्तियां होंगी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उपलब्ध हैं;

(ग) पुलिस अन्वेषण के बाद उक्त उपखण्ड (क) के अधीन दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट अधिनियम के अधीन विचारण के लिए न्यायालय अर्थात् विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय के अभाव में किसी अन्य न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने के लिए पश्चातवर्ती अन्वेषण के लिए अग्रसारित करेगी;

(घ) उक्त उपखण्ड (क), (ख) और (ग) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिवाद समुचित सरकार या समुचित आयोग या उनके द्वारा प्राधिकृत उनके अधिकारियों में से किसी या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी या उत्पादन करने वाली कम्पनी, यथास्थिति, द्वारा, सीधे समुचित न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा;

(ङ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय विचारण के लिए अभियुक्त को उसे सुपुर्द किए बिना अधिनियम की धारा 135 से 139 में निर्दिष्ट अपराध का संज्ञान ले सकेगा;

(च) अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान किसी तरह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के अधीन कार्यवाही के प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा;

(छ) चोरी के मामले में अनुज्ञप्तिधारी के निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया अन्तिम निर्धारण भी न्यायालय द्वारा न्याय-निर्णयन के अध्यधीन है;

(ज) न्यायालय के विनिश्चय के मामले में, कि चोरी साबित नहीं की जाती, लगाया गया आरोप और उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया निर्धारण लिखित में वापस लिया जाएगा और संयोजन मूल मीटर के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

**8.3 विद्युत के परिवर्तन, विद्युत की चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग या विद्युत संयन्त्र, विद्युत लाइन या मीटर को बिगाड़ने, संकट या नुकसानी को निवारित करने के लिए उपाय–**

अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित कदम उठाने का समावेश दिया जाता है :

1. प्रत्येक वर्ष कम से कम 20% संयोजन के मीटर पर चोरी सह मीटर सन्दूक लगाने की व्यवस्था करना,
2. सेवा लाइन की प्रास्थिति का यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्विलोकन कि यह उचित है और जहां कहीं अपेक्षित है, इसे चोरी निवारित करने/मीटर को अन्तरित करके प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए,
3. व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों के परिसर का नियमित निरीक्षण-कुल संयोजन के कम से कम 5% का वार्षिक रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए,
4. अनुज्ञप्तिधारी के सतर्कता दल द्वारा सीधी चोरी के मामले में विशिष्ट रूप से चोरी प्रवृत्त क्षेत्रों में पता लगाने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
5. उच्च मूल्य के उपभोक्ता के उपभोग का नियमित मासिक अनुवीक्षण, जिसमें 25 अश्वशक्ति और अधिक की संविदा मांग धारण करने वाले सभी एच० टी० संयोजन और एल० टी० संयोजन शामिल होंगे और संदिग्ध मामले में तत्काल निरीक्षण की व्यवस्था करेगा,
6. राज्य के बड़े नगरों के लिए अगले छः मास में सभी 33 के० वी० और 11 के० वी० फीटर की गणना करना। जिला मुख्यालय के सभी 33 के० वी० और 11 के० वी० फीडर के लिए क्षति की गणना अगले एक वर्ष के भीतर और अन्य क्षेत्रों के लिए अगले दो वर्ष के भीतर की जायेगी। सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अननुपालन के लिए समुचित कार्यवाही की जाए,
7. उच्च हानि फीडरों से प्रारम्भ होने वाले उपभोक्ताओं की जी० आई० एस०/जी० पी० एस०, मानचित्रण, उपभोक्ता अनुक्रमणिका, उच्चीकृत और अमान्य करने (लेजर में लिखने/विनियमित करने/अद्यतन अभिलेख) को सुनिश्चित करना,

8. उपभोग के अनुवीक्षण और विद्युत की चोरी के निवारण के प्रयोजन के लिए प्राथमिकता पर सभी एच० टी० और उच्च मूल्य के एल० टी० पर सुदूर मीटर मापने के संयन्त्र को संस्थापित करना,
9. वाणिज्यिक हानि के स्तर, ईमानदार उपभोक्ताओं पर उसकी विवक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए समाचार माध्यम, टी० वी० और समाचार पत्र के माध्यम से व्यापक प्रचार,
10. विद्युत की चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग या विद्युत संयन्त्र, विद्युत लाइन या मीटर के बिगाड़ने, संकट या नुकसानी के निवारण के लिए स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से सामाजिक और उपभोक्ता समूह, एन० जी० ओं के सहयोग की ईप्सा करना और फीडरवार ऐसे समूहों का सृजन,
11. उक्त के बारे में उसके उपभोक्ता सेवा से सम्बन्धित कार्यालयों, महत्वपूर्ण स्थानों पर शास्ति, जुर्माने और अन्य सूचना के प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए प्रदर्शन पट्ट,
12. फीडरवार हानि, विद्युत के परिवर्तन, विद्युत की चोरी या अप्राधिकृत प्रयोग या विद्युत संयन्त्र, विद्युत लाइन या मीटर को बिगाड़ने, संकट या नुकसानी का और वर्ष के दौरान अभिप्राप्त परिणाम का उसके वेबसाइट पर प्रदर्शन,
13. निरीक्षण अधिकारियों को उनकी सुरक्षा के लिए अपेक्षित सुरक्षा बल की व्यवस्था करना और ऐसे मद पर व्यय अनुज्ञप्तिधारी के ए० आर० आर० के माध्यम से अन्तरित किया जाएगा।
14. संदिग्ध क्षेत्र के वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर संस्थापित करना, जहां विद्युत की चोरी की सम्भावना विद्यमान है और वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित व्यक्तिगत उपभोक्ता मीटर के उपभोग के साथ ऐसे मीटरों के उपभोग का अनुवीक्षण करना और असंगतियों का निरीक्षण करना,
15. चोर प्रवृत्त क्षेत्रों में केबल के साथ शिरोपरि केबल संचालक को प्रतिस्थापित करना, जहां कहीं आवश्यक हो, अनुज्ञप्तिधारी की लाइन में सीधे कटिया द्वारा चोरी को निवारित करना और इस मद पर व्यय अनुज्ञप्तिधारी के ए० आर० आर० के माध्यम से अन्तरित किया जाएगा,
16. सीधे कटिया द्वारा चोरी को निवारित करने के लिए छोटे क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके चोरी प्रवृत्त क्षेत्रों में एच० वी० वितरण प्रणाली (प्रणाली से कम एल० टी०) को प्रदान करना, जहां कहीं आवश्यक हो और इस मद पर व्यय अनुज्ञप्तिधारी के ए० आर० आर० के माध्यम से अन्तरित किया जाएगा,
17. समुचित अवस्थिति पर विद्यमान उपभोक्ताओं को मीटर को पुन: आबंटित करना, जिससे वह परिसर के बाहर हो किन्तु चाहार दीवारी के भीतर हो और निरीक्षण/परीक्षण और अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए आसानी से पहुँच योग्य हो,
18. यह सुनिश्चित करना कि मीटर मापक ऐसे ढंग में आवर्तित किए जाते हैं कि मीटर अध्ययन का उनका क्षेत्र में कम से कम ६ मास में एक बार परिवर्तित किया जाता है।

### 8.4 बिगाड़े गए मीटरों की स्वैच्छिक घोषणा

यदि उपभोक्ता आगे आता है और स्वैच्छा से मीटर के बिगाड़ने और उसके सील के लिए घोषणा करता है, तो–

(क) बिगाड़ा गया मीटर अनुज्ञप्तिधारी/उपभोक्ता, यथास्थिति, द्वारा तत्काल नए मीटर से प्रतिस्थापित किया जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी निर्धारण बिल को घरेलू और कृषि के लिए पिछले तीन मास और सभी अन्य उपभोक्ताओं के लिए छ: मास घोषणा की तारीख से गणना किए गए सामान्य टैरिफ का 1.5 गुना वृद्धि करेगा;

(ख) ऊर्जा बिल, उस अवधि के लिए, जिसके लिए मीटर बदला नहीं जाता, त्रुटिपूर्ण मीटर के लिए प्रक्रिया के अनुसार भेजा जाएगा;

(ग) कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाएगी, यदि उपभोक्ता स्वेच्छा से बिगाड़े गए मीटर की घोषणा करता है और समय के अन्तर्गत अपेक्षित प्रभार का भुगतान करता है;

(घ) भुगतान में व्यतिक्रम के मामले में उपभोक्ता के मामले को बुक करने के लिए प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

### 8.5 सामान्य

निर्धारण बिल निर्मित करते समय, अनुज्ञप्तिधारी निर्धारण बिल की अवधि के लिए उपभोक्ता द्वारा पहले किए गए ऊर्जा उपभोग के भुगतान के लिए उपभोक्ता को साख प्रदान करेगा। निर्धारण बिल उपभोक्ता द्वारा पहले किए गए ऊर्जा उपभोग के भुगतान को अपवर्जित करने के बाद तैयार किया जाएगा। बिल स्पष्ट रूप से समय, दिन और स्थान को निर्दिष्ट करता है, जहां उसका निक्षेप किया जाता है।

## अध्याय 9

## सामान्य प्रावधान

### 9.1 विद्युत की आपूर्ति पर कुछ भौतिक तात्विक निर्बन्धन

अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निम्नलिखित स्थितियों में से किसी में आपूर्ति को कम करने, भिन्न-भिन्न समय रखने या साथ ही प्रयोग को स्थगित करने का निर्देश दे सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी ऐसी स्थिति में आपूर्ति की असफलता से उद्भूत हानि या नुकसानी के कारण किसी दावा या प्रतिकर के लिए दायी नहीं होगा :

(i) जब ऐसी असफलता चक्रवात, बाढ़, तूफान या उसके नियंत्रण के परे या तो प्रत्यक्षत: या परोक्ष रूप से युद्ध, गदर, गृहक्षोभ, दंगा, हड़ताल, तालाबन्दी, अग्नि, बाढ़ झंझावात, तड़ित चालन, भूकम्प की अन्य घटनाओं या अन्य बलात् घटनाओं जैसे उपकरण, सिरोपरि लाइन और केबल के गड़बड़ होने या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण के परे के कारणों के कारण है,

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 23 के अधीन आयोग द्वारा अधिरोपित विद्युत आपूर्ति पर निर्बन्धन की स्थिति में,

(iii) अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति प्रणाली में बृहत गड़बड़ी के मामले में जैसे, ग्रीड असफलता, जो भार की कमी की वांछा करता है।

### 9.2 मांग पक्ष प्रबन्धन

प्रत्येक उपभोक्ता का विद्युत के व्यर्थ और अदक्ष प्रयोग को रोकने और मांग पक्ष प्रबन्धन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना कर्तव्य होगा, जैसा कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अपेक्षित है, और जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रारम्भ किया जा सकेगा। प्रबन्ध पक्ष प्रबन्धन कार्यक्रम वाणिज्यिक, सार्वजनिक प्रकाश, जल कार्य के लिए और सरकारी भवनों, वाणिज्यिक भवनों, रेलवे, प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए किया जा सकता है।

### 9.3 नोटिस की तामीली

उपभोक्ता पर किसी नोटिस की तामीली या तो उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी द्वारा नोटिस प्रदान करके या नोटिस को पंजीकृत डाक या कूरियर डाक द्वारा प्रेषित करके या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलेख पर रखे जाने के लिए सम्बद्ध क्षेत्र में सामान्य रूप से पढ़े गए दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा की जा सकेगी। व्यक्तिगत उपभोक्ता के मामले में उपभोक्ता की दम्पत्ति में से किसी को या उसके प्रतिनिधि को और फर्म कम्पनी या निगम के मामले में ऐसे उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक या मुख्य अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति पर तामीली को इस संहिता के प्रयोजन के लिए पर्याप्त तामीली माना जाएगा। ई-मेल सुविधा का भी अतिरिक्त रूप से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त के प्रतिकूल हुए बिना प्रयोग किया जाएगा, यदि सम्भव हो।

**9.4** यदि उपभोक्ता नोटिस को नामंजूर करता है या प्राप्त करने से निर्वारित करता है, तो तामीली उपभोक्ता के परिसर पर सहजदृश्य स्थान पर दो व्यक्तियों की उपस्थिति में नोटिस चिपकाकर या सम्बद्ध क्षेत्र में सामान्य रूप से पढ़े गए दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा की जा सकेगी और ऐसे मामले में पृष्ठांकन नोटिस के प्रतिलिपि पर किया जाएगा। इस चिपकाने या प्रकाशन को नोटिस की तामीली के लिए पर्याप्त माना जायेगा।

### 9.5 कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति

(i) यदि कोई कठिनाई इस संहिता के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में उत्पन्न होती है, या किसी प्रावधान के निर्वचन के सम्बन्ध में विवाद है, तो उपभोक्ता ऐसी कठिनाई या निर्वचन के विवादों का निवारण करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

(ii) आपूर्ति संहिता के हिन्दी और अंग्रेजी कथन में किसी असंगति के मामले में अंग्रेजी भाग का प्रावधान और अर्थ अभिभावी होगा।

### 9.6 निरसन

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2002 (वितरण संहिता) पहले ही दिनांक 18 फरवरी, 2005 को अधिसूचना संख्या यू० पी० ई० आर० सी० बनाम सेक्रेटरी-सप्लाई कोड/05-4528, दिनांक 18 फरवरी, 2005 द्वारा निरसित की गयी है।

## संलग्नक-3.1 (संदर्भ खण्ड 3. 7 और 6.1-क)

## विद्यमान उपभोक्ता संवर्ग और बिल देने का चक्र

| | |
|---|---|
| एलएमवी-1 | घरेलू प्रकाश, पंखा और पावर-अनुज्ञप्तिधारी के स्रोतों के अनुसार एक मास या दो मास। |
| एलएमवी-2 | गैर घरेलू प्रकाश, पंखा और पावर-अनुज्ञप्तिधारी के स्रोतों के अनुसार एक मास या दो मास। |
| एलएमवी-3 | सार्वजनिक प्रकाश-मासिक। |
| एलएमवी-4 | सार्वजनिक संस्थाएं-मासिक। |
| एलएमवी-4 (क) | सार्वजनिक संस्थाओं के लिए प्रकाश, पंखा और पावर-मासिक। |
| एलएमवी-4 (ख) | निजी संस्थाओं के लिए प्रकाश, पंखा और पावर-मासिक। |
| एलएमवी-5 | सिंचाई प्रयोजनों के लिए निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों के लिए लघु पावर-छमाही। |
| एलएमवी-6 | लघु और मध्यम पावर-मासिक। |
| एलएमवी-7 | सार्वजनिक जल-कार्य-मासिक। |
| एलएमवी-8 | राजकीय नलकूप, विश्व बैंक के नलकूप और पम्प नहर-मासिक। |
| एलएमवी-9 | अस्थायी आपूर्ति-मासिक (जहाँ आपूर्ति मीटर लगाकर की गई है)। |
| एलएमवी-10 | विभागीय कर्मचारी-मासिक। |
| एचवी-2 | बृहद और भारी पावर-मासिक। |
| एचवी-3 | रेलवे-मासिक। |
| एचवी-4 | लघु सिंचाई कार्य-मासिक। |

**संलग्नक-4.1**

(संदर्भ खण्ड 4.4)

यह फार्म निःशुल्क उपलब्ध है

**ऊर्जा की आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए आवेदन पत्र**

1. आवेदक का नाम : आवेदक का नवीनतम फोटो चिपकाएं (राजपत्रित अधिकारी/बैंक अधिकारी/ ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रमाणित)
2. पिता/पति का नाम :
3. व्यवसाय :
4. पता
   (क) ससूचना के लिए
   दूरभाष संख्या :
   (ख) जहां संयोजन की अपेक्षा है : (स्थान की पहचान के लिए भूमि चिन्ह निर्दिष्ट करे)
   दूरभाष संख्या
   (ग) स्थायी पता :
   दूरभाष सं० :
5. भू-खण्ड का आकार.....वर्ग फुट
   आच्छादित क्षेत्र ..... वर्ग फुट
6. कुल भार : के० डब्ल्यू/के०वी०ए०/एच०पी०.....
7. आपूर्ति का उद्देश्य .....
8. प्रक्रिया शुल्क का विवरण :
   (क) धनराशि :
   (ख) ढंग : .....चेक/ड्राफ्ट/नकद
   (i) दिनांक :
   (ii) बैंक का नाम :

**(पचास किलोवाट से अधिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विद्युत आपूर्ति का अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा निम्नलिखित सूचना दी जानी है)**

9. इकाई का प्रकार फर्म (अर्थात् स्वामित्व ...../भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/समिति/सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम)
10. औद्योगिक परिसर का विकास करने वाली संस्था का नाम .....(उदाहरण के लिए उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास समिति/स्वयं/औद्योगिक विभाग आदि)
11. कब्जा-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र.....जो संस्था द्वारा जारी की गयी हो (प्रति संलग्न) संख्या .....दिनांक .....
12. क्या आपूर्ति की आवश्यकता स्वतंत्र फीडर के माध्यम से है .....
13. क्या उक्त इकाई कभी किसी अन्य स्थान पर संचालित थी या संयोजन के लिए आवेदन की थी?(यदि हो कृपया निम्नलिखित सूचना दें)
    (क) स्वीकृत भार .....
    (ख) सेवा संयोजन संख्या.....
    (ग) भुगतान का बकाया (यदि कोई हो) .....
    (घ) पता.....

14. यदि भूतकाल में परिसर के लिए विद्युत के संयोजन का अनुरोध किया गया था, यदि हॉ, तो विद्युत संयोजन का विवरण दें।

    (क) इकाई का नाम ……..

    (ख) सेवा संयोजन संख्या……

    (ग) भुगतान का बकाया (यदि कोई हो) ……..

15. वह उद्देश्य या प्रक्रिया जिसके लिए विद्युत भार की अपेक्षा की जाती है ……

16. प्रक्रिया की प्रकृति ……..……...

17. (क) उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकरण संख्या : प्रति संलग्न की जाएगी) ……..……..……...

    (ख) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न की जाए……..

18. इकाई का वित्त पोषण करने वाले अभिकरण का नाम (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम/पिकप/बैंक/स्वयं कोई अन्य) ……..

19. उत्पादन के प्रारम्भ का प्रस्तावित दिनांक ……..

20. क्या पास-पड़ोस में और कोई इकाई कार्यरत है। यदि हों तो उसका नाम और पता दे……

21. कृपया समीपस्थ विद्युत उपकेन्द्र का वोल्टेज अनुपात और क्षमता और इकाई से उसकी दूरी विनिर्दिष्ट करें ……

**संलग्नक :**

1. कार्य-पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट (बी० और एल० फार्म)।
2. परिसर के विधिपूर्ण अधिभोग के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य। यदि आवेदक परिसर का स्वामी नहीं है, तो अनुप्तिधारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र संलग्न किया जाए।
3. कारखाना /उद्योग/परिसर/प्रतिष्ठान/गृह मानचित्र जहां आपूर्ति अपेक्षित है। मीटर बाक्स की अस्थाई स्थिति इंगित की जाए।
4. भुगतान की रसीद यदि नगद/चेक/ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो।
5. कम्पनी की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए निदेशक बोर्ड के उद्योग प्रस्ताव के मामले में।

***टिप्पण***—1.एम०डी०आई० मीटर रहित उपभोक्ताओं के मामले में घरेलू संवर्ग में संयोजित भार अनुबंधित भार का 200 प्रतिशत और वाणिज्यिक संवर्ग में अनुबन्धित भार का 133 प्रतिशत हो सकता है।

2. अपने हित में कृपया परिसर को खाली करने के पूर्व आप अपने विद्युत आपूर्ति को स्थाई रूप से वियोजित कराना सुनिश्चित करें और परिसर को खाली करने के पूर्व खण्ड से आपत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर।

3. विद्युत संयोजन को परिसर के स्वामित्व के सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा।

**घोषणा**

मैं/हम……सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देता हूं/ देते हैं कि :

(क) मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूं/करते /करते हैं कि मैं/हम अनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ के दिनांक ……से दो वर्षों से अन्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति लेने और इस प्रकार आपूर्तित ऊर्जा और टैरिफ आदेश में उपवर्णित दरों और अन्य सभी प्रकार का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूं/ रखते हैं।

(ख) मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित किन्हीं उपांतरणों सहित और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों का तथा इसके अन्तर्गत बनाई गयी नियमावली से बाध्य होने को सहमत हूं/है।

(ग) मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि उपरोक्त उपबन्धों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथित वितरण संहिता के निबंधनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दे।

(घ) मैं/ हम आगे यह घोषणा करता हूं/ करते है कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियंत्रण से परे है, उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

(ङ) मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात् इस संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

(च) मैं/हम आगे इस बात पर सहमत है कि मेरे/हमारे द्वारा दिए गए इस घोषणा-पत्र को अनुज्ञप्तिधारी के साथ किए गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबंध की तरह समझा जाएगा।

(छ) मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन-पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य है। यदि कोई सूचना किसी पश्चात्वर्ती दिनांक पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिकारी को आपूर्ति रोक देने/काट देने, जैसी स्थिति हो, का अधिकार होगा।

(ज) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपकरण में अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन या विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग नहीं है। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुज्ञप्तिधारी मुझे/हमें प्रदत्त ऊर्जा का उपयोग विधि और प्राधिकार के अनुसार किया जाता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी को समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार है कि उपकरण के अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन या विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग कोई ढंग है, तो अनुज्ञप्तिधारी का अभिहित प्राधिकारी सामान्य परीक्षण और उपकरण, मीटर और वायरिंग का परीक्षण करने के लिए परिसर पर प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(झ) मैं/हमारे विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 में विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देने का वचन देता हूं/देते हैं कि जब कभी मैं उस परिसर को खाली करने का आशय रखूंगा, जिसके लिए विद्युत संयोजन ग्रहण किया जा रहा है।

दिनांक .....  आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान .....  (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भरा जाएगा)

1. प्राप्त आवेदन की तारीख
2. स्वीकृत अनुबंधित भार
3. आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख
4. उपभोक्ता सं०/संयोजन सं०
5. मीटर सं०

आवेदक का हस्ताक्षर  अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए श्री/श्रीमती .....का आवेदन-पत्र, जो सभी सम्बन्धों में पूर्ण है/निम्नलिखित कमियां हैं, .....को प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में आवेदक को सभी भावी पत्राचार में प्रयुक्त किए जाने के लिए निर्देश सं०.....दिया जाता है।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

**संलग्नक-4.2**

(संदर्भ खण्ड 4.4)

(यह आवेदन निःशुल्क उपलब्ध है)

**क्षतिपूर्ति बंध-पत्र**

**(यदि आशयित उपभोक्ता परिसर का स्वामी नहीं है)**

सेवा में,

प्रेषक,

.....अभियन्ता.....

.....

चूंकि वह भूमि/परिसर जिसका विवरण नीचे दिया गया है, श्री/श्रीमती .....के स्वामित्व में है और मैं उक्त भूमि/परिसर का केवल पट्टेदार/किरायेदार/अधिभोगी हूँ जहां पर बिजली के कनेक्शन हेतु मैंने आवेदन किया है। मैं/श्री/श्रीमती .....से इस विषय में सम्मति प्राप्त नहीं कर सका हूं लेकिन मैंने उक्त भूमि/परिसर के अधिभोग का सबूत अर्थात् विधिमान्य मुख्तारनामा/किराये की नवीनतम रसीद/पंजीकृत पट्टा विलेख उपलब्ध करा दिया है।

अत: आपूर्ति की शर्तों पर जिसके लिए मैंने अनुबंध किया है, मुझे बिजली के कनेक्शन की स्वीकृति होने पर मैं अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली सभी प्रकार की क्षतियों और दावों की क्षतिपूर्ति करने और उसे उपहानि से मुक्त रखने को सहमत हूं। इसमें कथित भूमि/परिसर के स्वामी (भले यह मालिक श्री/श्रीमती .....या कोई अन्य हो) द्वारा कार्रवाई की धमकी दिए जाने या उसके अनुरोध के कारण होने वाले मुकदमें में आने वाली लागत, मूल याचिकाएं और सभी प्रकार की विधिक कार्यवाहियां शामिल हैं जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी उपगत कर सकता है या उसके द्वारा उपगत किए जाने की सम्भावना है। मैं पुन: सहमत हूं। कि भूमि/परिसर के स्वामी की सम्मति के बिना मुझे दिए गए बिजली कनेक्शन के कारण उत्पन्न होने वाले ऐसा कोई नुकसान, क्षति या अन्य कोई दावा मुझसे और मेरी सम्पत्ति से, वसूली किए जाने के समय लागू राजस्व वसूली अधिनियम में दिए गए उपबंधों के अन्तर्गत, या ऐसी किसी कार्यवाही द्वारा, जिसे अनुज्ञप्तिधारी प्राथमिकता देना उचित समझता है, वसूल किए जाने योग्य है।

मैं स्वयं को ऐसी वसूली और कार्यवाहियों पर होने वाले व्यय के लिए भी उत्तरदायी मानता हूँ।

स्थान .....

दिनांक .....  पट्टेदार/किरायेदार/अधिभोगी के हस्ताक्षर

साक्ष्य : .....

**संलग्नक-4.3**

(संदर्भ खण्ड 4.4)

यह आवेदन निःशुल्क उपलब्ध है।

**नई आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वामी का सम्मति-पत्र**

सेवा में, दिनांक : ……..

अधिशासी अभियन्ता

(अनुज्ञप्तिधारी का पता)

**स्वामी का सम्मति-पत्र**

मैं……का …….

परिसर सं० ……..का विधिक स्वामी होने के कारण एतद्द्वारा निम्न रूप में सहमत हूं :

मैं श्री ……द्वारा किराए पर दिए गए पूर्वोक्त परिसर में आप द्वारा आपके और पूर्वोक्त परिसर के किराएदार के बीच करार के निबन्धनों के अधीन विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत सेवा के बिल, मीटर, तार बिछाने, उपस्कर और अन्य उपकरणों के संस्थापन (एतस्मिन् पश्चात् संस्थापन कहा जाएगा) के लिए सम्मति देता हूँ। पूर्वोक्त परिसर के पूर्वोक्त किराएदार के खाली करने की स्थिति में, मैं पूर्वोक्त किराएदार से आपकी संविदा के अवसान के लिए प्रबन्ध करने के लिए आपको समर्थ बनाने के लिए आपको अग्रिम में 15 (पन्द्रह) दिनों की सम्यक् नोटिस दूंगा, जिसमें असफल रहने पर मैं किसी हानि के लिए उत्तरदायी हूंगा, जो उस कारण उत्पन्न हो।

मैं आश्वासन देने का वचन देता हूं कि किराएदार अनुज्ञप्तिधारी के सभी विद्युत बकाये का भुगतान करता है और उक्त परिसर को खाली करने के पूर्व आदेश प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है।

उक्त स्वामी……द्वारा ……..की उपस्थिति में हस्ताक्षरित साक्षियों के नाम …….

पता ……

**संलग्नक-4.4**

(संदर्भ खण्ड 4.4)

## कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा परीक्षण परिणाम
## (अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा भरा जाएगा)

1. उपभोक्ता का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पता :
4. वोल्टता तथा आपूर्ति की प्रणाली.....वोल्टता.....फेस
5. भार का विवरण :

| विवरण | 220/230 वोल्ट | | | | | | 400/440वाट | | एच०टी०/ई० एच०टी० | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | फेज 1 | | फेज 2 | | फेज 3 | | संख्या | कुल भार | संख्या | कुल भार |
| | संख्या | कुल वाट | संख्या | कुल वाट | संख्या | कुल वाट | संख्या | कुल भार | संख्या | कुल भार |
| 1- प्रकाश बिन्दु<br>2- पंखा बिन्दु<br>3- प्लग बिन्दु<br>4- मोटर<br>5- अन्य उपकरण | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | |

(6) के० डब्ल्यू० में कुल संयोजित भार

(7) एम्पीयर में कुल करेण्ट

(8) एल०ई०सी० द्वारा निरोध परीक्षण का परिणाम

| विवरण | फेज 1 | फेज 2 | फेज 3 |
|---|---|---|---|
| फेज और अर्थ के बीच | | | |
| न्यूट्रल और अर्थ के बीच | | | |
| फेजों के बीच | | | |

### अनुज्ञप्त ठेकेदार द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र

मैं/हम .....अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार, अनुज्ञप्ति संख्या निम्न का सत्यापन करते हुए प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि–

(1) पूर्वोक्त संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है,

(2) पूर्वोक्त संस्थापन का विद्युतरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे पर्यवेक्षक द्वारा किया गया है।

(3) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रावधानों एवं भारतीय मानक संस्थान, प्राावधानों के अनुरूप किया गया है।

(4) उक्त कार्य निम्नांकित कर्मचारियों द्वारा किया गया है–

वायरमैन का नाम .....परमिट सं० .....वैधता की तारीख .....

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम .....प्रमाण-पत्र सं०.....वैधता की तारीख.....

प्रशिक्षु का नाम

हस्ताक्षर

विद्युत ठेकेदार के फर्म का नाम :

अनुज्ञप्ति सं० .....वर्ग.....वैधता की तारीख.....

वैधता की तारीख

हस्ताक्षर

**उपभोक्ता द्वारा घोषणा**

मैं प्रमाणित करता हूं कि राज्य विद्युत परिषद् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता ……..एम्पीयर से अधिक नहीं है। संस्थापन में कोई परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदन के बाद की जाएगी।

दिनांक : ……. उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

**अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा परीक्षण रिपोर्ट**

विद्युतरोधी परीक्षण का परिणाम–

| फेज-1 व अर्थ के बीच | फेज-2 व अर्थ के बीच | फेज–3 व अर्थ के बीच |
|---|---|---|
| फेज-1 व 2 के बीच | फेज-2 व 3 के बीच | फेज-3 व 1 के बीच |

संस्थापन में पायी गयी कमियों, यदि कोई हो एवं उसे दूर करने के लिए की गयी कार्यवाही–

1--

2--

3--

दिनांक……. अनुज्ञप्तिधारी के निरीक्षक का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

**विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक**

निरीक्षक का परिणाम निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पद नाम

(विवरण संलग्न किया जाए)

निरीक्षण तिथि

**संलग्नक-4.5**

(संदर्भ खण्ड 4.10)

यह फार्म नि:शुल्क उपलब्ध है

## ऊर्जा की अस्थाई आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. व्यवसाय :
3. आवेदक का पता :
4. पता जहां संयोजन अपेक्षित है :
   (क) (स्थान की पहचान करने के लिए भूमि चिन्ह निर्दिष्ट करें)
5. कुल संयोजित भार :
6. आपूर्ति का उद्देश्य :
7. (क) दिनांक जिससे आपूर्ति की अपेक्षा की जाती है :
   (ख) अवधि जिसके लिए आपूर्ति की अपेक्षा की जाती है :
8. शुल्क का विवरण :
   (क) धनराशि.....
   (ख) ढंग-चेक/ड्राफ्ट/नकद :
      1. संख्या.....तारीख.....
      2. बैंक का नाम.....

### घोषणा

मैं/हम.....निष्ठापूर्वक आश्वासन देते हैं/दिलाते हैं और वचन देता हूँ/देते हैं कि :

(क) मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की विवरण संहिता (कोड) और इसके उपांतरों सहित और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों, इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली से बाध्य होने को सहमत हूँ/हैं।

(ख) मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि संहिता के सुसंगत उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह आपूर्ति को रोक दे।

(ग) मैं/हम यह और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी, आपूर्ति में आने वाली किसी बाधा/कमी के लिए जो उसके नियंत्रण से बाहर है, उत्तरदायी नहीं होगा।

(घ) मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/सहमत हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिए गये इस घोषणा पत्र अर्थान्वयन अनुज्ञप्तिधारी के साथ किया गया उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह किया जाएगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अध्यपेक्षा पत्र में दिए गए सारे विवरण मेरी/हमारी जानकारी में सत्य है। यदि कोई सूचना किसी पश्चात्वर्ती दिनांक पर गलत पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी को मेरी आपूर्ति को रोकने/विच्छेदित करने, यथास्थिति का अधिकार होगा।

दिनांक .....

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान .....

.....

**(अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भरा जाए)**

1. आवेदन प्राप्त करने का दिनांक
2. स्वीकृत किया गया अनुबंधित भार

3. आपूर्ति प्रारम्भ करने का दिनांक
4. संदर्भ संख्या

**अभिस्वीकृति**

श्री/श्रीमती.....का हर प्रकार से पूर्ण, अस्थाई आपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र दिनांक.....को प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में आवेदक को भविष्य के सभी पत्राचार के लिए संदर्भ संख्या.....दी जा रही है।

अनुज्ञप्ति के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

.....

**संलग्नक-4.6**

(संदर्भ खण्ड 2.2 (0),4.9(e), तथा 4.12)

**संयोजित भार को निर्धारित करने की प्रक्रिया**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | बल्ब/पंखा | वास्तविक रेटिंग या प्रत्येक 60 वाट यदि बल्ब/पंखा पर दी गयी रेटिंग पढ़ना सम्भव न हो |
| 2. | ट्यूब लाइट | वास्तविक रेटिंग या प्रत्येक 40 वाट |
| 3. | लाइट प्लग | तीन प्लगों तक 60 वाट और प्रत्येक तीन प्लगों या उससे कम के लिए 60 वाट अतिरिक्त |
| 4. | टेलीविजन | |
| | (क) रंगीन | 100 वाट |
| | (ख) श्याम-श्वेत | 60 वाट |
| 5. | पावर प्लग | तीन प्लगों तक 500 वाट और प्रत्येक तीन प्लगों या उससे कम के लिए 500 वाट अतिरिक्त |
| 6. | फ्रिज | 250 वाट |
| 7. | डेजर्ट कूलर | 250 वाट |
| 8. | गीजर | 1500 वाट |
| 9. | एयर कंडीशनर 1/डेढ़ टन | 1500 वाट/200 वाट |
| 10. | पानी खींचने वाले पम्प | 180 वाट या 360 वाट तक (पम्प के अनुसार) या उपकरण की कूल रेटिंग के अनुसार (नाम पट्टिका और विवरण) |

*टिप्पणी—*

1. यदि कोई उपकरण प्लग प्वाइंट, उपकरण भार या प्लग बिन्दु रेटिंग से संयोजित किया गया है तो जो भी अधिकतम है, उससे गणना किया जाएगा। ऐसे मामलों में, प्लग प्वाइंट के भार को अलग से नहीं गिना जाएगा।
2. गैर घरेलू प्रकाश और पंखा के लिए प्रत्येक बल्ब का उपभोक्ता का भार 100 वाट ग्रहण किया जाएगा।
3. आर्क/इन्डक्शन भट्टी के भार की गणना भट्टी की क्षमता के 600 के० वी० ए० प्रति टन के आधार पर की जाएगी।
4. केवल एक उपकरण का उच्चतर दर पर विचार किया जाएगा, यदि गीजर और एह्वार कण्डीशनर (हीटर के बिना) लगाए गए हैं। इन उपकरणों/भारों के केवल तापन और शीतन प्रयोग को प्रचलित मौसम के अनुसार विचार में लिया जाएगा (अर्थात् 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक शीतन के लिए और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक तापन के प्रयोग के लिए)।
5. उपकरण, जो संस्थापन के आधीन है और विद्युतीय रूप से संयोजित नहीं है, उपकरण, जो भण्डारगृह/प्रदर्शन कक्ष में या तो पुर्जे के रूप में या विक्रय के लिए भण्डारित है, को संयोजित भार के रूप में विचार नहीं किया जाना है।
6. घरेलू संयोजनों में निर्धारण के प्रयोजन के लिए, जल पम्प, माइक्रोवेव चूल्हा, वाशिंग मशीन, छोटे घरेलू उपकरणों को 100% भार कारक पर प्रतिदिन एक घंटे के कार्य के लिए निर्धारण के लिए माना जाएगा। 200 वाट से कम के उपकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

(संदर्भ खण्ड 4.9)

**बहुमंजिला भवन/कालोनियों के मामले में भार के अवधारण के लिए मार्ग-निर्देश**

(*i*) घरेलू के लिए—सन्निर्मित क्षेत्र के प्रत्येक 10 वर्ग मीटर के लिए 500 वाट या अपेक्षित भार, जो भी अधिक है।

(*ii*) वाणिज्यिक के लिए—सन्निर्मित क्षेत्र के प्रत्येक 10 वर्ग मीटर के लिए 1500 वाट या अपेक्षित भार, जो भी अधिक है।

(*iii*) उत्थापक, जल उद्वाहक पम्प, स्ट्रीट लाइट, यदि कोई हो, बरामदा/परिसर प्रकाश और अन्य सामान्य सुविधा के लिए वास्तविक भार की गणना की जाएगी।

(*iv*) उक्त (i) और (ii) के लिए संगणित सन्निर्मित क्षेत्र, (iii) में निकाले गये सन्निर्मित क्षेत्र को अपवर्जित करेगा।

(*v*) निम्नलिखित विविध कारकों पर अधिकतम मांग का अवधारण करने के लिए विचार किया जाएगा—

(क) गैर घरेलू क्षेत्र : 0.75

(ख) घरेलू क्षेत्र : 0.75

*टिप्पण—*

1. बहुमंजिला भवन से ऐसा भवन अभिप्रेत है, जिसमें निम्न तल को अपवर्जित करके तीन या अधिक तल हों।
2. कार खड़ी करने के क्षेत्र, सीढ़ी क्षेत्र तथा बालकनी के लिए, क्षेत्र के 50% को निर्मित/सन्निर्मित क्षेत्र की संगणना के लिए लिया जाएगा।
3. जल टैंक क्षेत्र और छज्जा बहिर्वेशन क्षेत्र पर निर्मित/सन्निर्मित क्षेत्र की संगणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. यदि स्वीकृत नक्शा उसी परिसर या कालोनी में दो या अधिक भवनों को निर्दिष्ट करता है, तो उन्हें निर्मित/सन्निर्मित क्षेत्र की संगणना के लिए संयोजित किया जाएगा।
5. यदि केवल भवन/कालोनी के भाग का सन्निर्माण नक्शा के अनुसार स्वीकृत सम्पूर्ण भवन/कालोनी के विरुद्ध किया जाता है और स्वीकृत नक्शा के अनुसार भवन/कालोनी का निर्मित क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक है या अपेक्षित भार 25 के० डब्ल्यू० या अधिक है, तो ऐसे मामलों में ट्रान्सफार्मर के लिए स्थान दिया जाएगा और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था उसके परिसर में आवेदक के खर्च पर ट्रान्सफार्मर संस्थापित करके एल० टी० आधार पर किया जाएगा और भविष्य में एच० टी० में सम्परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हुए वचन दिया जाएगा, जब भवन/क्षेत्र का अध्यपेक्षित भार 50 के० डब्ल्यू० से अधिक हो।
6. यदि एम० एस० भवन का अध्यपेक्षित भार 75 के० ड्डब्ल्यू० है, तो ट्रान्सफार्मर की दर क्षमता का निर्धारण निकटतम उपलब्ध क्षमता अर्थात् 75 के० डब्ल्यू०/0.90 पी० एफ० = 84 के० वी० ए० या 100 के० वी० ए० तक किया जाएगा, जो बी० आई० एस० के अनुसार निकटतम उच्चतर मानक दर है। लेकिन, यदि इस प्रकार संगणित क्षमता निम्नतर मानक दर के 15% से अधिक नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी निम्नतर क्षमता ट्रान्सफार्मर के निर्माण की अनुमति दे सकता है, यदि अध्यपेक्षित भार ट्रान्सफार्मर क्षमता के अन्तर्गत है।
7. अनुज्ञप्तिधारी उच्चतर क्षमता का ट्रान्सफार्मर प्रदान कर सकता है, यदि क्षेत्र में अन्य भार का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक पाया जाता है। उक्त निर्दिष्ट क्षमता के ट्रान्सफार्मर के बदले, अतिरिक्त व्यय का वहन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जा रहा है।

**संलग्नक-4.7**

(संदर्भ खण्ड 4.14 (छ) और 6.3 (ख) )

**यह प्रारूप निःशुल्क उपलब्ध है**

**असंयोजन का प्रारूप**

दिनांक .....

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (ई० डी० डी०)
.....
.....

.....किलोवाट/एचपी के संविदाकृत भार का कनेक्शन संख्या.....के नाम से.....पते पर लगा हुआ। आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया जाए, और निगम के साथ हुए सुसंगत अनुबंध को तुरन्त समाप्त कर दिया जाए।

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :

1. अन्तिम बिल की प्रति।
2. अन्तिम बिल के भुगतान की रसीद की प्रति।

धन्यवाद

(हस्ताक्षर)
उपभोक्ता का नाम, पता और दूरभाष संख्या

कार्यालय प्रयोग के लिए

1. आवेदन प्राप्त करने की तारीख.....
2. असयोजन फीस रु०.....प० सं०.....दिनांक.....
3. असंयोजन की तारीख.....
4. अन्तिम बिल.....अन्तिम रीडिंग.....

**अभिस्वीकृति**

सन्दर्भ सं०.....दिनांक.....

कनेक्शन संख्या.....को श्री/श्रीमती.....से असंयोजन/करार के समापन के लिए सभी सम्बन्धों में पूर्ण आवेदन प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर/नाम/पदनाम

**संलग्नक-4.8**

(संदर्भ खण्ड 4.14 (ञ) )

**करार समाप्त होने के पश्चात् उपभोक्ता को सूचना के लिए प्रारूप**

**कार्यालय पता**

संख्या .....  दिनांक .....

.....(उपभोक्ता का नाम)

.....(पता)

.....

.....

आपको यह सूचित किया जाता है कि.....उपभोक्ता श्रेणी में..... किलोवाट/मेगावाट की आपूर्ति हेतु किए गए (यहां संविदा भार का उल्लेख करें) कनेक्शन संख्या.....के सम्बन्ध में आपके और (अनुज्ञप्तिधारी का नाम) के मध्य हुआ अनुबन्ध दिनांक.....निम्नांकित कारणों से दिनांक.....से समाप्त हो गया है : .....

आपकी आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी गयी है।

सभी प्रकार के प्रभारों और बिजली बिलों के अन्तिम समायोजन के पश्चात्—

1. .....रुपये की धनराशि आपको देय है जिसके लिए चेक संख्या.....संलग्न है।
2. आप पर.....रुपये बकाया है। आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के पाने के एक सप्ताह के भीतर उक्त धनराशि का भुगतान कर दें, इसमें विफल रहने पर धनराशि की वसूली हेतु निर्धारित कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

इस कनेक्शन की बाबत आप पर कुछ भी बकाया नहीं है। इस पत्र को..... (अनुज्ञप्तिधारी का नाम) की ओर से उपरोक्त संदर्भित अनुबन्ध/कनेक्शन के बारे में नि:शेष प्रमाण-पत्र समझा जाए।

धन्यवाद

आपका

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम

**संलग्नक-4.9**

(संदर्भ खण्ड 4.37)

**आपूर्ति के अस्थाई विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता को सूचना का प्रारूप**

**कार्यालय पता**

संख्या .....  दिनांक .....

.....(उपभोक्ता का नाम)

.....(पता)

.....

.....

संदर्भ :

कनेक्शन संख्या .....

उपभोक्ता श्रेणी .....

संविदाकृतभार .....

आपको यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारणों से आपकी उपरोक्त संदर्भित आपूर्ति अस्थाई रूप से दिनांक.....से विच्छेदित कर दी गयी है।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि विच्छेदन किए जाने के कारण को दूर करें और इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि विच्छेदन और पुनः कनेक्शन किए जाने के शुल्क हेतु कुल.....रुपये की धनराशि का भुगतान करें। (यदि कोई अन्य देय भी जमा किए जाने हैं तो उनका भी उल्लेख करें। कुल धनराशि के विभाजन का भी उल्लेख करें)।

यदि विच्छेदन के कारण को इस कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार दूर नहीं किया जाएगा तो आपकी आपूर्ति स्थायी रूप से खण्ड 4.37 के अनुसार विच्छेदित की जाएगी। विलम्ब भुगतान अधिभार खण्ड 6.13 के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा।

धन्यवाद

आपका

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम

**संलग्नक-4.10**

[(संदर्भ खण्ड 4.41 (क) और 4.43 (क) ]

**यह आवेदन निःशुल्क उपलब्ध है और दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए**

**संविदा मांग को बढ़ाने/घटाने के लिए आवेदन–पत्र**

सेवा में,

(अनुज्ञप्तिधारी का नाम) .....

आवेदन संख्या ..... दिनांक .....

संयोजन संख्या.....

उपभोक्ता का नाम .....

पता.....

.....

.....

.....भार की आवश्यकता के पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में मैं/हम एतद्द्वारा अपनी संविदा मांग को बढ़ाने/घटाने हेतु अनुरोध करता हूँ/करते हैं, जैसा कि वितरण संहिता के उपबंधों के अनुसार इसका विवरण नीचे दिया गया है।

1. पता जिस पर भार बढ़ाना/घटाना अपेक्षित है
   भार की अधिकतम मांग
2. विद्यमान प्रस्तावित
   (*i*) संयोजित भार किलोवाट/मेगावाट किलोवाट/मेगावाट
   (*ii*) अधिकतम मांग किलोवाट/मेगावाट किलोवाट/मेगावाट
   (*iii*) आपूर्ति से जोड़े गये/विच्छेदित भार का विवरण

(क) प्रकाश हेतु

(ख) गतिदायी शक्ति/कृषि

(ग) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

**संलग्नक :**

1. अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
   अनुज्ञप्त ठेकेदार का नाम.....
2. बिजली के अंतिम भुगतान किए गए बिल की प्रति संलग्न है।
3. पिछली तीन बिलिंग अवधियों की ली गई मीटर रीडिंग।
4. विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन-पत्र, जहाँ एच० टी० संस्थापन में परिवर्तन किया जाना है।
   (केवल एच० टी० उपभोक्ताओं के लिए लागू है)
5. सक्षम प्राधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जैसा लागू हो।

स्थान :

दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर

**संलग्नक-4.11**

[संदर्भ खण्ड 4.44 (ख) ]

**यह प्रारूप निःशुल्क उपलब्ध है**

**कनेक्शन के अन्तरण/नामांतरण हेतु प्रारूप**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

.....

.....

संविदाकृत भार.....के लिए संयोजन संख्या ..... श्री/श्रीमती.....के पते से .....पते पर दिया गया है।

यह अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित कारणों से उपरोक्त संयोजन को श्री/श्रीमती .....के नाम से उसी पते.....पर अन्तरित करने की कृपा करें।

उपरोक्त संयोजन के अन्तरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न है :

1. प्रक्रिया शुल्क जमा करने की रसीद।
2. पंजीकृत विलेख/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र।
3. सम्यक् रूप से भरा हुआ नवीन आवेदन-पत्र।
4. विद्यमान उपभोक्ता से, यदि उपलब्ध/सम्भव हो, अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

धन्यवाद

आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, पता और दूरभाष संख्या

**अभिस्वीकृति**

संयोजन संख्या.....को श्री श्रीमती..... के नाम में अन्तरण/नामांकन हेतु हर प्रकार से पूर्ण/निम्नांकित कमियों सहित श्री/श्रीमती .....का आवेदन एतद्द्वारा दिनांक.....को प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में आवेदक को भविष्य में पत्राचार हेतु संदर्भ संख्या ..... दी जा रही है।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

**संलग्नक-4.12**

(संदर्भ खण्ड 4.14(ग) और (ङ))

## विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए करार

(पी० टी० डब्ल्यू० के सभी भार के लिए, औद्योगिक और अन्य संवर्ग में भार 25 के० डब्ल्यू० से अधिक/समान होगा)

यह करार.....के.....दिन को

(वितरण कम्पनी का नाम), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय.....उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री....., एतस्मिन्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट) जिस पद का तात्पर्य हित उत्तराधिकारी, नामांकिती और समनुदेशिती होगा और ये शामिल होंगे, जब तक उसके विषय या सन्दर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो) एक ओर

और

दूसरी ओर व्यक्तिगत/भागीदारी उपक्रम/स्वत्वधारी उपक्रम/संस्थान/न्यास/समिति/हिन्दू संयुक्त परिवार/निगमित निकाय/कम्पनी/सरकारी निकाय (उसे काट दीजिए, जो लागू न हो), जो..... अधिनियम के अधीन निगमित है और जिसका निवास/मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय..... में है, अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री.....(नाम और पदनाम), जिसे एतस्मिन्पश्चात् ''उपभोक्ता'' कहा जाएगा (जिसका तात्पर्य हित उत्तराधिकारी, नामांकिती और समनुदेशिती से है और वे इसमें शामिल हैं, जब तक उसके विषय या सन्दर्भ या अर्थ में प्रतिकूल न हो),

के बीच निष्पादित किया जाता है।

चूंकि :

1. अनुज्ञप्तिधारी अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत की आपूर्ति करने के कारबार में संलग्न हैं और उसे भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है और वर्तमान में अपने अनुज्ञप्त क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा के वितरण और/या फुटकर आपूर्ति और/या थोक आपूर्ति के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (एतस्मिन्पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 14 के प्रथम परन्तुक के अधीन अनुज्ञप्तिधारी माना जाता है।
2. उपभोक्ता दिनांक.....के आवेदन द्वारा.....प्रयोजन के लिए.....के सम्बन्ध में.....में स्थित अपने परिसर .....(एतस्मिन् पश्चात् उक्त परिसर के रूप में निर्दिष्ट) में विद्युत संस्थापन).....के० डब्ल्यू०/बी० एच० पी०/के० वी० ए० के भार के लिए ऊर्जा की आपूर्ति (एतस्मिन्पश्चात् संविदात्मक भार के रूप में निर्दिष्ट) उपाप्त करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष आवेदन किया है।

(उसे काट दीजिए जो लागू न हो)

(क) घरेलू प्रकाश, पंखा और ऊर्जा (एल० एम० वी०-1)

(ख) गैर घरेलू प्रकाश, पंखा और शक्ति (एल० एम० वी०-1)

(ग) सार्वजनिक प्रकाश (एल० एम० वी०-3)

(घ) सार्वजनिक संस्थान (एल० एम० वी०-4)

(ङ) सार्वजनिक संस्थानों के लिए प्रकाश, पंखा और शक्ति (एल० एम० वी०-4 ए)

(च) व्यक्तिगत संस्थानों के लिए प्रकाश, पंखा और शक्ति (एल० एम० वी०-4 बी)

(छ) सिंचाई प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत नलकूपों/पंपिंग सेटों के लिए कम शक्ति (एल० एम० वी०-5)

(ज) कम और मध्यम शक्ति (शक्ति या निर्बन्धित/अनिर्बन्धित उपयोग) (एल० एम० वी०-6)

(झ) सार्वजनिक जल कार्य (एल० एम० वी०-7)

(ञ) राज्य नलकूप, विश्व बैंक नलकूप और पम्प नहर (एल० एम० वी०-8)

(ट) अस्थायी आपूर्ति (एल० एम० वी०-9)

(ठ) बड़ी और भारी शक्ति (शक्ति का निर्बन्धित/अनिर्बन्धित प्रयोग) (एच० वी०-2)

(ड) रेलवे (एच० वी०-3)

और अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा की ऐसी आपूर्ति प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। दर अनुसूची, जैसा कि ऊपर है, नवीनतम टैरिफ आदेश के अनुसार होगा।

अब यह करार देखा जाता है और एतद्द्वारा पक्षकारों द्वारा और के बीच निम्नलिखित करार किया जाता है, घोषणा की जाती है और अभिलिखित किया जाता है :

1. यह करार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस करार के अधीन उपभोक्ता को आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख से 2 (दो) वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए प्रभावी होगा।

2. (क) उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को सभी प्रभारों का भुगतान करेगा, जैसाकि प्रवर्तित टैरिफ (या दर) अनुसूची में इसके लिए अनुबन्धित है, जैसाकि समय-समय से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एतस्मिन् पश्चात् आयोग के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा अनुमोदित है, जिसमें उसकी आपूर्ति को शासित करने वाले टैरिफ (दर) अनुसूची के अधीन शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में उपभोक्ता द्वारा संदेय कोई दाण्डिक या अतिरिक्त प्रभार शामिल है।

   (ख) पूर्वोक्त प्रभारों के अतिरिक्त, उपभोक्ता अन्य कानूनी शुल्कों का भी भुगतान करेगा, जिसमें विद्युत शुल्क, कर, प्रभार, अधिभार इत्यादि शामिल है, जैसाकि समय-समय से लागू हो।

3. उपभोक्ता एतद्द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निम्न रूप में वचन देता है, प्रतिनिधित्व करता है, आश्वासन देता है, अपेक्षा करता है, करार करता है और प्रसंविदा करता है :

   (*I*) उपभोक्ता आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (एतस्मिन् पश्चात् संहिता के रूप में निर्दिष्ट) के सभी निबन्धनों और शर्तों और उसके संशोधनों/पुनरीक्षणों और अधिनियम के प्रावधानों के साथ अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली तथा भारतीय विद्युत नियमावली, 1956, जिसमें उसका उपान्तरण शामिल है, का अनुपालन करेगा और से बाध्य होगा, जब तक वे उपभोक्ता को लागू हैं।

   (*II*) अनुज्ञप्तिधारी किसी ढंग में, चाहे जो भी हो और जैसे भी हो, अपने नियंत्रण के परे कारणों से आपूर्ति की कटौती, व्यवधान, स्थगन, कमी या रोक और अपने नियंत्रण से परे कारणों से आपूर्ति की असफलता से उद्भूत क्षति या नुकसानी के कारण किसी दावा के लिए उत्तरदायी निर्णीत नहीं किया जाएगा, जिसमें शामिल है किन्तु निर्बन्धन की शर्तों पर सीमित नहीं हैं, जो उस तक सीमित होगा, जैसा कि संहिता में प्रावधान किया गया है।

   (*III*) उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिसर में आपूर्ति की गई ऊर्जा का उपयोग विधि और प्राधिकार के अनुसार किया जाता है और उपकरण में अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन नहीं है। यदि अनुज्ञप्तिधारी को यह समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी तरह, चाहे जो भी हो, उक्त शर्तों का उल्लंघन है, तो अनुज्ञप्तिधारी के अभिहित प्राधिकारी सामान्य निरीक्षण और उपकरण, मीटर तथा वायरिंग इत्यादि के परीक्षण के लिए उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

   (*IV*) उपभोक्ता यह आश्वासन देगा कि मीटर, मीटर बोर्ड, सेवा स्रोत परिपथ, एम० सी० बी०/सी० बी०, भार सीमांकन इत्यादि किसी परिस्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तचालित नहीं किया जाता या हटाया नहीं जाता। सील, जो मीटर/मापने के उपकरण, भार सीमांकन और अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण पर लगाया गया है, इसी तरह दूषित, क्षतिग्रस्त या तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण और उपभोक्ता के परिसर के अन्तर्गत मीटर/माप करने के उपकरण पर सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व उपभोक्ता पर होगा। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण को कारित किसी क्षति की स्थिति में उसका खर्च, जैसाकि अनुज्ञप्ति द्वारा दावाकृत है, उपभोक्ता द्वारा संदेय होगा।

   (*V*) उपभोक्ता लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देगा (जैसाकि संहिता में इसके लिए प्रावधान किया गया है) यदि वह उक्त परिसर या उसके किसी भाग को खाली करने के लिए आशय रखता है, जिसके लिए विद्युत संयोजन अनुज्ञप्तिधारी से ग्रहण किया गया है।

4. (क) इसके अधीन अपेक्षित या अनुमत सभी नोटिस/सूचना लिखित में होगी और संहिता में इसके लिए विहित प्ररूप में भेजी जाएगा। नोटिस कूरियर, पंजीकृत डाक, त्वरित डाक, फैक्स, व्यक्तिगत परिदान, चिपकाने और समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा भेजी जा सकेगी। नोटिस पंजीकृत और त्वरित डाक द्वारा परिदान के मामले में डाकघर रसीद, कूरियर मेल द्वारा प्रेषण की तारीख से 4 (चार) दिनों के अवसान पर और व्यक्तिगत परिदान के मामले में उपभोक्ता या उसके कर्मचारियों या उपभोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा उसकी रसीद के साथ और समाचारपत्र में प्रकाशन के मामले में ऐसे समाचारपत्र के प्रकाशन की तारीख पर साथ ही चिपकाने के मामले में उक्त परिसर के सहजदृश्य स्थान पर ऐसी नोटिस के चिपकाने के साथ ही उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा।

   (ख) लेकिन, अनुज्ञप्तिधारी से मासिक विद्युत उपभोग बिल के भुगतान के लिए किसी पृथक् नोटिस को जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसा बिल उसमें वर्णित धनराशि के भुगतान के लिए ''बिल तथा नोटिस'' होना माना जायेगा।

5. बकाया कम्पनी की परिसम्पत्ति पर प्रभार होगा। विक्रय किए जाने के पूर्व बकाये का भुगतान किया जाएगा और विकल्प में करार/विक्रय-विलेख विनिर्दिष्ट रूप से बकाये और उसके भुगतान के ढंग का उल्लेख करेगा।

6. यदि उपभोक्ता घोषणा/करार के निष्पादन के बाद अपने भार में कमी या वृद्धि करता है या प्रयोग के प्रयोजन को परिवर्तित करता है या अपने संयोजन को अन्तरित करता है, तो उसे नई घोषणा/करार को निष्पादित करना होगा, जो नए संयोजन के समय पर निष्पादित करार की तरह दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। लेकिन, दर अनुसूची/आयोग/डिस्काम में उपबन्धित कोई अनुतोष/रियायत, जो नए संयोजन में ग्राह्य है, उक्त रूप में परिसर में परिवर्तन/भार की कमी के कारण नये करार/घोषणा के निष्पादन पर ग्राह्य नहीं होगा।
7. माध्यस्थम : यदि इस करार के पक्षकारों के बीच इसमें अन्तर्विष्ट किसी प्रावधान या खण्ड के निर्वचन या प्रभाव या उसके अर्थान्वयन के सम्बन्ध में या किसी तरह से इस करार से सम्बन्धित या से उद्भूत किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में या उसके प्रवर्तन के सम्बन्ध में या उसके सम्बन्ध में दोनों पक्षकार के अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्वों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न या विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो सेवा प्रश्न, विवाद या मतभेद डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को माध्यस्थम में निर्दिष्ट किया जाएगा और उक्त मध्यस्थ का अधिनिर्णय/विनिश्चय अन्तिम होगा और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। माध्यस्थम में कार्यवाही करने के लिए नामांकिती द्वारा किसी उपेक्षा या नामंजूरी के मामले में डिस्काम का प्रबन्ध निदेशक एकमात्र मध्यस्थ के रूप में विवाद में कार्यवाही करने के लिए अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकता है :

परन्तु यदि प्रश्न, विवाद या मतभेद इस करार के निबन्धनों में उपभोक्ता पर प्रभार्य किसी बकाये से सम्बन्धित है, तो माध्यस्थम को कोई निर्देश उपभोक्ता के निर्देश पर उपभोक्ता के विवादास्पद बकाये की धनराशि नकदी में/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के पास निक्षेप किए जाने तक नहीं किया जाएगा।

8. यह करार विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा उसके सभी संशोधनों, भारत में तत्समय प्रवर्तित विभिन्न अन्य विधियों द्वारा शासित किया जाएगा, किन्तु यू० पी० ई० आर० सी० के विभिन्न विनियमों तक सीमित नहीं होगा, जैसाकि उ० प्र० राज्य में लागू है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होगा।
9. स्टाम्प लगाने पर (केवल 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प कागजात) पर व्यय उपभोक्ता द्वारा इस करार के लिए किया जाएगा, जिसे रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकार ने नीचे उल्लिखित साक्षियों की उपस्थिति में पहले उक्त लिखित रूप में स्थान, दिन, मास और वर्ष में इसे निष्पादित किया है।

नामित अनुज्ञप्तिधारी (वितरण कम्पनी का नाम) श्री.....(नाम और पदनाम) के माध्यम से दिनांक.....के परिषद् के प्रस्ताव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत.....में हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया।

नामित उपभोक्ता.....द्वारा श्री.....(नाम और पदनाम) के माध्यम से दिनांक.....के परिषद् के प्रस्ताव/न्यास/विलेख/भागीदारी विलेख (उसे काट दीजिए, जो लागू नहीं है) द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत.....में हस्ताक्षरित और परिदत्त।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .....
2. .....
3. .....

**संलग्नक-4.13**

(संदर्भ खण्ड 4.40)

## संवर्ग के परिवर्तन के लिए आवेदन

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

1. उपभोक्ता का नाम
2. संयोजन संख्या
3. पता
4. विद्यमान संवर्ग — डाम एल० एफ०/नानडाम एल० एफ०/ एस० एम० पावर/लार्ज पावर
5. प्रस्तावित संवर्ग — डाम एल० एफ०/नानडाम एल० एफ०/ एस० एम० पावर/लार्ज पावर
6. संवर्ग के परिवर्तन के लिए कारण

**संलग्नक :**

(1) अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार से कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट

(2) अन्तिम भुगतान किए गए बिल की प्रतिलिपि

स्थान :

दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग के लिए

1. आवेदन की प्राप्ति की तारीख
2. जांच फीस
3. स्थल निरीक्षण की तारीख
4. स्वीकृति की तारीख

## अभिस्वीकृति

श्री.....संयोजन सं०.....से सभी सम्बन्धों में पूर्ण संवर्ग के परिवर्तन के लिए आवेदन प्राप्त किया गया।

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

**संलग्नक-5.1**

[संदर्भ खण्ड 5.6 (ख) ]

**यह आवेदन नि:शुल्क उपलब्ध है**

**मीटर से सम्बन्धित परिवाद या मीटर के परीक्षण के लिए प्ररूप**

परिवाद सन्दर्भ सं०.....
(अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाएगी)

1. परिवादी का नाम, पता और दूरभाष संख्या यदि कोई हो
2. पुस्तक संख्या/सेवा संयोजन संख्या.....
3. परिवाद का संक्षिप्त विवरण-जला हुआ/पूरी तरह से रुका हुआ/तीव्र/सील टूटी हुई/मीटर का परीक्षण।
4. मीटर का प्रारम्भिक मूल्य उपभोक्ता/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया गया?
5. परिवादी विस्थापन के लिए मीटर उपलब्ध कराने का इच्छुक है/या उसने मीटर उपलब्ध करा दिया है। (हाँ/नहीं)

दिनांक .....  आवेदक का हस्ताक्षर

---

**(कार्यालय प्रयोग हेतु)**

1. स्थल सत्यापन रिपोर्ट

हस्ताक्षर
(जेएमटी/एसएमटी)

2. ए० ई० (मीटर) की टिप्पणी
3. उपभोक्ता को 7 दिन के भीतर सूचना देने का संदर्भ

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर ए० ई० (मीटर)

---

**उपभोक्ता को सौंपी जाने वाली अभिस्वीकृति**

1. परिवाद संदर्भ संख्या
   (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाएगी)
2. परिवाद प्राप्त किया गया
   (प्राप्त करने वाले का नाम व पद)
3. परिवाद प्राप्त किए जाने का दिनांक
4. समाधान करने के लिए लक्ष्य समय

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

**संलग्नक-6.1**

[संदर्भ खण्ड 6.4 (ख) ]

**यह प्ररूप नि:शुल्क उपलब्ध है**

**अग्रिम भुगतान के आवेदन का प्ररूप**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता

……...

……...

सन्दर्भ :

उपभोक्ता का नाम……...

संयोजन का पता……...

……...

……...

संयोजन संख्या……...

उपभोक्ता संवर्ग……...

संविदाकृत भार……...

महोदय,

उपभोक्ता कनेक्शन के वास्ते मैं दिनांक……से दिनांक……..तक की अवधि का अग्रिम भुगतान करना चाहता हूँ।

आपसे अनुरोध है कि मुझे उक्त अवधि का मेरे द्वारा किए जाने वाले उपभोग का, अस्थायी अग्रिम बिल भेजने की कृपा करें ताकि मैं उसका भुगतान कर सकूं।

धन्यवाद

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम, हस्ताक्षर पता, दूरभाष सं०

**संलग्नक-6.2**

[संदर्भ खण्ड 6.8 (घ) (1) और 7.11 ]

**अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया**

1. अपील का दाखिल किया जाना :

(क) अधिनियम की धारा 126 के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए अन्तिम आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के 30 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

(ख) अपील अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में की जाएगी।

(ग) अपील के ज्ञापन पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से हस्ताक्षर और उसकी पुष्टि की जाएगी।

(घ) अपील के साथ निम्नलिखित फीस होगी।

| **निर्धारित धनराशि** | **फीस** |
|---|---|
| एक लाख रुपये तक | निर्धारित धनराशि का 3 प्रतिशत लेकिन कम से कम 500 रुपये |
| एक लाख रुपये से ऊपर | निर्धारित धनराशि का 1 प्रतिशत |

(ङ) फीस का भुगतान उस रूप में किया जाएगा जैसा अपील प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें।

**2. प्रकीर्ण :**

(क) विद्युत अधिनियम 2003 के उपबन्धों और इस विनियमावली के अधीन रहते हुए, आयोग समय-समय पर इस विनियमावली के क्रियान्वयन और विभिन्न विषयों में अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी कर सकता है और निदेश अभ्यास में ला सकता है, जिनके संबंध में आयोग को इस विनियमावली और इसके आनुषंगी और सहयोगी विषयों द्वारा निर्देश देने को सशक्त किया गया है।

(ख) आयोग किसी भी समय इस विनियमावली के उपबन्धों में वृद्धि, परिवर्तन, भिन्नता, उपांतरण या संशोधन कर सकता है।

(ग) यदि इस नियमावली के किसी उपबन्ध को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन कार्यों को करने या करवाने या अपील प्राधिकारी को करने या करवाने को कह सकता है जो आयोग की राय में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

**3. प्ररूप**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील

.....के अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील..... वाद संख्या सन्.....वर्ष 2000.....

.....के विषय में (अपील के उद्देश्य का सार)

अपीलार्थी

(उपभोक्ता का पूरा पता जिसमें सेवा कनेक्शन संख्या, सेवा की श्रेणी सम्मिलित है)

और

प्रतिवादी

(प्रतिवादी का पूर्ण पता)

(i) अनुज्ञप्तिधारी का नाम

(ii) निर्धारण अधिकारी का नाम

**विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अधीन अपील**

अन्तिम निर्धारण आदेश संख्या.....वर्ष.....द्वारा व्यथित जो अपीलार्थी को दिनांक.....को प्राप्त हुआ। उपर्युक्त अपीलार्थी निम्न तथ्यों पर अपील के इस ज्ञापन को प्रस्तुत करता है।

1. .....

2. .....

(वाद के तथ्यों का उल्लेख कीजिए)

**आधार**

1. .....

2. .....

3. .....

(वाद के उन आधारों का उल्लेख कीजिए जिन पर अपील दाखिल की गई है और अन्तिम आदेश अविधिमान्य क्यों है।

अपील का मूल्य.....रुपये है और.....रुपये की फीस का भुगतान नकद/ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक.....द्वारा विनियम संख्या .....सन् 2003 के साथ पठित अधिनियम की धारा 127 के अनुसार भुगतान कर दिया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 (5) के अनुसार अन्तिम आदेश।

दोनों पक्षों की सहमति से पारित नहीं किया गया था।

अपीलार्थी ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 (2) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....द्वारा धनराशि के एक तिहाई रुपये..... का भुगतान कर दिया है। भुगतान का सबूत संलग्न है।

**अनुरोध**

अत: यह अनुरोध किया जाता है—

1. .....

2. .....

अपीलार्थी

**सत्यापन**

मैं.....घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त पैराग्राफों में जो कुछ भी कहा गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना से सत्य है और मैं इसके ठीक होने का विश्वास करता हूँ और.....पर दिनांक.....को पुष्टि और हस्ताक्षर करता हूँ।

अपीलार्थी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान.....

दिनांक .....

***टिप्पण***

(*i*) प्रत्येक अपील शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित की जाएगी, जो प्रथम पुरुष में लिखा जाएगा और परिसाक्षी का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय तथा पता और क्षमता का विवरण देगा, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है और हस्ताक्षर किया जाएगा तथा शपथ-पत्र लेने और प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष लिखा जाएगा।

(*ii*) प्रत्येक शपथ-पत्र स्पष्ट रूप से और पृथक् रूप से उन कथनों को निर्दिष्ट करेगा, जो (क) परिसाक्षी के विश्वास, (ख) परिसाक्षी के ज्ञान, और (ग) परिसाक्षी द्वारा प्राप्त सूचना में सत्य है।

(*iii*) जहां शपथ-पत्र में कोई कथन परिसाक्षी द्वारा प्राप्त सूचना में सत्य होना अधिकथित किया जाता है, वहां शपथ पत्र सूचना तथा कथन के स्रोत को प्रकट करेगा, कि परिसाक्षी उस सूचना को सत्य होना विश्वास करता है।

**संलग्नक-6.3**

[संदर्भ खण्ड 6.8 (ग) (iii) और 8.1 (ख) (iv) ]

(क) विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग के मामले में निर्धारण

(1) निर्धारित इकाई = एल० एफ० डी० एच०

जहां एल = के० डब्ल्यू० में और के० वी० ए० में संयोजित भार है, जहां के० वी० एच० दर लागू है

एच० = घंटे की वास्तविक संख्या है, जब आपूर्ति फीडर पर उपलब्ध करायी जाती है, यदि अवधि या प्रतिदिन घंटों की औसत सं० के लिए उपलब्ध है, जब आपूर्ति विभिन्न संवर्गों के लिए निम्न रूप में उपलब्ध करायी जाती है :

(क) एकल पारी उद्योग (केवल दिन/रात), कृषि : दस घंटे।

(ख) अनिरन्तर उद्योग (केवल दिन/रात) : गैर घरेलू सामान्य, जिसमें जलपान, गृह, होटल, अतिथिगृह, पेट्रोल पम्प और परिचर्यागृह तथा गैर सरकारी अस्पताल शामिल है : 20 घंटे।

(ग) निरन्तर प्रक्रियात्मक उद्योग : 24 घंटे।

(घ) घरेलू : 8 घंटे।

(ङ) अस्थायी संयोजन : 12 घंटे

डी० = घरेलू या कृषीय उपभोक्ताओं के मामले में 90 दिन और सभी अन्य उपभोक्ताओं के मामले में 180 दिन, यदि भार का खण्ड उपभोक्ता/व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता, यदि दिनों की संख्या को समाधानप्रद साक्ष्य के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है, तो दिनों की वास्तविक संख्या।

एफ० = आपूर्ति के विभिन्न प्रकार के लिए संयोजित भारकारक, जैसा कि नीचे दिया गया है।

| | |
|---|---|
| (क) एल० एण्ड एफ० तथा घरेलू ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए | (एफ० = 0.30) |
| (ख) गैर घरेलू एल एण्ड एफ और ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए | (एफ० = 0.50) |
| (ग) छोटे और मध्यम ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए | (एफ० = 0.50) |
| (घ) बड़े और भारी ऊर्जा उपभोक्ता के लिए | (एफ० = 0.75) |
| (ङ) कृषि | (एफ० = 0.30) |
| (च) संवर्ग, जो ऊपर आच्छादित नहीं है | (एफ० = 0.50) |

(2) इस प्रकार निर्धारित उपभोग निर्धारण अवधि के लिए, यदि कोई हो, निर्धारित ऊर्जा उपभोग के लिए उपभोक्ता/व्यक्ति द्वारा संदत्त धनराशि को समायोजित करने के बाद उपभोक्ता संवर्ग को लागू टैरिफ की प्रति इकाई दर के डेढ़ गुना पर प्रभारित किया जाएगा। इस दर (डेढ़ गुना दर) पर दिए गए बिल पर मासिक/वार्षिक न्यूनतम प्रभार का, जहां कहीं लागू हो, भुगतान करने के लिए उपभोक्ता के दायित्व की गणना करने के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(3) उन मामलों में, जहां मासिक टैरिफ विद्यमान है, मासिक निर्धारण मासिक दर के डेढ़ गुने पर किया जाएगा।

(ख) उन मामलों के लिए, जहां विद्युत का प्रयोग प्राधिकृत प्रयोजन के अतिरिक्त प्रयोजन के लिए है :

(*i*) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि आपूर्ति की गई ऊर्जा का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाता है, जिस पर उच्चतर टैरिफ लागू है, तो या घरेलू कृषि उपभोक्ता के मामले में पूर्व 3 (तीन) मास और सभी अन्य संवर्ग के लिए 6 (छः मास) में उपभोग की गई कुल ऊर्जा का पता लगने की तारीख से संवर्ग के लिए, जिसके लिए भार का प्रयोग किया गया पाया गया था, डेढ़ गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा। परन्तु यदि किसी समय यह पाया जाता है कि आपूर्ति की गई ऊर्जा का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाता है, जिस पर निम्न टैरिफ लागू नहीं है, तो इसे विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग नहीं माना जाएगा और कोई दाण्डिक कार्यवाही नहीं की जाएगा।

(*ii*) उक्त संगणना इस शर्त के अध्यधीन है कि ऊर्जा का माप उचित है। ऊर्जा की संगणना उक्त क-1 में विवरण के अनुसार निर्धारण अवधि के लिए, यदि कोई हो, निर्धारित ऊर्जा उपभोग के लिए उपभोक्ता/व्यक्ति द्वारा संदत्त धनराशि का समायोजन करने के बाद एल० एफ० डी० एच० सन्नियम के आधार पर संगणना की जाएगी।

[सन्दर्भ खण्ड 8.1 (ख) (iv) ]

(ग) चोरी के मामले में ऊर्जा का निर्धारण—

(*i*) चोरी के मामले में ऊर्जा का निर्धारण सन्नियम एल० एफ० एच० डी० के आधार पर किया जाएगा जैसा कि अप्राधिकृत प्रयोग में किया जाता है। एल० एफ० और डी० वही बना रहेगा।

(*ii*) केवल सीधी चोरी के लिए होगा = 1.0 (100%)

(*iii*) इस प्रकार निर्धारित उपभोग लागू सामान्य टैरिफ के डेढ़ गुना पर प्रभारित किया जाएगा और निर्धारण अवधि के प्रत्येक उपभोग के लिए किए गए भुगतान को समायोजित किया जाएगा।

**टिप्पण :**

बिगाड़े गए मीटर के मामले में निरीक्षण प्राधिकारी उपभोक्ता को ऊर्जा के अप्राधिकृत प्रयोग के लिए धारा 126 के अधीन केवल वहां गिरफ्तार करेगा, जहां ऐसा बिगाड़ा गया मीटर प्रयोग में पाया जाता है किन्तु कोई फंसाने वाला साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो उपभोक्ता को आलिप्त करता है।

निरीक्षण प्राधिकारी उपभोक्ता को केवल तब धारा 135 के अधीन गिरफ्तार करेगा, जब अपराध में फंसाने वाला साक्ष्य ऐसे उपभोक्ता(ओं) को बिगाड़े गए मीटर के माध्यम से विद्युत की बेईमानी से चोरी कारित करने के लिए आलिप्त करता है।

[**संलग्नक 6.4** (सन्दर्भ खण्ड 6.8) (क) (iv) और 8.1(v)]

**निरीक्षण प्रारूप**

उपखण्ड

श्री.....का दिनांक.....200.....का निरीक्षण टिप्पण

निरीक्षण का समय : .....  निरीक्षण का कुल समय : .....

II. (क) उपभोक्ता का नाम और पता

(ख) निरीक्षण के समय उपस्थित व्यक्ति

बड़े अक्षरों में नाम

उपभोक्ता से सम्बन्ध  हस्ताक्षर

III. (क) निरीक्षण के समय उपलब्ध कोई अन्य व्यक्ति और उपभोक्ता से उसका सम्बन्ध

(ख) उपस्थित कोई अन्य विभागीय कर्मचारी

IV. 1. सेवा संयोजन सं०

2. वितरण

3. परिसर की प्रकृति

4. संवर्ग

V. (क) सील की स्थिति और उनकी दशा को निर्दिष्ट करते हुए मीटर नक्शा

| | |
|---|---|
| मीटर की अवस्थिति | मीटर की ऊंचाई |
| सील पर छाप | सील पर छाप |
| निरीक्षण के पूर्व | निरीक्षण के बाद |

मीटर संदूक

मीटर टर्मिनल आवरण

मीटर आवरण

(ख) मीटर विवरण  परीक्षण की तारीख

मीटर संख्या :  बनावट

क्षमता  प्रकार

निरन्तरता  रेव/के० डब्ल्यू० एच०  एम० एफ०

मीटर पढ़ना

सी० टी० एस० का नाम पट्टिका विवरण :

(ग) 1. प्रत्येक फेज में 1,000 वाट के भार के साथ चक्रण की संख्या के लिए समय—

आर फेज से०  वाई फेज से०  बी फेज से०

2. आई० सी० कटआउट्स की अवस्थिति और उनकी सील की स्थिति

3. कार्य करने के 8 घंटों की संख्या

VI. संयोजित भार

VII. अपराध में फंसाने वाले बिन्दु

VIII. साक्ष्य का संरक्षण करने के लिए की गई कार्यवाही और किया गया सुधार, यदि कोई हो

IX. क्या सम्परीक्षण उपभोक्ता/उसके प्रतिनिधि को दर्शित किया गया था

X. कारणों के साथ अधिनियम, 2003 की धारा/आपूर्ति संहिता के अधीन आरोप

निर्धारण/प्राधिकृत/वितरण अधिकारी  निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर

XI. उपभोक्ता/उसके प्रतिनिधि का कथन

मीटर पढ़ना  प्रतिदिन कार्य के घंटे

कुल संयोजित भार  उपभोक्ता/उसके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

**संलग्नक-6.5**

(संदर्भ खण्ड 6.16)

**उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष**

यू० पी० ई० आर० सी० (रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपवन) अधिनियम 1985, उ० प्र० औद्योगिक उपक्रम बेरोजगारी निवारण के लिए विशेष प्रावधान अधिनियम, 1966 के अधीन औद्योगिक इकाई के लिए विनियम)

**आदेश**

1. किसी अधिनियम का अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी उद्देश्यिका है, जो उसके परिक्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित सामान्य सिद्धान्तों का मदवार उल्लेख करता है। आयोग विधायन की भावना का संरक्षण करने के लिए विद्युत अधिनियम की उद्देश्यिका द्वारा मार्ग निर्देशित होता है और इस सीमा तक रूग्ण उद्योगों या उनसे सम्बन्धित मामलों में सन्तुलन कार्य करना है, जो बन्द होने के कगार पर है। अधिनियम की उद्देश्यिका अधिकथित करती है :

''विद्युत के उत्पादन, सम्प्रेषण, वितरण, व्यापार और प्रयोग से सम्बन्धित और साधारणतया विद्युत उद्योग के विकास, उसमें प्रतियोगिता को समुन्नत करने, उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने और सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति, विद्युत शुल्क दर के युक्तिकरण, आर्थिक सहायता से सम्बन्धित पारदर्शी नीति को सुनिश्चित करने, दक्ष और पर्यावरणीय रूप से हितैषी नीतियों की समुन्नति, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नियामक आयोग और अपील अधिकरण के स्थापन के लिए सहायक उपाय करने के लिए और उससे सम्बन्धित और उससे आनुषंगिक मामलों के लिए विधि को समेकित करने के लिए अधिनियम।''

2. विभिन्न टैरिफ का प्रयोग उच्चतर टैरिफ औद्योगिक संवर्ग उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता के निचले अन्त के संवर्ग की प्रति सहायता करने के लिए किया जाता है। अधिनियम के अधीन इन प्रति सहायता की प्रत्याशा चरणबद्ध ढंग में उन्मूलन करने के लिए की जाती है।

3. आयोग इसलिए यह अनुज्ञा नहीं दे सकता या निगरानी नहीं कर सकता कि थोक उपयोगकर्ता, विशेष रूप से 33 के० वी० वोल्टेज और ऊपर के, जहां वितरण क्षति निम्न है और जो निम्न वोल्टता उपभोक्ताओं की इन क्षतियों का समामेलन करते हैं, जहां वितरण क्षति उच्चतर है, जो उन्हें प्रति सहायता करने के लिए बन्द करने या छांटने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उद्योग को उनके विक्रय को प्रभावित करने और एतद्द्वारा भारी क्षति या किसी अन्य समान कारण से उपगत करने में मांग में कमी के कारण अतिरिक्त हैं।

4. इकाई की बन्दी या काम बन्दी प्रणाली में क्षति के समामेलन पर विपरीत कार्य करता है और इस प्रकार इसका परिणाम अन्तिम अन्त के उपभोक्ताओं में वृद्धि में होती है। यह आयोग की चिन्ता का प्रारम्भिक कारण है। आयोग राज्य डिस्काम के वित्त की विद्यमान खराब स्थिति से सम्बन्धित है। उसे विद्युत उद्योग के विकास में सहायक उपाय करके, उनके बीच प्रतियोगिता में वृद्धि करके उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करके और सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति, विद्युत टैरिफ के युक्तिकरण और सहायता, दक्षता की वृद्धि से सम्बन्धित पारदर्शी नीतियों को सुरक्षित करके और पर्यावरण के अनुरूप नीति को विकसित करके सभी दावाधारकों के हित का संरक्षण करना है, जिससे निष्पक्ष संव्यवहार प्रभावित पक्षकारों से किया जाए।

5. समय से विवेकाधिकार का प्रयोग करने की असफलता अनावश्यक रूप से पक्षकारों द्वारा मुकदमेबाजी को उत्प्रेरित करता है, जिसका परिणाम संसाधनों की कमी में होता है। यहां है कि आयोग कठोर मत अंगीकार करता है कि अनुज्ञप्तिधारी का बोर्ड समय से, न्यायिक और उचित हस्तचालन को यह कार्य करके सुनिश्चित करेगा, जो व्यवधानकारी कारक के नुकसानकारी प्रभाव को बातिल करता है, जो अनुज्ञप्तिधारी को लगातार राजस्व धारा से धमकी देता है। इस पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि यह बेरोजगारी के निवारण में सामाजिक कारण, उत्पादन की कमी को पूरा करेगा, जो उनके टैरिफ को प्रदान करने की स्थिति द्वारा अन्तिम उपभोक्ता तक सेवा करने के अतिरिक्त है।

6. अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम 2003 की धारा 56 के अधीन उनके अविवादास्पद बकायों को वसूल करने में कार्यवाही करने से निर्बन्धित नहीं किया जा सकता जबकि यदि इकाई बन्द होने या कामबन्दी के कगार पर है, तो आयोग का यह दृढ़ विश्वास है कि प्रतिकूल कारकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और ये भिन्न विचारण की मांग करते हैं। यद्यपि इस प्रकार के मामलों में न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामान्य नियम में संशोधन की अपेक्षा नहीं की जाती, फिर भी आयोग की सुविचारित राय है कि कुछ परिस्थितियों में बातिलीकरण के लिए वैवेकिक उपान्तरण को लागू किया जाता है, जिससे नियम के शाब्दिक निबन्धन मूल आशय को अमान्य नहीं करते, इसलिए किसी विधायन की उद्देशिका संकटग्रस्त इकाई के कार्य को प्रत्यावर्तित करेगी और वैश्विक सन्दर्भ में सामाजिक हेतुक को पूरा करेगी।

7. मस्तिष्क में इस आशय के साथ आयोग ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985, उ० प्र० औद्योगिक उपक्रम बेरोजगारी के निवारण के लिए विशेष प्रावधान अधिनियम, 1966, दिनांक 29-11-1989 का राज्य शासनादेश सं० 720/18-4-89 और पूर्व यू० पी० एस० ई० जी० वाणिज्यिक आदेश सं० 2879 सी०-यू०-2/बी० आई० एफ० आर० दिनांक 26-8-1987 के प्रावधानों का अपना सम्परीक्षण करने के पूर्व संज्ञान लिया है।

8. आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 23 के अधीन निहित अपनी शक्तियों और विद्युत संहिता, 2005 के खण्ड 9.5 के अनुसार कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति के प्रयोग में, असाधारण परिस्थितियों की दृष्टि में, जैसा कि ऊपर पहले ही विवेचन किया गया है और एस० आई० सी० ए० के अधीन बी० आई० एफ० आर० के आदेशों या अनुतोष उपक्रम

अधिनियम, 1966 के अधीन राज्य सरकार के आदेशों के प्रतिकूल हुए बिना सम्बद्ध डिस्काम के निदेशक डिस्काम परिषद् को निर्देश देता है कि व्यापक मानदण्ड के आधार पर, जैसाकि उक्त एस० आई० सी० ए० 1985 में परावर्तित है, अनुतोष उपक्रम अधिनियम, 1966, उक्त शासनादेश और अनुज्ञप्तिधारी के आदेश के आधार पर ऐसे उद्योगों के, जिन्हें 33 के० वी० और अधिक की आपूर्ति की जाती है, असन्दत्त बकाया और जो बी० आई० एफ० आर० के अधीन पंजीकृत है और पुन: कार्यवाही के लिए (एस० आई० सी० ए०) की धारा 22 की उपधारा (3) के लिए परिषद् द्वारा वर्जित नहीं हैं या अनुतोष अनुक्रम के रूप में घोषित है या समान कारणों से असंयोजित पड़े हैं, निम्न रूप में विनिर्मित किए जाएंगे :

(क) यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विद्युत कटौती ऐसे रूग्ण औद्योगिक इकाई पर आवश्यक है, तो उपयुक्त शिथिलीकरण ऐसी अवधि के लिए दिया जाएगा, जैसा कि तत्समय प्रवर्तित आदेश के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवधारित किया जाए;

(ख) उद्योग को आपूर्ति प्रत्यावर्तित की जाएगी, उद्योग को आपूर्ति बी० आई० एफ० आर० या 1966 के उ० प्र० अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के आदेशों या न्यायालय द्वारा आदेश पर प्रत्यावर्तित की जाएगी, यदि असंयोजित पड़ा है। असंयोजन की अवधि के दौरान उद्ग्रहीत न्यूनतम मांग प्रभार/एम० सी० जी० को विलम्बित किया जाएगा और बी० आई० एफ० आर० के समाशोधन के अनुसार आपूर्ति संहिता 2005 के प्रावधानों के अनुसार समान मासिक किस्तों में वसूल की जाएगा या जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिश्चय किया जाए;

(ग) केवल चालू बकाये की वसूली की जाएगी। शुद्ध वसूल की जाने वाली धनराशि को न्यायालय के आदेशों द्वारा स्थगित किसी विवादास्पद धनराशि को अपवर्जित करने के बाद गणना की जाएगी और आपूर्ति संहिता 2005 के प्रावधानों के अनुसार समान मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी या जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिश्चित किया जाए;

(घ) बन्दी की उक्त अवधि के लिए विलम्ब भुगतान अधिभार की वसूली बैंक दर से अन्यून पर की जा सकेगी, जो बी० आई० एफ० आर० या 1966 के उ० प्र० अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के आदेशों पर होगा। परन्तु किसी ऐसे आदेश के अभाव में आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार विहित दर अभिभावी होगा। परन्तु यह भी कि यदि इकाई प्रदत्त किश्तों के समय से भुगतान में व्यतिक्रम कारित करता है, तो इस प्रकार उत्पन्न बकायों पर विलम्ब भुगतान अधिभार की वसूली आपूर्ति संहिता के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार की जाएगी;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अवधारित टैरिफ में उपभोक्ताओं के वर्ग या किसी उपभोक्ता को राज्य सरकार द्वारा सहायता पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

**संलग्नक-7.1**

[संदर्भ खण्ड 6.5 (ग),(घ), 7.5, 7.9 (क तथा ख) ]

**सम्पादन के गारन्टीशुदा मानक और प्रत्येक मामले में दोष के लिए उपभोक्ता को मुआवजे का स्तर**

**मुआवजे की अनुसूची और भुगतान की रीति**

| *सेवा क्षेत्र* | *प्रभावित उपभोक्ता को देय मुआवजा (विनिर्दिष्ट समय के प्रति चक्र के अनुसार)* | *भुगतान की रीति* |
|---|---|---|
| सामान्य फ्यूज उड़ना | दोष के प्रत्येक मामले में 50 रुपये | स्वत: |
| लाइन का टूटना | प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को 50 रुपये | स्वत: |
| वितरण ट्रांसफार्मर की विफलता | प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को 50 रुपये | स्वत: |
| वोल्टेज विचलन | | दावा किया जाएगा |
| नेटवर्क का कोई विस्तार/वृद्धि | दोष के प्रत्येक मामले में 100 रुपये | |
| अन्तर्गत न हो | | |
| वितरण प्रणाली के उच्चीकरण की अपेक्षा है | दोष के प्रत्येक मामले में 150 रुपये | |
| हारमोनिक्स | | दावा किया जाएगा |
| ई एच टी/एच टी कनेक्शन | दोष के प्रत्येक मामले में 100 रुपये | |
| मीटर संबंधी शिकायत | | दावा किया जाएगा |
| विशुद्धता | दोष के प्रत्येक मामले में 50 रुपये | |
| मीटर रीडिंग न दे | दोष के प्रत्येक मामले में 100 रुपये | |
| जले हुए मीटर का बदलना | दोष के प्रत्येक मामले में 100 रुपये | |
| भार में कमी | दोष के प्रत्येक मामले में 100 रुपये | स्वत: |
| भार में वृद्धि | दोष के प्रत्येक मामले में 100 रुपये | स्वत: |
| आपूर्ति, मीटर आदि की प्रणाली को परिवर्तित किया जाना है | दोष के प्रत्येक मामले में 200 रुपये | |
| आपूर्ति, मीटर आदि की प्रणाली को परिवर्तित नहीं किया जाना है | दोष के प्रत्येक मामले में 100 रुपये | |
| सेवा कनेक्शन के स्वामित्व का अन्तरण | दोष के प्रत्येक मामले में 100 रुपये | स्वत: |
| पुन: कनेक्शन | दोष के प्रत्येक मामले में 150 रुपये | स्वत: |
| अनुबन्ध का समाप्त किया जाना बिल देना | दोष के प्रत्येक मामले में 100 रुपये | दावा किया जाएगा |
| एक चक्र के पश्चात् अवास्तविक बकाया को आगे ले जाना | दोष के प्रत्येक मामले में 100 रुपये | स्वत: |

***टिप्पण***—उपर्युक्त मुआवजे की धनराशि प्रत्येक दोष के लिए और विनिर्दिष्ट समय के एक चक्र के लिए है।

***उदाहरण***—(1) फ्यूज उड़ जाने की सामान्य शिकायतों को शहरी क्षेत्र में 4 घण्टे, 6 घण्टे, 8 घण्टे, 10 घण्टे और 13 घण्टे में दूर किया जाता है।

शहरी क्षेत्र में फ्यूज उड़ जाने की सामान्य शिकायत को दूर करने का विनिर्दिष्ट समय 4 घण्टे हैं। प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को देय मुआवजा निम्न प्रकार होगा :

4 घण्टे — कोई मुआवजा नहीं

| | |
|---|---|
| 6 घण्टे | 50 रुपये |
| 8 घण्टे | 50 रुपये |
| 10 घण्टे | 100 रुपये |
| 13 घण्टे | 150 रुपये |

***उदाहरण—***(2) यदि भार में कमी को 25 दिन, 40 दिन, 60 दिन और 75 दिन में स्वीकृत किया गया है। भार में कमी को स्वीकृत करने का विनिर्दिष्ट समय 30 दिन है। निम्न प्रकार से मुआवाजा देय होगा :

| | |
|---|---|
| 25 दिन | कोई मुआवजा नहीं |
| 40 दिन | 100 रुपये |
| 60 दिन | 100 रुपये |
| 75 दिन | 200 रुपये |

1. संदेय प्रतिकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्यमान, चालू और/या भावी बिल के विरुद्ध समायोजन द्वारा किया जा सकेगा।

2. प्रतिकर दावा पर निम्नलिखित ढंग में विचार किया जाएगा—

**स्वतः—**भुगतान का ढंग अनुज्ञप्तिधारी से विनिर्दिष्ट मानक के अननुपालन का अनुसरण करते हुए स्वत: प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिकर की धनराशि की संगणना करने और भुगतान करने या समायोजन करने की अपेक्षा करता है। उपभोक्ता प्रतिकर का दावा करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी से भी सम्पर्क कर सकता है, यदि मानक का उल्लंघन किया जाता है और अनुज्ञप्तिधारी युक्तियुक्त समय के अन्तर्गत प्रतिकर का वितरण करने में असफल रहता है।

**दावा किया जाएगा—**भुगतान का ढंग उपभोक्ता से अनुज्ञप्तिधारी के संज्ञान में यह लाने की अपेक्षा करता है कि मानक का उल्लंघन किया गया है और तदनुसार अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिकर की धनराशि दावा करता है।

**संलग्नक-7.2**

(संदर्भ खण्ड 7.7.6.)

**परिवाद के लिए प्ररूप**

सेवा में, दिनांक.....

उप महाप्रबन्धक (वितरण)

.....

.....

सन्दर्भ : अनुसूचित आघात/भार व्यवधान से सम्बन्धित परिवाद

1. परिवादी का नाम
2. परिवादी का पता
3. परिवादी की दूरभाष सं०, यदि कोई हो
4. संयोजन संख्या
5. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

दिनांक..... आवेदक का हस्ताक्षर

---

अभिस्वीकृति उपभोक्ता को सौंपी जाएगी

1. परिवाद निर्देश सं० :
   (अनुज्ञप्तिधारी को दी जाएगी)
2. परिवाद प्राप्त करने की तारीख :
3. परिवाद उसके द्वारा प्राप्त किया गया
   (नाम और पदनाम)

अनुज्ञप्तिधारी के

प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

संलग्नक-7.3 (i) )(Ref. Clause 6.8 (a) (i) & 7.11)

2/4

उत्तर प्रदेश सरकार
ऊर्जा अनुभाग–3
संख्या : 173/2006–चौबीस/पी–3–27पी/98टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 2.6.-2006

## अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 126 के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) के परन्तुक का अनुसरण करके और शासनादेश संख्या 231–पी–3–2004–24–27पी/98, दिनांक 17 जनवरी, 2004 का अधिक्रमण करके राज्यपाल,–

(क) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, कानपुर के वितरण मण्डल के अधिशासी अभियंताओं को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर निर्धारण अधिकारी के रूप में, और

(ख) नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड के सहायक प्रबन्धकों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर निर्धारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करते हैं।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार खुराना)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
ऊर्जा अनुभाग–3
संख्या : 174 / 2006–चौबीस / पी–3–27पी / 98टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 14-7- 2006

## अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 176 की उपधारा (2) के खण्ड (प) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार द्वारा बनाये गये अपील प्राधिकारी को अपील नियम, 2004 के नियम 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 127 के अधीन अपील करने के प्रयोजन के लिए नीचे अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित ऐसे अधिकारियों को, जिनकी उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित धन सबंधी अधिकारिता हो, अपील प्राधिकारी पदाभिहित करते हैं।

## अनुसूची

| क्रम संख्या | अपील प्राधिकारी | अधिकारिता |
|---|---|---|
| 1 | सम्बधित मण्डल का मण्डलायुक्त या इस प्रयोजन के लिए आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अपर आयुक्त | कोई भी धनराशि |

आज्ञा से,

(अशोक कुमार खुराना)
प्रमुख सचिव।

**संलग्नक-7.3 (ii)** (संदर्भ खण्ड 7.11 और 8.1(i))

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-3
संख्या : 2635/चौबीस-पी-3-2004
लखनऊ : दिनांक 5 अक्टूबर, 2004

**कार्यालय ज्ञाप**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 (2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत जांच/कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :

1. सहायक अभियंता/एस० डी० ओ० या उससे ऊपर से अधिकारी।
2. पुलिस सतर्कता शाखा में तैनात पुलिस उपाधीक्षक एवं उससे ऊपर के अधिकारी।

अरुण कुमार मिश्र
प्रमुख सचिव

**संख्या : 2635 (1) पी-3/24-2004 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव नियामक आयोग
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. समस्त प्रबंध निदेशक, डिस्काम, मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, लखनऊ।
   पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, मेरठ। दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, आगरा।
5. प्रबंध निदेशक, केस्को, कानपुर।

(क्षेत्रपाल)
अनु० सचिव

संलग्नक : 7.4

| क्र० सं० | जिला मुख्यालय/ उपयोगिता | उद्देश्य | 11 के० वी० फीडरों की कुल सं० | प्रभावित फीडरों की कुल सं० | सभी फीडरों की बहिरंश अवधि की मात्रा (घंटों में) | फीडर के अनुसार बहिरंश अवधि | ट्रिपलिंग की कुल सं० | प्रति फीडर ट्रिपलिंग स्तम्भ 8/स्तम्भ 4 | फीडर विश्वसनीयता सूचकांक (एफ० आई० आर०) | टिप्पणी | भहिरंश रोस्टरिंग अनुसूचि को शामिल करता है या नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

.....मास के लिए राज्य जिला मुख्यालयों के लिए 11 के० बी० फीडर स्तर पर विश्वसनीयता सूचकांक

.....मास के बाद राज्य जिला मुख्यालयों के लिए उपभोक्ता प्रक्रम पर विश्वसनीयता सूचकांक उपभोक्ता विश्वसनीयता सूचकांक (सी० आर० आई०)

| क्रम सं० | जिला मुख्यालय/उपयोगिता | उद्देश्य | उपभोक्ताओं की कुल सं० | प्रभावित उपभोक्ताओं की कुल सं० | सभी उपभोक्ताओं की बहिरंश अवधि की मात्रा (घंटों में) | (स्तम्भ 6/स्तम्भ) | उपभोक्ता की आपूर्ति असफलता की कुल सं० | (स्तम्भ 8/स्तम्भ) | उपभोक्ता विश्वसनीयता सूचकांक (सी० आर० आई०) | टिप्पणी | क्या बहिरंश रोस्टरिंग को शामिल करता है अनुसूची या नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**त्रैमासिक (…….2000 से…….2000 तक) के लिए रिपोर्ट**

| कार्यवाही | परिवार/सेवा प्रकार | औसत उत्तर/प्रतितोष समय अभिलिखित | ई० एस० सी० 0.5 के अनुसार प्रत्याभूत समय सीमा | मामलों की संख्या | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | रिपोर्ट की गयी | लम्बित समाधान | |
| | (क) सामान्य फ्यूज बन्द | | | | | |
| | नगरीय | | 4 घंटे | | | |
| | ग्रामीण | | 8 घंटे | | | |
| | (ख) सिरोपति लाइन की खराबी | | | | | |
| | नगरीय | | 8 घंटे | | | |
| व्यवधान असफलता | ग्रामीण | | 48 घंटे | | | |
| विद्युत आपूर्ति | भूमिगत लाइन की खराबी | | | | | |
| | नगरीय | | 24 घंटे | | | |
| | ग्रामीण | | 96 घंटे | | | |
| | वितरण ट्रान्सफार्मर असफलता | | | | | |
| | नगरीय | | 24 घंटे | | | |
| | ग्रामीण | | 72 घंटे | | | |
| | विद्युत ट्रान्सफार्मर की असफलता | | 15 दिन | | | |
| | सं० नेटवर्क का विस्तार/अभिवृद्धि संलग्न है | | 24 घंटे | | | |
| | वितरण प्रणाली के उच्चीकरण की अपेक्षा है | | | | | |
| वोल्टता | (क) एल० टी० वितरण प्रणाली | | 6 मास | | | |
| भिन्नता | (ख) एच० टी० वितरण प्रणाली | | 12 मास | | | |
| | अभिलिखित न करने वाले/त्रुटिपूर्ण मीटर का | | 15 दिन | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बदलना | | | | | |
| | जले हुए मीटर को बदलना | | 3 दिन | | | |
| | भार की कमी | | 30 दिन | | | |
| | भार की वृद्धि | | 30 दिन | | | |
| | सेवा कनेक्शन के स्वामित्व का अन्तरण | | 30 दिन | | | |
| विल देना | करार का समापन | | 30 दिन | | | |
| | काल्पनिक बकाये को अग्रसारित करना | | एक बिल देन | | | |
| | एक चक्र के परे | | चक्र | | | |
| | कारण को हटाने के बाद पुन: कनेक्शन | | 24 घंटे | | | |
| | ऊर्जाकरण से नये बिल का निर्गम | | बिल देने का चक्र | | | |

**3 मास (…….2000 से…….2000 तक) के लिए रिपोर्ट……..का संकलन लेखा संपरीक्षा**

| **क्षेत्र** | **मुख्य कार्य आदेशिका** | **क्रिया कलाप** | **मास के दौरान संसाधित कुल मामले** | **लेखा सपरीक्षा किये गये मामले** | **क्रम में पाये गये मामले** | **% संकलन** | **अनुपालन के लिए टिप्पणी** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवेदन संसाधन | | | | | |
| | | निरीक्षण | | | | | |
| | नई सेवा | प्राक्कलन तैयारी | | | | | |
| | कनेक्शन | सेवा संस्थान | | | | | |
| | | करार निष्पादन | | | | | |
| की स्वीकृति | | प्रतिभूति निक्षेप | | | | | |
| आपूर्ति | अस्थायी | आवेदन संसाधन | | | | | |
| | कनेक्शन | सेवा सस्थापन | | | | | |
| | आपूर्ति | अस्थायी डिस्क | | | | | |
| | सयोजन विच्छेद | स्थायी डिस्क | | | | | |
| | ओर | पुन: डिस्क | | | | | |
| | पुन: कनेक्शन | | | | | | |
| | न्रया सस्थापन | नये के विरुद्ध मीटर लगाना | | | | | |
| | मीटरों का | कनेक्शन | | | | | |
| मीटर लगाना | बदलना | त्रुटिपूर्ण मीटर | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मीटर | जले हुए मीटर | | | | | |
| | | खोये हुए मीटर | | | | | |
| | | बिल उत्पन्न करने की अवधि (चक्र) | | | | | |
| | बिल कार्यवाही | बिल प्रेषण | | | | | |
| बिले देना | और संकलन | बिल विवाद समाधान | | | | | |
| | प्रस्ताव | बकाये की वसूली | | | | | |
| | | सतर्कता का संचालन | | | | | |
| | | की तैयारी | | | | | |
| | चोरी को बुक करना | अन्वेषण रिपोर्ट | | | | | |
| अल्पीकरण | | सेवा की नोटिस | | | | | |
| क्षति का | | दण्ड निर्धारण | | | | | |
| | सुनवाई | कार्यवाही का संचालन | | | | | |
| | दण्ड देना | दण्ड प्रभार का निर्धारण | | | | | |

**संलग्नक-7.5**

## प्रदाय संहिता 2005 में आयोग का निर्देश

1. बिल बकायों और नवीनतम बिल की धनराशि को पृथक् ढंग से प्रकट करेगा।

2. तीन मास मसय के स्थान में भुगतान प्रणाली का नया ढंग (ई० एस० सी० 05 का खण्ड 6.1 (ट), 6.10 (ग)।

3. तीन मास के भीतर मीटरों के तृतीय पक्षकार जांच/परीक्षण के लिए स्वतन्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रत्यायित एन० ए० बी० एल० के साथ सम्बन्ध (खण्ड 5.4)

4. बिल तथा नोटिस विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 और धारा 171 तथा ई० एस० सी० 2005 के खण्ड 9.3 के अनुसार होगी।

5. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के नोडल अधिकारी संहिता के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण करेंगे और मासिक रिपोर्ट पेश करेंगे।

6. कार्यपालन के प्रणाली, अकार्यपालन के कारण प्रभावित उपभोक्ताओं को प्रतिकर का अनुवीक्षण करने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के नाम को पेश करे।

7. आयोग द्वारा कार्यपालन के मानक का वार्षिक पुनर्विलोकन, आयोग को नियमित आधार पर त्रैमासिक रिपोर्ट (खण्ड 7.12)

8. अनुज्ञप्तिधारी अधिकारियों/उपभोक्ताओं के लिए मार्गनिर्देश के रूप में कार्य करने के लिए आर० एस०/के० डब्ल्यू० या के० वी० ए० आधार पर लागत आंकड़ा पुस्तिका का संकलन (खण्ड 4.6 (ख)

9. आपूर्ति संहिता 2005 के पुनर्विलोकन के लिए ई० एस० सी० आर० पी० के लिए नामांकन (खण्ड 1.2)

10. करार का मानक प्ररूप दो वर्षों में कम से कम एक बार पेश किया जाना है (खण्ड 4.14 (ङ)

11. सभी 11 के० वी० और 33 के० वी० उपभोक्ताओं के लिए केन्द्रीय रूप से मीटर से आंकड़ा उद्धृत करने के लिए दूरदर्ती मीटर अध्ययन (जी० एस० एम० तकनीक) के लिए सुविधा उत्पन्न करने के लिए योजना की प्रास्थिति (खण्ड 5.2 (च)

12. उपभोक्ता प्रतितोष निवारण फोरम के लिए अद्यतन विवरण त्रैमासिक रूप से निम्नलिखित सूचना के साथ पेश किया जाना चाहिए :

- फोरम के सदस्यों का अद्यतन नाम, पता, दूरभाष, मोबाइल और फैक्स सं० देने के लिए
- डी० आई० एस० सी० ओ० एम० एस० के वेबसाइट पर फोरम का प्रदर्शन करने के लिए।
- उपभोक्ताओं को फोरम का विवरण (नाम, पता और दूरभाष सं०) अधिसूचित करने के लिए और संज्ञान में लाने के लिए।
- आयोग को त्रैमासिक रिपोर्ट पेश करने के लिए : (i) अवधि के दौरान दाखिल किये गये मामलों की संख्या, (ii) निस्तारित मामलों की संख्या, (iii) समाधान के लिए लम्बित मामलों की संख्या, (iv) उन मामलों की संख्या, जहां कारण के साथ सी० जी० आर० एफ० के खण्ड 6 के अनुसार नियत समय अवधि के परे आदेश पारित किये गये थे।

13. कार्यपालन मानक, प्रतितोष फोरम इत्यादि के रूप में महत्वपूर्ण विवाद्यकों पर केवल टी० वी० चैनल/राज्य टी० वी० चैनलों/आकाशवाणी पर व्यापक प्रचार के लिए हिन्दी/अंग्रेजी में विज्ञापन।

14. महत्वपूर्ण स्थान/विद्युत आपूर्ति कार्यालयों पर विद्युत की चोरी के लिए जुर्माना/कारावास इत्यादि के प्रावधान को प्रदर्शित करते हुए विज्ञापन/और होर्डिंग लगाना।

15. विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को पम्फलेट के रूप में व्यापक प्रचार के लिए हिन्दी/अंग्रेजी में प्रकाशित किया जायेगा।

16. भार सन्तुलन का अनुपालन न करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रतिकर प्रदान करते हुए उपभोक्ता को प्रभार उद्ग्रहीत करने के लिए वांछित प्रक्रिया और समय संरचना को पेश करना (खण्ड 3.6)।

17. उपखण्ड कार्यालय, खण्ड कार्यालय और उपमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर नये कनेक्शनों को मुक्त करने के लिए प्रक्रिया, फीस, अभिहित अधिकारियों से सम्बन्धित सभी सूचना का प्रदर्शन (खण्ड 4.3 घ)।

18. 10 लाख से अधिक जनसंख्या के सभी नगरों में कम्प्यूटरीकृत सुविधाओं के साथ उक्त कार्यालयों में नये प्ररूपों, दाखिल करने और सूचना प्रास्थिति को देने के लिए सर्वाजनिक सूचना काउन्टर को प्रवर्तित किया जा सकेगा।

19. नये आवेदन का इलेक्ट्रानिक दाखिल करना, लम्बित कनेक्शन की प्रास्थिति मुक्त की जायेगी और कनेक्शन की प्रास्थिति सभी नगरों में चरणबद्ध ढंग में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से इन्टरनेट वेबसाइट, केन्द्रीयकृत काल सेन्टर, आई० वी० आर० एस० सुविधा पर और उपखण्ड/खण्ड/उपमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक के कार्यालयों के समुचित जोड़ने पर भी सम्भव हो सकती है। (खण्ड 4.3 ङ)।

20. अनुज्ञप्तिधारी एकल चरणबद्ध मीटरों और तीन चरणबद्ध सम्पूर्ण वर्तमान आपूर्ति के लिए पूर्व संदत्त मीटर लगा सकेगा और चरणबद्ध ढंग में अधिसंरचना परिवर्तन को सुनिश्चित कर सकेगा (खण्ड 5.2 घ)।

21. कालोनी, उद्योग या किसी संस्थान में आपूर्ति पर ऊर्जा लेखा, ऊर्जा लेखा सम्परीक्षा और वाणिज्यिक क्षति की जांच करने के प्रयोजन के लिए तीन मास के भीतर स्वतन्त्र फीडरों/समर्पित फीडरों से प्रारम्भ करके उपकेन्द्र ट्रान्सफार्मर (एल० वी० और एच० वी० पक्ष) को शामिल करके सभी आने वाले और बाहर जाने वाले फीडरों के लिए उपकेन्द्र पर मीटर लगाना (खण्ड 5.3 च)।

22. आपूर्ति पर ऊर्जा लेखा, लेखा सम्परीक्षण और वाणिज्यिक क्षति की जांच करने के प्रयोजन के लिए समयबद्ध ढंग में उच्च क्षति धारण करने वाले फीडर के वितरण ट्रान्सफार्मरों के एल० वी० साइड पर पर्याप्त मीटर लगाना (खण्ड 5.3 झ)।

23. अनुज्ञप्तिधारी चरणबद्ध ढंग में स्विच चालू करने/बन्द करने के लक्षण के प्रयोग से समय के लिए सुविधा के साथ सड़क प्रकाश कनेक्शन पर मीटर लगायेगा (खण्ड 5.3 ञ)।

24. एकीकृत मीटर लगाने, बिल देने और राजस्व संग्रहण प्रणाली को सभी क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जा सकेगा।

25. अनुज्ञप्तिधारी जी० एस० एम० संयोजकता के साथ हस्तधारित कम्प्यूटर उपकरण (एच० एच० सी०) द्वारा मीटर से डाउनलोड किये गये आंकड़े के साथ स्थल बिल के आधार पर बिल तैयार कर सकेगा, जिसका उपभोक्ता को बिल देने के लिए बिल पर मीटर अध्ययन का फोटो चित्र लगाने का लक्षण होगा और ऐसे बिल को फोटो चित्र अध्ययन के आधार पर वर्ष में कम से कम दो बार उपभोक्ता को दिया जायेगा (खण्ड 6.1 घ)।

26. एच० एच० सी० के साथ डाटा को डाउनलोड करने के समय उपभोक्ता को बिल प्रदान करना और उपभोक्ता से चेक एकत्रित करना, यदि वह स्थल पर भुगतान करने और रसीद जारी करने की इच्छा करता है।

27. अनुज्ञप्तिधारी एच० एच० सी० उपकरण द्वारा मीटर अध्ययन के लिए नियोजित अभिकरण द्वारा मीटर अध्ययन के समुचित नियोजन को सुनिश्चित करेगा, जिससे आयोग द्वारा नियत लक्ष्य के अनुसार राजस्व और वसूली दक्षता में वृद्धि को सुनिश्चित किया जाय।

28. शास्ति के प्रावधान विनिर्दिष्ट लक्ष्य के नीचे संग्रहण के अधीन के लिए संग्रहण अभिकरणों के साथ संविदा में प्रविष्ट किये जा सकेंगे।

29. अनुज्ञप्तिधारी सात कार्यदिवस के भीतर उपभोक्ता को बिल का परिदान करेगा, जहां मीटर लगाने का आंकड़ा एम० आर० आई० द्वारा डाउनलोड किया जाता है (खण्ड 6.1 ङ)।

30. अनुज्ञप्तिधारी मीटर अध्ययन करने वालों को समुचित फोटो पहचानपत्र जारी करेगा।

31. वाणिज्यिक, सार्वजनिक, व्यक्तिगत संस्थान और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बैंक के माध्यम से निश्चित समयसीमा के अन्तर्गत भुगतान (खण्ड 6.1 ट)।

32. अनुज्ञप्तिधारी विशेष वर्ग/बड़े कुछ नगरों से प्रारम्भ करके विशेष राजस्व संग्रहण केन्द्र के सभी राजस्व अधिकारियों को नेटवर्क चरणबद्ध ढंग में प्रारम्भ कर सकेगा। (ई-सेवा) (खण्ड 6.1 ठ)।

33. बिल के क्षेत्रवार विवरण का त्रैमासिक कथन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा और इस लेखा पर दिये गये प्रतिकर के साथ स्थायी असंयोजन के बाद जारी किया जायेगा। (खण्ड 6.5 घ)।

34. अनुज्ञप्तिधारी अपनी प्रणाली और कार्य आदेशिकाओं को संगठित करेगा, जिससे उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कार्यपालन के मानक को प्राप्त किया जाय, जैसा कि अधिनियम के अधीन और/या इस संहिता में उपवर्णित है (खण्ड 7.7)।